

प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी
चुने हुए भाषण
खंड-II
(अप्रैल 1999 से मार्च 2000 तक)

प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी
चुने हुए भाषण

खंड-II
(अप्रैल 1999 से मार्च 2000 तक)



प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

2000 (शक 1922)

© अटल बिहारी वाजपेयी

ISBN – 81-230-0926-7

मूल्य : 450/- रुपये

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार,
पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित

विक्रय केन्द्र ■ प्रकाशन विभाग

- पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001
- सुपर बाजार (दूसरी मजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001
- हाल न 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
- कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, मुम्बई-400038
- 8, एसप्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-700069
- राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600090
- बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004
- प्रेस रोड, तिरुवनतपुरम-695001
- 27/6, राममोहन राय मार्ग, लखनऊ-226001
- राज्य पुरातत्वीय संग्रहालय, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद-500004
- 'एफ' विग, प्रथम तल, केन्द्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560034
- योजना (गुजराती), अंबिका काम्पलेक्स, प्रथम तल, पालदी, अहमदाबाद-380007
- योजना (असमिया), नौजान रोड, उजान बाजार, गुवाहाटी-781001

विक्रय काउंटर ■ पत्र सूचना कार्यालय

- 80, मालवीय नगर, भोपाल-462003
- सी जी ओ काम्पलेक्स, 'ए' विग, ए बी रोड, इदौर (म प्र)
- B-7, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302001

लेजर टाइपसेट नाथ ग्रामिन्स, 1/21 सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली-110016

मुद्रक अणवली प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा लिमिटेड, डब्ल्यू-30, ओखला फेज II, नई दिल्ली 110 020

विषय-सूची

I राष्ट्रीय मामले

- देश हित को ध्यान में रखें 3
लोकसभा भंग होने के बाद राष्ट्र के नाम संदेश, नई दिल्ली, 29 अप्रैल 1999
- सामाजिक-आर्थिक बदलाव में रेलवे की भूमिका 6
हुबली-अकोला रेलवे लाइन की आधारशिला रखते हुए दिया गया भाषण,
हुबली, 17 मई 1999
- मणिपुर के समग्र विकास के प्रति सरकार वचनबद्ध 7
मणिपुर की यात्रा के दौरान दिया गया वक्तव्य, इंफाल, 21 मई 1999
- उज्ज्वलतर भविष्य का संकल्प 10
53वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों
को संबोधित करते हुए दिया गया भाषण, दिल्ली, 15 अगस्त 1999
- समृद्ध भारत का निर्माण 18
लोकसभा चुनावों के बाद राष्ट्र के नाम दिया गया प्रथम संदेश,
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 1999
- न्यायपालिका की स्वाधीनता 22
उच्चतम न्यायालय के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर दिया गया भाषण,
नई दिल्ली, 26 नवंबर 1999
- संसदीय लोकतंत्र का सम्मान 26
सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार प्रदान करते हुए दिया गया भाषण,
नई दिल्ली, 17 दिसंबर 1999
- आतंक के आगे नहीं झुकेंगे 29
इंडियन एयरलाइंस के विमान (आई सी-814) के अपहरण के बाद दिया गया
वक्तव्य, नई दिल्ली, 25 दिसंबर 1999

नई सदी में भारत के संकल्प नव वर्ष की पूर्व-संध्या पर राष्ट्र के नाम सदेश, नई दिल्ली, 31 दिसंबर 1999	29
पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम का विकास क्षेत्रीय विकास तथा सुरक्षा विषय पर पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में दिया गया भाषण, शिलांग, 21 जनवरी 2000	32
एक महान देशभक्त सुभाष चन्द्र बोस की जयंती के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 23 जनवरी 2000	37
भारतीय गणतंत्र के पचास वर्ष गणतंत्र दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 27 जनवरी 2000	40
II आर्थिक विकास	
अच्छे प्रशासन की परख महालेखाकारों के 20वें सम्मेलन में उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली, 7 अप्रैल 1999	45
भारत के भविष्य के प्रति आस्था और विश्वास भारतीय उद्योग महासंघ के वार्षिक अधिवेशन में उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली, 28 अप्रैल 1999	49
सहकारिता की संस्कृति निरंतर विकसित होती रहनी चाहिए भारत के सबसे अच्छे सहकारी बैंकों के सम्मान समारोह में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 7 मई 1999	55
आर्थिक प्रगति के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा जरूरी कारैकाल में बिजली घर का उद्घाटन करते हुए दिया गया भाषण, पांडिचेरी, 25 मई 1999	62

- साफ्टवेयर निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य 66
इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात पुरस्कार प्रदान करते हुए
दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 29 मई 1999
- विकास की गति बढ़ाएं और इसे बहुआयामी बनाएं 71
पाटा पेट्रो-केमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करते हुए दिया गया भाषण,
पाटा, 10 जून, 1999
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 74
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसानों को समर्पित किए जाने के अवसर
पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 22 जून 1999
- विकास कोषों के उपयोग की समुचित निगरानी 76
इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटेन्ट्स आफ इंडिया के स्वर्ण जयंती
समारोह के समापन सत्र में दिया गया भाषण, 1 जुलाई 1999
- युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर 80
नुमालीगढ में तेल शोधक कारखाना राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर
दिया गया भाषण, असम, 9 जुलाई 1999
- हरित क्रांति का लाभ आम जनता तक पहुंचे 82
आई सी ए आर. सोसायटी की 70वीं वार्षिक आम बैठक में
दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 16 जुलाई 1999
- ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर संपर्क जरूरी 86
जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों को संबोधित
करते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 19 जुलाई 1999
- सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने का संकल्प 91
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के परिसंघ, पित्तकी की वार्षिक
आम बैठक में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 20 नवंबर 1999
- आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी पहल 95
भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में दिया गया भाषण, नई दिल्ली
5 दिसंबर 1999

सूचना प्रौद्योगिकी व्यापार को और अधिक सफल बनाएं सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी के नेशनल वेंचर कैपिटल फंड की शुरूआत के समय दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 10 दिसंबर 1999	100
भारत को ज्ञान-विज्ञान की महाशक्ति बनाना है एसोसिएम की विश्व-स्तरीय बैठक में दिया गया भाषण, नई दिल्ली 18 दिसंबर 1999	102
सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि सतत और संवर्धित हो पुनर्गठित आर्थिक सलाहकार परिषद की पहली बैठक में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 8 जनवरी 2000	107
सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन सिलिकॉन वैली के सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के दल का स्वागत करते समय दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 13 जनवरी 2000	111
सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति विश्व कांग्रेस में सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति पर दिया गया भाषण, कलकत्ता, 20 जनवरी 2000	113
समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका वर्ष 1998 के श्रम पुरस्कार वितरण के अवसर पर आयोजित समारोह में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 14 फरवरी 2000	116
भारत के विद्युत क्षेत्र का विकास राज्य विद्युत मंत्री सम्मेलन में दिया गया उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली, 26 फरवरी 2000	120
III रक्षा	
अग्नि का सफल परीक्षण अग्नि के सफल परीक्षण पर राष्ट्र के नाम संदेश, नई दिल्ली, 11 अप्रैल 1999	125

- भारतीय नौसेना की गौरवपूर्ण उपलब्धि 127
आई एन एस मैसूर के जलावतरण के अवसर पर दिया गया भाषण,
मुंबई, 2 जून 1999
- नियंत्रण रेखा में फेरबदल नहीं 130
करगिल पर सर्वदलीय बैठक में दिया गया भाषण, नई दिल्ली,
28 जून 1999
- देशभक्ति का वातावरण 133
प्रधानमंत्री निवास पर एकत्रित जनसमूह के समक्ष दिया गया भाषण,
नई दिल्ली, 28 जून 1999
- विजय के अभियान में योगदान करें 134
टाइगर हिल्स पर शानदार विजय के लिए भारतीय सेना के जवानों
को बधाई देते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 5 जुलाई 1999
- करगिल : हमारे राष्ट्रीय संकल्प के लिए चुनौती 135
राष्ट्रीय सुरक्षा पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में दिया गया उद्घाटन भाषण,
नई दिल्ली, 7 जुलाई 1999
- एकता ही हमारी शक्ति है 139
मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के समापन पर की गयी टिप्पणी,
नई दिल्ली, 7 जुलाई 1999
- करगिल में विजय का श्रेय जवानों को 142
प्रधानमंत्री निवास पर रोटरी क्लब के सदस्यों को संबोधित करते हुए
दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 15 जुलाई 1999
- जवानों ने तिरंगे की शान रखी 143
डी.ए.वी छात्र रैली को संबोधित करते हुए दिया गया भाषण,
नई दिल्ली, 31 जुलाई 1999
- सामरिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता 145
रक्षा अनुसंधान और विकास सगठन (डी आर डी ओ) के निदेशकों
के 24 वे सम्मेलन में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 6 अगस्त 1999

शूरवीरों को श्रद्धांजलि शौर्य पुरस्कार विजेताओं की स्मृति में डाक टिकट जारी करने के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 28 जनवरी 2000	147
संकट की घड़ी में नागरिकों का सहयोग महत्वपूर्ण हिंद समाचार समूह मैदान में आयोजित समारोह में दिया गया भाषण, जालघर, 6 फरवरी 2000	150
IV विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	
इनसैट-2 ई : भारतीय विज्ञान का मूल्यवान उपहार इसरो के इनसैट-2ई दल के समक्ष दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 8 मई 1999	157
नई सहस्राब्दी में भारत को प्रौद्योगिकी शक्ति बनाएं प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 11 मई 1999	159
भारत का आदर्श - पृथ्वी, आकाश और सर्वत्र शांति श्रीहरिकोटा से पी एस एल वी सी-2 के सफल प्रक्षेपण के पश्चात राष्ट्र के नाम संदेश, नई दिल्ली, 26 मई 1999	163
आम आदमी और विज्ञान के बीच की खाई को पाटिए ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार प्रदान करते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 21 जून 1999	165
चंद्रमुखी विकास के लिए अंतरिक्ष का उपयोग अंतरिक्ष उपयोग के बारे में एस्केप के मंत्री स्तर के सम्मेलन में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 18 अगस्त 1999	168
भारत के सर्वांगीण विकास के लिए विज्ञान भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 87वें वार्षिक सत्र में दिया गया भाषण, पुणे, 3 जनवरी 2000	172

प्रयोगशालाओं और उद्योगों में उचित सामंजस्य 178
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे की स्वर्ण जयंती के अवसर पर
दिया गया भाषण, पुणे, 3 जनवरी 2000

ज्ञान की क्रांति से उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाइए 182
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर दिया
गया भाषण, नई दिल्ली, 21 फरवरी 2000

परमाणु प्रौद्योगिकी को आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाएं 184
कैगा परमाणु बिजली केन्द्र की दूसरी इकाई राष्ट्र को समर्पित करते
समय दिया गया भाषण, कैगा, 5 मार्च 2000

V शिक्षा, कला और संस्कृति

हस्तशिल्पी राष्ट्रशिल्पी हैं 189
सिद्धहस्त हस्तशिल्पियो तथा बुनकरो को वर्ष 1996 एवं 1997 के
लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर दिया गया भाषण,
नई दिल्ली, 23 मई 1999

विद्वान सर्वत्र पूज्यते 192
महान शिक्षाविद् बाबाजान गफूरोव की 90वीं जयंती के अवसर
पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विचारगोष्ठी में दिया गया भाषण,
नई दिल्ली, 28 जुलाई 1999

समाज-निर्माण में पुस्तकों का महत्त्व 196
14वे विश्व पुस्तक मेले के उद्घाटन के अवसर पर दिया गया भाषण,
नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2000

भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रसार में भोजपुरी की भूमिका 199
मॉरीशस में आयोजित द्वितीय विश्व भोजपुरी सम्मेलन के लिए दिया गया
संदेश, 24 फरवरी 2000

VI स्वास्थ्य और समाज कल्याण

- महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना जरूरी 203
 'महिलाओं की आर्थिक अधिकारिता' विषय पर आयोजित कार्यशाला
 में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 9 अप्रैल 1999
- स्वास्थ्य रक्षा के बुनियादी ढांचे में असंतुलन दूर करें 207
 क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दिया गया भाषण, इम्फाल, 21 मई 1999
- महिलाओं को सशक्त बनाकर हम सब को लाभ होगा 210
 वर्ष 1998 के इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार
 प्रदान करने के अवसर पर दिया भाषण, नई दिल्ली, 19 नवंबर 1999
- अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की रक्षा 212
 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सासदों के सम्मेलन
 में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 5 दिसंबर 1999
- तंबाकू-नियंत्रण के लिए व्यापक रणनीति की आवश्यकता 216
 विश्व तंबाकू नियंत्रण नियम पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित
 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली,
 7 जनवरी 2000
- बहादुर बच्चों का अभिनंदन 219
 वीर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर
 दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2000
- राष्ट्र के विकास में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका 222
 समाज कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित सम्मेलन में दिया गया भाषण,
 नई दिल्ली, 22 फरवरी 2000
- राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की समान भागीदारी 225
 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में
 दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 8 मार्च 2000

VII अंतर्राष्ट्रीय मामले

- कलकत्ता-ढाका बस सेवा आम जनता की सुविधा के लिए 233
कलकत्ता-ढाका के बीच प्रथम बस-सेवा के पहुंचने पर आयोजित
समारोह में दिया गया भाषण, ढाका, 19 जून 1999
- कम्बोडिया के साथ संबंधों का विशेष महत्व 235
कम्बोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के सम्मान में आयोजित भोज के
अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 18 फरवरी 2000
- सांस्कृतिक मूल्यों की एकरूपता 238
मॉरीशस के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित भोज के अवसर पर
दिया गया भाषण, पोर्ट लुई, 10 मार्च 2000
- निर्धनता-उन्मूलन के लिए विश्व-पहल की आवश्यकता 240
मॉरीशस विश्वविद्यालय में दिया गया भाषण, मॉरीशस, 11 मार्च 2000
- दो बड़े लोकतंत्रों के बीच स्थायी सहभागिता जरूरी 245
अमरीकी राष्ट्रपति विल विल्टन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर के बाद
दिया गया वक्तव्य, नई दिल्ली, 21 मार्च 2000
- भारत-अमरीकी संबंधों की गतिशील शुरुआत 248
संसद के दोनो सदनों के सम्मुख अमरीका के राष्ट्रपति
श्री विलियम जेफरसन विल्टन द्वारा दिए गए भाषण पर वक्तव्य,
नई दिल्ली, 22 मार्च 2000

VIII विविध

- सुरक्षा संगठनों का उत्तरदायित्व 253
विशेष सुरक्षा दल के चौदहवें स्थापना दिवस के अवसर पर
दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 8 अप्रैल 1999
- धर्म हमें जोड़ता है 255
खालसा पंथ की स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने के अवसर पर
दिया गया भाषण, आनंदपुर साहिब, 8 अप्रैल 1999

- पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा जरूरी 257
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में दिया गया
भाषण, नई दिल्ली, 5 जून 1999
- पर्वतारोहण के प्रशिक्षण का प्रबंधन जरूरी 262
'मिलेनियम इंडियन एवरेस्ट एक्सपीडीशन, 1999' के अभियान
दल की सफल वापसी के अवसर पर दिया गया भाषण,
नई दिल्ली, 16 जून 1999
- धार्मिक स्वतंत्रता पंथ-निरपेक्ष संस्कृति का आधार है 263
अखिल भारतीय हज सम्मेलन में दिया गया भाषण,
नई दिल्ली, 5 अगस्त 1999
- भाषा जोड़ने वाली कड़ी होनी चाहिए 267
राजभाषा की स्वर्णजयंती के अवसर पर दिया गया भाषण,
नई दिल्ली, 14 सितंबर 1999
- एकम् गांधी द्वितीयो नास्ति 270
महात्मा गांधी पर मल्टी मीडिया सी डी के लोकार्पण के अवसर पर
दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 2 अक्टूबर 1999
- राष्ट्र निर्माण में क्षेत्रीय समाचारपत्रों का योगदान 273
'द असम ट्रिब्यून' के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए
दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 4 दिसंबर 1999
- ईसा मसीह का संदेश 276
ईसा मसीह पर डाक टिकट जारी करते हुए दिया गया भाषण,
नई दिल्ली, 25 दिसंबर 1999
- आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाना जरूरी 278
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की हीरक जयंती पर आयोजित परेड
में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 26 दिसंबर 1999

- हाथ खड़े निर्माण में 280
वावा साहेब आमटे को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 14 जनवरी 2000
- चरैवेति - चरैवेति 282
भगवान ऋषभदेव अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 4 फरवरी 2000
- अनिवासी भारतीयों की उपलब्धियों पर हमें गर्व है 285
भारतीय मूल के लोगों के योगदान पर आयोजित सम्मेलन में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 12 फरवरी 2000
- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी 288
कुलदीप नैयर की पुस्तक 'द मार्टियर : भगत सिंह - एक्सपेरिमेंट्स इन रिवोल्युशन' के लोकार्पण के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 25 फरवरी 2000
- पूरी मानवता में एक ही आत्मा का वास है 290
'श्रद्धा और वैभव, सिख कला-विरसा' प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 14 मार्च 2000

I

राष्ट्रीय मामले

देश हित को ध्यान में रखें

मेरे देशवासियो, आपने पांच वर्ष के लिए अपने प्रतिनिधियों को लोकसभा में भेजा था। वे केवल 14 महीनों में फिर से आपके पास आ रहे हैं। इसका कारण आपको भी मालूम है और मुझे भी, क्योंकि यह पूरा नाटक खुले मंच पर खेला गया है। सरकार को गिराने का कोई मुद्दा ही नहीं था। लोकसभा में बहस में और बाहर भी मेरे साथियों और मैंने बार-बार पूछा कि आखिर क्या मुद्दा है, जिस पर गलत आचरण के लिए सरकार इतनी अधिक दोषी है कि उसे गिरा दिया जाए और देश को अंधे कुएं में ढकेल दिया जाए? मैंने घटो बड़े धैर्यपूर्वक बहस सुनी, आपने भी सुनी होगी; एक भी नई बात नहीं कही गई, ऐसा एक भी गंभीर मुद्दा नहीं उठाया गया, जिससे पता चलता कि क्या किया जाना चाहिए। जो काम कर रहे थे, उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए कोई मुद्दा नहीं था। यह तो एक सोची-समझी चाल थी, जो उल्टी पड़ गई थी।

सरकार ठीक से काम कर रही थी। यह भारत को मजबूत बनाने के लिए ऐसे कदम उठा रही थी, जिनसे पहले की सरकारें बचती रही थीं। जब दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाएं अब तक के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही थीं, तब सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने, बचाने के लिए कदम उठाए। उस तूफान से बचा लेने के बाद, सरकार ने भारत को समृद्ध बनाने के कदम उठाए। देश में शांति थी। आतंकवाद पर अंकुश लगा दिया गया था।

कभी-कभी मुझे हैरानी होती है कि जब कोई मुद्दा नहीं था, तब क्या कहीं इसलिए तो सरकार को नहीं गिरा दिया गया, कि यह भारत को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही थी?

जब बहस आरंभ हुई तो मैंने पूछा, आपके पास विकल्प क्या है? नई सरकार का नेतृत्व कौन करने जा रहा है? उस सरकार में कौन-कौन लोग होंगे? मेरे सवालियों को दरकिनारा कर दिया गया। दावा किया गया कि पांच मिनट में हम विकल्प पेश कर देंगे। एक मिनट भी नहीं लगेगा, यह कहा गया। सात दिन बीत गए, और आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ।

कहा गया कि क्या विकल्प है, हम राष्ट्रपतिजी को बताएंगे, आपको नहीं। राष्ट्रपतिजी ने एक के बाद एक कई बैठके कीं; लेकिन वे कोई भी विकल्प नहीं बता पाए।

कुछ भी हो, क्या इतने गंभीर महत्व के मसले से निपटने का यह तरीका सही था? आप जानते हैं कि सरकार को देश के जीवन व सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्व के मुद्दों को देखना पड़ता है। अत्यंत गोपनीयता के मामले सभालने पड़ते हैं। कई मामले तो इतने गोपनीय होते हैं कि उनके बारे में जानकारी केवल प्रधानमंत्री को ही होती है और जब वह अपने उत्तराधिकारी को कार्यभार सौंपता है, तब उसका कर्तव्य होता है कि इन मामलों की जानकारी उसे दे। क्या संसदीय लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है कि सदन से सरकार व प्रधानमंत्री को हटाने के लिए वोट देने को कहा तो जाए, लेकिन यह मालूम ही न हो कि इतनी गोपनीयता व महत्व के मुद्दे, ऐसे मामले जो जीवन-मरण के होते हो, किसके हाथों में सौंपे जाएंगे? लेकिन किया यही गया।

मित्रों, लोकतंत्र का एक आधार है। और वह यह है कि जब देश के नेता उनकी समस्याओं को सुलझा नहीं पाते तो जनता आगे आती है। और, इसीलिए सभी सभावनाओं पर विचार करने के पश्चात, राष्ट्रपतिजी और मंत्रिमंडल इस सहमति पर पहुंचे कि मौजूदा समस्या का इसके अलावा और कोई समाधान नहीं कि, आपके पास आया जाए।

ऐसी घटनाएं देश के लिए नुकसानदेह हैं। जैसा कि हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हमें बताया था कि नए चुनावों से जनता पर एक हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। अस्थिरता के इस एक सप्ताह में ही छोटे निवेशकों को पचास हजार करोड़ रुपये का घाटा झेलना पड़ा है। और, अब जब तक चुनाव नहीं हो जाते, कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता, हालांकि हर सप्ताह अत्यंत तात्कालिकता वाले मसले उठते ही रहते हैं। दूसरे देशों के साथ हमारी वार्ताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ हमारी बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मामले में हमें क्या करना चाहिए, देश की सुरक्षा के बारे में फैसलों, आपके कल्याण से सीधे जुड़े मुद्दों के बारे में फैसले जैसे मसले सामने आते रहते हैं।

विश्व तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। हम अपनी आंतरिक समस्याएं जब तक सुलझा नहीं लेते, तब तक यह रुका तो नहीं रहेगा और न ही तब तक इंतजार करता रहेगा। जनसंख्या तेजी से बढ़ने, अनियंत्रित शहरीकरण, आपको रोजगार मिलने जैसी हमारी अपनी समस्याएं इसलिए ठहर तो नहीं जाएंगी कि हमारे यहां सरकार नहीं है।

इसलिए, हमें सोचना होगा कि क्या इस तरह देश के साथ खिलवाड़ किया जाना चाहिए? भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का एक ही तरीका है और वह यह है कि याद रखें। दिन-प्रतिदिन की कठिनाइयों के दबाव में, हमारा ध्यान बंटाने के लिए सतही मुद्दे उठाए जाते हैं, और हम भूल जाते हैं। पुराना उदाहरण फिर सामने आता है, समूचा 'विनाशकारी घटनाक्रम फिर से दोहराया जाता है और,' इससे पहले कि हम समझ पाते हैं, एक और पीढ़ी गुजर जाती है।

इसलिए मेरा सबसे पहला अनुरोध है. याद रखें। दूसरा, हमारे न्यायविदों और राजनेताओं को उन परिवर्तनों पर गौर करना चाहिए, जो हम ऐसे आघातों से देश बचाने के लिए अपनी प्रणाली में लाना चाहते हैं। आपने अभी-अभी देखा कि बिना किसी तरह का विकल्प बनाए किस तरह से एक सरकार को गिरा दिया गया। जर्मनी के संविधान के अंतर्गत चांसलर को हटाने के लिए सदन को किसी अन्य व्यक्ति में विश्वास व्यक्त करना पड़ता है। इसलिए चांसलर को हटाने की प्रक्रिया में ही उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। हमारी प्रणाली में यह कि एक छोटा-सा परिवर्तन होगा। लेकिन इतने छोटे से परिवर्तन से उस स्थिति से बचा जा सकेगा, जिसमें आज देश को पहुंचा दिया गया है। ऐसी कई छोटी-छोटी बातें हैं, जो की जा सकती हैं और जो की जानी चाहिए, और मैं अपने सभी राजनेताओं से अपील करूंगा कि वे ऐसे परिवर्तनों पर गौर करें और उन्हें लोगों के सामने रखें।

तीसरे, यह सही है कि अंत में आपने देखा है कि कैसे जोड़-तोड़ से सरकार गिरा दी गई, लेकिन बुनियादी समस्या इससे भी आगे है। पिछले 20 वर्षों में हमारी राजनीति में आए विभाजक मोड को देखते हुए हमारे मतदाताओं में भी दरार आ गई है। परिणामस्वरूप, लोकसभा भी विभाजित सामने आई। और, उसका नतीजा यह हुआ कि जो भी सरकार आएगी, उसे छोटे-छोटे गुटों की खींचातानी झेलनी पड़ेगी। यह मूल समस्या है जो आज हमारे सामने है। इसका हल आपके ही हाथों में है। मेरी आपसे अपील है .

- जातिगत स्वार्थों से ऊपर उठें।
- गुटबाजी से ऊपर उठें।
- संकीर्णता से ऊपर उठें।
- अपने नजदीकी समूह के स्वार्थ से ऊपर उठें।
- चुनाव जब हो, वोट अवश्य दें।

और, वोट देते समय केवल एक ही बात— अपने प्यारे देश का हित ध्यान में रखें।

सामाजिक-आर्थिक बदलाव में रेलवे की भूमिका

भारतीय रेलवे की इस महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजना-हुबली को अकोला से जोड़ने वाली 180 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन की आधारशिला रखने के अवसर पर कर्नाटक के लोगो के बीच पहुंचकर मुझे खुशी हो रही है। आज इसकी शुरुआत हो रही है। यह रेल लाइन उत्तरी और पूर्वी कर्नाटक के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा साबित होगी। इससे हुबली शहर होते हुए पूर्व में बेल्लारी-होसपेट और पश्चिम में तटवर्ती इलाको के बीच संपर्क स्थापित हो जाएगा।

दूसरे शब्दों में यह लौह अयस्क के अपार भंडार की भूमि को विश्व के बाकी हिस्सों से जोड़ देगा। इससे पर्यावरण समस्याओं और स्थानीय लोगो के हितों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन संभव हो सकेगा।

इस रेल लाइन से अब तक किसी हद तक पिछड़े रहे उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र तक रेल संपर्क भी स्थापित हो जाएगा, जो कि बहुप्रतीक्षित था। इस तरह इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे और आर्थिक संपन्नता आएगी, जिससे सभी लोगो का जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। इसलिए मैं इस महत्वपूर्ण परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे को धन्यवाद देता हूँ।

हालांकि हुबली-अकोला रेलवे लाइन के निर्माण को 1996-97 में ही मजूरी मिल गयी थी, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो सका था। अब हम लोगो ने इस औपचारिक समारोह के बाद आज से ही निर्माण कार्य शुरू करने का फैसला किया है। इसमें करीब छह अरब रुपये का निवेश किया जाएगा।

यह परियोजना हमारी सरकारी की उस प्रतिबद्धता को पूरी तरह दर्शाती है कि न सिर्फ आर्थिक विकास में तेजी लाई जाए बल्कि सतुलित विकास किया जाए, जिससे देश के सभी राज्यों को लाभ हो। इसके साथ ही इससे हमारे इस संकल्प का भी पता चलता है कि पिछड़े क्षेत्रों में बहु प्रतीक्षित विकास निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

हमारी सरकार की समूची आर्थिक प्राथमिकताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बुनियादी ढांचे का विकास है। नीची पंचवर्षीय योजना को हमारी सरकार ने स्वीकार कर लिया

राष्ट्रीय मामले

है, जिस पर पिछले अनेक वर्षों से विचार चल रहा था। योजना दस्तावेज में सड़क और रेल परिवहन के प्रति हमारी प्राथमिकता का पता चलता है।

सड़क क्षेत्र में हमने उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारे को मिलाते हुए राष्ट्रीय एकीकृत राजमार्ग परियोजना शुरू कर दी है। रेलवे क्षेत्र में, हाल ही में जो रेल बजट देश के सामने रखा गया है उसमें देश के सभी भागों में अनेक परियोजनाओं की व्यवस्था है। हमने बंगलौर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण सहित अपने हवाई अड्डे के ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए अनेक पहल की हैं।

भारतीय रेलवे पारंपरिक तौर पर सामाजिक-आर्थिक बदलाव के लिए एक भरोसेमद साधन रहा है। राष्ट्रीय एकता में इसका योगदान अद्वितीय है। हुबली-अंकोला रेलवे लाइन जैसी परियोजनाओं से भी कर्नाटक के सामाजिक आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।

मैं इस परियोजना में शामिल सभी लोगों— भारतीय रेलवे, उसके इंजीनियरों, कर्मचारियों, सहायक कर्मचारियों की सराहना करता हूँ। खुशी के इस मौके पर मैं क्षेत्र के लोगों को बधाई देता हूँ।

मणिपुर के समग्र विकास के प्रति

सरकार वचनबद्ध

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे लिए आज मणिपुर आना संभव हो सका। यद्यपि, पद ग्रहण करने के बाद मैंने कई बार यहां आने की योजना बनाई, मैं अनेक कारणों से ऐसा नहीं कर सका। मैं खास तौर पर पांचवें राष्ट्रीय खेलों के अवसर पर, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार हुए, यहां उपस्थित रहना चाहता था।

मणिपुर की जनता और सरकार ने बड़े सुचारू रूप से सरलता एवं सफलता के साथ राष्ट्रीय खेलों का शानदार आयोजन किया। वे हमारे आदर और बधाई के पात्र हैं। मैं राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मणिपुर के पुरुष और महिला खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूँ।

मैं इस अवसर का उपयोग मणिपुर की जनता को यह आश्वस्त करने के लिए करना चाहता हूँ कि केन्द्र मणिपुर की प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करने के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। यह एक प्राचीन प्रदेश है जिसके रामायण-महाभारत काल से देश की मुख्य भूमि से अटूट संबन्ध रहे हैं। इसका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और भारत की संस्कृति और परंपरा को इसका योगदान इसके आकार और जनसंख्या को देखते हुए अत्यधिक है। सभी भारतीय मणिपुरी नृत्य शैली और इसके पर्वतीय जिलों की समृद्ध परंपरा पर गर्व करते हैं। मुझे खुशी है कि मणिपुर के युवाओं में इस बात की चेतना बढ़ी है कि उनमें भारत के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान करने की क्षमता है।

मैं यहाँ पर राज्य के त्वरित और समग्र विकास के प्रति भारत सरकार की वचनबद्धता को दुहराता भी हूँ। मणिपुर सरकार हमेशा यह माग करती रही है कि बिजली और संचार में अधिक निवेश किया जाए। अभी हाल ही में लेईमाखोम बिजली उत्पादन परियोजना के लिए धन की व्यवस्था की गई है। यह धन वित्त वर्ष की समाप्ति के साथ रद्द नहीं होगा। लोकतक की निचली पनबिजली परियोजना जिसकी अनुमानित लागत लगभग 8 अरब रुपये है उसे राष्ट्रीय पनबिजली निगम कार्यान्वित करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 जो मणिपुर को शेष देश के साथ जोड़ता है उसे सुधारा जाएगा और सन 2003 तक पूरा कर दिया जाएगा।

राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं लामफाल नामफेट, औद्योगिक विकास केंद्र की समस्याओं का समाधान, जो भूमि की उपलब्धता के प्रभाव में विकसित नहीं हो पा रहा है और क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान का दर्जा (स्तर) बढ़ाना। केन्द्र सरकार मणिपुर के पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने, सुरक्षा से जुड़े खर्च की भरपाई करने और रद्द या समाप्त न होने वाली निधियों से संबंधित प्रस्तावों को जो केन्द्र सरकार ने विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किए हैं, पूरा करने के लिए भी वचनबद्ध है।

जैसा कि आपको पता होगा, मणिपुर के दो जिलों में आईएफएडी की सहायता से प्रारंभिक गतिविधियाँ शुरू कर दी गई हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुपक्षीय निवेश, जिसमें गरीबी दूर करने पर जोर दिया जाएगा, भारत सरकार की पहल पर शुरू किया गया है। हम द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों क्षेत्रों से भविष्य में अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं। मैं मणिपुर सरकार और इसमें भाग लेने वाली मणिपुर की जनता से अनुरोध करूँगा कि इस परियोजना से लाभ उठाए, जो ग्रामीण जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए समर्थ बनाती है।

केन्द्र ने मणिपुर सरकार को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि वह विश्व बैंक से मणिपुर राज्य सड़क परियोजना के अतर्गत सड़क क्षेत्र में निवेश करने का प्रस्ताव करे। मुझे यह बताया गया है कि 200 किलोमीटर लंबी राज्य की सड़कों को चौड़ा करने और मजबूत बनाने और 500 किलोमीटर लंबी इसी तरह की सड़कों का रख-रखाव करने की परियोजना की प्रगति संतोषजनक है। यह परियोजना वर्ष 2000-2007 तक प्रभावी हो जाएगी और आशा है कि इसके लिए राज्य को 300-350 करोड़ रुपये की बाहरी सहायता मिलेगी। मुझे इस विषय में कोई सन्देश नहीं है कि मणिपुर सरकार इस कार्य को उतनी गंभीरता से शुरू कर देगी जितनी अपेक्षित है।

राज्य में हिंसा और लोगों से जबरन पैसा वसूल करने की गतिविधियां मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। मैं कभी-कभार विभिन्न समुदायों, जो मणिपुर की महान और समान परम्परा के भागीदार हैं, के बीच फूट डालने वाले जातीय संघर्ष के विषय में भी चिंतित हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि सभी किस्म के मतभेद और विवाद बातचीत और विचार-विमर्श से सुलझाए जा सकते हैं। भारतीय संविधान और हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाज के विभिन्न वर्गों के विभिन्न विचारों को स्वीकार करने और संतोषजनक ढंग से उनका समाधान करने की क्षमता है।

अंत में मैं कुछ बातें स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष रूप से मणिपुर में एच आई वी / एड्स एक गंभीर समस्या के रूप में प्रकट हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज यह देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इस क्षेत्र में अज्ञानता और निष्क्रियता के परिणाम भयानक होंगे। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, डाक्टरों आदि और गैर सरकारी संगठनों को इस गंभीर चुनौती का मिलकर सामना करना चाहिए। मैं इस बात को दुहराना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार मणिपुर की राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठनों को इस आफत का सामना करने के लिए हर संभव सहायता देने को बचनबद्ध है। इस दिशा में पहले से ही काफी अच्छा काम किया जा रहा है। इसके लिए मैं एड्स के खिलाफ संघर्ष में लगे सभी लोगों को बधाई देता हूँ। तथापि, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे अपने प्रयत्नों को तेज करें और तब तक शांति से न बैठें जब तक कि एच.आई.वी / एड्स पूरी तरह काबू न पा लिया जाए।

मैं राष्ट्र निर्माण और अगली शताब्दी की तैयारी के रोमांचकारी कार्य में मणिपुर की जनता और राज्य सरकार के योगदान की उत्सुकता से प्रतीक्षा करूंगा। अतीत में आपका योगदान अमूल्य रहा है। हम उसी उत्साह से आगामी वर्षों के दौरान भी मिलकर काम करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करेंगे।

उज्ज्वलतर भविष्य का संकल्प

बहनो, भाइयो और प्यारे बच्चो! स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करे। यह दिन हमारे लिए पवित्र स्मरण का दिन है। यह दिन हमारे लिए समर्पण का दिन है। इस वर्ष यह दिन हम सबके लिए विशेष महत्व रखता है। वर्तमान शताब्दी समाप्त होने जा रही है। अगले स्वतंत्रता दिवस पर विश्व 21वीं सदी में पहुंच चुका होगा। 20वीं शती की संघ्ना में, बीते हुए युग की प्रमुख घटनाओं में, भारत की पुण्यभूमि से उपनिवेशवाद की समाप्ति सबसे महत्वपूर्ण घटना है। हमारे महान नेताओ व देशवासियो की अनेक पीढियो ने स्वतंत्रता के लिए प्रबल संघर्ष किया, दुनिया के अन्य देशों के लिए भी स्वतंत्रता का पथ प्रशस्त किया। हम उन त्यागी, तपस्वी नेताओं और देशभक्तो को नमन करते हैं, जिन्होंने जीवन-भर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, आवश्यकता पडने पर इस महान यज्ञ में अपने प्राणो की आहुति दी थी।

आइए, हम सब देशवासी, स्वयं को उन महान नेताओं के योग्य उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास करें। आज का यह पवित्र दिन हम उनकी स्मृति में समर्पित करते हैं।

उसी तरह, आज मैं थल व वायुसेना के उन बहादुर जवानों, अफसरो तथा अन्यो के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने करगिल में अपनी मातृभूमि को शत्रुओं के कब्जे से छुड़ाने में अद्भुत पराक्रम, शौर्य और बलिदान दिखाया। करगिल के युद्ध में वीरगति पाने वालों के प्रति हम सब श्रद्धा से नत-मस्तक हैं।

टेलीविजन पर प्रायः सभी देशवासियों ने उन दुर्गम पहाडियो को देखा होगा जिन पर विजय पाकर हमारे बहादुरों ने दुश्मन को खदेडा। इतनी ऊंचाइयों पर विजय पाना मात्र गगनचुंबी चोटियो को फतह करना नहीं है, यह देश की समूची शक्ति को दर्शाता है, हमारी सेनाओं के शौर्य का प्रतीक है। ऐसे बहादुरो को हम कैसे भूल सकते हैं?

हम उन घायल जवानों को भी कैसे भूल सकते हैं, जिनकी केवल एक ही इच्छा थी, वे कब जल्दी-से-जल्दी ठीक हों और कब दुश्मनों को खदेड़ने के लिए अपनी बटालियन में फिर शामिल हों।


हम उन बहादुर शहीदों के परिवार-जनों को कैसे भूल जाएं, जो अपने इष्ट-जन का पार्थिव शरीर पाकर कहते हैं, "हमारी आखो में आंसू नहीं, हृदय में गर्व है?" हम

53वे स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियो को संबोधित करते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 15 अगस्त 1999

उस मां को कैसे भुला सकते हैं, जिसे इस बात का दुख था कि उसका एक ही बेटा देश के काम आया। काश! उसका दूसरा बेटा भी होता तो वह उसे भी देश की खातिर लडने के लिए मोर्चे पर भेज देती।

मैं जानता हूँ, केवल गहरी संवेदना काफी नहीं है। हमें शहीदों के परिवार वालों और घायल हुए जवानों के लिए ठोस उपाय करने हैं, जिससे वे सुविधा और सम्मान के साथ जीवन-यापन कर सकें। यह कहा जाता है कि युद्ध के समय और उसके तुरंत बाद हम अपने सैनिकों को याद करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, परंतु समय गुजरते ही उन्हें भूल जाते हैं। यह अफसोस की बात है कि जिन बहादुरों ने पिछली लड़ाइयों में अपना जीवन न्यौछावर किया या घायल हुए, उन्हें हमने शायद कुछ भुला दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार ऐसा नहीं होगा।

यह लाल किला और इसकी यह जानी-पहचानी प्राचीर मात्र एक भौगोलिक स्थान नहीं है। इस किले और इस प्राचीर के साथ हमारी स्वाधीनता की तडप जुड़ी है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बहादुरशाह जफर को यहीं बंदी बनाया गया था। इसी दुर्ग के लक्ष्य बनाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में स्वतंत्रता की दुदुभी बजाते हुए



प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ताल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए, दिल्ली, 15 अगस्त 1999

देशवासियों का आह्वान किया था— 'दिल्ली चलो, चलो लाल किले।' 1947 में स्वर्गीय पं. जवाहर लाल नेहरू ने स्वाधीन भारत का तिरंगा पहली बार इसी प्राचीर से फहराया।

अर्द्ध-शताब्दी से अधिक समय गुजर गया, आज हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। आइए, इस नए युग में हम एकमत, एक कदम होकर चले।

पिछले साल जब मैंने इस प्राचीर से आपको संबोधित किया था, तब देश में अनिश्चितता और अविश्वास का वातावरण था। पूछा जा रहा था कि क्या हम आर्थिक प्रतिबंधों का मुकाबला कर पाएंगे? क्या हम उस आर्थिक संकट की चपेट से उभर पाएंगे, जिसने दक्षिण-पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया था? क्या सरकार को अपना काम करने दिया जाएगा?

मैं आज यहां आत्मविश्वास से भरे भारत को संबोधित करता हुआ कहता हूँ कि प्रतिबंध अपना असर खो चुके हैं। अब वे बीती बात बनकर रह गए हैं। हमने उनका मुकाबला इस तरह से किया कि उनका हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम दक्षिण-पूर्व एशियाई आर्थिक संकट से बचे रहे। हा, सरकार जरूर गिरा दी गई, मगर देश चलता रहा— *चरैवेति, चरैवेति* के मंत्र को साकार करता रहा और सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करती रही। इस बीच, इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह रही है कि हम पर युद्ध थोप दिया गया।

हमने केवल मुश्किलों पर ही विजय नहीं पाई है, हमने काफी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। हमारे मार्ग में आई बाधाओं के बावजूद, देश की राष्ट्रीय आय में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खाद्यान्न का उत्पादन 200 मिलियन टन से अधिक हुआ। यह पहले की तुलना में सबसे अधिक है। आज खाद्य भंडार पहले की अपेक्षा काफी अधिक है। इसके लिए किसान बधाई के पात्र हैं। कृषि वैज्ञानिकों का अभिनंदन होना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में जो नए प्रयास शुरू किए गए हैं, उनसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सार्थक बदलाव आया है। आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 30 बिलियन डॉलर, यानी एक लाख 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है, जो कि पहले से काफी अधिक है। शेयर बाजार में सेनसैक्स भी रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। करगिल कार्रवाई के बावजूद, हमारी कंपनियां अपना बाजार मूल्य दो लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने में समर्थ रही हैं। आवास निर्माण के लिए सीमेन्ट की आपूर्ति पहले की तुलना में 22 प्रतिशत ज्यादा है। उत्पादन के लिए बीमा क्रेडिट कार्ड जैसी कुछ सुविधाएं, जो केवल गिने-चुने लोगों और शहरों तक ही सीमित रही हैं, अब वे किसानों तथा दूर-दराज के गांवों के अन्य लोगों को भी उपलब्ध हैं और वे उनका लाभ उठा रहे हैं।

आज हम पहले से अधिक मजबूत हैं। पोखरण ने हमें ताकत दी है। इससे हममें आत्मविश्वास पैदा हुआ है। दबावों का मुकाबला करते हुए हमने अग्नि-2 का सफल परीक्षण किया। इसे हमारे शस्त्रागार में शामिल कर लिया जाएगा।

पी एस एल वी तथा इनसैट 2-ई सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने एक नहीं, बल्कि तीन उपग्रहों को एक ही राकेट से अंतरिक्ष में भेजा और उन्हें वहां अपने नियत स्थानों पर स्थापित कर दिया। यह एक शानदार उपलब्धि है।

हां, एक चीज जो निश्चित रूप से घटी है, वह है— मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, जो कि 1.3 प्रतिशत तक आ गई है। यह दर पिछले 17 सालों में सबसे कम है।

भारत के प्रति विश्व के नजरिए में भी काफी बदलाव आया है। पिछले वर्ष हमने पोखरण जैसा एक बड़ा कदम, जो हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी था, उठाया। यह एक ऐसा कदम था, जिस पर बहुत पहले से सोचा जा रहा था, किंतु दबाव के कारण यह कदम नहीं उठाया जा सका।

कुछ देश हमारे मूल्यांकन से सहमत नहीं थे। कुछ ने तो हमें एक गैर-जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में देखना चाहा। किंतु आज साल भर के भीतर भारत विश्व समुदाय के लिए एक जिम्मेदार राष्ट्र का पर्याय बन गया है। विश्व ने देख लिया है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों पर आंच नहीं आने देंगे, चाहे वह परमाणु अस्त्र क्षमता विकसित करने की बात हो, चाहे मिसाइल क्षमता विकसित करने की बात या अपनी मातृभूमि से दुश्मनों को बाहर खदेड़ने की बात हो। विश्व ने देख लिया है कि हम उन दबावों के आगे नहीं झुकेगे, जो हमारे राष्ट्रीय हित में उठाए गए कदमों में रोड़ा अटकाएं। साथ ही विश्व ने यह भी देख लिया है कि हम जो भी कुछ करेंगे, वह आत्मरक्षा के लिए करेंगे, आक्रमण के लिए नहीं। विश्व ने यह भी समझ लिया है कि हम सब-कुछ अत्यधिक समय और जिम्मेदारी के साथ करने में सक्षम हैं। ये ऐसे सिद्धांत हैं, जिनका हमने पाकिस्तान द्वारा हम पर थोपे गए करगिल-युद्ध के दौरान पालन किया। हमारी जवाबी कार्रवाई सोच-समझ की थी, वह कुछ इस स्तर तक प्रभावशाली थी कि दुश्मन हतप्रभ रह गया।

आज दुनिया इस बात को अच्छी तरह से समझ गई है कि आत्मरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा, भारत करेगा। दुनिया यह भी समझ गई है कि चाहे कितना भी भडकाया जाए, भारत बड़ी जिम्मेदारी और समय से कार्रवाई करेगा। इससे संसार में भारत की साख बढ़ी है।

पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने के लिए लाहौर की बस यात्रा की गई। इससे दुनिया समझ गई कि हम सचमुच शांति और मित्रता के साथ रहना चाहते हैं। वह

यात्रा कोई दिखावा नहीं थी, वह एक गंभीर सोचा-समझा कदम था, जिसे यह जानते हुए भी उठाया गया था कि इसमें खतरे हो सकते हैं। हमारी ईमानदारी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत को प्रभावित किया, बाद में जब लाहौर की बस को करगिल पहुंचा दिया गया तो विश्व को यह समझने में देर नहीं लगी कि पाकिस्तान ने न केवल शिमला समझौते और लाहौर घोषणा का उल्लंघन किया है बल्कि विश्वास और उम्मीद की सीमाओं के साथ भी खिलवाड़ किया है। इसीलिए विश्व समुदाय का नजरिया बदला। पाकिस्तान विश्व मंच पर अकेला पड़ गया। भारत को पहली बार विश्व में इतना व्यापक समर्थन मिला है।

मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान की जनता इन घटनाओं पर विचार करेगी। हम मित्रता का संदेश लेकर वहां गए थे। बदले में हमें क्या मिला? सैकड़ों की जाने गईं; संबंध बिगड़े। जो धन आर्थिक और सामाजिक विकास पर खर्च होना चाहिए, वह युद्ध पर व्यय हुआ।

दोनों देशों की जनता के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के लिए शांति चाहिए। शांति के लिए विश्वास जरूरी है। क्या करगिल में जो कुछ हुआ, उससे विश्वास बढ़ा है? क्या सशस्त्र घुसपैठ का रास्ता दोस्ती की तरफ ले जाता है? पाकिस्तान में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनके शिविर चलाए जा रहे हैं। आतंकवादियों के जत्थों को भारत में भेजा जा रहा है। वे निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं। औरतो, बच्चों को निशाना बना रहे हैं। इस वातावरण में अर्थपूर्ण बातचीत कैसे हो सकती है?

पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देकर वह किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। हम आतंकवादियों के मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे। पंजाब आतंकवादियों से मुक्त है। जम्मू-कश्मीर के लोग आतंकवाद से तंग आ चुके हैं। असम और पूर्वांचल भी त्रस्त हैं।

हम शांति चाहते हैं। सभी शांति चाहते हैं। लोग अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए चिंतित हैं।

आतंकवाद पूरे विश्व के लिए एक अभिशाप है। जब उसके साथ मजहबी जुनून शामिल हो जाता है तो वह मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। 'करेला और नीम चढ़ा'— यह कहावत तो हम सभी जानते हैं। हमारे यहां अभी तक आतंकवादियों द्वारा लगभग 35,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। विश्व के और भागों में भी आतंकवादी एक बड़ी समस्या बन गए हैं, जो शांति और विकास की सारी संभावनाओं पर पानी फेर रहे हैं। विश्व जनमत को आतंकवाद के विरुद्ध संगठित करने की आवश्यकता है।

आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत पूर्ण आत्मविश्वास से भरा खड़ा है। हम भविष्य की ओर देख रहे हैं। विश्व में हमारा सम्मान बढ़ा है। अब संकुचित और सकीर्ण विवाद लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करते। करगिल की पूरी लड़ाई के दौरान मुझे दो बातों से विशेषकर सतोष हुआ :

- देश में कहीं भी सांप्रदायिक तनाव का माहौल नहीं था। जम्मू-कश्मीर समेत हर भाग में सद्भाव और भाईचारा बना रहा। इससे उन लोगों को जरूर ही हैरानी हुई होगी, जिन्होंने यह सोचा था कि लड़ाई छिड़ते ही भारत में दंगे भड़क उठेंगे। जिन्होंने उपद्रव की योजना बनाई थी, उन्हें भी जरूर निराशा हुई होगी। सभी वर्गों के लोगों ने युद्ध में सफलता के लिए काम किया। सभी क्षेत्रों में देशप्रेम की एक प्रबल लहर दौड़ गई।
- जब मैं करगिल के सैनिकों से जाकर मिला तो वहां मुझे पूरा भारत दिखाई पड़ा। नगालैंड से, असम से, तमिलनाडु से— लगभग सभी प्रदेशों से सैनिक देश के लिए लड़ रहे थे। जाति, धर्म या क्षेत्र के कारण उनके बीच कोई भी दूरी नहीं दिखाई पड़ी।

यही वास्तविक भारत है। हमें इसी भारत के लिए जीना है, हमें इसी भारत के लिए जूझना है, और जरूरत पड़ी तो इसी भारत के लिए जवानों की तरह से मरना भी है। करगिल ने एक बार फिर यह बता दिया है कि जब हमारे देशप्रेम को ललकारा जाता है तो हम सभी भारतीय पूर्ण विश्वास और दृढ़-निश्चय के साथ, एकता की मुट्ठी बांध, खड़े हो जाते हैं, चुनौती का मिलकर सामना करते हैं। हमारे विरोधियों को इससे सावधान हो जाना चाहिए।

लेकिन हमें यह सबक भी भूलना नहीं चाहिए। अब जब कि इस संकट पर काबू पा लिया गया है, तो हम एकता की इस बंधी मुट्ठी को ढीला न होने दें। समर अभी शेष है। नई चुनौतियां हमारा दरवाजा खटखटा रही हैं। करगिल-युद्ध के दौरान जिस भावना से देश ओत-प्रोत था, वह जीवन का एक स्थायी भाव बनना चाहिए।

हम सभी को याद है कि गांधीजी ने हमें एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था— 'यदि कोई दुविधा हो कि तुम्हें क्या करना है तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या तुम जो कुछ करने जा रहे हो, उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी।'

करगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है कि 'कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम यह सोचें कि क्या हमारा यह कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है, जिसने उन दुर्गम

पहाडियो में अपने प्राणो की आहुति दी थी।' जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उनका मुकाबला केवल सीमा पर तैनात जवानो को ही नहीं करना है। सैनिको के पीछे संगठित और अनुशासित देश खडा रहे, यह आवश्यक है। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानकर ही हम देश की रक्षा और उसका विकास कर सकते हैं।

यदि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ नहीं है और महत्वपूर्ण रक्षा के मामलों में अगर हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, तो हम बाहरी चुनौती का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सकते हैं।

हम सब, जहा भी तैनात हो, और जिस काम मे भी लगे हो, उसे अच्छी तरह से निभाएं। देश व समाज के किसी भी अंग को निर्बल न होने दे। जिस प्रभावशाली तरीके से हमने विभिन्न संकटो और चुनौतियो का समाना किया है, उससे स्पष्ट है कि अगर हम ठान ले तो भारत क्या नहीं कर सकता। जरूरत केवल इस बात की है कि जो कुछ करना है, वह अब करके दिखाए। मेरे दिमाग मे ऐसे भारत की तस्वीर है, जहां न भूख होगी, न भय होगा, न निरक्षरता होगी, न निर्धनता होगी। मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूं, जो सपन्न हो, सुदृढ हो, संवेदनशील हो तथा जो विश्व के महान राष्ट्रों के बीच फिर से अपना आदर का स्थान प्राप्त करे।

आइए, हम ऐसे भारत का निर्माण करे, जिसमे विकास हो, उसमे सभी क्षेत्रो के लोगो और समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि देश के अनेक क्षेत्र, जिनमे पूर्वोत्तर के राज्य भी शामिल हैं, असतुलित विकास से पीडित हैं, यह हमारी विशेष जिम्मेदारी है कि पूर्वोत्तर के लोगो को विकास की मुख्य धारा मे लाया जाए।

आइए, हम ऐसे भारत का निर्माण करे, जिसमे दलित, आदिवासी तथा पिछडा वर्ग अपने को आर्थिक रूप से वंचित महसूस न करे, वे सामाजिक न्याय का भी पूरा लाभ पाए। समता, ममता और सामाजिक समरसता के रास्ते पर चलकर हम इस आदर्श लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए, हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें, जिसमें हमारी नारी-शक्ति अपने परिवारो का भविष्य सवारने से लेकर देश का भविष्य सवारने तक के सारे कार्यों में अपना पूरा योगदान दे। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम उन्हें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करें। इस संबध मे, मैं चाहूंगा कि संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओ के लिए सीटो का आरक्षण संबंधी कानून शीघ्र पास किया जाए। हम पहले यह देख चुके हैं कि पंचायतों तथा स्थानीय निकायो मे जहा भी महिलाओ को सेवा करने के अवसर मिले हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम दिखाया है।

आइए, हम ऐसे भारत का निर्माण करें, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को राष्ट्र के विकास का पूरा लाभ मिले और उन्हें पूरा अवसर मिले, ताकि वे राष्ट्रीय विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकें। देश सभी का है, कानून और सरकार की नजर में सब बराबर हैं और उनके साथ समान व्यवहार होगा। भारत एक सेक्युलर देश है, जिसे सर्व पथ समभाव का सिद्धांत घुट्टी में मिला है। यहां सभी समुदाय के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है। यह भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यहां विश्व के सभी धर्मों के लोग सद्भावना के साथ रहते हैं। विविधता में एकता हमारी अनमोल धरोहर है। यह भी काफी संतोष का विषय है कि पिछले वर्ष सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं अत्यल्प हुईं।

भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। जब यह शताब्दी शुरू हुई, तो प्रजातंत्र केवल कुछ ही देशों में प्रचलित था। उनमें भी वह कुछ उच्च वर्गों के लोगों तक सीमित था। आज कुछ ही देश हैं, जहां प्रजातंत्र नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है, जहां के लोग प्रजातंत्र नहीं चाहते। आइए, हम भारत के प्रजातंत्र को बलशाली बनाएं। दुनिया के अन्य देशों के लिए इसे आदर्श बनाएं। राजनीतिक प्रजातंत्र, आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र को साथ लेकर चलें।

आइए, हम भारत को ऐसा राष्ट्र बनाएं, जहां हर क्षेत्र में बड़ी सफलताएं हासिल हों। व्यापार तथा आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में तथा खेल के क्षेत्र में भी हम बड़ी सफलताएं हासिल करें।

आइए, हम मिलकर भारत को सफलता का पर्याय बना दें, ऐसी उपलब्धि जिसकी पूरा विश्व प्रशंसा करे। हमारा दिल खुशी से भर जाता है, जब हम अपने युवाओं और युवतियों द्वारा हाल में प्राप्त की गई उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। विदेशों में काम कर रहे युवा भारतीयों की सफलता की कहानियां प्रतिदिन सुर्खियों में आती हैं। यदि विदेशों में हमारे युवा भारतीय ऐसी शानदार सफलताएं हासिल सकते हैं तो हम भारत में भी उनकी जैसी सफलता प्राप्त करने के लिए माहौल क्यों नहीं बना सकते?

आइए, हम एक परिश्रमी भारत, पराक्रमी भारत, विजयी भारत का निर्माण करें। हम इस सपने को साकार करने के लिए नकारात्मक सोच के दलदल में से निकलें। हम भूतजीवी न बनें। हम भविष्य की ओर देखें। विश्वास के साथ मंजिल की ओर आगे बढ़ें। समस्याओं के हल ढूँढ़ें।

आज जब 20वीं शताब्दी समाप्त होने जा रही है और 21वीं शताब्दी द्वार पर दस्तक दे रही है, तब हमें उज्ज्वल अतीत से प्रेरणा लेकर उज्ज्वलतर भविष्य के निर्माण

के लिए संकल्प लेना है। हम एक सनातन संस्कृति और गौरवपूर्ण सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। महानता हमारा अतीत भी है और भविष्य भी।

आइए, हम मातृभूमि भारत के सभी प्राकृतिक और मानव संसाधनों का सदुपयोग कर, आने वाली सदी को भारत की सदी बनाने का संकल्प करें।

आइए, अब हम सब मिलकर जय हिंद का घोष करें। आपको इसे दुहराना है : जय हिंद ! जय हिंद !! जय हिंद !!!

समृद्ध भारत का निर्माण

आज आपको संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तथा उसके सहयोगी दलों को स्पष्ट जनादेश देने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हमारे महान राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र तथा हमारे सजग समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भारत की विविधता को प्रदर्शित करता है। इस विविधता में मौलिक एकता प्रतिबिंबित होती है।

हम संसद में भले ही विभिन्न दलों के बैनर तले भेजे गए हों, लेकिन हम सभी की एक सामूहिक प्रतिबद्धता है— भारत को एक स्थिर और एक बेहतर सरकार देना। हम सभी सर्व पंथ समभाव, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और महिलाओं को शक्तिसंपन्न करने के व्यापक सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। हम समान आदर्शों वाले दलों की सरकार हैं। हमारा उद्देश्य एक ऐसे समाज की रचना करना है, जो हर प्रकार के भेदभाव, भय और असुरक्षा की भावना से मुक्त हो तथा जिसमें कसृणा, शालीनता तथा संवेदनशीलता हो।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव स्वस्थ लोकतंत्र का आधार है। यह हम सभी के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि हमने एक बार पुनः लोकतंत्र के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई है।

सन् 1950 में भारत गणतंत्र बना। आज भी हम उसी पथ पर अग्रसर हैं। इस सदी के अंतिम चुनाव के सफलतापूर्वक संपन्न होने से हमारे देश का स्थान विश्व के लोकतंत्र समर्थकों की निगाहों में ऊंचा हो गया है।

यह चुनाव अभियान बहुत लंबा रहा। इसके दौरान कुछ मात्रा में गरमा-गरमी भी रही तथा आरोप-प्रत्यारोप भी हुए।

परंतु अब जब कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, हमें पिछले कुछ महीनों की बेरुखी तथा कडवाहट को भुलाकर राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुट जाना चाहिए। एक भी क्षण बरबाद करना ठीक नहीं होगा। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का महत्व भी सरकार से कम नहीं है। विपक्ष की भूमिका भी जनता अपने जनदेश द्वारा तय करती है और यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है।

अच्छी नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए रचनात्मक आलोचना भी आवश्यक है। राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आम सहमति होनी जरूरी है और मैं समझता हूँ कि रचनात्मक आलोचना के साथ-साथ हम सभी राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति भी बना सकते हैं।

आज विश्व तेजी से आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, चाहे हम अपने संकीर्ण विचारों को प्रगति के मार्ग में बाधक बनने दें अथवा नहीं। हमारे सामने अनेक कार्य हैं जिन्हें पूरा किया जाना है। बेरोजगार युवा महिलाओं व पुरुषों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। बच्चे आज भी भूखे पेट सो जाते हैं। असुरक्षा की भावना व्याप्त है। भारत की आत्मा इस कडवी सच्चाई के विरुद्ध विद्रोह कर रही है। हमारी सरकार आरंभ से ही एक स्वाभिमानी तथा समृद्ध भारत के निर्माण के लिए अपने घोषणा-पत्र को कार्यान्वित करने के अपने काम में जुट जाएगी। मैं आप सभी को वचन देता हूँ कि एक अच्छा शासन प्रदान करने के हमारे लक्ष्य से हमें कोई नहीं रोक सकता।

इक्कीसवीं सदी हमें दस्तक दे रही है। आज से ठीक 10 सप्ताह बाद भारत शेष विश्व के साथ चुनौतियों तथा अवसरों के नए युग में प्रवेश कर जाएगा। हमारा संकल्प है कि नई सदी में नए भारत का उदय हो। इस संकल्प को हम सामूहिक प्रयासों से और चुनौतियों का मुकाबला करके पूरा कर सकते हैं। 21वीं सदी के अवसरों का लाभ वृद्धता से उठाते हुए विभिन्न दलों ने हमें एक सामूहिक उद्देश्य के लिए भेजा है, ताकि हम भारत को एक मजबूत, उन्नत, समृद्ध और एक जिम्मेदार राष्ट्र बना सकें।

इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमें अभी से कार्रवाई करनी होगी। आने वाले दिनों में हमारी सरकार कुछ कदम उठाना चाहेगी, जैसे—

- आर्थिक सुधारों में तेजी लाना और ढांचागत विकास पर ध्यान केंद्रित करना। नई सदी हमसे एक नई सोच की अपेक्षा रखती है;

- वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के लिए नए नियम लागू करने होंगे, ताकि भारत शेष विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके;
- वित्तीय सुधार लाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना होगा, जिसके लिए व्यय-प्रबंध व्यवस्था को सुधारा जाएगा, कर ढांचे में व्यापक सुधार लाए जाएंगे और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का पुनर्गठन करने और विनिवेश करने के लिए एक नई प्रणाली तैयार की जाएगी;
- निवेश, जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी शामिल है, को बढ़ावा देना, जिसके लिए समुचित उपाय किए जाएंगे तथा उन अडचनों को हटाना, जिनकी वजह से काफी विलंब होता है।
- विकास की प्राथमिकताएँ नए सिरे से निर्धारित की जाएंगी, जैसे— सबको पीने का पानी, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण इलाकों में सड़कें और आवास की व्यवस्था।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जाएंगे और संबंधित संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा। इस कठिन कार्य में हम निजी क्षेत्र का सहयोग और भागीदारी भी चाहते हैं।

यदि हम एक साथ मिलकर कार्य करें तो ये सभी कार्य पूरे किए जा सकते हैं। आइए, हम मिलकर आगे बढ़ें, जैसा कि हमें 'गीता' में बताया गया है— *बोध्यन्ता परस्परम् अर्थात् ज्ञान को एक-दूसरे में बाँटे।*

हमारे सामने अनगिनत अवसर हैं। यदि हम एकजुट रहेंगे तो हम अपने राष्ट्रीय हित के लिए प्रत्येक अवसर का उपयोग कर सकते हैं— चाहे समृद्धि काल हो या विपत्ति काल। भारत की सबसे बड़ी विशेषता उसकी एकता है, और मेरी सरकार हर कीमत पर इस एकता को बनाए रखने के लिए कृत-संकल्प है।

हमारे तात्कालिक कार्यों में एक मुद्दा आतंकवाद को समाप्त करना होगा, जिसकी क्रूरता का कहर निर्दोष लोगों पर बरपा है। हमारा एक स्पष्ट संदेश है— हमारी सरकार की नजर में प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिदगी अनमोल है। आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई जारी रहेगी और उसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे कानून की अवज्ञा का भाव बढ़ता है। भ्रष्टाचार को भी सहन नहीं किया जाएगा। जिन विषयों पर सबसे पहले कानून बनाए जाते हैं, उसके अंतर्गत लोकपाल बिल लाया जाना शामिल है। गंगोत्री को शुद्ध रखकर ही गंगा की पवित्रता को कायम रखा जा सकता है।

बाहुबल और धनबल के बढ़ते हुए प्रयोग को रोकने के लिए पहले ही चुनाव सुधार संबंधी व्यापक सहमति हो चुकी है। इस विषय में शीघ्र ही संसद में एक व्यापक चुनाव सुधार विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। हम अक्सर अपने युवाओं के भविष्य की बात करते हैं। लेकिन कई दशकों से उनकी समस्याओं, विशेष रूप से बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है। हमारा विश्वास है कि हमारे युवक और युवतिया 21वीं सदी के नए भारत के निर्माता होंगे। मुझे विश्वास है कि एक समृद्ध राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह भी यकीन है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने से आज का युवा कल की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हो सकेगा।

स्वतंत्रता के बाद सरकार ने प्रत्येक नागरिक की आंख के आंसू पोंछने और सदियों पुरानी भेदभाव की प्रथा और सामाजिक असमानता की भावना को समाप्त करने का पुनीत कार्य अपने हाथ में लिया था। ऐसा लगता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति में इस अर्द्धशती में हम कहीं-न-कहीं भटक गए। निरक्षरता एक अभिशाप है और यह मानवीय गरिमा के प्रतिकूल है। उसी प्रकार स्त्री-पुरुष के आधार पर भेदभाव भी मौजूद है, पीने के पानी और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी और आवश्यक सेवाओं का भी अभाव है।

भारत को आज ऐसी सरकार की जरूरत है, जो सभी का ध्यान रखे। भारत को एक ऐसी सरकार की जरूरत है, जो देश के गरीब-से-गरीब व्यक्ति तक पहुंच सके। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार करनी तथा आपकी उम्मीदों के बीच के फासले को कम करने की दिशा में लगातार प्रयास करती रहेगी। वर्ष 1999 का जनादेश जनता तथा सरकार के बीच एक विश्वास का बंधन है। हम इस विश्वास के साथ छल नहीं करेंगे।

ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे हम सौ करोड़ देशवासियों, जिन्हें भारतीय होने का गर्व है, के सहयोग से पूरा न कर सकें। ऐसी कोई समस्या नहीं है, जिसका हम समाधान न निकाल सकें। ऐसी कोई चुनौती नहीं है, जिसका हम सामना न कर सकें तथा ऐसा कोई अवसर नहीं है, जिसका हम लाभ न उठा सकें।

न्यायपालिका की स्वाधीनता

भारत के उच्चतम न्यायालय के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आपके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। न केवल आपके न्यायालय तथा पीठ और बार के सभी सदस्यों के लिए, या न केवल भारतीय न्यायपालिका के लिए, बल्कि भारत के लोगों के लिए भी यह एक ऐतिहासिक अवसर है।

उच्चतम न्यायालय भारत में न्याय का सर्वोच्च मंदिर है। न्याय देवता की अवधारणा भारतीय संस्कृति में रची-बसी है और यही न्याय को दैवी स्वरूप प्रदान करती है। उच्चतम न्यायालय के प्रतीक चिह्न पर लिखा है— 'यथो धर्मस्थतो जय.', अर्थात् जहां धर्म है या सही व्यवस्था है, वहीं जय है। यह सूक्ति उच्चतम न्यायालय की भूमिका को परिभाषित करती है।

आज विधि दिवस भी है। आज ही के दिन 50 वर्ष पहले सविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। इसलिए मुझे लगता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का स्वर्ण जयंती समारोह एक और भी बड़ी, परंतु संबद्ध घटना का सही मायनों में पूर्वाभास है, और यह घटना है, आने वाले वर्ष में गणतंत्र के स्वर्ण जयंती समारोह की।

भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान में परिकल्पित दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है। दूसरा संस्थान भारतीय संसद है। अगर व्यापक या पूरी तरह से न भी माने तो यह पिछली अर्द्ध-शताब्दी की कसौटी पर काफी हद तक खरा उतरा है। न्यायपालिका के सर्वोच्च संस्थान का काम-काज सराहनीय रहा है। देश को गर्व है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक व्यवस्था तथा कानून के नियमों का संरक्षण किया है।

हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को उस नाजुक संतुलन से शक्ति मिलती है, जो संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कायम है। सविधान में इन तीनों संस्थानों के विशिष्ट दायित्वों और शक्तियों का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। तीनों ही सविधान के अधीन हैं और प्रभुसत्तापूर्ण भारत के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं; इन तीनों संस्थानों के साथ जुड़े हम लोगों में से प्रत्येक को जितना अधिक इस प्रेरक मार्ग का बोध होता जाएगा,

उतना ही अधिक हम अपने संविधान में निहित महान जनतात्रिक आदर्शों के लिए काम कर पाएंगे।

भारतीय न्यायपालिका, विशेष रूप से भारत के उच्चतम न्यायालय ने ऊंचे मानक स्थापित किए हैं, जिसके लिए आप सब लोग विशेष आदर के पात्र हैं और भारत के लोगों की निगाह में आपका अत्यंत उच्च स्थान है। भारत में शासन के इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता न्याय की निष्पक्षता रही है; जज की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को न्याय के तराजू के पलडों को बराबर रखना होगा और ऐसा लगना भी चाहिए कि वे बराबर हैं। उसे अपने आप को किन्हीं स्वार्थों से नहीं बांधे रखना होगा।

हमारे सामने शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ का प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसमें मंडन मिश्र की पत्नी को पंच बनाया गया था। शंकराचार्य ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की कि मंडन मिश्र की पत्नी कहीं अपने पति का पक्ष न ले।

समय के साथ-साथ चलने के लिए मैं न्यायाधीशों को बधाई देता हूँ। आप लोगों ने तेजी से बदलते हुए राष्ट्र के सामने उभरने वाली नई विंताओं और चुनौतियों के प्रति सकारात्मक रवैया दर्शाया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की एक के बाद एक आने वाली पीढ़ियों ने अपने दायित्वों को बड़ी उत्कृष्टता और आत्मविश्वास के साथ निभाया है। हमारे न्यायाधीश विश्व के सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीशों को रास्ता दिखाने में सक्षम हैं। उच्चतम न्यायालय की पीठ को उच्चतम चरित्र और सामर्थ्य वाले स्त्री पुरुषों ने सुशोभित किया है और इसके रूतबे को राष्ट्रीय स्तर पर और इसकी प्रतिष्ठा को विश्व स्तर पर बढ़ाया है। अपनी सरकार और भारत के लोगों की ओर से मैं आप सब लोगों की सराहना करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर एक और महत्वपूर्ण कारण से मैं उच्चतर न्यायपालिका की भी सराहना करना चाहता हूँ। आपात-काल भारतीय और लोकतंत्र की अंधकारपूर्ण घड़ी थी। उस काल के दौरान आपके कुछ साथी न्यायाधीशों ने कानून के नियमों और नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को बनाए रखने में असाधारण साहस का परिचय दिया था। आज हम उन्हें कतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं।

स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर जब हम हर्ष और गर्व के साथ पिछली अर्द्ध-शताब्दी की ओर निगाह डालते हैं, तो आप मुझसे सहमत होंगे कि इस पवित्र अवसर पर हमारे लिए यह भी जरूरी हो जाता है कि हम ईमानदारी से अपने मन को टटोलें और स्थिति का जायजा ले।

हमारे पौराणिक ग्रंथों में कानून को राजाओं का राजा माना गया है और इसकी मदद से निर्बलतम व्यक्ति भी शक्तिशाली व्यक्ति पर, अगर वह गलत है तो, हावी हो

सकता है। लेकिन हम सबके लिए, जो सरकार में हैं या फिर जो न्यायपालिका में हैं, यह उचित समय है, जब हम पूछें, क्या सड़क के आदमी की यही अवधारणा है? क्या अपराध का शिकार व्यक्ति भी हमारी कानून-प्रणाली के बारे में ऐसा ही सोचता है? क्या बेईमान साहूकार, या धोखेबाज व्यापारी, या फिर भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी के हाथों अपनी जमा-पूँजी लुटा बैठने वाला गरीब, अनपढ़ गांव वाला ऐसे ही सोचता है?

यह बात सच है कि हमारे सार्वजनिक जीवन में जो अधिकतर खराबियां हैं, वे केंद्र में और राज्यों तथा स्थानीय निकायों में मौजूदा कार्यपालिका की भूल और गलतियों के कारण आई हैं। लेकिन अगर मैं अपने देश में न्याय मिलने की गति के बारे में लोगों के गहरे असंतोष की चर्चा नहीं करूंगा तो लोगों के प्रतिनिधि के रूप में मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा। यह असंतोष विधायकों, प्रशासकों, कानून और व्यवस्था की मशीनरी के कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों में समान रूप से मौजूद है।

व्यापक रूप से एक अवधारणा मौजूद है कि कानून बेईमानों की ढाल बन गया है। न्याय-प्रक्रिया के गुस्सा दिलाने वाले और उत्तरोत्तर महंगे होते जा रहे विलंब को देखते हुए कानून का उपहास और अवमानना का पात्र बनना सही ही लगता है। भारत के अधीनस्थ न्यायालयों में दो करोड़ से अधिक मुकदमे लटक पड़े हैं; इनमें से लगभग 32 लाख मुकदमे उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। आज जब हम सामाजिक-आर्थिक विकास की गति में तेजी लाना चाहते हैं, तब न्याय की अत्यंत धीमी प्रक्रिया भारत के हित में नहीं है।

न्याय में विलंब केवल न्याय का न मिलना ही नहीं, बल्कि बहुत पहले कात्यायन स्मृति में दी गई चेतावनी के अनुसार यह धर्म की पराजय भी है।

न कालहरण कार्य राज्ञा साक्षिप्रभाषणे ।

महान् दोषो भवेत्कालाद् धर्मव्यावृत्तिलक्षणः ।।

(अर्थात्, गवाहों की जांच करने और मुकदमों का फैसला करने में विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि विलंब का परिणाम निश्चय ही धर्म की पराजय है— यह न्याय की भ्रूण हत्या है।)

अपराधिक कानून की स्थिति बहुत शोचनीय है। सजा के भय के बिना संगठित गिरोहों के सदस्यों के लिए अपराध करना बहुत मुश्किल बात नहीं है। विभिन्न अपराधों के अभियुक्तों को सजा मिलने की गति बहुत ही धीमी है। प्रायः बड़े आर्थिक अपराधी अपने साधनों का इस्तेमाल करके बेदाग छूट जाते हैं। हमारी भीड़ भरी जेलों में विचाराधीन कैदियों को वर्षों तक सड़ना पड़ता है।

राष्ट्रीय मामले

यह कहना काफी नहीं होगा कि स्थिति बहुत ही विंताजनक है। इस सड़ाध को रोकने के लिए ईमानदारी से तुरंत कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। इस संदर्भ में मैं कुछ निश्चित विचार रख रहा हूँ और उन पर आपकी रचनात्मक प्रतिक्रिया आमंत्रित करता हूँ।

1. हमें न्यायपालिका के सभी स्तरों पर विवादों के निपटाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।
2. हमें पुराने कानूनों को खत्म करना होगा या उन्हें काफी आसान बनाना पड़ेगा, विशेष रूप से दीवानी और अपराध दंड संहिता तथा साक्ष्य कानून, जिससे कि देरी को समाप्त किया जा सके और सामान्य लोगों को न्यायिक प्रक्रिया को समझने में मदद मिल सके। अपनी इस कोशिश में हम पीठ, बार, विधि आयोग और संबंधित एजेंसियों के अनुभव और विशेषज्ञता का पूरा लाभ उठाना चाहेंगे।
3. हमें निचली अदालतों को सक्रिय करने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर सामान्य लोग न्याय प्राप्त करने के लिए यहीं आते हैं। इस काम में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशें हमारा मार्गदर्शन करेंगी। इसकी रिपोर्ट मुझे हाल ही में मिली है।

मुझे मालूम है कि कई बार विलंब का कारण खुद सरकार होती है। हमारे विभाग और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील छोटी-छोटी बातों को लेकर मुकदमे करने और सरकारी धन बर्बाद करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रवृत्ति को तत्काल रोकने की जरूरत है। वे सामान्य तौर पर ऐसे मामले दायर करते हैं और उनकी पैरवी करते हैं, जिनके बारे में स्वयं जानते हैं कि उनके लिए लड़ना बेकार है। वे ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं, क्योंकि वे जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। वे अक्सर फैसला लेने का काम अदालतों पर छोड़ देते हैं। नौकरशाही को यह समझने की जरूरत है कि शासन की जिम्मेदारी सरकार की है।

हमारी सरकार को दूरगामी न्यायिक और प्रशासनिक सुधारों की पहल करने के लिए लोकप्रिय जनादेश मिला है। हम जल्दी ही एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापित करने जा रहे हैं, जो ऊंची अदालतों में न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिशें करेगा और न्यायपालिका के लिए एक आचार-संहिता तैयार करेगा। हम न्यायपालिका की स्वाधीनता के लिए पूरी तरह वचनबद्ध हैं।

मुझे विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय अगली शताब्दी में और व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत में कानून के शासन को संचालित करेगा। आइए, हम मिलकर अपने

लोकतंत्र को और स्वस्थ बनाएं तथा न्याय प्रदान करने की हमारी प्रणाली को और कारगर बनाएं।

अपने इस भाषण को मैं अभी तक गूँज रहे भारत के अटार्नी जनरल एम.सी. सीतलवाड के इन शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूंगा, जो उन्होंने 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की आरंभिक बैठक के समय व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था- "हमारे समक्ष एक ऐसे जीवंत राष्ट्र के निर्माण का कार्य है, जो अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति सचेत है, जिसकी एक सुदृढ केंद्रीय सत्ता है और जिसकी प्रत्येक सघीय इकाई के पास ऐसे पर्याप्त अधिकार हैं, जिनका उपयोग एक प्रगतिशील राष्ट्र के लिए जरूरी है। हमें आशा और विश्वास है कि इस उच्च लक्ष्य की प्राप्ति में यह न्यायालय एक महान और अग्रणी भूमिका निभाएगा और अपने को भारत के लोगों की चेतना में स्थापित करने में सफल रहेगा। सभी मानवीय सस्थाओं की तरह हम आशा करते हैं कि उच्चतम न्यायालय भी सत्य के माध्यम से आदर प्राप्त करने में सफल होगा।"

मेरा विश्वास है कि 50 वर्ष बाद भी भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह लक्ष्य अभी भी मौजूद है।

संसदीय लोकतंत्र का सम्मान

आज हम सभी यहां श्री प्रणव मुखर्जी और श्री जयपाल रेड्डी को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ सासद का पुरस्कार देने के अवसर पर एकत्र हुए हैं। ये दोनों निश्चित तौर पर इस सम्मान के हकदार हैं।

पार्टी-दायरे से आगे निकलकर संसद के दोनों सदनों में प्रतिभा की पहचान और उसका सम्मान करना हमारी संसदीय प्रणाली की परिपक्वता को दर्शाता है, और इससे लोकतंत्र के प्रति हमारे संकल्प का भी पता चलता है। खासकर ऐसे समय में जब कई देशों में लोकतांत्रिक ढांचा और संसदीय प्रणाली खतरे में है, इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।

मित्रों, संसद हमारे गणतंत्र का आधार-स्तंभ है, जो अगले महीने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। इसका महत्व इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि यह राष्ट्रीय मुद्दों

सर्वश्रेष्ठ सासद का पुरस्कार प्रदान करते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 17 दिसंबर 1999

पर बहस के लिए सरकार और विपक्ष को एक मंच प्रदान करता है। इन मुद्दों पर एक राय कायम करने और सहयोग के मामले में संसद की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है।

मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि हमारी तरह विशाल और विविधता से भरे देश में सरकार चलाना वास्तव में संसदीय गणित का सवाल है। कारगर प्रशासन तभी संभव है, जब संसदीय लोकंत्र की सफलता के लिए सरकार और विपक्ष मिलकर प्रयास करें।

हमारी संसद की परंपराएं शानदार रही हैं, हालांकि कभी-कभी तेज बहस भी होती है। लेकिन यही बहस सरकार को अपनी नीतियों को सुधारने और बेहतर बनाने में मदद भी करती है। बहस भले ही कितनी भी तीखी क्यों न हो, सरकार और विपक्ष के विचारों



प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद सदस्य श्री प्रणव मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार प्रदान करते हुए, नई दिल्ली, 17 दिसंबर 1999

मे कितनी भी असमानता क्यों न हो, सदन की प्रतिष्ठा और शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए अन्यथा ससद अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकती।

श्री मुखर्जी और श्री रेड्डी दो ऐसे सासद हैं, जो सत्ता पक्ष में भी रहे और विपक्ष में भी। वे सत्ता में रहे हों या विपक्ष में, बहस में हिस्सा इन्होंने अपनी ही शैली में लिया। श्री मुखर्जी एक प्राध्यापक की तरह बहस में भाग लेते हैं, तो श्री रेड्डी के भाषण में हसी-मजाक का पुट भी रहता है। दोनों ही सदन में पूरी तैयारी से आते हैं। जब समय आता है तो दोनों ही घातक तीर भी छोड़ते हैं, लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इन दोनों ने किसी बहस में भाग लेकर उसका स्तर न बढ़ाया हो। इनके मजबूत तर्कों से सदस्यों को संबद्ध विषय को समझने में भी मदद मिलती है। सरकार को भी इनके योगदान से लाभ मिलता है।

मैं श्री मुखर्जी को कई वर्षों से जानता हूँ। सरकार में लंबे समय तक रहने से मिले अनुभव का इन्हे लाभ मिलता है। मैं कहना चाहूँगा कि अब विपक्ष में रहते हुए भी वे इस अनुभव का अच्छा उपयोग कर रहे हैं। लगभग तीन दशक के संसदीय अनुभव के बाद उनकी उपस्थिति से राज्यसभा और समृद्ध होती है। 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार ग्रहण करने के लिए वे सर्वथा योग्य हैं। श्री जयपाल रेड्डी हमारे कनिष्ठ साथियों में से एक हैं। उनके संसदीय जीवन की शुरुआत 1984 में हुई। मात्र 15 वर्ष के अपेक्षाकृत कम अनुभव के बावजूद 1998 के इस पुरस्कार के लिए चुना जाना उनकी संसदीय योग्यता को ही प्रदर्शित करता है।

श्री रेड्डी ने लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में ही विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टता, समय और हास्य के पुट के साथ बहस में भाग लेकर अपनी योग्यता का परिचय दिया है। बहस में हस्तक्षेप करने का उनका जोरदार तरीका हमारी ससद के अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाता है। इस पुरस्कार के लिए चुने जाने पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं इस पुरस्कार की स्थापना के लिए भारतीय संसदीय समूह की सराहना करता हूँ। इससे एक ओर जहाँ योग्यता को सम्मानित किया जा सकता है, वहीं दूसरे लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। इन सबसे कहीं बढ़कर यह हमारे संसदीय लोकतंत्र का सम्मान है।

आतंक के आगे नहीं झुकेंगे

कल काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण कर लिया गया। तब से अपहरणकर्ता एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे की उड़ान भर रहे हैं, वे आज सवेरे अफगानिस्तान में कंधार हवाई अड्डे पर उतरे।

मेरी पहली चिंता विमान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा है। हम हर संभव उपाय कर रहे हैं, ताकि वे सुरक्षित अपने घर लौट सकें। पिछले 20 घंटे यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के परिवार-जनों के लिए काफी कष्टदायक और तनावपूर्ण रहे हैं। मैं पूरी तरह उनकी चिंताएं समझता हूँ।

मैं देश में व्याप्त गुस्से और दुख, खासतौर से रूपन कत्याल की हत्या के बाद व्याप्त भावनाओं को भी समझता हूँ। मैं और मेरे सहयोगी इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हम अमरीका सहित विभिन्न देशों के संपर्क में हैं।

यह अपहरण लोगों द्वारा आतंकवाद की वह कार्रवाई है, जिसे मानव-जीवन और मानवाधिकारों का कोई सम्मान नहीं है। इससे आतंकवाद की पूरी वीभत्सता सामने आ गई है, जिसका देश सामना कर रहा है।

हमें इस चुनौती का सामना पूरे विश्वास और सकल्प से करना है। मेरी सरकार इस तरह के आतंक के आगे नहीं झुकेगी।

इंडियन एयरलाइंस के विमान (आई.सी.-814) के अपहरण के बाद दिया गया वक्तव्य, नई दिल्ली, 25 दिसंबर 1999

नई सदी में भारत के संकल्प

मेरे प्यारे देशवासियों, कल विश्व एक नई सदी और एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। 20वीं सदी की अंतिम बेला में सूर्यास्त होते ही मानव इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होगा। यह एक हर्षोल्लास का अवसर होना चाहिए था, किन्तु दुर्भाग्य से, बीत रहे वर्ष के पिछले सप्ताह की घटनाओं ने हम सभी के हृदय को दुख से भर दिया है। इंडियन

नव वर्ष की पूर्व-संध्या पर राष्ट्र के नाम सदेश, नई दिल्ली, 31 दिसंबर 1999

एयरलाइस के विमान के अपहरण की घटना ने हमें एक बार फिर आतंकवाद की भयानक वास्तविकता की याद दिला दी है।

दो दशकों से भारत को इस जोखिम की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हज़ारों निर्दोष और असहाय पुरुष, महिलाएँ और बच्चे मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। हज़ारों परिवार बेघर और बेसहारा हो गए हैं। निश्चय ही, अब समय आ गया है, जब विश्व को इस बुराई का सामना करना होगा और इसका अंत करने के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा। यदि सभी देशों द्वारा एक साथ मिलकर कार्रवाई की जाए और सहन-शक्ति, प्रौद्योगिकी, ताकत तथा बुद्धि बल के जरिए मुकाबला करके उन्हें परास्त किया जाए, तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है।

वर्तमान संकट में सरकार के सामने केवल दो ही बातें हैं। पहली, हवाई जहाज में सवार हमारे भाई, बहनों और छोटे बच्चों की सुरक्षा तथा दूसरी, हमारे देश का दीर्घकालीन और समग्र हित। हम एक ऐसा समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जो इन्हीं दो बातों के अनुरूप हो। लेकिन यह घटना क्रूरता का एक घिनौना प्रदर्शन है। भारत स्वयं ही इस घटना से निपटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा।

भारत मानवता के प्रति इस अपराध से विश्व को मुक्त कराने के लिए दुनिया के देशों के साथ मिलकर काम करेगा। यह नई सदी का हमारा पहला संकल्प होना चाहिए।

आज हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, वह आने वाले चुनौतीपूर्ण समय का संकेत है। इन चुनौतियों में से आतंकवाद एकमात्र ऐसी चुनौती है, जिस पर हमें 21वीं सदी में काबू पाना होगा, ताकि हमारे बच्चे उन लोगों द्वारा कभी भी फिर से बंदी न बनाए जा सकें, जो न तो मानवता और न ही मानव अधिकारों का सम्मान करते हैं।

हमें गरीबी और निरक्षरता के दोहरे अभिशाप को मिटाना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक भारतवासी के पास अपना एक घर हो और गरीब-से-गरीब लोग भी सम्मान का जीवन जी सकें।

हमें जाति, भाषा और धर्म के बंधनों को तोड़ना होगा। हमें उन बनावटी दीवारों को भी ढहाना होगा, जो एक भारतीय को दूसरे भारतीय से अलग करती हैं। हमें सभी प्रकार के भेदभावों, विशेषकर महिलाओं के प्रति भेदभाव को मिटाना होगा।

इस नए समाज का मूलाधार तीव्र आर्थिक विकास तथा तेजी से हो रहा सामाजिक परिवर्तन है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास समता-मूलक हो, ताकि भारत की समृद्धि का लाभ देश के प्रत्येक नागरिक को मिल सके, न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि

सामाजिक रूप से भी। भारत एक विकसित देश बनेगा। आइए, हम इसे नई सदी का अपना दूसरा संकल्प बनाएं।

हमें व्यक्तिगत रूप से तथा एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ते रहना है। हमारे पास विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रतिभा मौजूद है। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय विश्व-भर में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों को विश्व में सर्वोत्तम आंका जाता है। विदेशों के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में हमारे शिक्षकों की मांग है। हमारे किसान विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए रिकार्ड फसल का उत्पादन करते हैं। हमारे उद्योगों में सभी प्रतिस्पर्धाओं में टिके रहने की क्षमता है।

बीसवीं सदी के आखिरी दशकों में अनेक अवसर उत्पन्न हुए हैं। आविष्कारों और खोजों ने नए-नए क्षेत्र खोल दिए हैं, जिनकी 20 साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, बायो-टेक्नोलॉजी और कम्यूनिकेशन के क्षेत्र में हुई प्रगति से क्रांति आ गई है। इनसे संभावनाओं और अवसरों के नए-नए क्षेत्रों के खुलने में मदद मिल रही है।

ऐसी प्रतिभा और संसाधनों से ही हम एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। हमें नई सदी के अवसरों का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, ताकि हम एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर सकें, जिसकी शक्ति उसकी उपलब्धियों पर निर्भर करेगी। भारत आगे बढ़ेगा। आइए, हम इसे नई सदी का तीसरा संकल्प बनाएं।

छब्बीस जनवरी को हम अपने गणतंत्र की स्वर्ण जयंती मनाएंगे। भारत के संविधान ने हमारे लोकतंत्र को एक नई दिशा दी है, जिसमें विधि-सम्मत शासन की स्थापना तथा जनता की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है। शुरू से ही, यानी औपनिवेशिक शासन-काल के बाद हम विश्व में सबसे बड़े और सशक्त लोकतंत्र के रूप में उभरे हैं।

लोकतंत्र के पथ पर हमारी सफल यात्रा पूरे विश्व में लोकतंत्र को चाहने वाले लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। किन्तु जहां एक ओर लोकतंत्र की भावना तथा लोकतांत्रिक प्रणाली में लोगों की आस्था समय की कसौटी पर खरी उतरी है, वहीं दूसरी ओर, हमारी संस्थाओं में खामियों के लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं। हमें इन्हें रोकने और दूर करने की तत्काल जरूरत है। कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका हमारे गणतंत्र के आधार-स्तंभ हैं; इनमें जनता का विश्वास बना रहना चाहिए। अपने लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए हमारी संस्थाओं को आपके सहयोग से सुदृढ़ करने की जरूरत है, ताकि

21वीं सदी की चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके। विधि-सम्मत शासन, निर्वाचकीय लोकतंत्र, मतभेद को सहने की शक्ति, व्यक्तिगत अधिकार तथा संवैधानिक उपबंधों, विशेषकर सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता के उपबन्धों का अनुपालन हमारे सभी कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। भारत की संस्थाओं को पुनः सुदृढ़ बनाया जाएगा। आइए, हम इसे नई सदी का अपना चौथा संकल्प बनाएं।

एक कृशकाय व्यक्ति ने मुट्ठी-भर नमक से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दीं। महात्मा गांधी ने निराशा पर आशा, बुराई पर अच्छाई; और निर्भरता पर आत्मविश्वास की विजय पाने की राह दिखाई तथा उन्होंने दृढ़-निश्चय, सिद्धांत और परंपराओं का दृढ़तापूर्वक अनुपालन तथा कमजोर व्यक्तियों के हितों का समर्थन करने की शक्ति का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में अनेक तरह से हमारे देश का सीधे मार्गदर्शन किया। आज विश्व उस सच्चाई को स्वीकार कर रहा है, जिसकी उन्होंने आठ दशक पहले कल्पना की थी और दुनिया को बताया था। आइए, हम शांति के लिए कार्य करें। आइए, हम मानवता की भलाई में विश्वास रखें। आइए, हम अपनी आत्मशक्ति को जागृत करें।

वर्ष 2000 और आगे आने वाले वर्षों में सही रूप में एक नए युग का सूत्रपात हो- एक ऐसा नया युग- जिसमें सभी लोगों में भाईचारा पनपे और सभी देश समृद्ध और खुशहाल हों।

पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम का विकास

पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के विकास और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज इस सम्मेलन में आपके बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। शिलांग में होना और भी प्रसन्नता की बात है, क्योंकि आज 'मेघालय दिवस' है। राज्य की स्थापना की 27वीं वर्षगांठ पर मेघालय के लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ।

क्षेत्रीय विकास तथा सुरक्षा विषय पर पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में दिया गया भाषण, शिलांग, 21 जनवरी 2000

इससे पहले कि मैं ठोस मुद्दों पर बात करूं, पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के त्वरित आर्थिक और सार्यक सामाजिक विकास के प्रति अपनी सरकार की गहन और अटूट वचनबद्धता दोहराना चाहता हूं। मेरे बरिष्ठ साथियों और अधिकारियों की इस सम्मेलन में उपस्थिति हमारी इस वचनबद्धता को दर्शाती है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नए वर्ष और नई शताब्दी में यह अपनी तरह की पहली बैठक है। वर्ष 2000 के लिए अपने राष्ट्रीय विकास प्रयासों की शुरुआत के लिए हमने इस सम्मेलन को चुना है, जो एक बार फिर यह दर्शाता है कि पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के समग्र विकास को हम कितना महत्व देते हैं और कितना जरूरी समझते हैं। हमारी कोशिश है कि ये राज्य शीघ्र ही हमारी संघीय व्यवस्था के दूसरे राज्यों से आगे न भी निकल सकें तो कम-से-कम उनके बराबर अवश्य आ जाएं।

ये राज्य पिछड़ते से क्यों दिखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सहारे की जरूरत है, उसका एक कारण यह है कि इनमें से कई राज्य नियोजन प्रक्रिया में अन्ध दूसरे राज्यों की अपेक्षा देर से शामिल हुए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इन राज्यों के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में खर्च बढ़ाकर 25,283.52 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह राशि आठवीं योजना के 15,439 करोड़ रु के खर्च से 10,000 करोड़ रु. अधिक है।

मेरी सरकार ने पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए समाप्त न होने वाली (नान लैप्सेबल) निधियों का एक पूल बनाया है। इन राज्यों की विकास परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस पूल से नई आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में संसाधनों की कमी पूरी हो सकेगी, क्योंकि इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय मानती है। परियोजनाओं की पहचान के लिए योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गई है।

लेकिन अधिक धन की व्यवस्था कर देने से ही पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम की आर्थिक व सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। हमें उन दूसरे मुद्दों पर ध्यान देना होगा, जिन्होंने इन राज्यों के संसाधनों को हड़प लिया है तथा प्रशासन का ध्यान दूसरी तरफ बंट दिया है। ऐसा ही एक मुद्दा यह है कि काफी सारा धन उन परियोजनाओं तक पहुंचता ही नहीं है, जिनके लिए वह निर्धारित किया जाता है। यह चिंता की बात है। दूसरा मसला विकास प्रयासों में लोगों के शामिल न होने और सामुदायिक भागीदारी की कमी का है। इस पर चर्चा मैं बाद में करूंगा।

अंतिम, परंतु अपने आपमें अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा विद्रोह और जबरन वसूली की समस्या का है। केन्द्र सरकार उग्रवाद-पीड़ित राज्यों की मदद के लिए अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती कर रही है तथा सुरक्षा संबंधी इन राज्यों के खर्च की वापिस अदायगी भी कर रही है। लेकिन इस क्षेत्र के विकास की कीमत पर उग्रवादियों और जबरन वसूलकर्ताओं द्वारा वसूली जा रही भयावह कीमत या फिर लोगों में उनके द्वारा पैदा किए गए डर की प्रतिपूर्ति इससे नहीं की जा सकती।

मैं आशा करता हूँ कि इस सम्मेलन में उग्रवाद की समस्या से इन राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर पड़े प्रभाव के साथ-साथ उग्रवाद की समस्या और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर उद्देश्यपूर्ण चर्चा होगी।

यदि हम इन इलाकों पर मोटे तौर पर निगाह डालें, जिनमें विकास की दृष्टि से पूर्वोत्तर राज्य पिछड़े हुए हैं, तो हमें पता चलेगा कि इनमें वास्तविक बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है और यहां कुशल जनशक्ति और उद्यमों का अभाव है।

हमें सामूहिक रूप से इन इलाकों पर ध्यान देना होगा, ताकि आज की कमजोरियों को कल की ताकत में बदला जा सके। पूर्वोत्तर राज्यों के साक्षरता के उच्च आधार को देखते हुए, मैं शिक्षा में निवेश के लिए यहां के लोगों को बधाई देता हूँ। इन चुनौतियों पर आसानी से पार पाया जा सकता है।

मानव और भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम की राज्य सरकारों को अपने वित्तीय प्रबंध को सुधारना होगा, ताकि गैर-योजना खर्च और राजस्व ससाधनों का अंतर कम किया जा सके। वैसे, मैं इस क्षेत्र की कुछ राज्य सरकारों को उनके विवेकपूर्ण राजकोषीय अनुशासन के लिए बधाई देना चाहूंगा।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूँ कि आर्थिक विकास के लिए कारगर प्रशासन व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। कारगर होने के लिए जरूरी है कि यहां मौजूद राज्य सरकारों की परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करना होगा और अपने कामकाज में पारदर्शिता लानी होगी। चुने हुए प्रतिनिधियों में लोगों की आस्था बनाए रखने के लिए यह जरूरी है।

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र जातीय और भाषाई विविधताओं का संगम है और ये समरस होकर एक वृहद राष्ट्रीय पहचान बनाती है। हरेक वर्ग की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार-संपन्नता की आकांक्षा है और हमें मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के भीतर इन आकांक्षाओं को पूरा करना है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि स्थानीय निकायों और ग्रामीण समुदायों को पंचायती राज और जिला परिषदों जैसी

अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के जरिए शक्तियां प्रदान कर दी जाएं, जिससे सामाजिक-आर्थिक विकास प्रयासों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

दुख की बात है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी, कुछ अन्य प्रदेशों की भांति काफी अरसे से स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं, यह समाज-प्रेरित उन प्रयासों के विपरीत है, जो कभी पूर्वोत्तर समाज के आधार हुआ करते थे। मुझे आशा है, वह परंपरा फिर से जीवित होगी।

लोगों को भागीदार बनाने की जरूरत और भी अधिक महसूस होती है, जब हम देखते हैं कि आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर के लिए विकास के क्षेत्र कृषि, बागवानी, मछलीपालन और पर्यटन होंगे। ये वे क्षेत्र हैं, जिनमें सरकार से बाहर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की भारी संभावनाएं हैं।

पूर्वोत्तर की पन-बिजली क्षमता के भरपूर उपयोग की तरफ केंद्र सरकार का पूरा-पूरा ध्यान है। इससे न केवल अन्य क्षेत्रों की बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस क्षेत्र में 31,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पन्न हो सकती है, जिसमें से अभी केवल 600 मेगावाट बिजली ही बनाई जा रही है। कुछ ही वर्षों में 650 मेगावाट की और बिजली परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी।

केंद्र सरकार इस क्षेत्र में सड़क और रेल संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के बारे में पूर्णतया जागरूक है। पिछले दो वर्षों में पूर्वोत्तर के लिए 12 नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की जा चुकी है। इनकी कुल लंबाई 1,962 किलोमीटर होगी। इसके लिए काफी सार्वजनिक निवेश की जरूरत पड़ेगी। इन नए राजमार्गों के अलावा मौजूदा महत्वपूर्ण राजमार्गों को चौड़ा करने का काम शुरू किया गया है।

यह एहसास मजबूत होता जा रहा है कि इस क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों की कमी ही इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति की राह में रोड़े अटकाने वाली विद्रोही और आपराधिक गतिविधियों का प्रमुख कारण है। जरूरी है कि हम ऐसी विकास नीतियों और कार्यक्रमों पर जोर दें, जिनमें रोजगार के अवसर बढ़ें, जरूरी नहीं है कि रोजगार के ये अवसर सरकारी क्षेत्रों में ही उत्पन्न हों।

हमने एक नए युग में प्रवेश किया है, जहां देशों की सफलताओं को मापने का पैमाना उनका आर्थिक और सामाजिक विकास है। राष्ट्र के रूप में भारत की सफलता के लिए जरूरी है कि इसका हरेक क्षेत्र तेज सामाजिक व आर्थिक प्रगति का दावा करने योग्य हो सके। यदि कोई भी क्षेत्र पिछड़ता है तो न केवल भारत की प्रगति को धक्का

लगेगा, बल्कि मौजूदा क्षेत्रीय असंतुलन और भी बढ़ जायेंगे। यह अच्छी बात नहीं है, न तो भारत के लिए और न ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए।

पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में आर्थिक विकास में रोड़े अटकाने के जिम्मेदार कारणों में से एक है— उग्रवादियों द्वारा और विदेशी शह पर अलगाववादियों और अपराधियों द्वारा फैलाई जा रही हिंसा। अब तो यह सिद्ध हो चुका है कि भारत में अस्थिरता फैलाने की बड़ी साजिश की अपनी कोशिश में पाकिस्तान इनमें से कुछ गुटों को बढ़ावा दे रहा है। लोगों में डर फैलाकर जबरन वसूली करने वाले गिरोहों की भी समस्या है।

प्रसन्नता की बात है कि कुछ राज्य सरकारों ने इन राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक तत्वों का मुकाबला करने में प्रशंसनीय दृढ़ता दिखाई है। इन प्रयासों से इन राज्यों के लोगों में साहस का संचार हुआ है और वे उग्रवाद तथा इससे जुड़े अपराधों के विरोध में सामने आने लगे हैं। लेकिन निवेश बढ़ाने और विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु उचित माहौल बनाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।

उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर के लिए नई औद्योगिक नीति में इस क्षेत्र में पूंजी के अतर्प्रावह के लिए अनुकूल स्थितियाँ बनाने पर जोर दिया गया है। मैं केंद्र सरकार की जुलाई की अधिसूचना की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिसके द्वारा कुछ विशेष उद्योगों को पहले 10 वर्षों तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा अन्य करों से मुक्त कर दिया गया है। हमारी सरकार इस छूट को लागू करने के लिए पूर्णतया वचनबद्ध है और हम इस प्रस्ताव को लागू करने का आश्वासन देते हैं।

इस बारे में एक अंतिम बात पूर्वोत्तर परिषद के बारे में है। बड़ी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ इस परिषद का गठन किया गया था। मैं जानता हूँ कि यह परिषद अपनी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। हम अब यह पक्का करने के लिए कृत-संकल्प हैं कि परिषद में न केवल नए प्राण फूँके जाएँ, बल्कि साल में इसकी कम-से-कम दो बैठकें अवश्य हों। इससे निश्चय ही इस क्षेत्र में विकास प्रक्रिया में तेजी आएगी।

मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले दो दिनों में इस सम्मेलन में उद्देश्यपूर्ण चर्चा होगी। आपके साथ अपने विचार बाटने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ।

एक महान देशभक्त

सबसे पहले मेरे साथ तीन बार जय हिंद का नारा लगाइए। जय हिंद । जय हिंद ॥ जय हिंद !!! यह जय हिंद का नारा नेताजी ने देश को दिया था। इस नारे मे बड़ी प्रेरणा है, सबको जोड़ने की शक्ति है। आजाद हिंद सेना स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए, जिसका गठन नेताजी ने किया था, इसी नारे को लगाते हुए आगे बढ़ी थी, युद्ध में उतरी थी। आज यह नारा सारे भारत का नारा बन गया है। नेताजी ने अगर आजाद हिंद सेना का गठन न किया होता और उसके पहले अगर हमारी नियमित सेना में बगावत न हुई होती तो शायद अंग्रेज को भारत से जाने में और भी वक्त लगता।

आजादी की लड़ाई चल रही थी। अंग्रेज दूसरी लड़ाई में फसे थे। वो दुनिया-भर में लोकतंत्र का झंडा गाड़ना चाहते थे, लेकिन भारत को गुलाम बनाए रखना चाहते थे। नेताजी ने कहा कि इस समय आंदोलन करने की जरूरत है। महात्मा गांधी के साथ इस सवाल पर उनका मतभेद हो गया। नेताजी कांग्रेस के बड़े नेताओं में थे, सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए थे। दुबारा जब मुकाबला हुआ तो भी उनकी जीत हुई। गांधीजी के साथ उनका इस सवाल पर मतभेद था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कब छेड़ी जाए। नेताजी ने कहा कि लड़ाई छेड़ने का यही वक्त है। अंग्रेज जो बाते सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हुए कहते हैं, उस पर हिंदुस्तान में अमल क्यों नहीं करते। अगर वे हिटलर की तानाशाही समाप्त करना चाहते हैं तो पहले हिंदुस्तान पर अपनी तानाशाही समाप्त करें। कांग्रेस के और नेताओं को यह बात जर्मी नहीं, रची नहीं। नेताजी कांग्रेस से अलग हो गए। लेकिन, कांग्रेस से अलग होने के बाद भी नेताजी के मन में गांधीजी के लिए बड़ा आदर रहा। मतभेद होते हुए भी आदर रहा। आजकल तो जरा-सा मतभेद होने पर हम एक-दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, ऐसा दिखाई देता है।

हम लोग नेताजी का एक ही नाम जानते हैं— सुभाष चंद्र बोस। लेकिन, उनके कई नाम थे। परिस्थिति के अनुसार वो अपना नाम बदलते थे। 1941 में उन्हें जब कलकत्ता में घर में नजरबंद कर दिया गया था तो और नेताओं की तरह वे आराम से घर में नहीं बैठे। पहरे की नजर बचाकर, अंग्रेजी साम्राज्य की आंखों में धूल झाँककर नेताजी रात के अंधेरे में चुपचाप अंग्रेजों के पहरे से उसी तरह से निकल गए जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के पहरे से निकले थे। नेताजी अदृश्य हो गए और

उस समय उन्होने अपना नाम रखा था— मौलवी जियाउद्दीन। नेताजी ने मौलवी जियाउद्दीन का रूप धारण कर लिया। लेकिन उतना काफी नहीं था। जब वे जर्मनी में पहुँचे तो उन्होने अपना नाम रखा— औरलैंडो मेजेरेटा। यह जर्मनी का नाम था। जब जापान गए, सबमैरीन में बैठकर, तो कल्पना करिए— लडाई के दिनों में सबमैरीन पानी के भीतर चलती है, पल-पल पर खतरा है, लेकिन नेताजी को सुरक्षित जाना था। नेताजी पनडुब्बी में गए, और वहाँ पर अपना नाम रखा— कमांडर मक्सूदा। नेताजी की रणनीति यह थी कि भारत को आजाद कराने के लिए कोई-न-कोई रास्ता निकाला जाए।

नेताजी जानते थे कि अंग्रेज अपनी फौज के बल पर हमारे ऊपर राज करते हैं। भारत एक पुराना देश है। भारत के लोग शक्तिशाली हैं, प्रतिभा-सपन्न हैं, त्यागी और बलिदानी भी हैं। लेकिन, आपस में मिलकर नहीं रहते, प्रेम से नहीं रहते, देश की चिंता जितनी करनी चाहिए, उतनी नहीं करते। नेताजी ने सोचा कि अगर जिस फौज के बल पर अंग्रेज राज करते हैं, उसमें बगावत हो जाए, 1857 में हुई थी। नेताजी ने आई एन ए. का गठन किया और उस आई एन ए को लेकर भारत की स्वाधीनता के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। यह आरोप गलत है कि वह जापानियों से मिल गए थे या जर्मनों से मिल गए थे। नेताजी महान देशभक्त थे। नेताजी की रग-रग में देशभक्ति का ज्वार भरा हुआ था। वे किसी के इशारे पर चले, इसका तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन उस समय नेताजी की तस्वीर को धूमिल करने के लिए यह प्रचार किया गया था। अब यह प्रचार गलत साबित हो गया है।

इस देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। हमें इसका गर्व है। भारत माता बहु-रत्न प्रतिभा है, बहु-रत्नगर्वा है। लेकिन, नेताजी का व्यक्तित्व अनूठा व्यक्तित्व था। उस जमाने में उन्होने देश के आर्थिक विकास के लिए, प्लानिंग पर सोचने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। आज तो नियोजन की सभी बात करते हैं। आज तो नियोजन के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन उस जमाने में जब हम पराधीन थे, जब स्वाधीनता की लडाई अभी पूरी तरह जीती जानी बाकी थी, नेताजी ने कांग्रेस अध्यक्ष के नाते एक प्लानिंग कमेटी बनाई और कहा कि जब हम आजाद होंगे तो हिंदुस्तान का नक्शा किस तरह का होगा, हिंदुस्तान का विकास किस तरह से होगा, इसकी अभी से तैयारी करनी चाहिए, इसकी अभी से योजना बनानी चाहिए। यह बात नेताजी की दूरदर्शिता को बताती है।

उनका साहस, उनकी हिम्मत, उनकी दूरदर्शिता, जान को खतरे में डालकर देश की आजादी के लिए कुछ करना, नेताजी ने हमारी आजादी की लडाई के सारे रूप को

ही बदल दिया। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का तो यह भी कहना है कि नेताजी के आंदोलन से गांधीजी को बाद में 'भारत छोड़ो' आंदोलन आरंभ करने के लिए प्रेरणा मिली— करो या मरो, और नेताजी तो इसी रास्ते पर चल पड़े थे। कहीं समुद्र में डूब सकते थे, कहीं विदेशियों के हाथ में पड़ सकते थे, कहीं शत्रुओं का निवाला बन सकते थे, मगर हिम्मत के साथ भारत माता का स्मरण करते हुए जान हथेली पर लेकर नेताजी ने न केवल सारे देश को रास्ता दिखाया, नई पीढ़ी को भी रास्ता दिखाया।

यह संतोष की बात है कि भारत सरकार ने, हमारी सरकार ने नेताजी के बारे में सारे तथ्य इकट्ठा करने के लिए एक न्यायिक कमीशन बनाया है। अभी तक इस सवाल का जबाब नहीं मिला है कि नेताजी को क्या हुआ, कहां गए, किस रूप में नेताजी हैं, वायु-दुर्घटना के बाद नेताजी का क्या हुआ? ये सवाल बार-बार आज भारत के आकाश से टकरा रहा है। जांच कमेटिया बनी थीं, मगर कोई संतोष नहीं दे सकीं। लगातार यह मांग होती रही कि नेताजी के अंतिम दिनों के बारे में पता लगाने के लिए उच्चाधिकार समिति बनाई जाए, जो निष्पक्षता से जांच करे। सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब कमीशन बन गया है। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि उस कमीशन की सहायता करे। नेताजी के बारे में, नेताजी के अदृश्य होने के बारे में जो भी सूचना लोगों के पास है, वे सूचना सरकार को दें, कमीशन को दें। सरकार के पास भी जो खबरें हैं, वह सब कमीशन को देगी। विदेशों में भी इस बारे में पता लगाया जाएगा। हमें यह पता लगाना चाहिए कि हमारे नेताजी का क्या हुआ।

भारत सरकार, जापान में रनकोजी के मंदिर में जो अस्थियां रखी हुई हैं, अगर सारा देश एक राय हो जाए कि उन्हें लाना चाहिए तो हम उन्हें सम्मान के साथ लाकर लाल किले में प्रतिष्ठित करने के लिए तैयार हैं। लेकिन, इसे लेकर मतभेद नहीं होना चाहिए। लाल किला हमें नेताजी की याद दिलाता है। जय हिंद का नारा हमें नई प्रेरणा देता है। अब नौजवानों को नेताजी के रास्ते पर चलकर राजनीतिक आजादी को आर्थिक और सामाजिक न्याय में बदलना है। यह नेताजी का अधूरा काम है। आजादी को सार्थक बनाने का यही तरीका है। नेताजी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी यही तरीका है।

मुझे विश्वास है कि आज 23 जनवरी को जब सारे देश में और विदेश में नेताजी की जयंती मनाई जा रही है, तब हम अपने मन में निश्चय करेंगे कि हम नेताजी के सपनों का भारत बनाएंगे, भारत को शक्तिशाली बनाएंगे, भारत को समृद्ध बनाएंगे और नेताजी के सच्चे उत्तराधिकारी हम स्वयं को सिद्ध करेंगे।

भारतीय गणतंत्र के पचास वर्ष

कल भारत ने अपने गणतंत्र दिवस की स्वर्ण जयंती मनाई। आज हम यहाँ इस ऐतिहासिक अवसर का स्मरणोत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। 50 वर्ष पूर्व इसी सभा-भवन में हमारा संविधान अंगीकार किया गया था। वह अवसर हमारी जनता की लंबे समय तक दबाई गई स्वतंत्रता की महत्वाकांक्षा तथा स्वराज्य के लिए किए गए दीर्घकालिक व कर्मठ संघर्ष की पराकाष्ठा थी।

पिछली शताब्दी के पहले आधे भाग में संविधान-निर्माण की यात्रा स्वतंत्रता-संग्राम की यात्रा के साथ-साथ चलती रही। माननीय सदस्यों को याद होगा कि भारतीयों ने 1924 में 'भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक' तैयार किया था। इसके तुरंत बाद 'स्वराज संविधान' बनाया गया। 1931 की मानवाधिकार उद्घोषणा ने इस प्रयास में एक नया अध्याय जोड़ा।

अनेक उतार-चढ़ावों के बाद निर्दलीय सम्मेलन ने 1944-45 में एक विस्तृत संवैधानिक योजना तैयार की। दुर्भाग्य से उसे प्रारंभ में ही अवरुद्ध कर दिया गया। अतः संविधानसभा की स्थापना हुई। इसके उपरांत संविधानसभा के संवैधानिक सलाहकार ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप की एक-एक धारा पर विभिन्न समितियों में, जिनकी अध्यक्षता प. नेहरू, सरदार पटेल व अन्य प्रकांड विद्वानों ने की, सोच-विचार हुआ। प्रारूप-समिति, जिसकी अध्यक्षता डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने की, में वाद-विवाद से लेकर संविधान सभा में गहन विचार-विमर्श के बाद तक कुल मिलाकर यह पूर्णता की निरंतर खोज थी।

वास्तव में यह एक आख्यान था। हालांकि लगातार दंगों, हत्याओं, दमन व सजाओं का दौर चला, पर हमारे नेता दशकों तक इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देते रहे।

संविधान सभा और उसकी समितियों के विचार-विमर्शों को आज 50 साल बाद पढ़ने पर भी मन अभिभूत होता है-

- वह गंभीरता, जिससे उन्होंने इस कार्य को सम्भाला।
- वह अतद्दृष्टि, जिससे उन्होंने हर धारा को स्पष्ट किया।

- वह दूरदर्शिता, जिससे उन्होंने आगे आने वाली स्थितियों तथा समस्याओं का पूर्वानुमान किया।
- वह एकल कसौटी, जिससे उन्होंने प्रत्येक स्थिति पर निर्णय देश व जनता के हित को ध्यान में रखकर लिया।

विभाजन के बाद वे किस तरह से दंगों, विदेशी आक्रमण और देशी रियासतों को संगठित करने के अति-महत्वपूर्ण कार्य से घिरे रहे, किस तरह से उन्होंने अपने को इस खलबली से दूर रखा और इसी सभा-भवन में इकट्ठे होकर प्रत्येक धारा पर विचार किया, मनन किया, उन्हें रूप दिया और पुनः रूप दिया।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम उनके बलिदानों से उपकृत हैं। हम उनकी उस विरासत के उत्तराधिकारी हैं, जो अनन्य है, जो राष्ट्रीय हितों की भव्य निष्ठा से भरी है, जो तर्कसंगत है, जो असैनिकता को प्रकट करती है, जो विषम विचारों को समन्वित करती है। हमें इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए।

संविधान के लिए या किसी भी प्रकार के शासन के लिए एक कसौटी होती है कि वह स्याई और हितकारी हो। हमारा संविधान इस कसौटी पर खरा उतरा है। इसकी सफलता का एक कारण यह है कि इसमें व्यक्ति के अधिकारों और सामूहिक जीवन की आवश्यकताओं के बीच, राज्य और केन्द्र के बीच, मजबूत ढांचे और लचीलेपन के बीच उत्कृष्ट संतुलन है।

हमारे संविधान ने भ्रष्ट की अनेकता और उसकी अत. एकता, दोनों उद्देश्यों को पूरा किया है। इसने भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत किया है। मजबूत किले की चारदीवारी की समय-समय पर मरम्मत की जाती है, उसकी खाई को साफ़ किया जाता है और उसके जंगले की जांच की जाती है। यह हमारे संविधान के विषय में भी सत्य है। संविधान के अंगीकार किए जाने के 50 वर्ष बाद आज भारत के सामने नई स्थितियाँ हैं। राज्यों व केन्द्र, दोनों में स्थिरता की अत्यावश्यकता महसूस हो रही है। जनता तीव्र सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए अधीर है। देश के सामने विकास-प्रक्रिया को सुधारकर, प्रांतीय व सामाजिक असमानताओं को दूर कर, गरीब व दुर्बल लोगों तक लाभ पहुंचाने की कड़ी चुनौती है।

इसी उद्देश्य के लिए संविधान के पुनरावलोकन के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव है। मगर संविधान का मूल ढांचा और केन्द्रित विचार अनुलघनीय होंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान तभी तक उपयुक्त है, जब तक वह अपने द्वारा

स्थापित संस्थानों को चलाता है। सविधान सभा के वाद-विवाद में भाग लेते हुए डा अम्बेडकर ने कहा था.

“मैं महसूस करता हूँ कि सविधान कितना भी अच्छा हो, यह उस समय बुरा बन जाता है, जब उसके माध्यम से काम करने वाले बुरे होंगे। संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, यह उस समय अच्छा बन जाता है, जब उसके माध्यम से काम करने वाले अच्छे होंगे। संविधान, राज्य को केवल विभिन्न अंग प्रदान करता है— विधायिका, कार्यपालिका, व न्यायपालिका। राज्य के इन अंगों का संचालन जिन घटकों पर निर्भर है, वे हैं— जनता व राजनीतिक दल, जो इन्हें अपनी इच्छाओं और राजनीति की पूर्ति के लिए उपकरण बनाएंगे।”

आज चारों ओर यह शंका व्यक्त की जा रही है कि हमारे संस्थान सविधान के अभिप्राय के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। हममें से जो लोग इन संस्थानों को चलाते हैं, वे इन संस्थानों को इनकी मांगों के अनुरूप नहीं चला रहे हैं। आइए, आज हम संकल्प करें

- हम अपनी संस्थाओं— ससद और राज्य विधानसभाओं को आने वाली संततियों के लिए उन हालातों से बेहतर हालातों में छोड़ेंगे, जिनमें ये हमें मिली थीं।
- इन संस्थानों में कर्तव्य निभाते हुए हमारा आचरण ऐसा होगा, जिस पर हमारे संस्थापक पूर्वज गर्व करते।

उनका ऋण चुकाने का यही एक सही रास्ता है। यही उनकी पात्रता के अनुकूल एक श्रद्धांजलि होगी।

II

आर्थिक विकास

अच्छे प्रशासन की परख

आपके सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए आज सवेरे आपके बीच आकर मुझे प्रसन्नता हुई। अनेक वर्षों से ससद-सदस्य होने के कारण मैं आपके काम से किसी-न-किसी रूप में सबद्ध रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं।

उत्तरदायित्वपूर्ण स्पष्ट व्यवहार अच्छे प्रशासन की परख होती है। इससे न केवल सरकार के कार्यक्रम और गतिविधियाँ प्रभावशाली ढंग से चलाई जाती हैं, अपितु सरकार चुनने वाली जनता की नजरों में भी सरकार की साख जमती है। राजनीतिक दृष्टि से वैध सरकार चलाने के लिए जिस प्रकार बहुमत का समर्थन आवश्यक होता है, उसी प्रकार अपनी नैतिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सरकार की साख भी जरूरी होती है।

इसलिए भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व और स्पष्ट व्यवहार अपनाते के लिए अधिकार-संपन्न संस्थाएँ बनाई गई हैं। सरकार करदाताओं का पैसा कहां और कैसे खर्च करती है, इसका पता लगाते रहना सांसदों और विधायकों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य है।

भारत के लेखा-नियंत्रक और महालेखाकार तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों-विशेष रूप से राज्यों के महालेखाकारों के प्रयत्नों के बिना विधान-मंडल अपनी यह संवैधानिक भूमिका पूरी नहीं कर सकते।

आप किसी भी तरह के प्रचार के बिना परिश्रम और लगन के साथ जो काम करते हैं, उससे विधायको और सांसदों को पता चलता है कि उन्होंने जिन कार्यों के लिए रुपया खर्च करने की अनुमति दी थी, वह रुपया उन्हीं कार्यों पर खर्च किया गया है या नहीं। वर्तमान और पूर्ववर्ती महालेखाकारों ने राष्ट्र की सराहनीय सेवा की है। राष्ट्र के प्रति आपकी इस विशिष्ट सेवा के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ।

हम आशा करते हैं कि महालेखाकार राष्ट्र के आदर्श 'सत्यमेव जयते' का पालन करे। भय और पक्षपात के बिना तथा किसी व्यक्ति या पद पर ध्यान दिए बिना सत्य के रास्ते पर चलते रहने के लिए ही भारत के संविधान-निर्माताओं ने महालेखाकार कार्यालय को संविधान-सम्मत प्रतिष्ठा प्रदान की। संविधान निर्माताओं ने महालेखाकारों को प्रशासनिक अधिकारियों के नियंत्रण से भी मुक्त रखा, ताकि वे बिना किसी दबाव या दखल के अपना कार्य कर सकें।

संसद की सार्वजनिक लेखा समिति के प्रधान पद पर मैं दो बार कार्य कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि केन्द्र सरकार के खर्चों की जांच करने का कार्य कितना कठिन है। इन दिनों यह खर्चा अरबों रुपये है।

राज्यों के महालेखाकारों का काम तो और भी कठिन है। उन्हें राज्य सरकारों के आय और व्यय, दोनों का ही हिसाब रखना होता है। उन्हें ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जिनके कारण वे प्रभावशाली ढंग से काम पूरा नहीं कर पाते। मुझे विश्वास है उनके काम को प्रभावशाली बनाने के उपायों पर इस सम्मेलन में विचार किया जाएगा।

सरकारी आय-व्यय की जांच के उद्देश्य और अच्छी तरह कैसे पूरे किए जा सकते हैं, इस बारे में आपके साथ विचार-विनिमय करने के लिए मैं इस अवसर का लाभ उठाना चाहूंगा। हिसाब-किताब की जांच सदैव खर्चा हो जाने के बाद ही की जाती है। इसके बावजूद, सरकार को और जनता को इस जांच से पता चलता है कि रुपया कैसे खर्च किया गया, लक्ष्य किस हद तक पूरे हुए, और जिन्होंने करदाता के धन का दुरुपयोग किया, वे लोग कौन थे। इसलिए लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट तैयार हो जाने पर इसे संसद या राज्य



प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी महालेखाकारों के बीसवें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए
नई दिल्ली, 7 अप्रैल 1999

विधान- मंडलों में प्रस्तुत किया जाता है। संबद्ध सरकारों ने इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की, इस बारे में भी सूचना दी जाती है। किंतु अनुभव से पता चला है कि भारत में इस कार्य-प्रणाली के वाछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। सरकारें लेखा-परीक्षकों को सारे कागजात नहीं सौंपतीं, हालांकि यह कानून है कि लेखा-परीक्षक जो चाहेंगे, उसे देख सकेंगे।

कुछ राज्य सरकारें लेखा-नियंत्रक और महालेखाकार की रिपोर्ट महीनों तक प्रस्तुत नहीं करतीं। इसके कारण विधान सभा-सदस्यों की उन खर्चों पर विचार करने में रुचि नहीं रह जाती, जो महीनो पहले किए गए थे, और न ही उन खर्चों पर विचार करने के लिए समय बचा रहता है। जब तक यह प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक इसके बारे में जनता को या पत्रकारों को कोई जानकारी भी नहीं दी जा सकती।

सार्वजनिक लेखा परीक्षा समिति को जो प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं, उन सबकी वह ब्यौरेवार जांच नहीं कर पाती। सार्वजनिक लेखा-परीक्षा समिति, सरकार को स्थिति में सुधार करने के बारे में सुझाव ही दे सकती है। इन सुझावों को मानने और इन पर अमल करने के बारे में सरकार स्वतंत्र है। इसके परिणामस्वरूप कार्यपालिका के ऊपर विधानमंडल के जैसे वित्तीय नियंत्रण की कल्पना की गई थी, वह कमजोर है। विधानमंडल के दुर्बल वित्तीय नियंत्रण के फलस्वरूप अनेक घोटाले और सरकारी पैसे के दुरुपयोग के अनेक मामले सामने आते हैं।

जो लोग सरकारी रुपये का घोटाला करते हैं, वे जानते हैं कि वे पकड़े ही नहीं जाएंगे, और यदि पकड़े भी गए और राशि बहुत बड़ी नहीं हुई, तो उनकी यह बेईमानी रिपोर्ट के किसी पैराग्राफ में दबा दी जाएगी और इस रिपोर्ट को न तो कोई पढता है, और न ही इसकी सिफारिशों पर अमल किया जाता है।

सरकारी पैसा खर्च करने के बारे में गंभीर अनियमितताओं के कारण विकास कार्यों के, विशेषकर सामाजिक क्षेत्र से संबद्ध विकास कार्यों के अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाए हैं। इस स्थिति को बदलना होगा। मेरी सरकार ने निश्चय कर रखा है कि सभी मंत्रालयों और विभागों में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के नियमों का अट्टक-से-अधिक पालन किया जाएगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि सरकार के लेखा-परीक्षक जो भी सूचना चाहें, वह उन्हें जल्दी-से-जल्दी अवश्य दी जाए।

संकीर्ण और रूढ़िवादी दृष्टि से बहीखाते का तुलनपत्र तैयार करने की सनक के कारण अनेक वर्षों से सरकारी खर्चें ठीक तरह नहीं हो पा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि

सरकारी रूपया ठीक तरह खर्च किया गया है या नहीं, इसका पैमाना यही होना चाहिए कि इस खर्चे से जनता की भलाई हुई या नहीं।

इसलिए सरकारी रुपये का हिसाब-किताब इसी दृष्टि से किया जाना चाहिए कि इसका परिणाम क्या रहा, न कि कागजी जमा-खर्च। ऐसा करने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता भी अधिक अच्छी तरह पता लगाई जा सकेगी और सरकार अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत कर सकेगी तथा काम न करने वालों को दंड दे सकेगी।

उदारीकरण से अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनके अनुरूप सरकारी रुपये के आय-व्यय की परीक्षा करने के नियमों और कार्य-प्रणालियों में भी आवश्यक सुधार होने चाहिए।

अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षेत्र में कार्य करने वाले अनेक सरकारी संगठनों को गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है। इन दोनों क्षेत्रों की कंपनियों पर हिसाब-किताब की जांच करने की बिल्कुल भिन्न पद्धतियां लागू नहीं की जा सकती। बाजार की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों में सफलता या असफलता तत्परता के साथ ठीक निर्णय लेने पर ही निर्भर होती है।

कार्य-पद्धति में कोई परिवर्तन न कर सकने और कार्य करने की स्वतंत्रता कम होने के कारण सरकारी क्षेत्र के कल-कारखानों की स्थिति निजी कल-कारखानों की तुलना में स्पष्ट ही हीन हो जाती है। मेरा विश्वास है कि सरकारी क्षेत्र के कारखानों में इस दृष्टि से तुरंत सुधार किया जाना आवश्यक है।

मेरा विश्वास है कि अगली शताब्दि में पदार्पण करते समय हमारी संस्थाओं की आंतरिक क्षमता ही वर्तमान काल की प्रखर प्रतिस्पर्धा से हमारी रक्षा कर सकेगी। मुझे देश की संस्थाओं पर पूरा भरोसा है और इनकी स्थिति सुधारने का मैंने सदैव प्रयत्न किया है।

इन शब्दों के साथ मैं महालेखाकारों के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन करता हूँ।

भारत के भविष्य के प्रति आस्था और विश्वास

आज आपके वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करने और आपके राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां आकर मुझे प्रसन्नता हुई है।

पिछले वर्ष भारतीय उद्योग महासंघ के उद्घाटन अधिवेशन में भाग लेते समय मैं सोच रहा था कि क्या यहां आने की कोई कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि पिछले तीन वर्षों से एक के बाद एक नए प्रधानमंत्री ने आपके अधिवेशन का उद्घाटन किया है।

आपके हार्दिक स्वागत से और आपके अध्यक्ष श्री शाह द्वारा मेरे प्रति व्यक्त की गई भावनाओं से मुझे भली-भांति पता चल गया है कि जनता ने मेरे प्रति जो आस्था प्रकट की है, उससे उत्त्राण होने का महान उत्तरदायित्व मुझ पर आ पड़ा है।

मुझे देश के कोने-कोने से, समाज के हर वर्ग से और कंपनियों के निदेशक मंडलों से लेकर बस्तियों में रहने वाले लोगों तक से हार्दिक स्नेह और सम्मान मिला है। इसके कारण मेरा उत्साह बढ़ा है तथा अपने महान देश के प्रति आस्था एवं विश्वास में और भी अधिक वृद्धि हुई है।

पिछले 13 महीनों की अवधि में हमने जनता की आशाएं पूरी करने के प्रयत्न सच्चे हृदय से किए हैं। आज मैं अपने देशवासियों से यही कह सकता हूं कि आप भारत के भविष्य के प्रति आस्था और विश्वास रखिए। अनिश्चय और अस्थिरता की काली घटाएं फट जाएगी। हम सब मिलकर सशक्त, आत्मविश्वास और समृद्ध राष्ट्र के रूप में भारत का 21वीं शताब्दि में पदार्पण कराएंगे।

पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान देश ऐसी उथल-पुथल से गुजरा है, जो अनावश्यक थी और जिससे बचा जा सकता था। उत्तरदायित्वहीन और सिद्धांतरहित राजनीति ने जनता के आदेश के साथ खिलवाड़ किया है। गिनती गिनने का घिनौना खेल लोकतंत्र के आधारभूत आदर्शों पर हावी हो गया।

अपने संसदीय जीवन के 40 वर्षों में विरोधी दल की भूमिका का निर्वाह करते हुए मैंने लोकतंत्रीय आचरण के सिद्धांतों की अवहेलना कभी भी नहीं की है। जो लोग हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर कोई स्थायी और समर्थ वैकल्पिक

सरकार बनाते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। दुर्भाग्यवश, देश को किसी भी तरह की कोई वैकल्पिक सरकार नहीं मिल सकी। अंततोगत्वा 12वीं लोक सभा भंग कर दी गई है और देश को तीन वर्ष में तीसरी बार आम चुनाव करने के लिए मजबूर कर दिया गया है।

सत्ता हथियाने की इन चालों का सबसे अधिक विपरीत प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पडा है और संसार में भारत की छवि धूमिल हुई है। देश की प्रत्यक्ष और परोक्ष, दोनों ही दृष्टियों से हानि हुई है। शायद सबसे अधिक नुकसान समय का हुआ है क्योंकि समय सभी साधनों की अपेक्षा सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है। इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? क्या भारत जैसा विकासशील देश, जिसकी अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से विकसित करने की आवश्यकता है और जो अपने देशवासियों की बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपना विकास करने में समर्थ भी है, हर वर्ष अपना समय नष्ट कर सकता है?

अर्थव्यवस्था और व्यापार का सबसे बडा शत्रु गंदी राजनीति है। इसके विपरीत सुशासन; अर्थव्यवस्था और व्यापार का सर्वोत्तम मित्र होता है। सुशासन के लिए स्थिरता



प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय उद्योगों के परिसंघ के वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर, नई दिल्ली, 28 अप्रैल 1999

आवश्यक होती है। इसलिए आगामी चुनावों में देश की जनता को अवसर मिलेगा कि वे उन लोगो को अपना पूरा समर्थन दें, जो देश का आर्थिक विकास तेजी से करना चाहते हैं और जनता को सुदृढ़ तथा निष्पक्ष सरकार देना चाहते हैं।

मित्रो! हमारी सरकार का काम रोक देने या यह कहूं कि इसमें गडबडी पैदा करने से पहले हमने 13 महीनों में जो काम किए, उन्हें मैं गिनना नहीं चाहता।

पिछले वर्ष मार्च में देश के शासन की बागडोर संभालने पर हमने गलतियां भी कीं। हमें गंभीर समस्याओं का भी सामना करना पडा। हमारे सामने अनेक बाधाएं भी आईं, किंतु हम उत्सर्ग और दृढ़-निश्चय के साथ अपना कर्तव्य पूरा करते रहे और आगे बढ़ते हुए अपनी गलतियों से सबक सीखते रहे।

हमारी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के बारे में अनेक निर्णय किए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई नई नीतियों का अनुसरण किया। हमने कृषि, आधारभूत संरचना, वित्तीय क्षेत्र, विदेशी पूंजी विनिमय, निर्यात, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य अनेक क्षेत्रों को नई गति प्रदान की।

दक्षिण-पूर्व एशिया के और संसार के अन्य भागों के कई देशों में अभूतपूर्व वित्तीय और राजनीतिक संकट के परिप्रेक्ष्य मे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही और इसमें तेजी से सुधार भी हुआ।

परमाणु अस्त्र परीक्षण करने का साहसपूर्ण कदम उठाने पर कुछ देशों ने हमारे विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। हमें अलग-थलग करने और घमकाने के भी प्रयत्न किए गए। किंतु ये सब प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए। हमने अपना मस्तक नहीं झुकाया और परिस्थिति का हिम्मत के साथ मुकाबला किया।

यदि पोखरण के परमाणु बम परीक्षणों ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त बनाया, तो पाकिस्तान की बस यात्रा दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग के नए युग का सूत्रपात करने का सच्चा प्रयत्न था।

श्रीलंका के साथ निर्बाध व्यापार समझौता, नेपाल के साथ फिर पार-गमन संधि करना तथा बंगलादेश के साथ आपसी संबंधों में सुधार हमारे इन्हीं प्रयत्नों के अंग थे।

नीति-निर्धारण में तथा अर्थव्यवस्था के प्रबंध मे हमने सरकार और व्यापारिक क्षेत्र के बीच सक्रिय भागीदारी का दृष्टिकोण अपनाया। विभिन्न मामलो पर विचार करने के

लिए बनाए गए कार्यदलो के द्वारा हमें निजी क्षेत्र के ज्ञान और अनुभव का लाभ मिला। विचार-विमर्श की प्रक्रिया में हमारी आस्था है, इसलिये हमने इसे शुरू किया, न कि काम निकालने की मजबूरी के कारण। और, लोगों की भांति गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रति हमारे सिर पर किसी विचारधारा का शत्रुतापूर्ण बोझ नहीं है।

हमारी नीतियों के परिणाम दिखाई देने लगे, विशेषरूप से 1999 के बजट के बाद। अनेक वर्षों के बाद यह पहला अवसर था, जब बजट तैयार करते समय विभिन्न स्वार्थी वाले लोगों ने अपने पक्ष में और दूसरों के विरोध में सरकार से कुछ नहीं कहा। इससे हमारा यह विश्वास पक्का हो गया कि देश की अर्थव्यवस्था का प्रबंध पारदर्शिता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए।

व्यापार और पूजी निवेश करने वालों को देश की अर्थव्यवस्था के प्रति आस्था उत्पन्न हो गई। पूजी बाजार में बहुत उछाल आने से भी इस बात की पुष्टि हुई। मैं उन सब कंपनियों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने कठिन वर्ष में बहुत अच्छा काम किया है।

दुर्भाग्यवश, पिछले कुछ दिनों की राजनीतिक उधल-पुधल से अर्थव्यवस्था के इस सुधार को कुछ झटका लगा है। किंतु मित्रों! मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह अस्थायी दौर है, हालांकि इससे पूरी तरह बचा जा सकता था।

हम अपने अघूरे आर्थिक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए फिर सरकार बनाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार सुदृढ़ है। मुझे देश के मतदाताओं की परिपक्व बुद्धि पर विश्वास है कि वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल में शामिल पहियों को पूरा समर्थन देगे, जिन्होंने न केवल शब्दों से, अपितु निर्णयात्मक कार्यों से सुधारों में अपनी आस्था प्रकट की है।

मैं आपको आश्वसन देता हूँ कि कामचलाऊ सरकार के रूप में भी मैं अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के प्रति निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। हम सरकार के सामान्य काम-काज में सुस्ती नहीं आने देगे।

मित्रों! हमें वर्तमान रुकावट से बहुत अभिभूत नहीं होना चाहिए। भारत को अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सबके जो कर्तव्य हैं, उन्हें भी हमें नहीं भूल जाना चाहिए।

मैं ऐसे भारत का स्वप्न देखता रहता हूँ, जिसमें प्रत्येक नागरिक के लिए निस्सीम अवसर होंगे और अनेक सफलताएं। मुझे विश्वास है कि यहाँ उपस्थित सभी सज्जन मेरे इस सपने में सहभागी हैं।

हम यह बात सहन नहीं कर सकते कि ईर्ष्यायोग्य प्राकृतिक, मानवीय और

सांस्कृतिक संपदाओं से परिपूर्ण हमारा यह महान देश अपनी वर्तमान स्थिति में ही 21वीं शती में पदार्पण करे। हमे अपने देश की बहुसंख्य जनता की गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता अवश्य मिटानी होगी। कल के भारत में एक अरब देशवासी भौतिक सुख-सुविधाओं से सम्पन्न सामाजिक शांति और सांस्कृतिक पुनरुत्थान से परिपूर्ण जीवन बिताएंगे।

पिछले वर्ष भारतीय उद्योग महासंघ के वार्षिक अधिवेशन में मैंने कहा था कि इन भव्य आदर्शों को प्राप्त करने की कुंजी देशभक्तिपूर्ण यही सरल मंत्र है विकास, और विकास, और अधिक विकास। इससे कम और किसी बात से भारत का काम नहीं बनेगा। यह मंत्र मेरी सरकार का कल भी मार्गदर्शक था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम और अधिक आंतरिक उदारीकरण और आंशिक भू-मंडलीकरण के कार्यक्रम पर चलते रहेंगे।

अब भंग लोक सभा में हमने सुधारों के दूसरे चरण के बारे में दस्तावेज प्रस्तुत करने का वचन दिया था। यह काम हम जल्दी ही करेंगे। हमें आशा है कि इससे देश-भर में उपयोगी और सार्थक विचार-विनिमय शुरू होगा। भारतीय उद्योग महासंघ जैसे व्यापारिक संगठनों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने रचनात्मक विचारों और सुझावों से इस विचार-विमर्श को सार्थक बनाएं।

सुधारों के अपूर्ण कार्यक्रम में पांच मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले लालफीताशाही समाप्त करने पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि व्यापार और उद्योग के लिए सुविधा हो। हम अफसरों के अनावश्यक नियंत्रण और अनुचित सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त कर देंगे। केवल अच्छी नीतियां बनाने को ही नहीं, अपितु समय पर इनके क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

दूसरे, हम सुधारों के ये लाभ अर्थव्यवस्था के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक तेजी से पहुंचाएंगे, जो अभी तक उपेक्षित रहे हैं। मेरे मन में कृषि, कृषि उत्पादनों से संबद्ध उद्योग, लघु उद्योग और विशालकाय असंगठित क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादक रोजगार के अवसर बढ़ाने की सबसे अधिक संभावनाएं निहित हैं और इनके कारण उपभोक्ता सामग्री तथा अन्य पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ेगी।

तीसरे, हम विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने की नीति जारी रखने के लिए और महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। पारदर्शिता, स्थायित्व और नैरन्तर्य इस नीति के आधार होंगे। विश्व-व्यापार संगठन से संबद्ध सभी मामलों के बारे में हम ऐसी उपयुक्त ब्यूहरचना भी करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहें और साथ ही भारत विश्व के अन्यायित व्यापार में अपना उचित भाग प्राप्त कर सके।

चाथे, जब तक भारत के व्यापारी अपने सामाजिक कर्तव्यों का पूरी तरह पालन नहीं करेंगे, तब तक आर्थिक सुधारों के वांछित परिणाम नहीं निकलेंगे।

इतना ही पर्याप्त नहीं है कि भारत में राजनीति मूल्यों पर आधारित हो। इसके साथ ही, यह बात भी महत्वपूर्ण है कि व्यापार भी भारतीय संस्कृति में समाविष्ट कुछ आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित हो, जो लंबी अवधि में अच्छे व्यापार के लिए अनिवार्य हैं। इसके बिना न तो राजनीति, और न ही व्यापारी जनता के बीच अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर स्थापित कर सकते हैं। इस संदर्भ में मैं भारतीय उद्योग महासंघ को कंपनियों आदि का प्रबंध ठीक तरह चलाने के बारे में आचार-संहिता तैयार करने के लिए बधाई देता हूँ। मैं चाहूंगा कि सभी भारतीय कंपनियां इस आचार-संहिता का सही अर्थों में पालन करें।

अंत में, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक पुरानी समस्याओं को सुलझाना हमारी आर्थिक नीति का अभिन्न अंग होगा। जो कोई देश अपनी समृद्धि का स्तर निरंतर बनाए रखना चाहता है, उसका भविष्य ज्ञान पर आधारित उद्योगों के विकास पर निर्भर होता है। जब तक हम प्राथमिक शिक्षा-सहित शिक्षा के सभी स्तरों में सुधार नहीं करेंगे, तब तक हम भारत को नई शताब्दी के महान अवसरों से वंचित रखेंगे।

पिछले 13 महीनों में हमने सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। मुझे खुशी है कि इस क्षेत्र में भारत सरकार के मार्गदर्शन का लाभ अनेक राज्य सरकारों भी जल्दी ही उठाने लगी हैं।

मित्रों! भारत प्रगति पथ पर अग्रसर है। अब भारतवासी ऐसी कोई बात सहन नहीं करेंगे, जिससे एक कदम आगे बढ़ाकर, दो कदम पीछे हटना पड़े। विशेषकर देश के युवक प्रगति करने के लिए लालायित हैं और यह उनका उचित अधिकार भी है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता देना सरकार और व्यापार जगत, दोनों का ही समान उत्तरदायित्व है। आज मैं फिर इस कर्तव्य को पूरा करते रहने की अपनी वचनबद्धता उसी इमानदारी के साथ दुहराता हूँ, जो मेरी सरकार ने पिछले 13 महीनों में प्रदर्शित की है।

सहकारिता की संस्कृति निरंतर विकसित होती रहनी चाहिए

भारत के सबसे अच्छे सहकारी बैंकों के सम्मान समारोह में भाग लेकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले बैंकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इन बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों की योग्यता और परिश्रम की सभी को सराहना करनी चाहिए।

पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और पंजाब भूमि विकास बैंक की मैं विशेषरूप से सराहना करता हूं क्योंकि इन दोनों बैंकों ने लगातार दूसरे वर्ष भी सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है।

हम सब अत्यंत विशिष्ट परिस्थिति में यहां एकत्र हुए हैं। इन दिनों दैनिक समाचार-पत्रों के पिछले पृष्ठों पर विश्व कप प्रतियोगिता की खबरें छप रही हैं। यह प्रतियोगिता अगले सप्ताह शुरू हो रही है। अखबारों के अगले पृष्ठों पर सितंबर-अक्तूबर में होने वाले तथाकथित 'भारत कप' प्रतियोगिता के समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं। सभी की आंखें इसी पर लगी हैं कि कौन किस तरह अपनी भूमिका निभावेगा। ऐसी परिस्थितियों में हम अपने समाज में वास्तविक भूमिका निभाने वालों और सफलता प्राप्त करने वालों की सराहना करना प्रायः भूल जाते हैं।

उदाहरण के लिए, पिछले वर्ष देश के किसानों ने 20 करोड़ टन से भी अधिक अनाज का रिकार्ड उत्पादन किया। अनेक कृषि सहकारी समितियों और ग्राम सहकारी समितियों के योगदान के बिना यह सफलता संभव नहीं थी।

वास्तविकता तो यह है कि वर्तमान भारत में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सफलताएं सहकारी क्षेत्र में मिल रही हैं। दुर्भाग्यवश, इनमें से अधिकांश सफलताओं की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पाती, और न ही इन सफलताओं को प्राप्त करने वालों का सम्मान ही हो पाता है। इनमें से अनेक सफलताएं सहकारी बैंकों के क्षेत्र में हुई हैं। इन बैंकों की उपलब्धियां विशेष रूप से सराहनीय हैं, क्योंकि पिछले अनेक वर्षों में जो नीतियां

निर्धारित की गई, उनसे सहकारी बैंकों का विकास नहीं हो पाया और इन परिस्थितियों में सहकारी बैंको द्वारा भली-भांति काम करना बहुत आसान नहीं था।

इसलिए मैं प्रारंभ में ही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की सराहना करना चाहता हूँ कि इस बैंक ने ये पुरस्कार प्रारंभ कर, भारत के सहकारी बैंकों के अच्छे काम को मान्यता प्रदान की है।

देश की अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप से ग्राम अर्थव्यवस्था में, सहकारिता की भावना की इस विजय की सराहना करने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। इस अवसर पर राष्ट्र के नाम मेरा सीधा-सादा संदेश है— सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन सहकार की संस्कृति निरंतर विकसित होती रहनी चाहिए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि सहकारिता की भावना ही किसी समाज को दीर्घ काल तक सहारा दे सकती है।

आधुनिक युग में महात्मा गांधी सहकारिता आंदोलन की प्रेरणा के सबसे महान स्रोत थे। उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में सहकारिता के विचार का स्पष्ट प्रतिपादन किया है



प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बेहतर काम करने वाले सरकारी बैंक का सम्मान करते हुए, नई दिल्ली, 7 मई 1999

“बूंद-बूंद से सागर इसीलिए बन जाता है, क्योंकि प्रत्येक बूंद के बीच आपस में पूरा सहयोग और संयोग होता है। यही बात सहकारी संस्थाओं में संगठित मनुष्यों पर लागू होती है।”

सहकारी समितियां, प्रादेशिक और ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्राम विकास बैंक तथा एन सी डी.सी (राष्ट्रीय सहकारिता विकास परिषद) जैसी शीर्ष संस्थाएं, भारत के किसानों, गांवों के गरीबों और असंगठित क्षेत्र के अनेक वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त साधन हैं। अतीत में इन संस्थाओं की उपयोगिता पता चल चुकी है। भविष्य में भी इन संस्थाओं के बिना काम नहीं चल सकेगा। हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इनकी आधारभूत भूमिका आंकड़ों से स्पष्ट है। खेती के लिए ऋण, उपज की बिक्री, कृषि उपज की देख-भाल, चीनी और डेयरी उद्योग तथा रासायनिक खाद, हथकरघा, दस्तकारी और भवन-निर्माण के क्षेत्र में भारत में साढ़े चार लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं। इन सहकारी समितियों की हिस्सा-पूंजी दस हजार करोड़ रुपयों से अधिक है। देश का प्रायः प्रत्येक गांव सहकारी संगठनों से संबद्ध है। इन सहकारी समितियों की सदस्य संख्या लगभग बीस करोड़ है। गांवों के लगभग 65 प्रतिशत निवासी सहकारी समितियों के सदस्य हैं। हम देश के इतने अधिक विस्तृत क्षेत्र की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। सहकारी क्षेत्र गरीबी उन्मूलन के हमारे लक्ष्य का मुख्य अंग है।

इसके बावजूद, यह भी नग्न सत्य है कि देश में सहकारी संस्थाओं की उपेक्षा की गई है। अधिकांश सहकारी संस्थाएं कठिन समस्याओं का सामना कर रही हैं, जिनके कारण वे प्रभावशाली और लाभदायक ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं। ये संस्थाएं खेती और कृषि-भिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न करोड़ों लोगों की ऋण और बिक्री की, तथा अन्य आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रही हैं। पिछले अनेक वर्षों से देश की ग्राम ऋण सहकारी समितियां बाहरी सहायता पर अधिक निर्भर हैं। उन्होंने गांवों में ही रुपया जमा नहीं किया है। यह बात स्वावलंबन के विचार के प्रतिकूल है।

कोई भी संस्था या क्षेत्र बाहरी संसाधनों के ऊपर सदा के लिए निर्भर नहीं रह सकता। कुछ राज्यों को छोड़, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की ऋण-वसूली निराशाजनक रही है। इन समितियों की काम में न आने वाली परिसंपत्तियां भी काफी हैं, लेकिन इतनी अधिक नहीं, जितनी कि औद्योगिक क्षेत्र में हैं।

मैं सहकारी वित्तीय संस्थाओं की समस्याओं का उल्लेख नहीं करना चाहता, क्योंकि यहां उपस्थित व्यक्ति अन्य लोगों की अपेक्षा इन समस्याओं से भली-भांति परिचित हैं। हमें इन समस्याओं के समाधान पर अपना ध्यान अवश्य केन्द्रित करना चाहिए।

यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सुधार की प्रक्रिया सहकारी क्षेत्र पर भी लागू की जाए। मेरी सरकार ने आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण में सहकारी क्षेत्र में सुधार करने का पूरा निश्चय कर रखा है। किंतु सहकारी क्षेत्र के सुधार केवल आर्थिक ही नहीं हैं। सहकारी क्षेत्र को सुधारने के लिए दूरगामी राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें राजनीति के अस्वस्थ प्रभाव को अवश्य समाप्त करना होगा, क्योंकि इसके कारण वित्तीय सहकारी संस्थाओं का स्वस्थ विकास कुठित हुआ है। व्यक्तिगत और दलगत उद्देश्य पूरे करने के लिए सहकारी संस्थाओं में राजनीति के प्रवेश से इन संस्थाओं की सहकारिता की भावना नष्ट हो गई है।

सहकारी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक और विरोधपूर्ण राजनीति के प्रवेश से निश्चय ही अधिकांश सदस्य इन संस्थाओं की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना छोड़ देते हैं, सहकारी संस्थाओं का प्रबंध अयोग्य और अपना काम न जानने वाले लोगों के हाथ में आ जाता है, इन संस्थाओं पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है, लोग जान-बूझकर रुपया नहीं लौटाते हैं और सहकारी संस्थाओं का काम ठप्प हो जाता है।

यह देखकर बहुत दुख होता है कि कुछ सहकारी ऋण संस्थाओं ने न केवल अपनी पूंजी उड़ा डाली है, अपितु लोगों की जमा राशि भी खर्च कर दी है। लोकतंत्र में राजनीतिक मुकाबले होते हैं, किंतु अर्थव्यवस्था में इनका कोई स्थान नहीं होता। देश के सभी राजनीतिक दलों से मेरा अनुरोध है कि वे पिछले अनेक वर्षों के अनुभवों से सबक लें और सहकारी क्षेत्र को राजनीति से मुक्त कराकर इसमें लोकतंत्र का प्रवेश कराएं।

दूसरी बात यह है कि अब समय आ गया है, जब सहकारी संस्थाओं के काम में सरकारी दखल बहुत कम हो जाना चाहिए। सरकारी अफसरों के दमघोटू नियंत्रण के कारण सहकारी संस्थाओं की आर्थिक क्षमता और आत्मनिर्भरता पर बहुत बुरा असर पड़ा है।

प्रायः केंद्र और राज्य सरकारें सहकारी संस्थाओं को सरकार द्वारा नियंत्रित संगठन या सरकारी संगठन की ही तरह समझती हैं। इसके परिणामस्वरूप सहकारी संस्थाओं के सदस्य संस्था को अपनी नहीं समझते और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को लीक से हटकर काम करने या संगठन में कुछ नवीनता लाने का अवकाश नहीं मिल पाता। मेरी समझ में नहीं आता कि कंपनियों आदि के निगमित क्षेत्र के लिए तो उदासीकरण अच्छा माना जा रहा है, किंतु सहकारी क्षेत्र को उदासीकरण से क्यों अलग रखा जा रहा है?

तीसरे, हमें ग्राम सहकारी समितियों में उधार लेने वाले और उधार देने वाले के बीच की दूरी अवश्य कम करनी होगी। इस संदर्भ में मैं केवल व्यक्तिगत दूरी की ही चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अपितु संस्थागत दूरी भी मेरे मन में है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्राम विकास बैंक और किसान के बीच उधार देने वाली कई संस्थाएं क्यों हैं?

मुझे बताया गया है, अनेक कृषि ऋण जिन्हें राष्ट्रीय कृषि और ग्राम विकास बैंक साठे छह प्रतिशत की ब्याज-दर से देता है, वे ऋण अंत में किसान को 12 से लेकर 13 प्रतिशत तक की दर से मिलते हैं। ब्याज-दर के बीच इतना अधिक अंतर शायद राज्य, जिला और स्थानीय स्तर की बिचौलिया सहकारी समितियों के खर्च 'जोखिम' और 'कमीशन' के कारण है। किंतु इस प्रक्रिया में नुकसान किसे होता है? क्या सहकारी समितियां किसान की सहायता करने के लिए बनाई गई हैं या अपनी?

मैं राष्ट्रीय कृषि और ग्राम विकास बैंक से और अन्य संबद्ध संस्थाओं से अनुरोध करता हूँ कि वे यह विसंगति दूर करने के उपायो पर जल्दी ही विचार करें और ऐसी व्यवस्था करे, ताकि किसानों को कम ब्याज-दर पर आवश्यक रुपया उधार मिल सके। विशेषरूप से यदि अच्छी साख वाली प्राथमिक सहकारी समितियां उसी ब्याज दर पर किसानों को रुपया उधार दे सकती हैं, जिस ब्याज-दर पर राष्ट्रीय कृषि और ग्राम विकास बैंक रुपया उधार देता है, तो किसानों को इस सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि बैंकों के क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं के स्तर कम करने के बारे में गंभीरता के साथ विचार किया जा रहा है।

मित्रों! सहकारी संस्थाओं की वर्तमान दुर्बलता का मुख्य कारण दोषपूर्ण नीतिगत संरचना है, जिसने इन संस्थाओं को जकड़ रखा है। अब समय आ गया है कि सहकारी कानूनों में व्यापक परिवर्तन कर, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप बनाया जाए।

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सहकारी बैंकों पर दो प्रकार के अधिकारियों का नियंत्रण हटा देंगे। इन दिनों सहकारी बैंकों को बैंकिंग नियमन कानून और राज्य सहकारी समिति कानून, दोनों के अधीन काम करना पड़ता है। इन बैंकों के काम-काज में और अधिक सुधार और समता लाने के लिए जरूरी है कि इन पर बैंकिंग नियमन कानून की और अधिक व्यवस्थाएं लागू हों।

हम सहकारी संस्थाओं का काम ठप्प कर देने की विनाशकारी प्रथा को भी काफी हद तक समाप्त कर देंगे। हम इन संस्थाओं को लोकतंत्रीय तरीके से चुने गए निर्वाचित

मडलो के सुपुर्द कर देगे। वर्तमान कानूनो की सभी प्रतिबधात्मक व्यवस्थाए समाप्त कर दी जाएगी और सहकारी सस्थाओ का प्रबध करने के अधिकार सदस्यों को दे दिए जाएगे।

देश-भर मे ऋणासहकारी समितियों के काम मे एकरूपता लाने के लिए सभी राज्य सरकारों को आदर्श बिल भेजा गया है। इस बिल मे व्यवस्था है कि सहकारी समितियों के पंजीयक की भूमिका सहायक की होगी। उसे सहकारी समितियों के काम मे दखल देने के अधिकार नहीं होंगे।

मित्रो, मैंने अपने संपूर्ण सार्वजनिक जीवन मे ग्राम, गरीब और किसान के हितों का ध्यान रखने वाली नीतियां अपनाते पर जोर दिया है। आप सब भली-भांति जानते हैं कि वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने 1999-2000 का जो बजट प्रस्तुत किया था, उसमे गावों, गरीबो और किसानों की भलाई तथा उनके हितों पर ध्यान दिया गया है। भंग लोक सभा द्वारा यह बजट सर्वसम्मति से स्वीकृत हो जाने के बाद मेरी सरकार कल्याण और विकास के उन सभी कार्यक्रमों पर तेजी से अमल करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है, जिनकी हमने घोषणा की थी।

इस बजट में ग्राम आधारभूत सरचना विकास कोष में 3,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह राशि पहले की अपेक्षा अधिक है। इस कोष का कार्यक्षेत्र भी पहली बार विस्तृत किया गया है। अब इस कोष से गांवो मे सड़के बनाने, पीने के पानी की योजनाएं पूरी करने, प्राथमिक शिक्षा केंद्र तथा ग्राम स्वास्थ्य केन्द्र आदि खोलने के लिए ग्राम पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों और मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं को रुपया उधार दिया जा सकेगा।

मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पुनर्गठित ग्राम आधारभूत सरचना विकास कोष के मार्गदर्शक नियमो आदि को मई तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और 15 जून से इन पर अमल किया जाने लगेगा।

अनाज, सब्जी और फलों की फसल तैयार होने के बाद इन पदार्थों को रखने और बेचने के उचित प्रबंध न होने के कारण देश के किसानों को हर साल बहुत नुकसान उठाना पडता है। बजट मे बताया गया है कि अगले कुछ ही वर्षों मे ठंडे गोदामो की अतिरिक्त क्षमता 12 लाख टन बढ़ाने तथा ठंडे गोदामों की आठ लाख टन वर्तमान क्षमता को आधुनिक बनाने का निश्चय हमने किया है। हमने यह भी निश्चय किया है कि देश मे प्याज सुरक्षित रखने के लिए साढे चार लाख टन की क्षमता होनी चाहिए।

कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि और ग्राम विकास बैंक की सहायता से इस योजना के मार्गदर्शक नियम अंतिम रूप से तैयार कर लिए हैं। इस योजना पर अमल करने के लिए 15 जून से पहले रुपया उधार दिया जाने लगेगा।

भारतीय कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पानी बेकार बहने से रोकना और इसका सही उपयोग करना बहुत आवश्यक है। यह उद्देश्य पूरा करने के लिए सरकार राष्ट्रीय जल विभाजक विकास आंदोलन शुरू करने की रूपरेखा बना रही है। इस दिशा में पहले महत्वपूर्ण कदम की दृष्टि से लघु जल विभाजक योजनाओं पर पहली जून से अमल शुरू कर दिया जाएगा। इस काम में ग्राम पंचायतों, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों का सक्रिय सहयोग लिया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि और ग्राम विकास बैंक एक अरब रुपये का राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कोष जल्दी ही बनाएगा।

इस कोष की राशि जल्दी ही और बढ़ा दी जाएगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के संगठनों को इस कोष से सहायता सबसे पहले दी जाएगी।

गरीबों के दरवाजों तक रुपये के लेन-देन की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संगठन गरीब लोगों को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने में उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्राम विकास बैंक द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्यों से भी अधिक काम करने के लिए मैं इस बैंक को हार्दिक बधाई देता हूं। पिछले वर्ष बैंक ने 10 हजार स्वयंसेवी संगठनों को संबद्ध करने का लक्ष्य निश्चित किया था, किंतु 18 हजार स्वयंसेवी संगठन इस बैंक से संबद्ध हुए। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष भी यह बैंक निम्नतम स्तर पर थोड़ी मात्रा में रुपया उधार देने वाले 50 हजार संगठनों से अधिक संगठनों तक पहुंच सकेगा।

मेरी हार्दिक कामना है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्राम विकास बैंक अगले 10 वर्षों में 10 लाख स्वयंसेवी संगठनों तक पहुंचने का अपना लक्ष्य पूरा कर लेगा। अनुभव से पता चला है कि गरीबों और विशेष रूप से गरीब स्त्रियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने का सबसे विश्वस्त उपाय निम्नतम स्तर के सक्षम सहाकारी संगठनों का विस्तृत प्रसार है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि ग्राम सहकारी समितियों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू करने में सहायता देने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्राम विकास बैंक ने 50 करोड़ रुपये का सहकारी विकास कोष बनाया है। ग्राम अर्थव्यवस्था की क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए इन प्रयत्नों को और अधिक बढ़ाना जरूरी है।

सहकारी संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में आर्थिक सहायता देने के लिए आपको इस कोष की राशि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, ताकि ग्रामीण भारत, अंतर्राष्ट्रीय ग्राम के साथ संपर्क कर लाभान्वित होने लगे।

मित्रो, हम सब समृद्ध और सुदृढ़ भारत के निर्माण के लिए वचनबद्ध हैं। किंतु समृद्ध और सुदृढ़ ग्रामीण भारत के बिना-समृद्ध और सुदृढ़ भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सहकारी संस्थाओं को फिर से प्राणवत बनाना अत्यंत आवश्यक है। आइए, यह सपना और उद्देश्य पूरा करने के लिए हम सहयोग की भावना से एक साथ मिलकर काम करें।

आर्थिक प्रगति के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा जरूरी

पांडिचेरी के लोगों के बीच आकर आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मेरे लिए यह विशेष खुशी का दिन है। मेरी प्रसन्नता के कारणों में से एक वास्तव में यह अवसर है जिसके लिए हम सभी आज यहां एकत्र हुए हैं। इस गैस आधारित साढ़े 35 मेगावाट क्षमता के बिजलीघर का उद्घाटन करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए एक केंद्र और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की आधारशिला रखते हुए भी मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। कुल मिलाकर इन तीन परियोजनाओं से इस स्थल का महत्व बढ़ेगा जोकि भारत के विकासात्मक मानचित्र पर पांडिचेरी ने हासिल किया हुआ है। इनसे बड़ी उपलब्धियों वाले लघु स्थल के रूप में पांडिचेरी की छवि, सम्मान तथा समृद्धि में काफी बढ़ोतरी होगी।

इन सब प्रयासों के लिए मैं पांडिचेरी सरकार की प्रशंसा करता हूं और आशा करता हूं कि इन तीनों परियोजनाओं का काम निर्धारित समय में पूरा हो जाएगा।

आज अत्यधिक प्रसन्न होने का एक विशेष कारण है। पांडिचेरी आधुनिक भारत के महानतम संतो मे से एक, महर्षि अरविंद की कर्म भूमि और तपो भूमि रही है। मदर के साथ मिलकर उन्होंने जो विचार और संस्कार विकसित किए, उनसे यह भूमि पावन हो गई। ये विचार और संस्कार भारत के पुनर्जागरण और शांति, एकता तथा पूर्णरूपेण विकास की तर्ज पर पूरी मानवता के लिए थे। अतः मैं महर्षि अरविंद तथा मदर को अपनी श्रद्धांजलि देने यहां आया हूं और अपने कामो के लिए उनसे प्रेरणा और शक्ति की कामना करने आया हूं।

गहरे चिंतन और अध्ययन के बाद अरविंद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मानवता के भाग्य को पुनर्कार देने मे भारत की भूमिका अहम रहेगी। उन्होंने कहा था-

“भारत को पुनर्जन्म लेना होगा क्योंकि उसका पुनर्जन्म विश्व के भविष्य की मांग है। भारत कभी खत्म नहीं हो सकता, हमारी जाति कभी लुप्त नहीं हो सकती क्योंकि मानवता के सभी खंडों के बीच भारत ही एक ऐसा है जिसके लिए उच्चतम तथा सर्वश्रेष्ठ नियति तय है जोकि मानव जाति के भविष्य के लिए अत्यंत जरूरी है। वही एक है जो सभी धर्मों, विज्ञान तथा चिंतन को एक साथ लेकर चले और पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरोए।

मैं यहां यह जोर देकर कहूंगा कि मानवता की एकता का जो आह्वान अरविंद ने किया था, वह भारत या विश्व में सभी संप्रदायो तथा सस्कृतियों में एक-समानता स्थापित करने के बारे में नहीं था। उन्होंने लिखा था : “एक महान और जाग्रत भारतीय राष्ट्र के रूप में जोड़ने के लिए यह किसी भी प्रकार से जरूरी है कि मुसलमान, हिंदू, बौद्ध तथा ईसाई किसी भी रूप में मुसलमान, हिंदू-हिंदू-बौद्ध अथवा ईसाई होना छोड दें। वास्तविक भारतीय राष्ट्र को बनाने के लिए हमें अभी लोगो में अपने आदर्शों और संस्थाओं के प्रति आस्था, समुदाय के अन्य तबकों के आदर्शों और संस्थाओं के लिए सहनशीलता तथा आदर तथा समान सार्वजनिक जीवन तथा सभी के आदर्शों के प्रति स्नेह और प्यार बढ़ाना चाहिए। किसी और प्रकार से इसको बनाना असंभव होगा।”

भारतीय धर्मनिरपेक्षता के आदर्श- सर्व धर्म समभाव अर्थात् सभी मतों के लिए समान आदर-एक ऐसा आदर्श है जिसके प्रति हमारी सरकार वचनबद्ध है। हालांकि भारतीय आध्यात्मिकता के सर्वोच्च शिखर तक अरविंद पहुंचे थे, फिर भी उन्होंने देशवासियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास मे पीछे न रहने की निरंतर सलाह दी। उन्होंने भारत के भौतिक विकास पर बहुत जोर दिया ताकि हमारे नागरिको को पर्याप्त भोजन, वस्त्र, मकान और शिक्षा मिल सके।

उन्होंने एक मजबूत, आत्म विश्वास से परिपूर्ण तथा समृद्ध भारत का सपना देखा था- और इस स्वप्न में हम सभी भागीदार हैं। उन्होंने लिखा था .

“राष्ट्र क्या है? हमारी मातृ भूमि क्या है? यह कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, बोलचाल का तरीका नहीं है और न ही दिमाग का ख्याली पुलाव है। यह एक बलवान शक्ति है, जोकि उन लाखों इकाइयों की शक्ति से मिलकर बनी है, जिनसे मिलकर देश बनता है।

इन आदर्शों पर ही हमारी सरकार अपने उन तेरह महीनों के कार्यकाल के दौरान कार्य करती रही जोकि लोकसभा के भंग होने से पहले मिले थे। हम चाहते हैं कि भारत सभी प्रकार से मजबूत बने। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की हमारी दृढ़ वचनबद्धता के कारण ही हमने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जैसे पोखरण में परमाणु परीक्षण और अग्नि-2 मिसाइल का प्रक्षेपण।

पहले के मुकाबले हमारी बाहरी सीमाएं अब ज्यादा सुरक्षित हैं। कारगिल में हाल में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, उनका प्रभावी रूप से जवाब देने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। इसी प्रकार आंतरिक सुरक्षा की स्थिति भी हाल के दशकों के किसी भी समय से बेहतर है।

अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की योजनाओं के साथ-साथ हमने अपने पड़ोसियों के साथ शांति और सहयोग का रास्ता अपनाने की सोच समझ कर पहल की है। केवल मजबूत राष्ट्र ही शांति का रास्ता अपना सकता है। यही वह सोच थी जिसके तहत हाल ही में मैंने पाकिस्तान की बस यात्रा की थी। अगले महीने इसी प्रकार की बस यात्रा से बंगलादेश जाने की मेरी योजना है।

हमने श्रीलंका की सरकार के साथ मुक्त-व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं, खासकर पांडिचेरी सहित दक्षिणी राज्यों के व्यापार और उद्योग को बहुत मदद मिलेगी।

मित्रो, भारत की ताकत उसके विभिन्न समुदायों के बीच एकता और सहयोग पर निर्भर है। यह केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर संबंधों पर भी आधारित है। पिछले 13 महीनों के दौरान मेरी सरकार ने पार्टी पहचान से ऊपर उठ कर सभी राज्य सरकारों के साथ समान और गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। इसी भावना से हमने अनेक लंबित अंतर्राज्य विवादों को निपटाने का भी प्रयास किया।

आज पांडिचेरी के लोगो तथा सरकार व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के लोगो और सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए सकारात्मक सहयोग दिया। कावेरी का उदाहरण दिखाता है कि कोई ऐसा विवाद

नहीं है जिसका संतोषजनक समाधान न निकाला जा सकता हो बशर्ते सभी दल सकारात्मक रवैया अपनाएं और अपने दिमाग में राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखें।

मेरी सरकार अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कृतसंकल्प है ताकि आने वाले वर्षों में भारत विश्व में मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सके। कृषि, उद्योग तथा मूलभूत क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, बिजली, दूरसंचार, सड़क तथा महामार्ग, हवाई अड्डों आदि के विकास में तेजी लाने के लिए उठाए अनेक कदमों से यही प्रदर्शित होता है।

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को जो अभूतपूर्व प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उससे भी यह साबित होता है। प्रौद्योगिकी से अर्थव्यवस्था, मनोरंजन तथा अनुसंधान व विकास के सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं। भारत में सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों ही को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा पहल के बाद अनेक राज्य सरकारों ने भी सूचना प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के मिले-जुले प्रयासों की बदौलत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और खासकर सॉफ्टवेयर उद्योग ने बिक्री और निर्यात में नई ऊचाइयों को छू लिया है।

सूचना प्रौद्योगिकी की अद्भुत खासियत है कि यह दूरी और भौगोलिक सीमाओं से नहीं बंधती है। अतः मुझे देखकर खुशी होती है कि सूचना प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति कुछ शहरों और राज्यों तक ही सीमित नहीं है। अधिक से अधिक शहर और कस्बे इस दौड़ में जुट गए हैं और प्रगति दिखा रहे हैं। पांडिचेरी सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के उन्नत केंद्र तथा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना के संदर्भ में उठाए गए कदम इसी बात का सबूत हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए प्रमुख केंद्र बनने के मामले में पांडिचेरी की स्थिति अति उत्तम है। यहां पर शिक्षा की अच्छी मूलभूत सुविधाएं हैं। यहां पर काम करने के लिए दक्ष लोग हैं। विश्व भर के लोगों के आने-जाने का अनूठा लाभ यहां पर है। मुझे बताया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित अनेक सेवाओं को यहां स्थापित किया गया है। शिक्षित भारतीय युवाओं के लिए उच्च-श्रेणी और उच्च मूल्य की नौकरियां तैयार करने की इन सेवाओं में क्षमता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि पांडिचेरी शीघ्र ही विश्व के सूचना प्रौद्योगिकी नक्षे पर अपना स्थान बना लेगा। कार्रकाल के बिजली संयंत्र से पांडिचेरी सरकार को इस क्षेत्र में नए औद्योगिक तथा व्यवसायिक उद्यमों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। लेकिन मैं अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि वे विशेष ध्यान देकर यह सुनिश्चित करें कि पांडिचेरी की आर्थिक

प्रगति से पर्यावरण खराब न हो। इस जागृति स्थल की सौम्यता तथा सुदरता को आने वाली नस्लों के लिए बचाने की हमारी जिम्मेदारी बनती है।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर पांडिचेरी के लोगो और सरकार को शुभकामनाएं देता हूँ।

साफ्टवेयर निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य

आज आपके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। 1996-97 और 1997-98 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामानों और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात में योगदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों को मैं आपके साथ मिलकर सम्मानित करता हूँ।

वास्तव में, इलेक्ट्रॉनिकी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में लगे आप सभी लोग एक उद्योग के रूप में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान के पात्र हैं। हालांकि आपके उद्योग द्वारा किए जाने वाले निर्यात, भारतीय निर्यातों में शामिल होने वाले नवीनतम निर्यात हैं, लेकिन शायद ये सबसे तेजी से बढ़ने वाले अंग भी हैं।

विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा काफी कम है। यह हमारे आकार और सभावनाओं के लिहाज से काफी कम है। विश्व स्तर की हस्ती बनने के लिए जरूरी है कि हम विश्व व्यापार में अपने हिस्से को अगले कुछ वर्षों में बड़ी तेजी से बढ़ाएं। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिकी सामान, और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के निर्यात पर हमें देश के निर्यात को बढ़ाने में मदद के लिए निर्भर होना पड़ेगा।

निर्यात में वृद्धि करने के राष्ट्रीय प्रयासों में इलेक्ट्रॉनिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग का योगदान उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। आपकी न केवल अभिवृद्धि दर ही प्रभावशाली है, बल्कि उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले दस सालों से बड़ी तेजी से इस वृद्धि दर को निरंतर बनाए भी रखा है।

इस सफलता में ठोस भूमिका निभाहने के लिए मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्द्धन परिषद को हार्दिक बधाई देता हूँ। निर्यात संवर्द्धन परिषदों में यह अपेक्षाकृत नई

इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात पुरस्कार प्रदान करते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 29 मई 1999

है, अभी एक दशक पहले ही इसने अपना काम शुरू किया है। इसके बावजूद इसने दूसरी सभी निर्यात संवर्द्धन परिषदों को पीछे छोड़ दिया है।

मित्रो, हम सभी का सपना है कि भारत एक मजबूत, समृद्ध और आत्मविश्वास से भरपूर राष्ट्र बने, जो विश्व समुदाय में फिर से अपना सही स्थान प्राप्त करे। लेकिन किसी राष्ट्र की शक्ति, मोटे तौर पर उसकी अर्थव्यवस्था की शक्ति पर निर्भर होती है। दरअसल आर्थिक सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार होती है। भारत को अभी और भविष्य में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए कमर कसनी होगी। इस राष्ट्रीय अभियान में सफलता के लिए हमारे किसानों, मजदूरों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों और सूचना प्रौद्योगिकी के पेशेवरों को उसी दृढ़ संकल्प के साथ काम करना होगा, जैसा कि हमारे जवानों और अफसरों ने किया था।

इसलिए, मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सॉफ्टवेयर उद्यमी अपने जोरदार प्रदर्शन से भारत की आर्थिक शक्ति को और भी बढ़ा रहे हैं। निर्यात से आप के द्वारा कमाए जाने वाला हरेक डालर हमारी आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत बनाता है।



प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात पुरस्कार प्रदान करते हुए, नई दिल्ली 29 मई 1999

हाल के वर्षों में भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग में अत्यंत उच्च दर्जे की गतिशीलता देखने में आई है। कुछ सुप्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनियों ने इतनी शानदार सफलता, इतने से थोड़े समय में हासिल की है कि उन्होंने उद्योग के कुछ पुराने खिलाड़ियों को पछाड़ दिया है। उन्होंने और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लगे कई अनिवासी भारतीय पेशेवर लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत को एक नई प्रतिष्ठा दिलाई है। इससे आम भारतीयों में भी यह विश्वास उत्पन्न हुआ है कि हमारी अपनी ही क्षमता विश्व में सर्वश्रेष्ठ के साथ होड़ ले सकती है।

इस सफलता में आपकी परिषद का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। सुविधा प्रदाता की भूमिका निबाह कर परिषद ने समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित नीति तथा प्रक्रियागत उपायों को कारगर ढंग से लागू करना सुनिश्चित किया है। सच में, आपकी परिषद ने दूसरी निर्यात संबद्ध परिषदों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के काम को हमारी सरकार द्वारा दिए जाने वाला महत्व शासन के राष्ट्रीय एजेंडे में पूरी तरह परिलक्षित होता था, जिसमें हमने भारत को सॉफ्टवेयर में एक महाशक्ति बनाने का लक्ष्य घोषित किया था। दरअसल हमने ऐसा अपने इस दृढविश्वास के चलते किया था कि सूचना प्रौद्योगिकी ही भारत का भविष्य है। सरकार का एक सबसे पहला प्रयास सूचना प्रौद्योगिकी पर एक राष्ट्रीय कार्य बल के गठन के रूप में सामने आया।

इस कार्य बल की संरचना में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापकतम संभव स्तर पर कार्यबल द्वारा किए गए विचार विमर्श से ही सरकार-उद्योग साझेदारी की भावना स्पष्ट हो गई थी। इस कार्यबल ने कई राज्य सरकारों को अपनी स्वयं की सूचना प्रौद्योगिकी नीतियां बनाने के लिए प्रेरित किया तथा इन पर अमल करने के लिए राज्य स्तर के कार्य बलों के गठन की भी प्रेरणा दी।

जैसा कि आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कार्य बल द्वारा बनाई गई कार्य योजना को सरकार ने मान लिया है और इसकी सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है। रिपोर्ट में वर्ष 2008 तक 50 अरब अमरीकी डालर मूल्य के सॉफ्टवेयर निर्यात का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। मुझे रतीभर भी संदेह नहीं है कि भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग की निहित ऊर्जा को देखते हुए, यह लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त किया जा सकता है। आपका पुराना रिकार्ड मेरी आशावादिता की पुष्टि करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे अधिक जोरदार पहलू यह है कि यह मूलतः ज्ञान आधारित उद्योग है। सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए आरंभिक पूंजी निवेश काफी अधिक नहीं

होता। परिणामस्वरूप काफी संख्या में नौजवान और प्रतिभाशाली उद्यमी अपनी शुरूआती कंपनियों के साथ सॉफ्टवेयर क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। इनमें से अधिकतर पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं, जो मध्यमवर्गीय परिवारों से और अक्सर छोटे तथा मझौले कस्बों से आए हैं। इससे पता चलता है कि सूचना प्रौद्योगिकी किस प्रकार भारतीय समाज में उद्यमशीलता की भावना को क्रांतिकारी रूप से बढ़ावा दे रही है। यह एक स्वस्थ विकासक्रम है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

मित्रो, हालांकि सॉफ्टवेयर के विकास और निर्यात में भारत के प्रदर्शन से हम सब गर्वोन्नत हुए हैं फिर भी अपने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर क्षेत्र को ऐसी ही गतिशीलता देने में अपनी विफलता से हम आंखें नहीं मूंद सकते हैं। यह असंतुलन दूर होना ही चाहिए।

जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से फलफूल रही है, उद्योग, व्यापार और सेवाओं के नए-नए क्षेत्र अपने कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं, तब सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर की मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी। इस मांग को केवल या मुख्यतया आयातों से पूरा नहीं किया जा सकता। हमें अपने घरेलू विनियोग आधार को फैलाना और मजबूत बनाना ही होगा, ताकि घरेलू मांग को भी पूरा किया जा सके और तेजी से फैलते विश्व बाजार में अपने हिस्से पर कब्जा भी जमाया जा सके। संक्षेप में हमें भारत को सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के विश्व स्तर के डिजाइन, विनिर्माण और निर्यात का केंद्र बनाने का लक्ष्य तय करना होगा।

वास्तव में इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्यबल ने हार्डवेयर निर्यात के लिए कार्य योजना के रूप में अपनी दूसरी रिपोर्ट तैयार की। इस पर गौर कर लिया गया है तथा मंत्रीस्तरीय समिति ने इसको अनुमोदित भी कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा, मानव शक्ति विकास तथा अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित तीसरी और अंतिम रिपोर्ट भी सरकार के विचाराधीन है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि सरकार बहुत जल्दी इन दोनों रिपोर्टों को मंजूर कर लेगी, जिससे इन पर तेजी से अमल किया जा सकेगा।

सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक कदम उठाएगी, जिससे आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रांति आ जाएगी। देश में ई-कामर्स की सुविधा के लिए मसौदा साइबर कानून तैयार करने के लिए, मैं इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को बधाई देता हूँ।

मित्रो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग की सफलता अब एक स्थापित वास्तविकता बन गई है। हालांकि सफलता पर प्रसन्न होने के हमारे पास कारण भी हैं। लेकिन आत्म-मंथन की जरूरत भी है।

मुझे बताया गया कि अभी हमारे सॉफ्टवेयर निर्यातों की संरचना में चिंताजनक विभाजन दिखाई दे रहा है। हमारे अधिकांश निर्यात मूल्य श्रृंखला की निचली पायदान पर हैं। कुल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात में उच्च मूल्य वाले सॉफ्टवेयर पैकेजों का भारत का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है। निस्संदेह, कुछ भारतीय कंपनियां अच्छे सॉफ्टवेयर पैकेज बना रही हैं, लेकिन उनकी संख्या फिलहाल कम है।

तकनीकी दृष्टि से काफी सारे छोटे व मझौले उद्यम निर्यात के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर पैकेज बनाने में सक्षम हैं। लेकिन अपर्याप्त जोखिम पूंजी और कार्यपूंजी तथा आक्रामक विपणन क्षमताओं के अभाव के कारण ये उद्यम विवश हो गए हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, विशेषकर सॉफ्टवेयर पैकेजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये की एक जोखिम पूंजी निधि बनाई है। मैं चाहता हूँ कि तेजी से इस निधि का उपयोग हो और यह आम लालफीताशाही बाधाओं से मुक्त हो।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास, दूरसंचार संबंधी आधारभूत संरचना की गुणवत्ता, पहुंच और कम खर्चालेपन पर काफी हद तक निर्भर है। सरकार ने हाल ही में नई दूरसंचार नीति घोषित की है जिससे भारत में विश्व स्तर की दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी और एक ही स्थान पर सुविधाओं की उपलब्धता के लाभ भी मिल सकेंगे। निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी वाले इंटरनेट के तेजी से प्रसार को ध्यान में रखते हुए हमने एक उदार आईएसजी. नीति भी घोषित की है।

इन नीतिगत पहलों से तत्काल लाभान्वित होने वाला एक क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं का होगा। इस क्षेत्र में निर्यात और रोजगार दोनों की ही भारत में अपार संभावनाएं हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा "नास्कॉम" जैसी उद्योग सस्थाओं को भारत में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं को बढ़ावा देने के एकजुट प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ।

आज के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि आने वाले वर्षों में और ऊंची उपलब्धियों के लिए प्रयास करें।

विकास की गति बढ़ाएं और इसे बहुआयामी बनाएं

आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि समूचे देश के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि औरैया जिले के पाटा शहर में विश्व-स्तार के एक पेट्रो-केमिकल परिसर ने काम करना शुरू कर दिया है। मुझे यह परिसर राष्ट्र को समर्पित करते हुए खुशी हो रही है। यह भारत के लोगों के श्रम का फल है कि इस तरह की औद्योगिक इकाइयां पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित हो रही हैं, जिससे देश की प्रगति में मदद मिलेगी।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के उत्तर प्रदेश पेट्रो-केमिकल परिसर को देखने के लिए पाटा आकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता चला है कि यह पेट्रो-केमिकल परिसर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि उत्तरी भारत में पहला है। उत्तर प्रदेश पेट्रो-केमिकल परिसर आधुनिक टेक्नोलोजी वाला देश का सबसे उन्नत पेट्रो-केमिकल परिसर है। इस पर 25 करोड़ रुपये की लागत आई है और इसका विस्तार भी किया जा सकता है।

सबसे पहले मैं राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े हिस्से में इस उद्यम की स्थापना के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय गैस प्राधिकरण को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

हम समूचे भारत में संतुलित विकास चाहते हैं, ताकि कोई भौगोलिक अथवा सामाजिक असमानता न रहे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है। यह अनेक देशों की आबादी से ज्यादा है। अगर उत्तर प्रदेश विकास नहीं कर पाता तो पूरे देश को नुकसान होगा।

मेरी सरकार न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि उत्तर भारत के तमाम राज्यों का विकास सुनिश्चित करने के लिए वचन बद्ध है। भारतीय गैस प्राधिकरण के इस परिसर की शुरुआत इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

मेरी 13 महीने पुरानी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। हमने दूरसंचार, बिजली, राष्ट्रीय राजमार्ग, नई रेल-लाइन और अनेक अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। अनेक अन्य कार्रवाइयां भी की गई हैं, लेकिन इन सबका

पाटा पेट्रो-केमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करते हुए दिया गया भाषण, पाटा, 10 जून, 1999

मकसद एक था— भारत के आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बहुआयामी बनाना— ताकि रोजगार के अधिक अवसर बनें और गरीबी समाप्त हो। उत्तर प्रदेश पेट्रो-केमिकल परिसर इस उद्देश्य को हासिल करने का एक कदम है।

आज भारत में विश्व के अन्य देशों की तरह प्लास्टिक और प्लास्टिक-आधारित उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है। मुझे विश्वास है कि इस परिसर की तरह ही अन्य परिसर भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि स्थानीय मांग की पूर्ति हो सके। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय गैस प्राधिकरण के इस परिसर का तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश पेट्रो-केमिकल परिसर के आकार का पेट्रो-केमिकल परिसर आर्थिक प्रगति के मार्ग पर जारी कदम हैं। ये लोगों, राज्य और समूचे देश को अनेक लाभ उपलब्ध कराते हैं। हमें बुनियादी सेवाओं, ऊर्जा और अन्य आर्थिक क्षेत्रों में इसी तरह की बड़ी इकाइयों की आवश्यकता है, ताकि समन्वित विकास हो सके— चाहे वह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रोजगार के अवसर बनाने का हो, लोगों का जीवन-स्तर उठाने का हो अथवा 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक रूप से सक्षम देश बनाने का सपना सच करने का हो।

देश में निवेश के पर्याप्त अवसर हैं। इस काम के लिए मेरी सरकार ने साहसिक कदम उठाए हैं, ताकि सहयोगी नीति और सस्थागत ढांचे में सुधार हो सके। इस वर्ष के बजट के बाद शेयर के मूल्य चढ़े और पिछले वर्ष की तुलना में विदेशी निवेश बढ़ा है।

कृषि में अच्छा काम हुआ है और लगभग दो सौ मिलियन टन का सभावित उत्पादन एक रिकार्ड होगा। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को प्रगति के मार्ग पर ला दिया है और मुझे विश्वास है कि कृषि उद्योग और अन्य विभिन्न सेवा क्षेत्र आगे विकास में बड़े रूप में योगदान करेंगे।

आर्थिक प्रगति का लाभ लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए हमें सामाजिक तत्वों को अधिक महत्व देना चाहिए। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भारतीय गैस प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में सामाजिक विकास के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। जिन लोगों ने इस परियोजना के लिए अपनी भूमि उपलब्ध कराई है, ऐसे विस्थापित लोगों को पुनर्वासित किया जा चुका है। उन्हें बिजली, पीने का पानी, नई सड़कें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक प्रौढ़ तथा व्यावसायिक शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुझे आशा है कि भारतीय गैस प्राधिकरण सामाजिक विकास के लिए और बहुत कुछ करते हुए इस तरह के काम जारी रखेगा।

यह पेट्रो-केमिकल परिसर न सिर्फ अन्य उद्योगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, बल्कि इससे राज्य को राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत हासिल होंगे। मुझे आशा है कि उद्योगपति प्लास्टिक-आधारित उत्पाद बनाने के लिए छोटी और मझोली इकाइयां स्थापित करके इस परिसर का अधिक-से-अधिक लाभ उठाएंगे। मुझे मालूम है कि अन्य सहायक इकाइयों की स्थापना से अगले कुछ वर्षों में इस स्थान का स्वरूप बदल जाएगा।

यह जानकारी खुशी होगी कि यहां मुंबई तट के उत्पादों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश को उसका पर्याप्त हिस्सा मिल रहा है। यह परिसर मूल्य वर्द्धित उत्पाद बनाने के लिए इस गैस के इस्तेमाल की दिशा में अगला कदम है।

दुनिया-भर में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। औद्योगिकीकरण के साथ पर्यावरण की जो समस्याएं आती हैं, उनका हम सबको सामना करना पड़ रहा है, हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि भावी पीढ़ियों के लिए इस धरती को बनाए रखने के वास्ते हमें व्यक्तिगत और सामूहिक उपाय करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि पर्यावरण के प्रति चिंता हमारी औद्योगिक संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन जाएगी।

मुझे याद आता है कि कुछ वर्ष पहले पर्यावरण से ताजमहल को हो रहे नुकसान के बारे में चिंता थी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ताजमहल और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सराहनीय उपाय किए। जल्द ही आगरा और फरीदाबाद के उद्योग, खासतौर से लौह और गिलास उद्योग गैस का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। इससे ताजमहल के गौरव को बनाए रखने में मदद मिलेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा ऐसी योजनाएं लाने की मैं सराहना करता हूं जिनके कारण ईंधन के रूप में गैस इस्तेमाल करने से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम में मदद मिली और यह पर्यावरण के अधिक उपयुक्त है।

उत्तर प्रदेश पेट्रो-केमिकल परिसर लोगों के कठिन परिश्रम और समर्थन के बिना एक सच्चाई नहीं बन सकता था। मैं भारतीय गैस प्राधिकरण के कर्मचारियों और इससे जुड़े अन्य लोगों को बधाई देता हूं। मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, राज्य सरकार तथा भारतीय गैस प्राधिकरण के प्रबंधकों की भी सराहना करता हूं, जिन्होंने इसे बनाने में बहुत कुछ किया।

आज उत्तर प्रदेश पेट्रो-केमिकल परिसर का उद्घाटन करते हुए मैं खुश हूं और इसे राष्ट्र को समर्पित करता हूं।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

देश के किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना समर्पित करते हुए मुझे बड़ी खुशी और संतोष का अनुभव हो रहा है। इस अनुभव का खास कारण यह है कि हमारी सरकार की किसानों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता थी, जिसे हम पूरा कर रहे हैं।

पिछले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने आपको वचन दिया था कि तत्कालीन कृषि बीमा योजना का विस्तार किया जाएगा, उसे व्यापक बनाया जाएगा, जिससे नए इलाकों और अन्य फसलों को भी इसमें शामिल किया जा सके।

नई योजना से हम न केवल अपने कृषि क्षेत्र को आधुनिकीकरण की ओर ले जा रहे हैं, अपितु इसको देश के बैकिंग और बीमा क्षेत्र के और करीब ला रहे हैं। अब हम किसानों से कह पाएंगे कि आपके जोखिम न केवल आप तक सीमित रहेंगे, बल्कि अब सरकार भी इसमें अपना हाथ आपके साथ बढ़ाएगी।

हम सभी जानते हैं कि विश्व-भर में कृषि क्षेत्र जोखिम-भरा है। हमारे देश में तो इसकी सभावना और भी अधिक है। हमारी अधिकतर फसलें वर्षा पर आधारित हैं, क्योंकि सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। हमारे देश में वर्षा का मौसम लगभग तीन महीने रहता है और खेत को पानी केवल तीन महीने ही मिल पाता है। बाकी महीने खेत बिना पानी के ही रह जाते हैं।

इतना ही नहीं, किसानों की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसे समय पर पर्याप्त ऋण, बीज, खाद एवं कीटनाशक पदार्थ उपलब्ध नहीं हैं। 50 साल में हम इसका पूरा इंतजाम नहीं कर पाए हैं। 'मार्केट फोर्सेस' का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। और चूंकि यह उचित नहीं है, तो ऐसी स्थिति भी पैदा होती है, जब कि किसान को अधिक उत्पादन का फायदा नहीं पहुंचता है और फसल को उन्हें मजबूरन कम कीमत पर बेचना पड़ता है।

व्यापक बीमा के प्रबंध से कृषक के जीवन में कुछ स्थिरता आएगी। उसे जोखिम का सामना करने में सहायता मिलेगी। वह अपनी जमीन में ज्यादा धन और नई

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसानों को समर्पित किए जाने के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 22 जून 1999

टेक्नोलोजी लगा पाएगा। बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें समय पर पैसा वापिस मिल जाएगा।

इस वर्ष हमने कृषि में 200 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन पार कर लिया है। गेहू का उत्पादन तो 70 मिलियन टन से भी अधिक है, जो कि अब तक का सबसे अधिक है। इस वर्ष अब तक हमारे गोदाम में 14 मिलियन टन से भी अधिक गेहूं जमा हो चुका है और अब तो स्थिति यह है कि हमारे सामने इसके भंडारण की समस्या उत्पन्न हो गई है।

आज भारत न केवल खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो चुका है, बल्कि विश्व में फल, चाय और पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक है। धान, गन्ना, सब्जियों, सरसों और मूंगफली में हमारा स्थान तीसरा है। दूध के क्षेत्र में हम विश्व में दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। इन सब उपलब्धियों का श्रेय हमारे कृषकों को जाता है। शास्त्रीजी का नारा 'जय किसान' अब साकार हो गया है।

इन उपलब्धियों के साथ-साथ, हमारे किसानों को कई कठिनाइयां उठानी पडती हैं। कुछ का ब्यौरा तो मैंने पहले ही दे दिया है। पिछले साल हमने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कुछ हद तक पंजाब के किसानों को भी आत्महत्या करते हुए देखा। इन घटनाओं से यह बात साबित हो जाती है कि जब तक व्यापक बीमा निगम अस्तित्व में नहीं आएगा, तब तक किसान ऐसे कदम उठाने को मजबूर होंगे।

सरकार में मेरे सहयोगियों ने और मैंने यह संकल्प लिया है कि हम जल्दी-से-जल्दी ऐसी एक योजना को नया रूप देगे, जिसका अधिक-से-अधिक किसान लाभ उठा पाएं।

आज हम राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को देश को समर्पित कर रहे हैं। इसका कार्यान्वयन रबी की फसल 1999-2000 से किया जाएगा। यह खाद्यान्न और तिलहन के कृषकों के लिए तो है ही, इसके अलावा यह वाणिज्यिक और बागवानी के उत्पादकों के लिए भी है। इस योजना का एक पहलू जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगा, वह है कि यह योजना पांच वर्ष के अंदर स्वतः आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगी।

इस योजना को वनाते समय देश के उन भागों को भी ध्यान में रखा गया है, जहां कृषि के विकास में काफी कार्य हो चुका है और उनको भी जो अभी काफी पिछड़े हुए हैं।

जब तक हम एक नई संस्था— भारतीय कृषि बीमा निगम की स्थापना नहीं कर लेते, तब तक सामान्य बीमा निगम (जी.आई.सी.) इस योजना को संभालेगी और

चलाएगी। मुझे उम्मीद है कि जी आई सी. इस योजना के कार्यान्वयन में कार्य-कुशलता दिखाएगी, जिससे ग्रामीण लोगों को बीमा के महत्व और उसके लाभों के बारे में जानकारी हासिल हो सके।

जब हम एक विकासशील समाज में सामाजिक सुरक्षा-प्रणाली या 'सोशल सेफ्टी नेट' की बात करते हैं, तो बीमा इसका एक बहुत अटूट अंग है। अकेले सरकार ही वृद्धावस्था पेंशन या अन्य प्रकार की ऐसी योजनाओं के लिए व्यापक प्रावधान नहीं कर पाएगी, बल्कि सरकार और समाज, दोनों को साथ मिलकर और अपने संसाधनों को एकजुट कर जोखिम और अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना होगा।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना देश के आर्थिक विकास के प्रयासों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिससे किसान को खास तौर पर और ग्रामीण भारत को सामान्यतया व्यापक लाभ प्राप्त होंगे। किसानों को मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि इस योजना के कार्यान्वयन में सरकार कोई भी व्यवधान नहीं होने देगी। हम इसकी प्रक्रिया को भी सरल बनाएंगे।

मैं सभी सरकारी और सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों से अपील करता हूँ कि वे इस योजना को देश के कोने-कोने में पहुंचाने और अधिक-से-अधिक किसानों को इसका लाभ दिलाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। आइए, हम मिलकर देश की कृषि के इतिहास में एक सुनहरे अध्याय का शुभारंभ करें।

विकास कोषों के उपयोग की समुचित निगरानी

ईंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया के स्वर्ण जयंती समारोह के इस समापन सत्र में आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। पिछले वर्ष, आज ही के दिन मैं उद्घाटन समारोह में भी उपस्थित हुआ था। मुझे विश्वास है कि संस्थान के सभी सदस्यों और छात्रों ने यह स्वर्ण जयंती वर्ष उपयुक्त ढंग से मनाया होगा। उन्हे

इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया के स्वर्ण जयंती समारोह के समापन सत्र में दिया गया भाषण, 1 जुलाई 1999

अपने अतीत पर संतोष और भविष्य पर विश्वास होगा।

मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले वर्ष आपके इस संस्थान की अनेक उपलब्धियां रहीं। आपके द्वारा गठित नए अंतर्राष्ट्रीय संघों ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। यह विश्व-भर में भारतीय एकाउंटेंसी व्यवसाय के प्रति बढ़ते सम्मान का द्योतक है। मुझे प्रसन्नता है कि इंस्टीट्यूट ने इस क्षेत्र में अग्रदूत की भूमिका संभाली है।

आधुनिक व्यापार के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंसी एक महत्वपूर्ण, यहां तक कि अपरिहार्य समर्थक व्यवसाय है। इस व्यवसाय के विकास से ही किसी देश के व्यापार एवं अर्थव्यवस्था के विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है। आपके संस्थान ने भारतीय व्यापार में व्यावसायिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

आज के उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण के युग में आपकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। मुझे प्रसन्नता है कि आपके संस्थान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि भारत में एकाउंटेंसी के व्यवसाय को श्रेष्ठता की नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके।

भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंसी न केवल आकार-प्रकार में बढ़ी है, अपितु उसका विभिन्न आर्थिक तथा भौगोलिक क्षेत्रों में भी प्रसार हुआ है और अब वह देश के सभी भागों में मौजूद है। मुझे यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि आपके सदस्य, जिनकी संख्या अब लगभग एक लाख हो चुकी है, कई छोटे-छोटे शहरों और कस्बों में भी काम कर रहे हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था के क्रमिक विकास के साथ-साथ, यह भी सिद्ध होता है कि व्यापार अब केवल महानगरों और बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रह गया है। इससे छोटी और मझोली आर्थिक इकाइयों को आवश्यक व्यावसायिक सहायता पहुंचाने के आपके संस्थान के सजग व सतत प्रयासों का भी पता चलता है। आपके प्रयासों से इन इकाइयों के काम-काज में वित्तीय विवेक, औचित्य तथा पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिली है।

लेकिन दोस्तो! मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको यह बता सकूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे अभी तक आपकी व्यावसायिक सेवाओं का सही लाभ नहीं मिल पाया है, वह है-ग्रामीण तथा अनौपचारिक क्षेत्र। मैंने पिछले वर्ष भी अपने भाषण में इसकी चर्चा की थी, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर इस पर ध्यान दिलाना आवश्यक है, क्योंकि यह एक पेचीदा समस्या है और इस चुनौती का सामना करने के हमारे प्रयास धीमे हैं।

हम सब जानते हैं कि सरकार विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर प्रतिवर्ष बहुत बड़ी धन-राशि व्यय करती है, विशेष रूप से ग्रामीण तथा कृषि विकास के कार्यक्रमों, रोजगार के अवसर जुटाने, साक्षरता, स्वास्थ्य तथा अन्य समाज कल्याण योजनाओं में। इस धन-राशि का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता है या नहीं, इसकी समुचित निगरानी और पुष्टि की जानी आवश्यक है।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि सरकारी खर्च के मूल्यांकन का हमारा दृष्टिकोण उसके परिणामों पर आधारित होना चाहिए, न कि मात्र व्यय की जाने वाली धन-राशि पर आधारित, जैसा कि आम तौर पर होता है। इस सदर्थ में परिणाम ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। किस मद पर कितना खर्च किया गया और कितनी कागजी कार्रवाई पूरी की गई, इसका उतना महत्व नहीं है।

सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग एक पुरानी समस्या है। हालांकि नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक का कार्यालय इस पर निगरानी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, फिर भी ऐसी बहुत-सी खामियां मौजूद हैं, जिनके जरिये जनता का धन नियमित रूप से इधर-उधर कर दिया जाता है। इससे न केवल राष्ट्र की प्रगति में बाधा पड़ती है, अपितु सामाजिक क्षेत्र, कृषि और ग्रामीण विकास में हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में भी विघ्न उपस्थित होता है। अतः सरकारी वित्तीय लेखा एवं रिपोर्ट प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाने के लिए सरकार, आई सी ए आई के सुझावों का स्वागत करेगी।

उत्कृष्टता, स्वाधीनता और ईमानदारी किसी भी व्यवसाय की श्रेष्ठता के प्रतीक-चिन्ह हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस संस्थान ने अपने विचारों तथा व्यवहार में इन्हें अपनाया है। यदि एकाउंटेंट ईमानदार हों तो व्यापार में लगे अन्य लोगों का बेईमानी कर पाना कठिन है। अच्छे व्यावसायिक आचरण के आधारभूत इन मूल्यों से भारतीय व्यापार जगत के सभी पहलू संचालित होने चाहिए।

इस संस्थान के शैक्षणिक तथा तकनीकी स्तर को विश्व-भर में मान्यता प्राप्त है। फिर भी इनकी लगातार समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि वे निरंतर परिवर्तित विश्व-व्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित किए जा सकें। हमारा स्तर न केवल नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष होना चाहिए, अपितु उससे विश्व को यह भी पता लगना चाहिए कि हम दुनिया के किसी भी कोने में, किसी से भी बराबरी कर सकते हैं।

मुझे इस बात की विशेष रूप से प्रसन्नता है कि आपने एकाउंटिंग और आडिटिंग स्तरो को निर्धारित करने तथा भारतीय कारपोरेट रिपोर्टिंग का स्तर सुधारने के विशेष प्रयास किए हैं। हाल ही में कंपनी कानून में किए गए परिवर्तनों में भी लेखा-प्रणाली का उच्च स्तर बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में आपके संस्थान की प्रमुख भूमिका रखी गई है।

आईसीएआई द्वारा एकाउंटिंग अनुसंधान प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए की गई पहल स्वागत योग्य है। मुझे विश्वास है कि इसके फलस्वरूप व्यावसायिक उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र स्थापित हो सकेगा। मुझे बताया गया है कि आईसीएआई ने अपने सदस्यों की शिक्षा जारी रखने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं और देश-भर में फैले-अपने सदस्यों से संपर्क बनाए रखने के लिए आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी का भी उपयोग आरंभ किया है।

मैं आईसीएआई को ऐसे नए तौर-तरीके अपनाने पर बधाई देता हूँ, जो 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने के लिए अन्य व्यावसायिक संस्थानों तथा अन्य व्यवसायों के लिए अनुकरणीय हैं। यहां मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि चूंकि इन दिनों व्यापार, विशेषतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अधिक-से-अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक आधार पर संचालित किया जा रहा है, अतएव एकाउंटेंसी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के बीच और अधिक प्रगाढ़ संबंध होने चाहिए।

सौभाग्यवश, भारत इन दोनों ही क्षेत्रों में अपार प्रतिभा का धनी है। उसकी इस प्रतिभा को विश्व-भर ने स्वीकार किया है और सराहना की है। आशा है कि हमारे व्यावसायिक संस्थान इन अवसरों का भरपूर लाभ उठाएंगे।

एक बार फिर, मैं आप सबको आपकी स्वर्ण जयंती की बधाई देता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि यह संस्थान, 21वीं शताब्दी में उत्कृष्टता के शिखर तक पहुंचने के प्रयासों में सफल हो।

युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर

असम में आकर और यहां के उत्साही एव मित्रतापूर्ण लोगों से मिलकर मुझे हमेशा खुशी होती है। आज मैं एक संक्षिप्त यात्रा पर असम आया हूँ, जहां मुझे तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है।

नुमालीगढ रिफाइनरी आज राष्ट्र को समर्पित की जा रही है, जिसकी स्थापना असम समझौते के तहत केंद्र सरकार की वचनबद्धता पूरी करने के लिए की गई थी। मैं इस अवसर पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ऊपरी असम के गोलाघाट जिले में 2,500 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित यह तेल शोधक कारखाना पर्यावरण के अनुकूल है और देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी है। यह सुनिश्चित करने लिए विशेष ध्यान दिया गया है कि कारखाने की स्थापना से विश्व-प्रसिद्ध अभयारण्य, काजीरगा को किसी तरह की क्षति न पहुंचे। हमारा विश्वास है और हमें उम्मीद है कि इससे रिफाइनरी में प्रत्यक्ष रोजगार मिलने के साथ ही, मदी के दौर से गुजर रहे पेट्रो-रसायन उद्योगों में निवेश भी बढ़ेगा। इससे असम में उद्योगीकरण की प्रक्रिया को बल मिलेगा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य सरकार को संसाधन की प्राप्ति होगी। मैं युवाओं से अपील करता हूँ कि इस बेहतरीन अवसर का लाभ उठाएं।

मुझे यह जानकारी आपको देते हुए खुशी हो रही है कि कल शाम मेरी सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें असम और त्रिपुरा के विकास केंद्रों/आई आई डी सी आदि क्षेत्रों में स्थित फैक्टरियों में बनने वाली वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से छूट देने की व्यवस्था है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी सात राज्यों में विकास केंद्रों/आई आई टी सेंटरों आदि से बाहर के क्षेत्रों में स्थित निर्दिष्ट उद्योगों को भी उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। यह फैसला भी किया गया है कि जहां एक ओर विनिर्माताओं को अपने उत्पादों पर उत्पाद शुल्क नहीं देना होगा, वहीं दूसरी ओर ऐसे उत्पादों का उपयोग निवेश के रूप में करने वाले उपभोक्ताओं को 'मोडवेट' प्रणाली का लाभ मिलेगा। साथ ही विनिर्माताओं को अपने तैयार माल के लिए शुल्क अदा करके प्राप्त की गई निवेश सामग्री पर 'मोडवेट' का लाभ देने की अनुमति दी जा रही है। ये रियायतें शुरू में 10 वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी, जिसकी गणना अधिसूचना की तारीख अथवा इस क्षेत्र में निवेश से स्थापित उद्यम में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से की जाएगी। राज्य सरकारों से

नुमालीगढ में तेल शोधक कारखाना राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर दिया गया भाषण, असम, 9 जुलाई 1999

मेरी विनती है कि वे अपने युवाओं को आवश्यक तकनीकी कौशल का प्रशिक्षण दें, ताकि वे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

असम सरकार, केंद्र सरकार से लंबे समय से यह मांग करती रही है कि राज्य को बाढ़ प्रबंध के लिए दी गई केंद्रीय ऋण सहायता की वसूली से उसे मुक्ति दी जाए। इस बारे में केंद्र सरकार को उन वित्तीय कठिनाइयों की जानकारी है, जिनका सामना राज्यों को करना पड़ रहा है। इसलिए मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अब तक जो भी ऋण प्राप्त किए हैं, उनकी अदायगी कुछ समय के लिए स्थगित रहेगी। यह एक अंतरिम उपाय है, क्योंकि बकाया ऋणों के मुद्दे का अंतिम निपटारा बाद में किया जाएगा, जिसके लिए एक योजना तैयार की जा रही है। इस बीच असम सरकार के लिए बजट-खर्च की पहली किस्त जारी कर दी गई है।

केंद्र सरकार असम में हर साल आने वाली बाढ़ के प्रति चिंतित है, जो कई दौरो में राज्य को प्रभावित करती है। हमें ये खबरें मिल चुकी हैं कि पहले दौर की बाढ़ से राज्य में कई स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। आप सब जानते हैं कि वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तौर-तरीकों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से निपटने पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिए, वित्तीय सहायता के मामले में केंद्र और राज्य, दोनों ही सरकारें, लचीलापन नहीं अपना सकतीं। मेरी सरकार पहले ही यह मामला 11वें वित्त आयोग के सामने रख चुकी है ताकि संबद्ध नियमों को उदार बनाया जा सके। मैं राज्य सरकार को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम वित्त वर्ष समाप्त होने का इंतजार करने की बजाय प्राकृतिक आपदा राहत कोष से केंद्र का हिस्सा एकमुश्त जारी करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। इसके अलावा, राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा राहत कोष से मंजूरी का फैसला होने तक, अगर राज्य सरकार अल्पावधि के लिए तत्काल धन की मांग करेगी तो उसकी मंजूरी योजना-अग्रिम (ऋण) के रूप में दे दी जाएगी।

राज्य सरकार ने श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार वितरित करने का जो अनुरोध मुझसे किया, उससे मैं अपने को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। 1995 का यह पुरस्कार श्री सैयद अब्दुल मलिक और 1996 का प्रोफेसर भावेश चंद्र सांन्याल को दिया गया है। असमिया साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद किया जाता है और असम साहित्य सभा एक ऐसी संस्था है, जिसकी महान साहित्यिक परंपरा रही है।

मैंने आज श्रीमंत शंकर देव कलाक्षेत्र में एक नए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कक्ष की आधारशिला रखी है। इसका निर्माण क्षेत्र के समाजिक-सांस्कृतिक विकास के प्रति हमारी वचनबद्धता का परिचायक है। सम्मेलन कक्ष का निर्माण पूरा होने पर पूर्वोत्तर के लोगों

को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनो का आयोजन करने में सुविधा होगी। इसके निर्माण का पूरा खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी।

अंत में, मैं आपका ध्यान करगिल में जारी युद्ध की ओर दिलाना चाहूंगा, जिसमें हमारे बहादुर सैनिकों ने दुश्मन की सेनाओं को मार भगाने में उल्लेखनीय साहस और देशभक्ति का परिचय दिया है। राष्ट्र की रक्षा के प्रयासों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों का योगदान किसी भी तरह कम नहीं है। पूरे देश ने करगिल में नागा रेजिमेंट द्वारा प्रदर्शित साहस और वीरता की प्रशंसा की है। अन्य रेजिमेंटों में भी पूर्वोत्तर के अनेक युवा अधिकारी और जवान शामिल हैं, जो कार्रवाई में योगदान कर रहे हैं। मैं पूरे राष्ट्र की ओर से उनके शौर्य की प्रशंसा करता हूँ और वीरों को प्रणाम करता हूँ।

हरित क्रांति का लाभ आम जनता तक पहुंचे

आई सी ए आर. सोसायटी की 70वीं वार्षिक आम बैठक में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। भारत में कृषि ने पूर्व-निर्धारित अनेक लक्ष्य हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। आज से करीब 30 वर्ष पहले भारत खाद्य सामग्री की भारी कमी की समस्या का सामना कर रहा था। कमी दूर करने के लिए मजबूरन हमें अनाज आयात करना पड़ रहा था।

आज, भारत विश्व में एक बड़ी कृषि-शक्ति बनने जा रहा है। हमने इस वर्ष 20.3 करोड़ टन अनाज की पैदावार का रिकार्ड कायम किया है। दूध उत्पादन में भी हमारा पहला स्थान है, जब कि सब्जियों की पैदावार के मामले में हम प्रथम तीन देशों में शामिल हैं। खाद्य सामग्री के आयात की बजाय, अब हमें खाद्य प्रसंस्करण और संसाधन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम बंदरगाह सुविधाओं में सुधार की भी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, ताकि निर्यात की जाने वाली कृषि वस्तुओं को जहाजों पर लादने के काम में तेजी लाई जा सके।


आई सी.ए.आर. सोसायटी की 70वीं वार्षिक आम बैठक में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 16 जुलाई 1999

यह उल्लेखनीय उपलब्धि अनेक लोगों और संस्थानों के एकजुट और संकल्पबद्ध प्रयासों की बदौलत संभव हो पाई है। इसके लिए मैं काम कर रही समूची भारतीय कृषि अनुसंधान प्रणाली को बधाई देना चाहूंगा।

स्वयं आपके और आपके पूर्ववर्तियों के कठिन परिश्रम से ही भारतीय कृषि और इस पर निर्भर सभी लोगों की समृद्धि में मदद मिलती है। लेकिन, किसी को भी, खासकर आप जैसे प्रतिभाशाली और परिश्रमी लोगों को अपनी जयघोष के बाद हाथ-पर-हाथ रखकर नहीं बैठ जाना चाहिए। भविष्य की चुनौतियां भी उतनी ही प्रखर हैं, जितनी अतीत की थीं। हमने अतीत की चुनौतियों पर विजय प्राप्त की। उसी विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ हम आने वाली चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं और अवश्य पाना भी चाहिए।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने जैसे राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने के लिए कृषि के विकास पर बल दिया गया है। हमने नौवीं पंचवर्षीय योजना में हर वर्ष कृषि-विकास पर 45 प्रतिशत, 10वीं

70th Annual General Meeting INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH



प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी की 70वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए, नई दिल्ली, 16 जुलाई 1999

योजना मे 53 और 11वीं पंचवर्षीय योजना मे 51 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रहा है। सन 2011-12 तक हमे अनाज की पैदावार कम-से-कम डेढ गुना बढ़ानी होगी। इसी तरह दूध का उत्पादन भी कम-से-कम तीन गुना बढ़ाना होगा।

हरित और धवल क्रांति के लाभ सभी लोगो तक पहुचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इससे न केवल भारत को भुखमरी से मुक्त करने में, बल्कि लोगो को भरपेट भोजन देने और उन्हें स्वस्थ बनाने मे मदद मिलेगी। ये लक्ष्य अत्यंत कठिन हैं। कृषि वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओ को इन्हें हासिल करने के लिए कडा श्रम करना होगा। हमारे उत्पादन की दर भले ही ऊंची है, लेकिन उत्पादकता पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रही है। ये लक्ष्य तभी हासिल हो सकते हैं, जब हमारे खेतो की उत्पादकता वर्तमान स्तर से अधिक होगी।

भूमि पर बढ़ते दबाव को देखते हुए उत्पादकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। भूमि का दबाव भारत के लिए एक स्वाभाविक समस्या है। हमारे पास सीमित कृषि भूमि है, और वह भी शहरीकरण और औद्योगीकरण की जरूरतों के कारण कम होती जा रही है। खेती की नई जमीन प्राप्त करने के लिए बजर और लवणीय, क्षारीय और जलाक्रांत भूमि का परिष्कार ही एकमात्र विकल्प है। हालांकि, इस तरह परिष्कार की गई भूमि की उपजाऊ शक्ति सामान्य कृषि भूमि से कम होती है, इसलिए कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष पहली चुनौती ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास करना है, जो परिष्कार की गई भूमि की उर्वरता मे बढ़ोत्तरी कर सके। दूसरी बड़ी चुनौती दलहन का उत्पादन बढ़ाने की है, जिसकी लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है। दालों की पैदावार में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन आवश्यकताएं पूरी करने में वह पर्याप्त नहीं है। हमने इसके लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं— नौवीं पंचवर्षीय योजना मे हर साल 35 प्रतिशत, 10वीं में 49 प्रतिशत और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 57 प्रतिशत उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। फिर भी देश मे दालो की कमी रहेगी। दलहन उत्पादन में बढ़ोत्तरी के ये लक्ष्य अतीत में हासिल लक्ष्यो से अधिक हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए दालो की खेती का क्षेत्र बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओ का विस्तार और दलहन की अधिक उपज देने वाले बीजो का इस्तेमाल जरूरी है।

आप सबसे मेरी विनम्र विनती है कि अतिरिक्त श्रम करके ऐसे तौर-तरीके विकसित करे, जो दालो का उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो सकें। इसके बाद ही भारत का गरीब-से-गरीब व्यक्ति भी अपने भोजन मे पौष्टिक दाल शामिल कर सकेगा।

तीसरी चुनौती, मैं यह समझता हूं कि विभिन्न फसलो, खासकर नकदी-फसलो पर आने वाली कुल लागत मे कमी लाई जाए। विश्व व्यापार संगठन के फ्रेमवर्क के तहत

कृषि-कोटा खत्म किए जाने की संभावना को देखते हुए भारतीय कृषि को अनेक वस्तुओं के निर्यात का बड़ा अवसर मिलेगा। इस क्षेत्र में भारत अपेक्षाकृत लाभ की स्थिति में है। इससे किसानों को भी अधिक धन प्राप्त होगा। बीजो की ऐसी प्रजातियां विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है, जिनमें कम उर्वरकों और कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करके अधिक पैदावार की जा सके। मुझे विश्वास है कि आईसीएआर. और अन्य संगठन इस काम को अजाम देने में सक्षम हैं। फसल में कम मात्रा में रासायनिक उर्वरकों आदि के इस्तेमाल से पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा।

इसी से संबद्ध एक मुद्दा जैव-प्रौद्योगिकी का है, जिसमें आनुवंशिक दृष्टि से परिष्कृत जीव समूहों को लेकर जारी बहस भी शामिल है। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से आई.सी.ए.आर. और अन्य संगठनों को नई प्रौद्योगिकी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि भारत के लिए इसका इस्तेमाल लाभदायक है या नहीं और क्या हमें इसे अपनाने का साहस नहीं करना चाहिए।

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि हमारे कृषि वैज्ञानिक ऐसी खेती-पद्धतियों का विकास कर रहे हैं, जिनमें हमारे प्राकृतिक और वैचारिक संसाधनों को बृहत रूप में समझा गया है। इससे भारत के किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने के अलावा भी बहुत कुछ करने का अवसर मिलेगा, जो ऊंचे लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे समूचे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें बागवानी, रेशम-उत्पादन, पशु-पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और कृषि वानिकी शामिल हैं। एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने से हम ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में लोगों को खुशहाल बना सकते हैं।

सरकार और उद्योग जगत, दोनों को चाहिए कि वे वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ताओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सरकार ने 1999-2000 के बजट में अनेक नई योजनाओं की घोषणा की थी, जिनका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, जैसे— बेहतर सड़कें, अनाज के भंडार, जलसंभर प्रबंध और शीत भंडारों में बढ़ोत्तरी करना था। मुझे खुशी है कि इनमें से कुछ योजनाओं पर पहले ही अमल शुरू हो चुका है।

भारतीय कृषि का भविष्य राज्य सरकारों की भूमिका पर बहुत कुछ निर्भर है। उन्हें चाहिए कि वे सिंचाई, बिजली और अन्य कृषि-निवेशों पर दी जा रही सब्सिडी का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करें। राज्यों के बिजली बोर्डों की कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए भी ऐसा करना जरूरी है। इसी तरह सिंचाई के लिए मुफ्त पानी उपलब्ध कराने

से उन किसानों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, जो भूमि को जलाक्रांत रखने अथवा पर्यावरण सबधी अन्य समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ राज्य सरकारों ने जल उपभोक्ता सघों की स्थापना की है और उन्हें अधिकार प्रदान किए हैं, जो सही दिशा में कदम है।

प्यारे वैज्ञानिकों! हम आज सीमावर्ती क्षेत्र में एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए बहादुरी से लड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि किसान और वैज्ञानिक भी खाद्य एवं पोषण तत्वों की दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा पर आंच नहीं आने देंगे और अनाज के भंडारों को परिपूर्ण रखने में मदद एवं सहयोग करेंगे।

मैं आई सी ए आर सोसायटी के सदस्यों का आह्वान करता हूँ कि वे भारत को निकट भविष्य में 'सुजलाम सुफलाम' बनाने के मिशन के लिए काम करें।

ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर संपर्क जरूरी

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए मुझे खुशी हो रही है। इस वर्ष की बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंत्रालय ने इस बार तीन चरणों में अलग-अलग सम्मेलन करने की बजाय, समूचे देश के परियोजना निदेशकों को एकसाथ नई दिल्ली बुलाया है।

भारत एक विशाल देश है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ग्रामीण विकास की चुनौतियाँ अलग-अलग तरह की हैं। इसी तरह इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निबटने के विभिन्न राज्यों के अनुभव भी भिन्न-भिन्न प्रकार के रहे हैं और यहाँ तक कि किसी राज्य में भी एक जिले के अनुभव दूसरे जिले से भिन्न पाए गए हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों को इस तरह के सम्मेलन में बड़े पैमाने पर विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान से काफी कुछ सीखने का अवसर मिलता है।

केन्द्र सरकार में नीति-निर्माताओं और वरिष्ठ अधिकारियों को आप जैसे क्षेत्र कार्यकर्ताओं से व्यापक फीडबैक हासिल करने में भी ऐसे सम्मेलन से मदद मिलती है।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों को संबोधित करते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 19 जुलाई 1999

आप जनता और नीतियों के बीच एक महत्वपूर्ण समीक्षक हैं। आप जानते हैं कि कौन-सा कार्यक्रम सार्थक है और कौन-सा निरर्थक और क्यों? निचले स्तर से मिलने वाली इस जानकारी के अभाव में नीतियों और कार्यक्रमों का उपयोगी मूल्यांकन या उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

इस तरह हमें आवश्यकता इस बात की है कि विकास परियोजनाओं को सबसे अधिक कारगर ढंग से लागू करने के लिए सूक्ष्म और बृहत् के बीच, यानी निचले स्तर से लेकर ऊपर तक, बार-बार परस्पर संपर्क रखा जाए।

भारत में ग्रामीण विकास प्रक्रिया के लिए चूंकि अधिकतर धन केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत खर्च किया जाता है, इसलिए यह संपर्क और भी जरूरी है। ये कार्यक्रम केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग पर आधारित हैं। इसी तरह विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से लागू करने में मिली सफलता एक ऐसा पैमाना है, जिस पर केंद्र-राज्य सहयोग की क्षमता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

मित्रों! देश की आजादी के बाद पांच दशक से अधिक की इस अवधि में ग्रामीण भारत का उल्लेखनीय कायाकल्प हुआ है। अनेक क्षेत्रों में और एक ही राज्य में कई

**ग्रामीण विकास अभिकरणों
परियोजना निदेशकों
का
वार्षिक सम्मेलन
1999**

**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
ANNUAL CONFERENCE 1999 OF
PROJECT DIRECTORS
OF
DISTRICT RURAL DEVELOPMENT AGENCIES
(DRDAs)**

स्वतंत्रता

19 जुलाई 1999, दिल्ली, भारत

19 July 1999, New Delhi

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों को संबोधित करते हुए, नई दिल्ली, 19 जुलाई 1999

स्थानों पर सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के बावजूद हर कोई यह स्वीकार करेगा कि हमारे गांवों में तेजी से बदलाव आ रहा है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि गरीबी और बुनियादी ढांचे के विकास का अभाव आज भी भारत के अधिकतर गांवों की पहचान है। लेकिन, इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती और करनी भी नहीं चाहिए— कि ग्रामीण भारत ने प्रगति और खुशहाली की एक तस्वीर प्रस्तुत करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, भले ही उतनी तेजी से न सही, जितना हम चाहते हैं।

मैं इस बात पर विशेष बल देता हूँ, क्योंकि अक्सर हम ग्रामीण भारत के बारे में भ्रातियाँ पाले रहते हैं कि वह स्थायी तौर पर और चिरकालिक गरीबी से ग्रस्त है। ऐसी धारणा हमारे किसानों और ग्रामीण समाज में अन्य वर्गों की व्यापक गतिशीलता का गंभीर अपमान है। उन्होंने भारत की सतत और चहुंमुखी प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

सन् 1973-74 से 1993-94 के बीच के दो दशकों में गरीबी 55 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत रह गई है। ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच की खाई, हालांकि अभी भी बहुत चौड़ी है, लेकिन कम हो रही है, खासकर छोटे कस्बों में विकास और बड़े गांवों के नए विकास-केन्द्रों के रूप में उभरने का इस पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। पिछले कुछ दशकों में ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था का बृहत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ तेजी से एकीकरण हुआ है।

ग्रामीण भारत के बदलते स्वरूप की शायद सबसे बढ़िया तस्वीर हाल ही में कुछ पत्र-पत्रिकाओं में प्रस्तुत की गई, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक किसान को सेल्युलर फोन हाथ में लिए ट्रैक्टर से खेत जोतते हुए दर्शाया गया था।

निश्चय ही, यह चित्र संपूर्ण स्थिति का परिचायक नहीं है। इससे वह घोर गरीबी नहीं छिप सकती, जो अधिकतर ग्रामीण भारत में व्याप्त है। हमारे देश के विस्तृत क्षेत्र अभी भी विकास की अधिकतर बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। हाल के वर्षों में जिन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक प्रगति हुई, उनमें भी बड़ी तादाद में लोग अभाव और उपेक्षा के शिकार हैं।

गांवों में गरीबी और विकास का अभाव एक और चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। गरीबी और उपेक्षा के सर्वाधिक शिकार लोगों में ज्यादातर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। वे न केवल आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, बल्कि शिक्षा और सामाजिक न्याय से भी वंचित हैं।

इस तरह ग्रामीण विकास में हम सबके सामने तीन तरह की चुनौतियां हैं। पहली यह कि हमें अपनी नीतियां और कार्यक्रम निश्चय ही इस तरह तैयार करने होंगे कि वे क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने में मददगार हों। दूसरे, उनसे अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ने की बजाय, विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने चाहिए। और तीसरी चुनौती सामाजिक न्याय और अधिकार प्रदान की है, जिसका महत्व किसी भी तरह कम नहीं है। नई दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में बैठे अधिकारियों, और जिला स्तर पर ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना अधिकारियों से मुझे यह कहना है कि वे इन तीन चुनौतियों को भली-भांति समझे और उन्हीं के अनुसार अपने कार्यों का निर्धारण करें।

महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की चुनौती पर हम सभी को खास ध्यान देना चाहिए, जो परिवार और समुदाय, दोनों ही स्तरों पर उपेक्षित या दरकिनार हैं। प्रशासन ने भी उनकी अनदेखी की है। यह उपेक्षा अवश्य बद होनी चाहिए। हमने देखा है कि जहां भी योजनाओं को लागू करने में सक्रिय भागीदारी के अधिकार महिलाओं को दिए गए, और इससे भी अधिक जब उन्हें खुद उनसे संबंधित कार्यक्रम तैयार का अवसर प्रदान किया गया, तो महिलाओं ने शानदार नतीजे हासिल किए।

गांव, गरीब और किसान के चहुंमुखी विकास के प्रति मेरी सरकार की वचनबद्धता 1999-2000 के बजट में पूरी तरह व्यक्त हुई है। हमने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए धन आवंटन में पर्याप्त बढ़ोतरी की है और विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुचारु बनाने की प्रक्रिया को भी समान महत्व प्रदान किया है। यही वजह है कि इस वर्ष स्व-रोजगार की अनेक योजनाओं को मिलाकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना नाम की नई योजना का रूप दिया गया है।

हमने जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तैयार करने में भी इसी तरह की एकीकृत एवं परिणामोन्मुखी नीति अपनाई है, जिसके तहत गांवों में बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। हमने ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम और आवास कार्यक्रम का भी परिष्कार किया है, ताकि बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकें।

इन सभी पुनर्गठित कार्यक्रमों में एक समान बात यह है कि इनमें व्यक्ति एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर अधिक बल दिया गया है। पहले हमारा यह सोचना गलत था कि अधिक धन खर्च करके ही गरीबी को दूर किया जा सकता है। नतीजा यह हुआ कि अधिक-से-अधिक योजनाएं तो शुरू की गईं, लेकिन यह ध्यान नहीं रखा गया कि उनका संचालन कितना कठिन है और वे लाभार्थियों के अनुकूल नहीं हैं। हमने लोगों की भागीदारी और लोकतांत्रिक ढंग से निरीक्षण की व्यवस्था पर समुचित ध्यान नहीं दिया।

अतीत की इस भूल से सबक लेते हुए हमारी सरकार ने एक नई शुरुआत की है। जैसा कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि लोकतंत्र का वृक्ष उतना ही मजबूत होगा, जितनी मजबूत उसकी जड़े, यानी पंचायती राज सस्थान। पहली बार पंचायत और ग्राम सभा की पहचान की गई है और उन्हें विभिन्न विकास योजनाओं का प्रबंध करने के अधिकार सौंपे गए हैं। ग्राम सभा वह आधारशिला है, जिस पर तीन-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का भवन टिका हुआ है और जहां से उसे शक्ति एवं मान्यता मिलती है। इसी पृष्ठभूमि में वित्त वर्ष 1999-2000 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया है।

पंचायती राज सस्थानों को मजबूती प्रदान करने की प्रक्रिया में परियोजना निदेशको को एक नई जिम्मेदारी निभानी होगी। अब वे दिन चले गए, जब सरकारी अधिकारी जिला और उप-जिला स्तर पर स्वयं ही कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते थे और उन्हें लागू करते थे, और उनमें लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं होती थी। इस तरह की अफसरशाही से वांछित परिणाम नहीं मिल पाए।

आप सभी जानते हैं कि सरकार और प्रशासन से लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। अब उन्हें वायदे करके संतुष्ट नहीं किया जा सकता। वे बेहतर कार्यक्षमता और बेहतर नतीजे चाहते हैं। अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों, दोनों से ही लोग अपेक्षा करते हैं कि वे उनकी आवश्यकताओं के प्रति सजग रहे और उनकी समस्याओं का हल जिम्मेदारीपूर्वक करें।

लोकतंत्र में लोगों को इस तरह की मांग करने का पूरा अधिकार है। इसलिए, लोगों की बढ़ती आकांक्षाएं पूरी करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को पंचायती राज संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करना सीखना चाहिए। इस तरह के विकेंद्रीकरण से हमारे लोकतंत्र और हमारी विकास-प्रक्रिया, दोनों को मजबूती मिलेगी।

अंत में, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ मिलकर देश के उन बहादुर जवानों को-श्रद्धाजलि अर्पित करें, जिन्होंने हाल ही में सीमाओं पर दुश्मन को मार भगाया था। हमारी सेना के साहसी अधिकारियों ने शानदार ढंग से उनका नेतृत्व किया। गरीबी और विकास के अभाव के खिलाफ युद्ध में आप जैसे अधिकारियों को भी नेतृत्व करना है। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप उसी कर्तव्यपरायणता का निर्वाह करेंगे, जिसका परिचय करगिल की बर्फीली चोटियों पर आपके बंधु-अधिकारियों ने दिया था। मैं आपसे उत्कृष्ट काम-काज की अभिलाषा रखता हूँ।

सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने का संकल्प

भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडलों के परिसंघ-फिक्की की 72वीं वार्षिक आम बैठक का उद्घाटन करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं आपके अध्यक्ष का आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी प्रशंसा में कुछ शब्द कहे। फिक्की और अन्य ऐसे संगठन जिस तरह से अपने चुनाव करा लेते हैं, उसे देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही है। आपने अगले अध्यक्ष का चुनाव अभी से कर लिया है, जिससे हर किसी को यह मालूम रहे कि आगे पक्ति में कौन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आज एक लंबे और थका देने वाले चुनाव प्रचार के बाद आपके सामने आया हूँ। कितना अच्छा होता कि भारत में चुनाव कुछ अधिक व्यवस्थित रूप से कराए जा सकते, निश्चित रूप से इस मामले में फिक्की का अनुसरण किया जा सकता है, जहाँ हर वर्ष चुनाव होता है।

किन्तु, सभी प्रकार की अवश्यंभावी दौड़-धूप और शोर-शराबे के बाद हाल के चुनावों ने एक बार फिर भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। दुनिया ने एक बार फिर भारत के लोकतंत्र की शक्ति को पहचाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय में भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। लोकतंत्र और विकास के बीच बड़ा ही घनिष्ठ, सहजीवी संबंध है। दुनिया के सभी प्रगतिशील चिंतकों का यह मानना है कि स्थायी आर्थिक और सामाजिक विकास केवल विकसित लोकतंत्र में ही संभव है। अर्थव्यवस्था और व्यापार के सिद्धांतों को समाज के मूलभूत सिद्धांतों के अधीन होना पड़ता है, इसमें लोग हमेशा और सभी जगह स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थितियों में अपनी नियति को साकार करना पसंद करते हैं।

मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगली शताब्दी और नई सहस्राब्दि में वही राष्ट्र विजेता होंगे, जो लोकतंत्र को अपनाएंगे, संरक्षण प्रदान करेंगे, उसे बढ़ावा देंगे और साथ ही उद्यमों के अनुकूल आर्थिक नीतियों का पालन करेंगे। इस संदर्भ में भारत की स्थिति बेहतर है। अगर हम अपने इतिहास के सभी स्वर्णिम युगों पर एक निगाह डालें तो जो समान तत्व मिलते हैं, उनमें तीन विशेषताएँ ऐसी हैं, जो परस्पर संबद्ध हैं :

- पहली, लंबे समय तक शांति, स्थिरता और बेहतर शासन रहने पर ही सबके लिए खुशहाली लाना संभव होता है;

- दूसरी, हमारे किसानों व्यापारियों और उद्यमियों ने हमेशा गतिशीलता का परिचय दिया है तथा प्रशासनिक व्यवस्था ने उन्हें विकास की सभावनाओं का पूरा लाभ उठाने में मदद पहुँचाई है;
- और इन्हीं के साथ, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कृषि, व्यापार और उद्योग में सपन्न उत्पादक वर्ग ने एक व्यापक दृष्टिकोण का परिचय दिया—उन्होंने लालच और वैभव का मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि करुणा, भाईचारे और परोपकार की भावना से समाज की मदद की।

आज के भारत को इतिहास से सबक लेना चाहिए। हमें एक बार फिर से उन समान तत्वों को अवश्य बहाल करना और सक्रिय बनाना होगा— निश्चय ही, आज की विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में ऐसा करना होगा। अगर हम ऐसा कर सकें तो भारत न केवल तेजी से गरीबी, बेरोजगारी और विकास के मार्ग की रूकावटें दूर करने में सफल होगा, बल्कि नई सहस्राब्दि में एक बार फिर से पुनर्जीवित राष्ट्र के रूप में उभरेगा।

आप सभी विशिष्ट भारतीय व्यापारी हैं। मैं आपको विकास के इस आदर्श को हासिल करने के मार्ग में सरकार के हमसफर के रूप में देखता हूँ। हमारी जनता की महत्वाकांक्षाएँ बहुत ऊँची हैं, मैं उन पर अधिक बल नहीं दे सकता। मैं काफी समय से राजनीति में हूँ, लेकिन लोगों में, खासकर गावों, कस्बों और शहरों में उपेक्षित क्षेत्रों में, विकास के प्रति लोगों की जैसी आकांक्षा मैंने चुनाव-अभियान के दौरान देखी, वैसी पहले कभी दिखाई नहीं दी। मतदाताओं की आंखों में जो उत्सुकता और आकांक्षा दिखाई दी, वह मेरे दिल में बस गई। उनकी मांगें मेरे कानों में गूँज रही हैं। उनकी जरूरतें सामान्य और बुनियादी किस्म की हैं। सभी जगहों पर लोगों को पानी, बिजली, बेहतर सड़कें, बेहतर अस्पताल—और सबसे ऊपर उन्हें रोजगार की आवश्यकता है। उनकी वैध एवं लोकतांत्रिक आवश्यकताओं की अब और अनदेखी नहीं की जा सकती।

यह महत्वपूर्ण लक्ष्य अधिक तीव्र और अधिक सतुलित आर्थिक विकास से ही हासिल किया जा सकता है। आर्थिक विकास ही क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताएँ दूर करता है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि तीव्र विकास सुधारों में तेजी लाकर ही संभव है। इसीलिए हमने हर साल सात से आठ प्रतिशत विकास का लक्ष्य रखा है। 17 महीने के अपने पिछले शासन में हम सुधार-प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध रहे। आर्थिक, प्रशासनिक और कानूनी सुधारों के अगले चरण में हम इस प्रक्रिया का विस्तार करने और इसमें तेजी लाने के प्रयास करेंगे। अपेक्षित विधि संबंधी परिवर्तनों के साथ वित्तीय क्षेत्र के सुधार इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था के अधिकतर क्षेत्रों का तेजी से जीर्णोद्धार हो रहा है। इस वर्ष बेहतर उपलब्धियों के लिए मैं भारतीय उद्योग और व्यापार जगत-कर्मचारियों, प्रबंधकों, उद्यमियों और निवेशकों- को बधाई देता हूँ। सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य उद्योगों में अपने युवा उद्यमियों की शानदार सफलताओं पर मुझे विशेष खुशी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आने वाले वर्ष में अधिक तेजी से आगे बढ़ेंगे और बड़ी सफलताएं हासिल करेंगे। संसद में दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण में सामाजिक-आर्थिक विकास तेज करने के लिए सरकार की कार्यसूची का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। मैं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आने वाले हफ्तों और महीनों में समयबद्ध कार्यसूची पर अमल के बाद स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जाएगी।

पिछले वर्ष इसी अवसर पर बोलते हुए मैंने दूरसंचार क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की थी। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने उन्हें लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 1999 की नई दूरसंचार नीति रिकार्ड समय में तैयार और स्वीकार की गई- और, मैं इस बात पर अवश्य बल देना चाहूंगा कि नई दूरसंचार नीति अत्यंत पारदर्शी और भागीदारीपूर्ण ढंग से तैयार की गई है।

मुझे यह जानकारी है कि दूरसंचार क्षेत्र में कई समस्याएं अभी बनी हुई हैं। इनमें अन्य बातों के अलावा, उपयुक्त कानूनी संशोधन के जरिए ट्राई को मजबूत बनाना और 1985 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के स्थान पर एक ऐसा व्यापक कानून बनाना शामिल है, जो दूरसंचार, कंप्यूटर, टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स की क्रांतिकारी समरूपता को पूरी तरह दर्शा सके। दूरसंचार सेवा विभाग के निगमीकरण की स्पष्ट रूपरेखा भी जरूरी है। भारत में इंटरनेट का प्रसार, विशेषकर 'गेटवे नीति' के उदासीकरण के जरिए, तेजी से प्रसार करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष नीति (आईएसपी) को लागू करने में आड़े आने वाली समस्याओं को भी दूर करना होगा। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता में एक कार्यदल का जल्दी ही गठन किया जाएगा, जो इन समस्याओं और अन्य संबद्ध मुद्दों का समाधान करेगा।

इसी बैठक में पिछले वर्ष मैंने महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की घोषणा की थी, जिसमें पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण के मार्गों को शामिल करने का प्रस्ताव है। हालांकि इस परियोजना पर कुछ कार्य पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन मैं यह महसूस करता हूँ कि हमें एक स्पष्ट कार्यक्रम की आवश्यकता है, जिसमें समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित हो, ताकि परियोजना को तेजी से लागू किया जा सके। मूलभूत ढांचे के बारे में गठित कार्यदल इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देगा। इस परियोजना और साथ में भवन-निर्माण और कृषि-प्रसंस्करण जैसी नई परियोजनाओं पर सरकार द्वारा बल दिए जाने से देश भर में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राजकोषीय स्थिति के बारे में बड़ी चिंता प्रकट की जा रही है। खासकर, राज्यों की वित्तीय हालत के प्रति हम अधिक चिंतित हैं। केन्द्र और राज्य, दोनों ही स्तरों पर वित्तीय अनुशासन कायम करने पर उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। केन्द्र ने करों में सुधार और खर्च-प्रबंध के बारे में कई उपाय पहले ही शुरू कर दिए हैं। राज्य सरकारों को भी अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए इन उपायों को लागू करने में केन्द्र के साथ सहयोग करना होगा। आपके अध्यक्ष श्री सुधीर जालान ने मुझे याद दिलाया है कि सरकार को ठोस विधायी और प्रशासनिक कार्य करने होंगे। निश्चय ही उन्होंने अति प्रशंसा में यह कहा कि “अगर कोई सरकार इन चुनौतियों का सामना कर सकती है तो वह अपनी सरकार ही है”- इस बारे में मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि हा हमारी सरकार ऐसा करेगी।

किन्तु, जन-आकांक्षाओं और सरकार की उपलब्धियों के बीच अंतराल दूर करने के लिए सिर्फ सरकारी मशीनरी को ही अपने कर्तव्य का बोध होना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि व्यापार और उद्योग जगत भी अपने दायित्व का निर्वाह करे, विशेषकर

- भारतीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अधिक कार्यकुशलता लाने के लिए तेजी से अपना पुनर्गठन करना चाहिए, अपने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करनी चाहिए, और अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना भली-भांति किया जा सके।
- उन्हें अपने कर्मचारियों के लिए और उस समुदाय के लिए सामाजिक ढांचा सुदृढ़ करने में योगदान करना चाहिए, जिसमें वे अपना धंधा संचालित करते हैं, और इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य-देखभाल, आवास और सफाई सुविधाओं का प्रसार करना चाहिए।
- उन्हें छोटे और मध्यम उद्यमियों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए और उनकी विकास आवश्यकताओं में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि इन उद्यमों में रोजगार के अवसर पैदा करने की पर्याप्त क्षमता है।
- उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के समय आम लोगों के कष्ट दूर करने का दायित्व निभाना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि व्यापार जगत ने, हालांकि उडीसा में, तूफान-पीड़ितों की मदद के राष्ट्रीय प्रयास में अपना योगदान दिया है, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस काम में और मदद की जानी चाहिए।

मैं इन दायित्वों को व्यापारिक समुदाय द्वारा पूरा किया जाने की आवश्यकता पर अधिक जोर नहीं दे सकता। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों में अपने प्रति अधिक सद्भाव पैदा होगा। अगर सरकार और व्यापार जगत मिलकर यह प्रदर्शित नहीं कर पाए कि सुधारों का लाभ सबसे गरीब और उपेक्षित लोगों को मिलेगा, तो हम सुधारों के प्रति समुचित समर्थन नहीं जुटा पाएंगे। इसके विपरीत जितना अधिक हम यह सिद्ध कर सकेंगे कि सुधारों का लाभ प्रत्येक व्यक्ति के लिए है और राष्ट्र के स्वस्थ विकास में उनका योगदान है, उतना ही अधिक जन-समर्थन सुधारों को तेजी से लागू करने के लिए जुटाया जा सकेगा। लोकतंत्र में लोगों के समर्थन के बिना स्थायी रूप से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। हमें खास तौर पर कुछ कड़े, लेकिन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में उनके समर्थन की आवश्यकता है। इन उपायों की चर्चा श्री जालान ने भी अपने भाषण में की।

मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि आगे आने वाली राह कठिन है, लेकिन यात्रा अत्यंत लाभप्रद रहेगी। अगर हम मजबूती और तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम वांछित लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे— विशेषकर इसलिए कि धीमी चाल से अगर चलेंगे तो दुनिया हमें पीछे छोड़ देगी। भारत के सौ करोड़ लोगों को साथ लेकर सरकार और व्यापारिक समुदाय को अगली सदी और सहस्राब्दि की उस राह पर आगे बढ़ना है— जो भारत को मजबूती, खुशहाली और जिम्मेदारी की ओर ले जाए।

आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी पहल

विश्व आर्थिक मंच और सी आई आई. द्वारा आयोजित भारत आर्थिक मंच के उद्घाटन सत्र में आपके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं विशेष रूप से विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूँ और कामना करता हूँ कि दिसंबर के शीतकालीन मौसम में उनका दिल्ली प्रवास खुशगवार हो।

वैसे, मुझे विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर, विशेषकर सिएटल में वार्ता कक्षों के भीतर और बाहर हुई गर्मा-गर्मी को देखते हुए आप सभी का ध्यान इस मुद्दे पर केंद्रित है। यह स्वाभाविक ही है। इस शताब्दी का आखिरी महीना चल रहा है। लेकिन

एक बात सभी समझ रहे हैं कि दुनिया एक सदी से दूसरी सदी में या फिर एक सहस्राब्दि से दूसरी सहस्राब्दि में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सबधों के एक युग में कदम रख रही है।

आज अचानक सभी देश अपने आपको, विशेषकर व्यापार और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक-दूसरे पर पहले से अधिक निर्भर रहने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीयकरण के इस स्वरूप से निश्चय ही आने वाली सदियों में परस्पर-निर्भरता में और वृद्धि होगी। लेकिन एक असमानतापूर्ण विश्व में परस्पर निर्भरता का यह स्वरूप बिगड़कर प्रभुत्वशाली और आश्रित के बीच का सबध बनकर रह जाता है। ऐसे युग में, जहाँ स्वतंत्रता, लोकतंत्र, असमानता और बहुवाद सार्वभौमिक मूल्यों के रूप में अंगीकार किए जाने लगे हों, इस प्रकार के सबध को सिद्धांत रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता।

ऐसी परिस्थितियों में सिएटल में विश्व व्यापार सगठन की वार्ताओं की विफलता खेद का विषय है। स्वाभाविक है कि व्यापार से जुड़े मुद्दों के बारे में विभिन्न देशों के बीच ऐसे समझौतों की जरूरत है, जो प्रभुत्व और एक पक्षीय लाभ पर आधारित न हों। किसी समझौते पर पहुंचने के लिए आम सहमति की भावना के साथ-साथ, बाहरी मुद्दों को व्यापार से जोड़ने से बचना जरूरी है। भारत जैसे विकासशील और घनी जनसंख्या वाले देशों को अपने मूलभूत हितों की रक्षा करनी है। भारत यही करेगा। अमीर देशों को इस यथार्थ को समझना चाहिए। भारत उत्सुकता के साथ इन वार्ताओं के शीघ्र शुरू होने की राह तक रहा है। स्वाभाविक ही है कि विश्व के विविध देश और संस्कृतिया अंतर्राष्ट्रीयकरण को उम्मीदों और आशंकाओं, दोनों ही तरह से देख रहे हैं। उम्मीदें इसलिए कि दुनिया ने विश्व व्यापार और आर्थिक प्रगति के फायदों को स्पष्ट रूप से देख लिया है। साथ ही आशंकाएं भी हैं, क्योंकि असमानताएं और असंतुलन बने हुए हैं और उनके साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इनके परिणाम भी सामने दिखाई पड़ रहे हैं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस सदी तथा इसके पहले की सदियों में होने वाले टकरावों की जड़े देशों के परस्पर व्यापारिक व आर्थिक संबंधों के अन्यायपूर्ण असमान और शोषक स्वरूप में रही हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे दौर में उपनिवेशवाद समाप्त हो चुका है, लेकिन इसका जन्म आर्थिक शोषण के चलते ही हुआ था। विश्व व्यापार और अर्थव्यवस्था की प्रणाली की कमियों का सबसे निकृष्ट स्वरूप दो विश्व युद्धों के रूप में सामने आया था। इन युद्धों से सभी देशों को, चाहे वे गरीब थे या अमीर, अकथनीय कष्ट भुगतने पड़े थे।

आर्थिक विकास

आज जब हम 21वीं शताब्दी की दहलीज पर खड़े हैं, तो अतीत की इस संक्षिप्त-सी समीक्षा में हम सबके लिए इतिहास की एक चेतावनी छुपी हुई है।

सभी सरकारों, व्यापारों और प्रशासनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्व व्यापार, कारोबार और अर्थव्यवस्था को औचित्य, समानता और निर्भरता के आधार पर विकसित करने की है। यही हम चाहते हैं कि अगली शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीयकरण के वांछित लाभ हमें मिलें, तो हमें ध्यान रखना होगा:

- कुछ का लालच नहीं, बल्कि सबका भला हो,
- अल्पावधि नहीं, बल्कि दीर्घावधि विकास हो, और
- अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से उपजा टकराव नहीं, बल्कि पूरक शक्तियों पर आधारित सहयोग बढे।

नब्बे के दशक ने दर्शा दिया है कि बाजार-प्रेरित, परंतु सुनियोजित आर्थिक सुधारों की लोकप्रियता का दायरा विश्व-भर में लगातार फैलता जा रहा है। विकासशील और विकसित, दोनों ही तरह के देशों के लोग उदारतावाद और अंतर्राष्ट्रीयकरण का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि उन्हें विश्वसनीय ढंग से आश्वस्त कर दिया जाए।

- इन सुधारों से सबसे, विशेषकर निर्धनतम और सर्वाधिक वंचित लोगों को फायदा पहुंचेगा,
- पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और
- उनकी अपनी प्रिय, राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान बनी रहेगी।

जिम्मेदारी केवल सरकारों व राजनीतिज्ञों की ही नहीं है कि वे इन चिंताओं को मुखरित करें और ईमानदारी से इनका समाधान करने का प्रयास करें, विशेषकर इसलिए क्योंकि सरकार की भूमिका हर तरफ फिर से परिभाषित की जा रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की व्यापार सस्थाओं को भी इस प्रयास में पूरी-पूरी भागीदारी निभानी चाहिए। अच्छे व्यापार के भविष्य के लिए भी यह जरूरी है।

प्रिय व्यापारी बंधुओ, यदि आपकी अपनी ही भाषा में कहें, तो व्यापार जगत जितना विश्व का ध्यान रखेगा, विश्व उतना ही उनके लिए जोखिमों को कम करेगा तथा उनकी आमदनी को बढ़ाएगा।

इसके लिए सरकारों और व्यापारों के बीच सिद्धांत रूप से नए संबंधों की जरूरत

है। मैं इस संबंध को साझेदारी का धर्म कहता हूँ। टकरावपूर्ण लक्ष्यों की बात तो जाने दीजिए, इन दोनों के लक्ष्य विपरीत भी नहीं हो सकते। हमारी भूमिकाएं एक-दूसरे की पूरक हैं और दोनों का एक ही लक्ष्य है, और वह लक्ष्य है— जन-कल्याण को बढ़ावा देना। साझेदारी की अवधारणा से सरकारों और व्यापारों के कुछ साझे दायित्व उत्पन्न होते हैं। इनमें से एक है— लोगों के प्रति जवाबदेही। उदाहरण के लिए, मैं अक्सर खुद से पूछता हू कि केवल सरकार के और लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि ही क्यों अपने क्रियाकलापों के लिए जवाबदेह हो? क्या शेयरहोल्डरो के सीमित समूह से ऊपर उठकर व्यापार की जनता व समाज के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है?

दरअसल, आज के हमारे युग में व्यापार के निजी स्वामित्व के मायने ही बदल गए हैं। किसी-न-किसी तरह से आज के अधिकांश व्यापारों पर जनता का स्वामित्व है, चाहे वे इनके प्रबंध या संचालन में सीधे शामिल न हों, फिर भी ऐसी स्थिति में यह सोचा भी नहीं जा सकता है कि व्यापार ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति पर वैध रूप से लगा रहे, जिनसे अतत समाज का भला नहीं होगा।

मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि विश्व आर्थिक मंच और सी.आई.आई ने अपने वार्षिक शिखर सम्मेलनों के जरिए इन व्यापक चिंताओं पर उपयोगी चर्चा चलाने में काफी योगदान किया है।

भारत अब प्रगति के मार्ग पर मजबूती से बढ़ चला है। हमारी सरकार ने आर्थिक सुधारों का एक साहसिक प्रगतिपरक कार्यक्रम अपनाने का सकल्प लिया है। हमारा लक्ष्य सात से आठ प्रतिशत की स्थाई वृद्धि दर प्राप्त करने का है, जो गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलनों में तेजी से व स्पष्ट रूप से कमी लाने के लिए जरूरी है। प्रगति की दरों में तेजी लाने और लंबी अवधि तक वृद्धि दरों को बनाए रखने की कड़ी चुनौती का हमें एहसास है। समूचे देश में सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने की मांग उठ रही है। मुझे विश्वास है कि अगले पाच वर्षों में हम अपने देशवासियों की आकांक्षाओं को काफी हद तक पूरा कर पाएंगे। हमें न केवल विकास की समस्याओं का पता है, बल्कि हमें इन समस्याओं को सुलझाने के तरीकों का भी ज्ञान है।

आज भारत में विविध पार्टियों में एक आम-सहमति उभरती जा रही है कि विकास की हमारी कई समस्याओं का समाधान आर्थिक सुधारों के दायरे को बढ़ाने में है। नब्बे के दशक के अंतिम वर्ष ऐसे दौर के रूप में दर्ज किए जाएंगे, जब भारत ने दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ सुधारों का रास्ता चुना। हाल ही के चुनावों में भारत के लोगों से फिर से प्राप्त जनादेश के बूते पर सरकार ने उचित नीतियों, कार्यक्रम और

विधायी पहल तय करनी शुरू कर दी है। मुझे विश्वास है कि भारत के और विदेशों के व्यापारिक समुदायों ने पिछले सप्ताह लोक सभा में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक और विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक के पारित होने पर गौर किया होगा।

इस बड़ी सफलता के बाद, अब हम ऐसे वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की तरफ कदम बढ़ाएंगे, जो हमारे बैंकों, वित्तीय संस्थानों और शेयर बाजारों की कार्यकुशलता को और बढ़ाएंगे। हमारी सरकार विद्युत क्षेत्र, दूरसंचार क्षेत्र, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और राजमार्गों जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी निर्णायक रूप से कदम बढ़ाएगी। हम अपने निर्यातों की मात्रा और इसकी विविधता बढ़ाने के लिए कृत-संकल्प हैं। अब हमारा ध्यान निर्यात लेने और नीतियों व परियोजनाओं पर अमल करने की दिशा में सुधार करने पर होगा, जिससे कि निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश के लिए इन क्षेत्रों को अधिक आकर्षक बनाया जा सके। इस दिशा में सरकार विलंबकारी नियमों व पद्धतियों को अत्यंत सरल बनाएगी।

हमारी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी का चयन किया है, जिसमें समृद्धि लाने की असीम संभावनाएं हैं और इसलिए इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। आज दुनिया साफ्टवेयर विकास में भारतीयों की क्षमता और कार्यप्रदर्शन का पूरी तरह लोहा मान गई है। उन्होंने विदेशों में सफलता की अनेक कहानियों को जन्म दिया है। लेकिन, जैसा कि आप जानते हैं, सफलता की ये कहानियां भारत में भी लिखी जाने लगी हैं। हमारी सरकार ऐसी स्थितियां बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें भारत में रहकर व काम करके उद्यमशील युवा भारतीयों को 'सिलिकॉन घाटी का जादू' फिर से रचने की प्रेरणा मिल सकेगी।

सम्मानित व्यापारी बंधुओं, मैं केवल पांच शब्दों में आर्थिक क्षेत्र में सरकार की बहुआयामी पहलों को संक्षेप में आपके सम्मुख रख सकता हूँ। ये शब्द हैं— “भारत प्रगति पथ पर है।” इस सदी के अंतिम दशक के अनुभव ने हमें कई काम की बातें बताई हैं, जैसे कि अगली सदी के पहले दशक में भारत कैसे तेजी से आगे बढ़ सकता है। दुनिया शीघ्र ही एक मजबूत, समृद्ध भारत का उदय होते देखेगी, जिसमें उसके सभी एक अरब नागरिकों की जरूरतें पूरी होंगी।

आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने को तत्पर भारत, विश्व अर्थव्यवस्था के लिए स्थायित्व व दीर्घावधि प्रगति का स्रोत तो होगा ही, यह देश विश्व व्यापार व कारोबार की एक ऐसी उचित समतापूर्ण प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा, जो आने वाले काल में शांति व समृद्धि का ठोस आधार सिद्ध होगी। अपनी प्रगति और विश्व-प्रगति के इस

लक्ष्य की प्राप्ति में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय से सक्रिय भागीदारी का आग्रह करता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि भारत में अच्छी व्यापार सभावनाएँ हैं तो भविष्य में यह और भी बेहतर सिद्ध होगी।

सूचना प्रौद्योगिकी व्यापार को और अधिक सफल बनाएं

सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए नेशनल वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत करते हुए आज मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। इस क्षेत्र में उभरते हुए नए उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे इन प्रयासों के लिए मैं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आई.डी.बी.आई. और सिडबी का आभार व्यक्त करता हूँ। नवगठित सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भूमिका की खास तौर पर प्रशंसा करना चाहूंगा। ऐसा लगता है कि मंत्रालय ने एक जोरदार शुरुआत की है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जितनी ही अधिक जानकारी मिलती है, उतना ही मुझे लगता है कि विज्ञान और व्यापार दोनों ही क्षेत्रों में आई.टी. उद्योग अपने नए प्रयासों से पैठ जमाते जा रहे हैं। इन प्रयासों को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की पूंजी वेचर कैपिटल की आवश्यकता होती है— क्योंकि सॉफ्टवेयर और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े जानकारी आधारित उद्योग काफी जोखिम भरे होते हैं। लेकिन परिणाम काफी उत्साहजनक हो सकते हैं।

अपने आत्मविश्वास, मेहनत और नए विचारों से इस उद्योग के जोखिम को सफलताओं में बदला जा सकता है। मुझे खुशी है कि आई.टी. उद्योग से जुड़ी हमारी युवा पीढ़ी में ये तीनों ही गुण कूट-कूट कर भरे हुए हैं। सिर्फ एक चीज जिसकी कमी उन्हें महसूस होती है वह है पूंजी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकतर लोग, जो इस क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हैं, वे मध्यम वर्ग के हैं और व्यवसाय की दिशा में यह उनका पहला प्रयास होता है। यहीं पर जोखिम भरे उद्योगों को बचाने वाली पूंजी यानि वेचर कैपिटल की जरूरत आ पड़ती है।

सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी के नेशनल वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत करते समय दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 10 दिसंबर 1999

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय आई टी कंपनियों ने सफलता के कई सोपान तय किए हैं। यहां तक कि कोई सप्ताह ऐसा नहीं बीतता जब आई.टी क्षेत्र में सफलता की एक नई कहानी अखबारों में सुर्खी न बनती हो। हाल तक ऐसी सफलताओं के पीछे विदेशों में रह रहे भारतीय विशेषज्ञों का हाथ होता था- लेकिन यह बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा देश सफलता के नए आयाम रचने में अब पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है।

आई टी क्षेत्र में मिल रही इन सफलताओं से न सिर्फ शेयर बाजारों में ही उत्साह का माहौल बना है बल्कि स्कूलों, कालेजों और घरों में भी अपने देश के भविष्य को लेकर लोग उत्साहित हैं। हम लोग यह कह सकते हैं- यह भावना हर भारतीय में तेजी से पनप रही है। आई टी क्षेत्र से जुड़े कई प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी नौजवान मुझसे कहते हैं कि जब भारत के ही लोग सिलिकॉन वैली में जाकर अपनी प्रतिभा का झंडा गाड़ सकते हैं तो अपने ही देश में ऐसा चमत्कार क्यों नहीं हो सकता।

हमारे देश के प्रतिभाशाली इन आई टी विशेषज्ञों के सपनों को वेचर कैपिटल फंड साकार बना सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई और भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थान इसी तरह के वेचर फंड की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूँ, और आश्वासन देता हूँ कि सरकार उनके प्रयासों में हर सभव मदद करेगी और सहयोगात्मक रवैया अपनाएगी।

हमारी सरकार ने फैसला किया है कि देश में ही ऐसा अनुकूल माहौल तैयार किया जाएगा कि अधिक से अधिक आई.टी. उद्योग अपनी ही धरती पर विश्व स्तर के होकर उभरें। इससे न सिर्फ आर्थिक लाभ होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इसके साथ ही क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता को दूर करने में भी मदद मिलेगी।

साथियों, सरकार ने पहली बार इस तरह की पूंजी की दिशा में पहल की है- विशेषकर ऐसे क्षेत्र में जो अब तक अछूता रहा हो। इसलिए मैं इस पूंजी के संचालकों से अनुरोध करूंगा कि वे पूंजी प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को अपनाएं और नौकरशाही को इस पर हावी न होने दें। अगर आवश्यकता हुई तो इसमें और सुधार लाया जाएगा। इसके लिए हम पहले से ही विदेशों में सफल ऐसे वेचर फंड संस्थानों से और अधिक जानकारी ले सकते हैं।

सिलिकॉन वैली के इंडस इंटरप्रेन्योर ग्रुप के एक प्रतिनिधिमंडल से कल मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्हें नई आई.टी कंपनियों को बढ़ावा देने और उनके वेचर फंड के प्रबंधन का खासा अनुभव है। यहां तक कि वे परंपरागत

वेचर फंड से भी एक कदम आगे ऐंजल फंड की दिशा में बढ़ गये हैं।

मुझे यह बताया गया कि अमरीका में रह रहे सफल भारतीय आई टी व्यवसायियों ने ऐंजल फंड बनाया है। इस फंड का इस्तेमाल प्रतिभावान युवा पीढ़ी की योग्यता को और निखारने के लिए किया जाता है। ऐंजल फंड के प्रबंधक नई कपनिया खोलने और उन्हें चलाने के लिए आर्थिक सहायता तो देते ही हैं, साथ ही जब तक ये कपनिया पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो जाती तब तक उन्हें परामर्श सेवाएं भी देते हैं। एक तरह से देखें तो भारत के लिए ऐसे फंड या पूंजी की अवधारणा कोई नई नहीं है। भारत के इतिहास में यह बात सामने आती है कि परंपरागत व्यवसाय में लगा हमारा वर्ग भी नए उद्यमियों को न सिर्फ सहायता देता है बल्कि बहुमूल्य परामर्श भी प्रदान करता है।

मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं लगता कि आने वाले वर्षों में वेचर कैपिटल फंड लोकप्रिय हो जाएगा, लेकिन मैं खास तौर पर भारतीय आई टी उद्योग में ऐंजल फंड की सस्कृति भी विकसित होते देखना चाहूंगा।

मुझे विश्वास है कि एक अरब रुपये के नेशनल वेचर कैपिटल की जो शुरुआत आज हम कर रहे हैं उससे आई टी उद्योग से जुड़े कई नए व्यवसाय पुष्पित-पल्लवित हो सकेंगे।

भारत को ज्ञान-विज्ञान की महाशक्ति बनाना है

ज्ञान-विज्ञान की सहस्राब्दि में भारत विषय पर विश्व-स्तर की इस सभा में उपस्थित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यह बात ध्यान देने की है कि यह सभा नई सहस्राब्दि की पूर्व-संध्या पर हो रही है। पहली औद्योगिक क्रांति के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यह भारत पर अपना असर छोड़े बिना निकल गई। अब कोई यह न कहने पाए कि 21वीं शताब्दी में राष्ट्रों की नियति तय करने वाली ज्ञान-विज्ञान की क्रांति के वक्त भारत चौकस नहीं था। यही सुनिश्चित करने के लिए हमें अभी से पूरे तालमेल के साथ काम करना होगा।

भारतीय संदर्भ में ज्ञान-विज्ञान की क्रांति के उत्प्रेरक प्रभाव पर केंद्रित इस सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री- एसोचेम को बधाई देना चाहता हूँ। इस क्षेत्र के जाने-माने विशेषज्ञ यहा जमा हुए हैं और अगले कुछ दिनों में एक-दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी यह बहस उद्योगों तथा सरकार के लिए महत्वपूर्ण नीतिया बनाने में उपयोगी साबित होगी।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस शताब्दी के अंतिम दशक के उत्तरार्द्ध में शासन प्रणाली तथा कारोबार में ज्ञान-विज्ञान का जो बोलबाला हो गया है, वह टेक्नोलोजी तथा उपक्रमों के प्रबंधन में जबरदस्त प्रगति का नतीजा है। इसने समूचे विश्व में आर्थिक और औद्योगिक प्रगति की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। नतीजा यह हुआ है कि आज भूमि, श्रम और पूंजी जैसी उत्पादन की परंपरागत शक्तियों का महत्व 'ज्ञान की पूंजी' के मुकाबले कम हो गया है।

'उत्पादन के मोर्चे' के इस विस्तार से ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ है। इस नई अर्थव्यवस्था में सूचना टेक्नोलोजी सबसे आगे है और बायो-टेक्नोलोजी, औषधि उद्योग, परामर्श सेवा और वित्तीय सेवाएं जैसे क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। ज्ञान-विज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं- तेजी से बदलता टेक्नोलोजी संबंधी आधार तथा उच्च-स्तर का लचीलापन। ज्ञान-विज्ञान के प्रबंधन में सफलता के लिए कुछ बातें बेहद जरूरी हैं, जैसे- नई खोज की क्षमता, श्रम शक्ति के समग्र कौशल का लाभ उठाने की क्षमता और तेजी से बदलती बाजार परिस्थितियों के अनुसार तेजी से कार्रवाई।

भारत के पास इस क्षेत्र में ऐसी क्षमता है, जिसके बल पर वह प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकता है। सूचना टेक्नोलोजी में उसका कौशल और उद्यमिता खास तौर पर उल्लेखनीय हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है- साफ्टवेयर। लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के विकास के लिए अलग तरह का माहौल बनाना होगा। यहीं पर भारत अपने ज्ञान तथा कौशल के उस मजबूत आधार का फायदा उठा सकता है, जो पिछली पांच सहस्राब्दियों से अधिक समय में विकसित हुआ है।

भारत को ज्ञान-विज्ञान की महाशक्ति बनाने के लिए कई मोर्चों पर समन्वित कार्रवाई करनी होगी। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र इस प्रकार हैं :

- सूचना टेक्नोलोजी, दूरसंचार, बायो-टेक्नोलोजी, औषधि निर्माण, वित्तीय सेवाएं और उद्यम प्रबंधन,

- विश्व-स्तरीय नेटवर्किंग,
- शिक्षा के माध्यम से नई बातें सीखने को उत्सुक समाज का विकास,
- नीतियों के निर्माण और उन्हें लागू करने में सरकार, उद्योग और शैक्षिक क्षेत्र के विद्वानों के बीच जीवंत संपर्क, और
- क्षमताओं तथा अवसरों पर आधारित आर्थिक व व्यावसायिक समन्वय।

वांछित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन सब पर कार्रवाई के साथ-साथ, लगातार निगरानी भी रखनी होगी, तभी समय-समय पर आवश्यक सुधार किए जा सकेंगे।

वर्तमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण शर्त के रूप में सिर्फ विकास पर जोर देना काफी नहीं होगा। सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी संगठनों तथा उनमें काम करने वाले लोगों की नई पहल और खोज की क्षमता बढ़ाने पर जोर देना होगा। व्यापार और सूचना प्रक्रिया के विश्वव्यापीकरण से वैचारिक क्षेत्र में नई प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई हैं। ये प्रवृत्तियाँ सूचना प्रणाली और डेटा बेस के माध्यम से उपलब्ध ज्ञान के प्रबंध की आवश्यकता से प्रेरित हैं। विचार और व्यवहार के कुछ क्षेत्र तो पुराने पड चुके हैं और उनकी जरूरत भी नहीं रह गई है, जब कि कुछ अन्य में परिमार्जन हुआ है और उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। इंटरनेट के जरिए नेटवर्किंग की ताकत ने आज व्यापार और शासन-तंत्र के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इस ताकत के आगे दूरी और संस्कृति की बाधाएं भी समाप्त हो गई हैं। यह सब पिछले पाच सालों में हुआ है।

मुझे महान वैज्ञानिक मेघनाद साहा के जीवन की एक घटना याद आ रही है। अपने विद्यार्थियों की परीक्षा लेते समय उन्होंने लगातार दो सप्ताह तक उनसे एक जैसे सवाल पूछे। दूसरे सप्ताह एक विद्यार्थी ने जब बार-बार वही सवाल पूछने के औचित्य के बारे में जानना चाहा तो इस पर मेघनाद साहा ने कहा : "सवाल वही हैं, मगर इनके जवाब बदल गए हैं।"

यही आज के युग का समग्र सत्य और मूल मंत्र है। नई सहस्राब्दि में हमें अपनी पुरानी समस्याओं के नए समाधान खोजने होंगे। साथ ही हमें नई चुनौतियों से निपटने की तैयारियाँ भी करनी होंगी।

गरीबी दूर करने और समानता पर आधारित न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की बुनियादी चुनौती विकास संबंधी हमारी पहल का केंद्रीय विषय बनी रहेगी।

ऐसी ही सामाजिक व्यवस्था में लोग अपनी वास्तविक क्षमताओं का पूरा-पूरा फायदा उठा पाएंगे।

ज्ञान पर आधारित समाज के निर्माण से हम इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए लंबी छलांग लगा सकेंगे और तत्काल कोई समाधान खोज सकेंगे। हमेशा की तरह इन समाधानों की कुंजी प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के लिए ज्ञान को प्राथमिक साधन के रूप में इस्तेमाल करने और इस विशेषता को लगातार बनाए रखने की होगी।

इक्कीसवीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का फायदा उठाने के लिए हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम पिछड़ सकते हैं। मेरी सरकार इस तरह के राष्ट्र के निर्माण के लिए कृत-संकल्प है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप भी इस प्रक्रिया में अपना योगदान करें।

यहां मैं उद्योगों की भूमिका का भी जिक्र करना चाहूंगा। औद्योगिक विकास और निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। सरकार ने व्यक्तियों तथा संगठनों की शक्ति के विकास के लिए अनेक सुधारों के जरिए बेहतर माहौल बनाने का प्रयास किया है। चाहे वित्तीय सुधार हों, अत्यंत महत्वपूर्ण दूरसंचार क्षेत्र हो, औद्योगिक उदासीकरण हो या बुनियादी ढांचे का विकास हो, मेरी सरकार इनकी तात्कालिकता को ध्यान में रखकर कदम उठा रही है। सूचना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आशातीत विकास से उत्साह और उम्मीद का जो माहौल बना है, वह देखने की चीज है। यह अनुकूल वातावरण बनाकर स्वदेशी प्रतिभाओं के कौशल का फायदा उठाने के सरकार के प्रयासों का नतीजा है।

लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह सफलता केवल सूचना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र तक सीमित न रहे, बल्कि विकास की प्रक्रिया में शामिल सभी की भागीदारी से उत्पादन और सेवा जैसे अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हो। यही हमारा आगे का मार्ग है। उद्योगों को और अधिक प्रतिस्पर्धी संगठनों के विकास के लिए प्रबंधन प्रक्रिया पर नए सिरे से विचार करना होगा। पहले से विद्यमान और नवनिर्मित संसाधनों के माध्यम से जुटाए गए ज्ञान के उपादानों का उपयोग करना होगा। शायद यही सफलता का मूल मंत्र है।

वित्तीय प्रबंधन, सूचनाओं के मिल-जुलकर इस्तेमाल तथा सूचनाओं का संग्रह तैयार करने की नई विधियों का नए सिरे से मूल्यांकन करना होगा। व्यापार चिन्हों, यानी ब्रांड के विकास और इसे बढ़ावा देने के प्रयास और अधिक सावधानी तथा सघनता से करने होंगे। हमारे सामने जो कार्य है, वह कोई छोटा-मोटा काम नहीं है। मगर यह मेहनत और संकल्प से पूरा किया जा सकता है।

हमें औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने, मौजूदा तथा नए विकसित हो रहे बाजारों में अपना हिस्सा बढ़ाने, भागीदारों का आधार व्यापक करने, नई टेक्नोलोजी के विकास और विलंब कम करने का संकल्प लेना होगा।

एसोचेम के अध्यक्ष ने अपने भाषण में सरकार के बारे में कुछ मुद्दे उठाए हैं। मैं उनका यहां संक्षेप में जिक्र करना चाहूंगा। मेरी सरकार ने शपथ-ग्रहण करने के तुरंत बाद समाजिक-आर्थिक बदलाव की अपनी कार्यसूची जारी कर दी थी। हम और अधिक वित्तीय अनुशासन और फिजूलखर्ची रोकने के बारे में अपनी-अपनी वचनबद्धता फिर से दोहराते हैं। मैं इन मुद्दों पर आपके मन से किसी भी आशंका को दूर करना चाहता हूँ। जहां तक जनसंख्या को स्थिर करने का सवाल है, हम यह महसूस करते हैं कि इस मुद्दे पर अत्यंत शीघ्रता से विचार करने की आवश्यकता है। मेरी सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने में लगी हुई है और शीघ्र ही इसे जारी कर दिया जाएगा।

आर्थिक सुधार के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने और आम राय कायम करने में हमने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। मगर अभी काफी कुछ करना बाकी है, खास तौर पर आर्थिक सुधारों को लागू करने के तौर-तरीकों के बारे में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। जहां अतीत से हमारी आशाएं बढ़ती हैं, वहीं हमें इसकी सीमाओं को पार कर और अधिक प्रगतिशील भविष्य की ओर अग्रसर होना होगा।

हमारा देश ज्ञान पर आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। हमें इन स्थितियों का फायदा उठाना होगा, तभी भारत को नयी सहस्राब्दि में अग्रणी राष्ट्र बनाने का हमारा सामूहिक स्वप्न पूरा हो पाएगा, तभी भारत तीसरी क्रांति, यानी ज्ञान की क्रांति का नेतृत्व कर सकेगा।

आपने मुझे अपने कुछ विचार रखने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। एक पखवाड़े से भी कम समय में हम नए साल और नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। आने वाले साल सन् 2000 में आप सब सुखी और खुशहाल बने, यही मेरी कामना है।

सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि सतत और संवर्धित हो


पुनर्गठित आर्थिक सलाहकार परिषद की पहली बैठक में मैं आपका स्वागत करता हूँ। महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ विचारों के व्यापक आदान-प्रदान तथा अर्थव्यवस्था प्रबंधन के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को आधार प्रदान करने के उद्देश्य से इस परिषद का गठन अगस्त 1998 में किया गया था। इस परिषद की दो बैठकें हुईं। इसमें विचारों का आदान-प्रदान राष्ट्रीय बोध को आकार देने और अर्थव्यवस्था के बारे में हमारी अपनी सोच के क्रमिक विकास में उपयोगी साबित हुआ है। तथापि, आम चुनाव से पहले राजनीतिक अस्थिरता के कारण हमारे बीच संपर्क बाधित हो गया था।

नई सरकार के गठन के तुरंत बाद हमारी प्राथमिकता को दर्शाने वाले आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की पहचान की गई और इन्हे संसद में 25 अक्टूबर 1999 के राष्ट्रपति के अभिभाषण में समाहित किया गया। अभिभाषण में सरकार की मध्यम व अल्पकालिक चिंताओं, दोनों को शामिल किया गया। इसमें मोटे तौर पर विकासात्मक लक्ष्यों, जो हमने अपने लिए तय किए हैं, को भी स्थान दिया गया है।

परिषद की पिछली बैठक के बाद से अर्थव्यवस्था की तमाम सकारात्मक विशेषताएं सामने आई हैं, जिन पर गौर किया जाना चाहिए। मंदी के एक दौर के बाद अर्थव्यवस्था में सकारात्मक उछाल आया है। कुछ दिन पहले प्राप्त राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के ताजा आकलन के मुताबिक पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की वृद्धि-दर 5.9 फीसदी रही। दूसरी तिमाही में यह दर छह फीसदी से ऊपर थी, जब कि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में यह दर 4.2 प्रतिशत थी। इसे सेवा, उत्पादन और निर्माण-क्षेत्र में बेहतर निष्पादन से हासिल किया गया है। मुद्रास्फीति पूरी तरह नियंत्रण में रही। भुगतानों में संतुलन की स्थिति भी आरामदेह रही और विदेश व्यापार करीब 35 अरब डालर के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। यह सब इस वर्ष के अंत तक जी.डी.पी. वृद्धि 6 से 6.5 फीसदी के बीच रहने की उम्मीद करने के अच्छे कारण हैं।

ये लाभ सकारात्मक व संतोषजनक हैं। तथापि वृद्धि प्रक्रिया बहाल रहनी चाहिए और आने वाले वर्षों में इसमें गतिवर्धन होना चाहिए। आशाओं को आत्म संतोष का

आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारे सामने समस्याओं व चिंताओं का अबार लगा है, जिनको मध्यम व अल्पकालिक, दोनों स्तरों पर हल करने की आवश्यकता है। निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए कई प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। उदाहरणार्थ, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तहत इफ्रास्ट्रक्चर पर कार्यबल ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए एक स्पष्ट सड़क मानचित्र तैयार किया है। मुझे सूचित किया गया है कि करीब 5,950 किलोमीटर लंबाई वाले स्वर्णिम चतुर्भुज में से करीब 500 किलोमीटर पर काम पूरा हो चुका है और लगभग 1,000 किलोमीटर के लिए निर्माण कार्य जारी है। शेष कार्य अगले दो सालों में पूरा किया जाएगा। 5,950 किलोमीटर की लंबाई वाले स्वर्णिम चतुर्भुज को सन 2004 तक पूरा किया जाना है। मैंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष से निर्धारित अवधि एक वर्ष तक कम करने को कहा है। कुल 7,300 किलोमीटर लंबाई वाले उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम कोरिडोर के संदर्भ में केवल 630 किलोमीटर का निर्माण पूरा हुआ है और बाकी के निर्माण कार्य के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। सरकार पेट्रोल व डीजल पर उप-कर पर आधारित एक समर्पित कोष के गठन के लिए संसद में एक विधेयक भी पेश करेगी, ताकि इन विशाल



प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पुनर्गठित आर्थिक सलाहकार परिषद की पहली बैठक को संबोधित करते हुए, नई दिल्ली, 8 जनवरी 2000

परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराया जा सके।

मुझे बताया गया है कि प्रमुख बंदरगाहों के निगमीकरण तथा बंदरगाह क्षेत्र में निजी भागीदारी के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा चुका है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डों को दीर्घकालिक लीज पर देने के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रस्ताव पर सरकार जल्द ही विचार करेगी, ताकि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति दी जा सके।

दूरसंचार क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में कई उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं। मैंने यह ठान लिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी की एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में भारत अपनी पूर्ण क्षमता अवश्य हासिल करे। इसके लिए, दूरसंचार क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को हल किए जाने की आवश्यकता है। दूरसंचार, प्रसारण व सूचना प्रौद्योगिकी के बीच प्रौद्योगिकीय अभिसरण से जुड़े मुद्दों से निपटना भी जरूरी है। इन अवरोधों को पहले समाप्त किया जाना सुनिश्चित करने के लिए हमने वित्त मंत्री के अंतर्गत दूरसंचार व सूचना प्रौद्योगिकी अभिसरण पर एक समूह का गठन किया। मुझे सूचित किया गया है कि समूह अच्छी प्रगति कर रहा है। उदाहरण स्वरूप, सूचना एवं प्रसारण मंत्री के तहत उप-समूह ट्राई से सबद्ध मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट इस माह के मध्य तक सौंप देगा। हाल ही में मुझसे मिले सिलिकॉन वैली के सफल उद्यमियों ने मुझे आश्चर्य किया था कि यदि सही नीतियों का ढांचा हो तो भारत में न केवल इस क्षेत्र में भारी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता है, बल्कि यह निश्चित तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, निरक्षरता और स्वास्थ्य की समस्याओं से निपटने की हमारी रणनीति बन सकती है। हमें बिना समय गवाए इस मौके का फायदा उठाना चाहिए।

यद्यपि अन्यत्र तमाम क्षेत्रों में प्रयास जारी है, यदि आप आज लगातार चिंता वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें तो यह उपयोगी हो सकता है।

पहला मुद्दा है— वित्तीय सुदृढीकरण। वित्तीय घाटे में अवांछित वृद्धि हुई है। त्वरित रूप से सरकारी खर्चों में कटौती राजस्व प्राप्ति व कर— पीडीपी अनुपात में सुधार के जरिए इस पर काबू पाया जाना आवश्यक है। सब्सिडी की कटौती व वैज्ञानिक पुनर्गठन, प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों, इस प्रयास का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। कर सुधारों पर एक कार्यबल और एक खर्च संबंधी आयोग के गठन समेत कई कदमों का संकेत ससद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी दिया जा चुका है। तमाम अन्य क्षेत्रों की भांति मोटे सिद्धांतों पर विचारों में समानता है। सवाल यह है कि व्यावहारिक क्या है? यहां जैसी संघीय प्रणाली में संसदीय ढांचे के तहत काम कर रही सरकार की बाध्यताओं को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? हमें यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जिन

परिवर्तनों की मांग की जा रही है, वे सामाजिक तौर पर विघटनकारी नहीं हैं।

दूसरा है— राज्यो का वित्तीय मामला। राज्यों की वित्तीय स्थिति एक गहन चिन्ता का विषय है। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति लगातार दबाव झेल रही है। वेतन आयोग की सिफारिशो के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप खर्च में वृद्धि और राजस्व वसूली में गिरावट आई है। अधिकांश राज्य गभीर ढांचागत कमजोरियां दर्शा रहे हैं। इनमें राजस्व खर्च में गैर-आनुपातिक वृद्धि, अपर्याप्त पूंजी खर्च, कर व गैर-कर आय में अपर्याप्त वृद्धि, अनियंत्रित राजस्व व वित्तीय घाटा तथा ऋण का काफी ऊंचा स्तर शामिल हैं। इक्विटी मामलों से समस्या और भी जटिल हो गई है। ज्यादा उन्नत राज्य तो तर्कसंगत नीतियां अपनाते की बेहतर स्थिति में, जो निवेश को आकर्षित करने और वृद्धि बनाए रखने वाली हैं। इस प्रक्रिया में पिछड़े राज्य ज्यादा कमजोर और लाचार होते जा रहे हैं। हमारे सवैधानिक संधीय ढांचे के तहत राज्यों की वित्तीय स्थिति सही रखने के लिए क्या सुधारवादी नीतियां संभव हैं? सही नीतियां अपनाने के लिए राज्य सरकारों को राजी करने व विश्वास में लेने में केन्द्र सरकार किस तरह की भूमिका निभा सकती है? मैं इस मुद्दे पर आपकी सलाह चाहता हूँ।

तीसरा, यद्यपि हम सब इस पर सहमत हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश और अविलंब पुनर्गठन आर्थिक सुधारों का एक अहम पहलू है, लेकिन विनिवेश प्रक्रिया लगातार एक विवादास्पद मुद्दा बनी हुई है। प्रक्रिया में ज्यादा स्पष्टता लाने के क्रम में हमने हाल ही में नया विनिवेश विभाग गठित किया है। तथापि, इस पर व्यापक सहमति की जरूरत है कि विनिवेश के फसले के त्वरित कार्यान्वयन के साथ-साथ, विनिवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए विभाग को क्या प्रणाली अपनानी चाहिए। इस संदर्भ में मैं आपके सुझाव जानना चाहूंगा।

चौथा, मैं एक से ज्यादा मौकों पर कह चुका हूँ कि वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर प्राथमिकता से ध्यान देना जरूरी है। हमने कुछ कदम उठाए हैं। वित्तीय संस्थाओं, बैंको व एन.बी.एफ.सी की विनियमित व विवेकाधीन आवश्यकताओं को नियंत्रित किया गया है। तथापि, ये कदम पूरी तरह अपर्याप्त हैं और अब भी कमजोर वाणिज्यिक बैंको और गैर-निष्पादित संपत्तियों की समस्या बनी हुई है। बैंकों व वित्तीय संस्थाओं की सुधार प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए हमें मध्यम व अल्पकालिक स्तर पर और क्या कदम उठाने चाहिए?

अंत में, जैसा की आप सभी जानते हैं, वित्त मंत्रालय ने नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। आपमें से कुछ लोगो ने कुछ दिन पहले अपनी सलाह वित्त मंत्री को दी थी। आपमें से जो ऐसा नहीं कर सके थे, आज उस पर विचार कर सकते हैं।

मैंने सोच-विचार करके ही कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया, जो आम चिंता का विषय हैं। मैं मानता हूँ कि यह पूरी सूची नहीं है, लेकिन इन पर तत्काल ध्यान दिया जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन कदमों पर आम सहमति, जो सरकार को इन मुद्दों के संबंध में उठाने चाहिए, हमारे प्रयासों को और मजबूत करने में मदद करेगी और उनसे प्रभावशाली ढंग से निपटने की हमारी नीतियों व रणनीति को स्पष्ट करने में भी। मुझे आपके विचार का इंतजार है।

सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन

मैं एक बार फिर सिलिकॉन वैली के अपने दोस्तों के साथ होने पर काफी प्रसन्न हूँ। यह हार्दिक खुशी की बात है कि मुझे वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में खासी उपलब्धि हासिल करने वाले कुछ नए भारतीयों से मिलने का मौका मिला है।

मैं भारतीय व सिलिकॉन वैली के उद्यमियों के बीच गहरे और नियमित संपर्क को बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नासकॉम के प्रयासों की सराहना करता हूँ। इससे सरकार तथा आप जैसे सम्मानित अतिथियों के बीच संवाद भी बढ़ा है।

श्री प्रमोद महाजन के नेतृत्व में नए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मददगार व संवर्धक के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारे साझा लक्ष्यों के कार्यान्वयन के बारे में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अन्य संबद्ध मंत्रालयों से लगातार अच्छी खबर सुनते रहेंगे। पूरी सरकार, वास्तव में पूरे देश ने अब सूचना प्रौद्योगिकी को अपने रणनीतिक लक्ष्य के रूप में स्वीकार लिया है।

आप में से कुछ लोगों के साथ पिछली बार के संवाद में मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप सूचना प्रौद्योगिकी-जैव प्रौद्योगिकी व दूरसंचार में संयुक्त उपक्रम और पूंजी-निवेश के प्रोत्साहन में रूचि रखते हैं। हम इस उद्यम में आपकी भागीदारी का हार्दिक स्वागत करते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बेचर कैपिटल फंड शुरू करके सराहनीय कदम उठाया है। भारत मे यह अभी एकदम नई गतिविधि है। इस क्षेत्र मे आपके पास अमूल्य अनुभव है। आप भारतीयों को विश्वास में लेकर अन्य शुरूआती व्यवसायो के लिए पथ-प्रदर्शक बन चुके हैं। हम चाहेंगे कि इस ज्ञानदार घटनाक्रम का अनुसरण जल्द ही समूचे भारत में हो। भारत में बेचर कैपिटल फंड का प्रसार, उच्च तकनीक और उत्तम कोटि के निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक औजार के रूप मे किस प्रकार हो, इस संबंध मे आपके विचारो और सुझावो का स्वागत है। सूचना प्रौद्योगिकी पूरी तरह नये विचारों के बारे में है। यह उस गति पर भी केंद्रित है जिससे ये विचार नये उत्पादों और सेवाओ में बदलते हैं। भारत मे हमारा उद्देश्य बौद्धिक संपदा का सर्जन और विश्व स्तर की कंपनियो में इसके हस्तांतरण दोनों के गतिवर्धन पर होना चाहिए।

भारत तथा भारत के बाहर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की सफलता ने प्रौद्योगिकी और उद्यम के मोर्चे पर एक पथ-प्रदर्शक के तौर पर हमारे देश को काफी ऊचा दर्जा दिया है। भारत के लिए इसके लाभ सूचना प्रौद्योगिकी के अलावा भी होंगे। इससे भारत की छवि एक आधुनिक, दूरदृष्टा व अग्रगामी देश की बनेगी, जो मानवीय उद्यम के हर क्षेत्र मे विशिष्टता हासिल करने को कटिबद्ध है।

हमारे नौजवान पुरुषों व महिलाओं मे विशाल क्षमता है। इनमे वे भी शामिल हैं जो ग्रामीण क्षेत्रो के हैं और वे भी जो गरीब तथा सामाजिक रूप से दमित परिवारों से आ रहे हैं। धन्य है आपकी सफलता वे और ज्यादा से ज्यादा महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमारे युवाओं में जो आत्मविश्वास व महत्वाकांक्षा है वह भारत के चतुर्दिक विकास की गारंटी है। सूचना प्रौद्योगिकी मे जो हम कर रहे हैं उसकी सफलता का सही पैमाना यही है कि इसका गरीबी और सामाजिक व क्षेत्रीय असंतुलन मिटाने मे कितना योगदान है। हमारे सारे प्रयासो के बीच इस रणनीतिक आवश्यकता की अनदेखी न हो।

मुझे खुशी है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जो सिलिकॉन वैली की अधिकांश बौद्धिक गतिविधियों का केन्द्र बिंदु हैं, के बीच सागठनिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। यह सहयोग उद्यम, विद्वानो, वित्तीय व्यावसायिकों और भारत सरकार व अमरीका के बीच संवाद बढ़ाने में काफी कारगर होगा।

मैं एक बार फिर आपके स्वागत के साथ समापन करता हूँ।

सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति

महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों व मामलों पर चर्चा के लिए बुलाई गई सतत विकासार्थ विश्व कांग्रेस में आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। हाल ही के वर्षों में, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में भारत जैसे विकासशील देशों के लिए सतत विकास की महत्ता बढ़ी है।

रियो सम्मेलन-1992 ने पर्यावरण व विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की शुरुआत की थी। यह स्वीकृत किया गया था कि विकासशील देशों के लिए सतत आर्थिक विकास, निर्धनता उन्मूलन और जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिकताएं बनेंगी। कोई भी विकास-प्रक्रिया तब तक सतत नहीं हो सकती, जब तक वह इन क्षेत्रों में स्पष्ट सुधार न ला सके।

रियो सम्मेलन में यह भी स्वीकृत किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि और सभी के लिए अच्छी जीवन सुविधाओं की सुनिश्चितता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त क्रियान्वयन की आवश्यकता है। रियो सम्मेलन के बाद के वर्षों में आज की अत्यावश्यक समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए गए थे, जिनका उद्देश्य विश्व को 21वीं सदी, जिसमें हमने अभी प्रवेश किया है, की उभरती चुनौतियों के लिए तैयार करना था।

विकासशील देशों को ऐसे अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण की आवश्यकता है, जो वित्तीय और तकनीकी सहायता, व्यापार की अनुकूल शर्तों, बाजार तक पहुंच और वातावरण अनुकूल तकनीकों के साथ जुड़ा हो, ताकि ये देश सतत विकास की प्राप्ति के अपने प्रयासों को बढ़ा सकें। विकासशील देश अपने सीमित संसाधनों से यह प्राप्त करने का भरपूर यत्न कर रहे हैं कि उनकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुरक्षित हो और इसी से हमें वह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा मिलेगी, जिसकी हमें तलाश है। रियो सम्मेलन के बाद से विकासशील देशों ने सतत विकास प्राप्त करने के लिए प्रयासों में भरपूर सफलता पाई है और भारत भी पीछे नहीं रहा।

मेरी सरकार ने गरीबी, निरक्षरता और बीमारियों से लड़ने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अपनाया है। हम इस लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध हैं कि हम अपने नागरिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य-देखरेख, प्राथमिक शिक्षा, पीने योग्य स्वच्छ पानी और आवास आदि प्रदान करके जीवन की बेहतर सुविधाएं दें। ये लक्ष्य हमारे सामाजिक विकास कार्यक्रमों का मुख्य भाग है।

विश्व कांग्रेस में सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति पर दिया गया भाषण, कलकत्ता, 20 जनवरी 2000

साथ ही, हम तीव्र आर्थिक विकास और सतत वृद्धि के लिए ढांचा विकसित करने के प्रति वचनबद्ध हैं। हमें उम्मीद है कि वर्तमान ढांचा तीव्र गति से विकसित होगा और यह विस्तार ऊर्जा, दूरसंचार व परिवहन के क्षेत्रों में विशेष तौर पर आवश्यक है।

सतत विकास के लिए बनाई गई नीतियां व कार्यक्रम इस बात की मांग करते हैं कि विकास-प्रक्रिया में लगे अनेक व जटिल निजी तथा सरकारी संगठनों के बीच समन्वय हो। हमें अब्बाध समन्वय को निश्चित करने की इसलिए जरूरत है कि परियोजनाएं विभिन्न संगठनों के बीच परस्पर विरोधी विचारों से होने वाली अत्यधिक देरी के कारण रुक न जाएं, असफल न हो जाएं।

सतत आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी एक आवश्यक निवेश है। नई और फलोत्पादक दक्ष प्रौद्योगिकियां सतत विकास की उपलब्धि के लिए जरूरी हैं। इसके अतिरिक्त, उदारीकरण के इस युग में भारतीय उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की खातिर प्रौद्योगिक उन्नति की जरूरत है। नियमित और सामयिक प्रौद्योगिक उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू बाजारों में उपलब्ध उचित प्रौद्योगिकी की सूचना प्राप्त कराई जाए। यह सुनिश्चित करना भी कम आवश्यक नहीं है कि ये प्रौद्योगिकियां पर्यावरण-स्नेही हों।

पर्यावरणीय रूप से प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकी में संपूर्ण प्रणाली सम्मिलित है, जिसमें तकनीकी जानकारी, कार्य-प्रणाली, ऊर्जा- आपूर्ति व ऊर्जा प्रौद्योगिकी सम्मिलित है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इस क्षेत्र में पूजी लगाने की आवश्यकता है, जिससे हमारी अनुसंधान और विकास की क्षमता बढ़े, क्योंकि पर्यावरणीय रूप से प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकियों के प्रभावशाली प्रसार और उनको घरेलू तौर पर विकसित करने के लिए यह अत्यावश्यक है। इस संदर्भ में हमें अपना ध्यान कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित करना पड़ेगा। वे इस प्रकार हैं -

- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच,
- पर्यावरणीय रूप से प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने के स्रोतों की जानकारी के लिए ढांचा,
- प्रौद्योगिकियों के स्थानांतरण के लिए दिशा-निर्देशों को विकसित करना, और
- इन प्रौद्योगिकियों के प्रबंध व मूल्यांकन के लिए कर्मियों का प्रशिक्षण।

औद्योगिक देशों से विकसित देशों में पर्यावरणीय रूप से प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकियों के स्थानांतरण को सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के एक प्रमुख घटक के रूप

में देखा जा रहा है। परंतु यह खेदजनक है कि रियायती और तरजीही शर्तों पर प्रौद्योगिकी स्थानांतरण की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता केवल कागजों तक ही सीमित एक विचार है।

दूसरी ओर, औद्योगिक देश विकासशील देशों को अत्यंत प्रदूषणीय प्रौद्योगिकी को यह कहकर स्थानांतरित कर रहे हैं कि ये प्रमाणित या कम लागत वाली हैं। इसलिए यह जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक ऐसी अर्थपूर्ण व प्रभावशाली क्रियाविधि विकसित करे, जिससे विकासशील देशों को पर्यावरणीय रूप से प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकी रियायती व तरजीही शर्तों पर स्थानांतरित करना निश्चित हो सके। इस संदर्भ में भारत उस स्वच्छ विकास प्रणाली का स्वागत करता है, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन तथा क्योरो प्रोटोकाल-1997 के अंतर्गत विचाराधीन है। क्योरो प्रोटोकाल-1997 विकासशील देशों को उनके ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए विदेशी और प्रौद्योगिकी स्थानांतरण का प्रबंध करता है, जो उन्नत देशों की उस प्रतिबद्धता का एक भाग है, जिसमें उन्होंने अपने उत्सर्जन को एक स्तर तक सीमित करने का निश्चय किया है।

अपनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी क्षमताओं को सशक्त करने के लिए देश में अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें दोनों बातें शामिल हैं- पहली, राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति और दूसरी, अपने उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। इनमें से कुछ हैं- कैटेलिक कन्वर्टर के डिजाइन पर अनुसंधान, शहरों में बैटरी से चलने वाले वाहन, वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग और ईंधन की गुणवत्ता में सुधार।

यहां मैं अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का उल्लेख करना चाहूंगा- छोटे और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र सामान्य जनता द्वारा प्रयुक्त अनेक वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं और करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इस क्षेत्र को ऐसी उचित प्रौद्योगिकी द्वारा पुष्ट करना है, जो कम लागत की, साफ व फलोत्पादक हो।

हाल ही के कुछ वर्षों में हालांकि भारतीय व्यापार और उद्योग ने राष्ट्रीय पर्यावरण पर औद्योगिक क्रियाकलापों के प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जिसमें पर्यावरण प्रबंध प्रणालियां व पर्यावरणीय रूप से प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए प्रचुर संसाधनों का निवेश सम्मिलित है। फिर भी, इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। एक प्रौद्योगिकी विकास मंडल की स्थापना इस अधिदेश के साथ की गई है कि यह नई तकनीकों के विकास में मदद देने के अतिरिक्त, आयातित प्रौद्योगिकियों के आत्मसातकरण व रूपांतरण से उद्योगों को उत्प्रेरक सहारा मुहैया कराए और अनुसंधान व विकास संस्थाएं भागीदारी में काम करें।

मैं व्यापार और उद्योग संघों से अनुरोध करता हूँ कि वे सरकारी कार्यक्रमों के साथ सक्रिय सहभागी बनें, ताकि पर्यावरणीय सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में तीव्र प्रगति हो सके।

भारत में सतत विकास के संस्थानीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को पर्यावरण व सामाजिक ढांचा प्रबंध से संबंधित संस्थानों को मजबूत करके व संरचना को नियंत्रित करके प्राप्त किया जा रहा है। मेरी सरकार कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को देख रही है, जिनमें ऐसे कार्यक्रमों को पहले से अधिक शक्ति के साथ जारी रखना है और जिन्हें उद्योग तथा प्रौद्योगिक विशेषज्ञों के सहयोग से प्राप्त करना है।

यह सबके सहयोग से ही संभव होगा, चाहे वह उद्योग हो, वैज्ञानिक समाज हो, स्वैच्छिक संस्थाएं हो या स्थानीय समाज हो, ताकि सरकार आर्थिक व सतत विकास की चुनौती को उचित जवाब दे सके।

भारत अपनी विशाल वैज्ञानिक व तकनीकी मानव-शक्ति पर नाज करता है। यह निपुणता में किसी से कम नहीं है। अभियंताओं की संस्था इस प्रतिभा का प्रतीक है और इस विश्व कांग्रेस का आयोजन करने के उनके प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की सहायता के लिए हमारे अभियंता और शिल्पविज्ञानी आगे आए हैं।

मैं उत्सुकता से यह उम्मीद करता हूँ कि विश्व कांग्रेस सतत विकास को प्राप्त करने के लिए समुचित नीतियों और विचारों के साथ आगे आएगी। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने विचार आपके साथ बांटने का मौका दिया।

समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका

वर्ष 1998 के लिए श्रम पुरस्कार के वितरण के इस अवसर पर आपके साथ उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है। उत्पादकता, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के प्रति

वर्ष 1998 के श्रम पुरस्कार वितरण के अवसर पर आयोजित समारोह में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 14 फरवरी 2000

अनुकरणीय प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए विजेताओं को मैं बढ़ाई देता हूँ। आपने उत्कृष्टता, कल्पना और साधन संपन्नता दर्शाई है और मुझे विश्वास है कि इससे आपके सहयोगी प्रेरित होंगे। मैं उन सभी श्रमिक पुरुषों और महिलाओं को भी बढ़ाई देता हूँ, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जिनके योगदान के कारण भारत सभी क्षेत्रों में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

किसी देश की शक्ति बुनियादी तौर पर उसकी आर्थिक समृद्धि से मापी जाती है। 1947 में भारत को एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था विरासत में मिली जो कि ब्रिटिश शासकों के हितों की पूर्ति के लिए बनाई गई थी। उन लोगों ने अपनी समृद्धि के लिए भारत की सम्पदा का दौहन किया और भारत तथा उसके लोगों की भलाई की अनदेखी की।

पिछले पांच दशकों में एक राष्ट्र के रूप में हमने लंबी दूरी तय की है। अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाई है, ताकि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। आज भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार है। इस कामयाबी का श्रेय लाखों श्रमिक पुरुषों और महिलाओं को दिया जाना चाहिए। उनके अथक परिश्रम और समर्पण के कारण हमारा देश औद्योगिक महत्व के 10 प्रमुख देशों में से एक के रूप में उभरा है।

मुझे विश्वास है कि अगले कुछ वर्षों में हम अपनी स्थिति और मजबूत करेंगे और भारत जो कि आज औद्योगिक पुनरुत्थान के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वह उत्पादन, तकनीकी नवीनता और चहुँमुखी उत्कृष्टता में किसी से पीछे नहीं होगा। मुझे यह भी विश्वास है कि हमारे इंजीनियर, वास्तुशिल्पी और मजदूर— चाहे वे उच्च तकनीकी कौशल के हों अथवा बिना कौशल के— वे अपने सामूहिक प्रयास और कल्पना के बल पर भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे।

कोई प्रयास और कोई योगदान हमारे श्रमिक वर्ग से ज्यादा बड़ा नहीं है। उन्होंने ही भारत के भौतिक ढाँचे का— सड़क से भवन तक, बंदरगाह से हवाई अड्डे तक, पनबिजली परियोजना से विशाल औद्योगिक परिसरों तक का निर्माण किया है। वे, पंडित नेहरू के शब्दों में, आधुनिक भारत के मंदिरों के निर्माता हैं।

वास्तव में एक पुनरुत्साहित श्रमिक वर्ग प्रगति और विकास का इंजन बन सकता है और इस तरह एक मजबूत, समृद्ध भारत के निर्माण में मदद मिल सकती है, जो कि आगे बढ़ रहा है और भविष्य की तरफ जिसकी नजर है। लेकिन, इसके लिए हमें मानव संसाधन विकास में अधिक निवेश करना है, ताकि मजदूर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकें।

वर्तमान में, तीन करोड़ 50 लाख कार्यबल में से अधिकतर अकुशल या अर्द्धकुशल हैं। हमारा मजदूर वर्ग 2.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जो कि हमारी आबादी की वृद्धि दर से अधिक है। बड़ी संख्या में लोग श्रम-बाजार में बिना आवश्यक साधन और खपत के प्रवेश कर रहे हैं।

दशकों में हमने कौशल प्रशिक्षण, कौशल निर्माण और कौशल को बढ़ावा देने के लिए आई टी आई और पोलिटेक्निक जैसी संस्थाएं बनाई हैं, लेकिन इन संस्थानों में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए एक बड़ी खाई है, जिसे उभरती हुई श्रम-शक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भरे जाने की आवश्यकता है।

निवेश करने और अभी निवेश करने के और भी कारण हैं, ताकि हमारे सभावित श्रम-बल कौशल हासिल कर सकें और हमारे मौजूदा श्रमिक पुरुष और महिलाएं अपने कौशल को बढ़ा सकें और नए कौशल को ग्रहण कर सकें।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक माहौल में तेजी से बदलाव आ रहा है। 21वीं शताब्दी के आगमन के साथ ही, हम सूचना-युग में प्रवेश कर गए हैं। इन सबके कारण कौशल ग्रहण करने, खास तौर से ज्ञान-आधारित कौशल हासिल करने को सभी स्तरों पर समर्थन मिलना चाहिए।

आने वाले वर्षों में हमें एक ऐसे श्रम-बल का निर्माण करना है, जो कि कौशल-संपन्न अथवा उच्च कौशल-संपन्न हो और उनमें प्रवीणता तथा साधन संपन्नता हो, ताकि वे श्रम-बाजार में आ रहे तेजी से बदलाव के अनुरूप अपने को ढाल सकें। यही एक रास्ता है, जिससे हम तेज प्रतिस्पर्धात्मक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं।

नई शताब्दी में अनवरत नए ज्ञान, सूचना और कौशल का अनुसरण करना होगा, जिसका बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी में सीधा औचित्य होगा। सूचना टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे लागत में कमी आएगी और यह संचार की गति बढ़ा देगा। अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन और वित्तीय बाजारों के समन्वय में यह एक महत्वपूर्ण तत्व होगा।

इन सभी के कारण कौशल-संपन्न मजदूरों की मांग बढ़ेगी, जिससे शिक्षा और कौशल विकास में अधिक निवेश की आवश्यकता बढ़ जाएगी, जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं को प्रतिस्पर्धी और लाभदायक बनाने में महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीयकरण के कारण सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी।

इसीलिए अधिक उत्तरदायी प्रशिक्षण व्यवस्था और संस्थानों की स्थापना पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सेवा से पूर्व और सेवाधीन, दोनों ही तरह के प्रशिक्षण की पक्की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इस बात का खंडन करने की गुंजाइश नहीं है कि जिन देशों के पास प्रशिक्षण व्यवस्था का मजबूत संस्थागत आधार होगा, वह नए आर्थिक वातावरण में बेहतर तरीके से अपने को समायोजित कर सकेंगे, जब कि दूसरे पिछड़ जाएंगे। इसी तरह इस बात की भी पक्की व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि महिलाएं पर्याप्त और समान संख्या में शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएं हासिल कर सकें, ताकि राष्ट्र के श्रमिक बल में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सके। आज कुल कार्यबल में महिलाएं सिर्फ 25 प्रतिशत हैं। कार्यबल में इस विसंगति के अनेक कारण रहे हैं, जिनमें रोजगार और मजदूरी के मामले में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव भी शामिल है। इस प्रवृत्ति को बदलना है।

यह सच है कि अधिक उत्पादित कार्यबल के लिए मानव संसाधन विकास के ये सभी उपाय बुनियादी तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उद्योगों द्वारा सरकारी पहल की सराहना की जानी चाहिए और उन्हें उसका पूरक होना चाहिए। अब तक कौशल प्रशिक्षण पहल में उद्योगों की भागीदारी सीमित रही है। मैं उद्योग से अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रयासों में तेजी लाएं और मानव विकास में अधिक निवेश करें, ताकि तात्कालिक जरूरतें पूरी हो सकें और कल की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें।

मेरी सरकार ने हमेशा श्रमिक वर्ग और औद्योगिक उत्पादन में मानव तत्व के महत्व पर जोर दिया है। हम व्यक्तिगत पहल, प्रवीणता, साधन संपन्नता और कौशल ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए माहौल बनाने के प्रति वचनबद्ध हैं।

हमारा विश्वास है कि श्रमिक पुरुष और महिलाएं राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण निधि हैं। हम उनके अंदर की क्षमताओं को मान्यता देते हैं और हम अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए एक मजबूत और समृद्ध तथा भविष्य की तरफ अग्रसर भारत के निर्माण में उनकी क्षमताओं का सदुपयोग करेंगे।

प्रधानमंत्री का श्रम पुरस्कार, राष्ट्र-निर्माण के लक्ष्य में श्रमिक पुरुष और महिलाओं के योगदान को सरकारी मान्यता दर्शाता है। आज इस पुरस्कार के 31 विजेता नई कार्यप्रकृति और संस्कृति के परिचायक हैं, जिनकी नई शताब्दी की नई चुनौतियों का सामना करने में आवश्यकता है।

मुझे विश्वास है कि उनकी उपलब्धियों से संगठित और असंगठित क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी। हम मिलकर तेजी से सामाजिक और आर्थिक बदलाव के नये युग में प्रवेश कर सकते हैं।

भारत के विद्युत क्षेत्र का विकास

राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन के लिए आज यहा आने पर मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस सम्मेलन का महत्व इस बात से और भी बढ़ जाता है कि 21वीं सदी में भारत के समाजिक-आर्थिक विकास में विद्युत क्षेत्र निश्चित रूप से एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है।

हमारे फैलते औद्योगिक आधार, बढ़ती हुई कृषि संबंधी मांगों और तेजी से बढ़ती घरेलू जरूरतों के कारण यह आवश्यक हो गया है कि विद्युत उत्पादन की भारत की कुल क्षमता में तेजी से वृद्धि हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ध्यान में रखना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हमारे सरोकारों की दृष्टि से न केवल विद्युत व ऊर्जा उत्पादन, बल्कि इनका प्रबंध भी अत्यावश्यक है। जो देश विद्युत के मामले में आत्म-निर्भर हो और जहां बिजली की कमी का झंझट न हो, वही एक मजबूत देश होता है।

यदि हम पिछले 50 वर्षों के विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन पर निगाह डालें, तो हम देखेंगे कि इस क्षेत्र की प्रगति प्रभावशाली रही है। एक हजार से कुछ अधिक मेगावाट का हमारा विद्युत उत्पादन, आज बढ़कर सौ हजार मेगावाट तक पहुंच गया है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है।

लेकिन, इस सराहनीय प्रगति के बावजूद, हम अभी भी बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में हम निर्धारित लक्ष्यों का केवल आधे से कुछ ही अधिक प्राप्त कर पाए। नौवीं योजना में संभावना यह है कि हम निर्धारित लक्ष्य की लगभग दो तिहाई अतिरिक्त क्षमता ही प्राप्त कर पाएंगे। हमारे राज्य विद्युत बोर्डों की खस्ता माली हालत और उस पर विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र का अपर्याप्त निवेश ही लक्ष्यों को पूरा न कर पाने की हमारी असमर्थता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

नई शताब्दी के शुरूआती दशकों की जरूरतें पूरी करने के लिए हमें 10वीं और ग्यारहवीं योजनाओं के दौरान एक लाख मेगावाट से अधिक अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें लगभग ग्यारह लाख करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो संसाधन उपलब्ध होंगे, वे इस राशि का लगभग एक तिहाई ही होंगे।

इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने इस अंतर को पाटने के लिए ससाधन जुटाने के उद्देश्य से विभिन्न विकल्पों पर विचार किया है।

संसाधन जुटाने के मुद्दे के अलावा भी केंद्र और राज्यों को मिलकर उन समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा, जो विद्युत क्षेत्र को परेशान करती आ रही हैं और जिनकी वजह से तेजी से क्षमता निर्माण में अड़चनें आ रही हैं। अगर मुझसे इन समस्याओं की मोटे तौर पर सूची बनाने को कहा जाए, तो ये समस्याएं इस प्रकार होंगी :

- नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के जरिए बिजली उत्पादन बढ़ाना,
- बिजली की गुणवत्ता सुधारना और पारेषण व वितरण प्रणालियों को मजबूत बनाना,
- विद्युत उपयोगिताओं की माली हालत सुधारने के लिए निगमीकरण के जरिए विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के कामों को अलग करना,
- 31 दिसंबर 2001 तक बिजली की सभी तरह की खपत को मीटरबद्ध करना,
- वितरण का निजीकरण करना, ताकि वसूली की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो और चोरी रुके, तथा
- पनबिजली और तापबिजली का अनुपात बदलना, ताकि प्रणाली को उच्च कुशलता स्तर पर चलाया जा सके।

मैं आप लोगों से यह आग्रह भी करूंगा कि बिजली के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अंतरण पर भी विचार करे, जिससे कि बिजली की कमी वाले क्षेत्र बिजली की अधिकता वाले क्षेत्रों से लाभ ले सके। वास्तव में, इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमें विद्युत संसाधनों के एक समान वितरण को अभी भी सुनिश्चित करना है।

हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर पहल के रूप में विद्युत क्षेत्र के पुनर्गठन और सुधार पर जोर दिया है। हमने इस संबंध में कई कदम पहले ही उठा लिए हैं। हम पनबिजली, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र की भारी संभावनाओं वाली परियोजनाओं के विकास पर बल देते आ रहे हैं। हम राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड को मजबूत बनाने और पारेषण व वितरण को उत्पादन से अलग करने के लिए भी कटिबद्ध हैं, क्योंकि इससे हम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और बढ़िया किस्म की बिजली उपलब्ध करा पाएंगे।

हमें अपने विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना होगा। 20 राज्य विद्युत बोर्डों में से 18 घाटे में चल रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, दोनों ही के लिए यह अत्यंत चिंता का विषय है। राज्य विद्युत बोर्डों की माली हालत का अंदाजा

इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 सालों में इनके घाटे चार गुना बढ़ गए हैं। लेकिन मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के राज्य बिजली बोर्डों की स्थिति काफी अच्छी है।

अक्सर कहा जाता है कि हमारी समस्याओं का समाधान सब्सिडियां हैं। लेकिन अनुभव ने दिखाया है कि एक सीमा के बाद सब्सिडी भी कारगर नहीं रहती हैं। बल्कि इसके विपरीत, सब्सिडियों से न केवल विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन प्रभावित हुआ है, बल्कि बिजली की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में कमी भी आई है। मुझे इसमें सदेह नहीं है कि आज उपभोक्ता विश्वसनीय और बढ़िया किस्म की बिजली के लिए अधिक भुगतान कर सकता है।

सुधार और पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत हमें अतीत की सोच से दूर होना है और भारी भरकम राज्य विद्युत बोर्डों के विचार को त्यागना है। हमें विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी पर भी ध्यान देना है। मुझे खुशी है कि उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन हो गया है। कई राज्यों में पुनर्गठन की यह प्रक्रिया जारी है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों में विद्युत क्षेत्र के सुधार के बारे में एक मसौदा विधेयक वितरित किया गया है। इस संबंध में कोई फैसला करने में इस मसौदा विधेयक पर आपके विचार अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

मैं आशा करता हूँ कि इस सम्मेलन में विद्युत क्षेत्र के त्वरित विकास के ढांचे पर सहमति होगी। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने विचार आपके साथ बांटने का यह अवसर दिया।

III

रक्षा

अग्नि का सफल परीक्षण

मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत ने मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र अग्नि के विकसित रूप का आज सुबह परीक्षण किया। यह परीक्षण हर दृष्टि से सफल रहा।

मैं आप सभी की ओर से भारतीय वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, जवानों और अन्य रक्षा कर्मियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ। आज की इस सफलता से उन्होंने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि वे संसार में किसी से पीछे नहीं हैं।

अग्नि उनकी निष्ठा और सामूहिक कार्य का ही परिणाम है। यह आत्म-निर्भरता के प्रति हमारी दृढ़ वचनबद्धता को भी प्रमाणित करता है। तेजी से बदलते सुरक्षा माहौल में, भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। हमे अपनी घरेलू क्षमताओं का विकास करना होगा। अग्नि भारत के उस पुनरुत्थान का प्रतीक है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हां, हम अपने पैरों पर स्वयं खड़े होंगे।

पिछले वर्ष मई में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों की तरह ही अग्नि प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण भी पूर्ण रूप से एक सुरक्षात्मक कदम है। इसका निर्माण किसी राष्ट्र के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए नहीं है। बल्कि अग्नि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को व्यापक तौर पर सुदृढ़ बनाने हेतु हमारी वचनबद्धता का प्रमाण है जिसके द्वारा हम अपना बचाव कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, और अब फिर बताना चाहता हूँ कि भारत न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता रखने, परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग न करने तथा गैर-परमाणु हथियारों वाले देशों के विरुद्ध इनका कभी भी इस्तेमाल न करने के प्रति वचनबद्ध है।

15 दिसंबर, 1998 को संसद में दिए गए वक्तव्य में मैंने यह अवगत कराया था कि अग्नि का एक उन्नत रूप तैयार किया जा रहा है। मैंने यह भी घोषणा की थी कि इसका परीक्षण पूरी तरह से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। आज का परीक्षण एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास के घोषित कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है।

भारत के प्रतिरक्षा कार्यक्रम के बारे में विश्व में विश्वास का माहौल पैदा करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने पाकिस्तान सरकार तथा बड़ी ताकतों को इस महीने की 9

तारीख को अग्नि-2 का परीक्षण करने के निर्णय के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था।

भारत अपने पड़ोस और विश्व में शांति चाहता है और हम इस पुनीत लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहेंगे। पाकिस्तान की मेरी बस यात्रा भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में शांति और सहयोग का एक नया अध्याय जोड़ने की दिशा में एक गंभीर प्रयास था।

प्रिय देशवासियों, पिछले वर्ष मार्च में जब आपने मेरी सरकार निर्वाचित की, तब से मैं इस एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य के साथ कार्य कर रहा हूँ कि भारत को विकास और सुरक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में सुदृढ़ और आत्म-विश्वासी बनाया जाए। हमने ईमानदारी और सकल्प के साथ काम किया है। विश्वव्यापी मंदी और कुछ देशों द्वारा पोखरण परीक्षणों के बाद लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से उत्पन्न हुई कठिनाइयों के बावजूद हमने भारतीय अर्थ-व्यवस्था को पुनः विकास के पथ पर ला दिया है।

हमारे किसान भाइयों ने पिछले वर्ष खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन किया है। आजादी के बाद पहली बार खाद्यान्नों का उत्पादन 200 मिलियन मीट्रिक टन के लक्ष्य को पार कर गया है। हमने ग्रामीण विकास और गरीबी निवारण के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विशेष रूप से जोर दिया है।

हमारे मजदूर भाइयों, प्रबंधकों और उद्यमियों की मेहनत और निष्ठापूर्वक कार्यों की वजह से औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ रहा है। तीव्र आधारभूत विकास के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमने अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाली नई और महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ भी शुरू की हैं।

विज्ञान और टेक्नोलॉजी के नए क्षेत्रों में भारत प्रभावी ढंग से प्रगति कर रहा है। हाल में छोड़े गए इन्सेट 2-ई उपग्रह ने भारत को विश्व स्तर के उपग्रह संचार की नई कक्षा में स्थान दिला दिया है। सूचना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी सफलताओं ने भारत को साफ्टवेयर सुपरपावर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यदि हम संकल्पबद्ध रहें और दृढ़ निश्चय के साथ रहे तो कोई भी बाधा हमारी प्रगति में आड़े नहीं आ सकती है। समय की मांग है—एकता और स्थिरता।

बैसाखी नजदीक आ रही है और खालसा पंथ की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। आइए, इस शुभ अवसर पर हम महान गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी को याद करें—

देह सिवा बर मोहि इहै, सुभ करमन ते कबहू न टरौं ।।
न डरौं अरि सौं जब जाइ लरौं, निसचै कर अपनी जीत करौं ।।

हे शिव ! मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अच्छे काम करने से न रुकूँ। और यदि लड़ना पड़े तो मैं विजय करूँ।

आइए, इस वाणी पर अमल करने का संकल्प ले। आइए, हम सभी मिलकर इक्कीसवीं सदी को भारत की सदी बनाएं।

भारतीय नौसेना की गौरवपूर्ण उपलब्धि

आई एन एस मैसूर के जलावतरण के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के बीच आकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस द्वितीय गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नौसेना में शामिल होना निश्चय ही भारतीय नौसेना के इतिहास की एक स्वर्णिम घटना है।

इस अत्याधुनिक युद्धपोत को देश में ही डिजाइन करना और इसका निर्माण मुंबई के शिपयार्ड में होना सभी भारतीयों के लिए एक गौरवपूर्ण घटना है। इस पोत के नाम में भी एक गर्व की बात छुपी है। मैसूर राज्य, जिसका बाद में नामकरण कर्नाटक किया गया है, ने विदेशी राज के विरुद्ध लड़ने वाले अनेक बहादुर योद्धा उत्पन्न किए हैं।

लगभग चालीस वर्ष पूर्व एशिया के सबसे बड़े युद्धपोत को आई एन एस मैसूर नाम दिया गया था। इस जहाज ने बड़ी निष्ठा और दक्षता से अनेक वर्षों तक नौसेना और देश की सेवा की। आज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके उत्तराधिकारी का नाम भी एक बार फिर सागर की लहरों पर गुंजायमान होगा।


यह जहाज भारत की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमता का विजयघोष करता है, इसके लिए मैं इसके निर्माता मझगाव डॉक लिमिटेड को बधाई देता हूँ। शक्तिशाली अस्त्रों, सवेदको, इंजनों और इन्हे संचालित करने वाले अत्यंत कुशल कर्मियों से लैस यह पोत हमारी नौसैनिक क्षमता और देश की रक्षा करने की योग्यता में भरपूर योगदान करेगा।

आई एन एस मैसूर के जलावतरण के अवसर पर दिया गया भाषण, मुंबई, 2 जून 1999

भारतीय नौसेना ने कई वर्षों तक स्वदेशीकरण के कठिन रास्ते को तय किया है। आई एन एस मैसूर हमारी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का एक मील का पत्थर साबित हुआ है। हमें विश्वास है कि अब वह दिन दूर नहीं जब भारतीय नौसेना के समूचे बेड़े में भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन किए हुए एव भारतीय शिपयार्ड में निर्मित युद्धपोत एव पनडुब्बियां ही सम्मिलित होंगी।

मुझे इस बात की घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने अगली पीढ़ी के तीन विश्वस्तरीय टाइप 17 फ्रिगेट, दो प्रोजेक्ट, 75 पनडुब्बियों और एक विमानवाहक पोत के निर्माण को स्वीकृति दी है। इन सभी को भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन किया जा रहा है एव हमारे ही शिपयार्डों में इनका निर्माण होगा।

मुझे विश्वास है कि आई एन एस मैसूर के निर्माण में लगे समय से भी कम समय में इन जहाजों का निर्माण हो जाएगा। मैं नौसेना डॉकयार्ड को आश्वासन देता हूँ कि सरकार युद्धपोतों के उत्पादन में किसी भी प्रकार का विलंब सहन नहीं करेगी एवं आदेश उचित समय पर जारी किए जाएंगे।



प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी आई एन एस मैसूर के जलावतरण के अवसर पर गार्ड आफ आनर का निरीक्षण करते हुए, मुम्बई, 2 जून 1999

मुझे दो महीने पहले अपने पश्चिमी बेड़े की यात्रा करने का और आई एन एस विराट पर सवार होकर अरब की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यासों को देखने का अवसर मिला था। वहां पर मैंने टिप्पणी की थी कि राष्ट्र- और मैं- चैन की नींद सोते हैं, यह जानकर कि हमारे सागर आप नाविकों के कारण ही पूर्ण सुरक्षित हैं। आज अन्य दोनों रक्षा सेवाओं के आपके साथी सैनिक करगिल सेक्टर की भीषण शीत और उच्चतम रणक्षेत्रों में बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं ताकि हम अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा और चौकसी के प्रति आश्वस्त हो सकें।

इस युद्धपोत पर खड़े होकर मैं, समस्त देशवासियों की ओर से, कश्मीर में बाहरी आक्रमण से जूझने वाले अपने जांबाज सैनिकों और अधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इनमें से अनेक ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इन शहीदों के प्रति सनातन कृतज्ञता प्रकट करने के लिए शब्द भी कम पड़ रहे हैं।

भारतीय भूभाग की अखंडता हमारे लिए पवित्र है। यह हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। समूचा देश एकजुट होकर आक्रमणकारियों को निकाल बाहर करने के कार्य में हमारी सशस्त्र सेनाओं के साथ मुस्तैदी से तैयार है।

कश्मीर की वर्तमान स्थिति हमें एक बार फिर सदियों पुरानी कहावत - 'सतत चौकसी ही स्वतंत्रता की कीमत है' का स्मरण कराती है। मैं भारतीय नौसेना के अधिकारियों एवं कर्मियों से आग्रह करता हूँ कि वे सदैव चौकस रहें और चारों ओर फैले इन विशाल सागरों और महासागरों में अचानक उत्पन्न हुए किसी भी संकट से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। मुझे मालूम है कि नौसेना को 'साइलेंट सर्विस' कहा जाता है, परंतु मुझे कोई सदेह नहीं कि यदि कभी देश की रक्षा के लिए कहा जाता है तो नौसेना भी सेना के जवानों और वायुवैतिकों के समान ही निष्ठा में अपने कर्तव्य का पालन करेगी।

अपनी सभ्यता के आरंभ से ही भारत एक समुद्रवर्ती देश रहा है। हमारे पूर्वज नौवहन की कला और विज्ञान में पारंगत थे और उन्होंने व्यापार, संस्कृति और ज्ञान के संवर्धन तथा शांति और भाईचारे के संदेश के प्रचार-प्रसार के लिए लंबी-लंबी यात्राएं की थीं। आज जब हम इस नई शताब्दी और नई सहस्राब्दी की दहलीज पर खड़े हैं, हमें एक सपना बुनना है- अपने प्राचीन सामुद्रिक गौरव को पुनः प्राप्त करने और उससे भी एक कदम आगे जाने का।

भारत के अपने महत्वपूर्ण और अनेक प्रकार के सामुद्रिक हित हैं। हमें अपने इन हितों की सुरक्षा हेतु एक शक्तिशाली एवं बहुमुखी प्रतिभासंपन्न नौसेना की आवश्यकता

है। हम विश्व के सभी सागरीय देशों से सागरों पर शांति, विशेषकर हिंद महासागर को शांति क्षेत्र के रूप में बनाए रखने के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

मैं सभी पुरुषों तथा महिलाओं की भी, जो संभवतः भविष्य में आई एन एस मैसूर पर सवार हो देश सेवा का कार्य करेगी, सफलता की कामना करता हूँ। आपके समस्त कार्य सदा ही नौसेना के सम्मान को बढ़ाने एवं देश की सुरक्षा को बनाए रखने की दिशा में ही हों, इसी अभिलाषा के साथ।

नियंत्रण रेखा में फेरबदल नहीं

मैं इस बैठक में आपका स्वागत करता हूँ, जिसे करगिल सैक्टर में पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए बुलाया गया है, पाकिस्तान की योजना को विफल करने के बारे में देश में बनी आम सहमति काफी स्वागत योग्य है और आज हमारा विचार-विमर्श हमारे राष्ट्रीय संकल्प को और मजबूत करेगा। मैं अपनी बात को तीन हिस्सों में कहूँगा। पहले मैं सैन्य पहलू के बारे में बात करूँगा। दूसरे हिस्से में मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक पहलू की चर्चा करूँगा और अंत में मैं भारत-पाकिस्तान संबंधों पर कुछ शब्द कहूँगा।

हाल की सैनिक कार्रवाई को जम्मू-कश्मीर में 1989 से पाकिस्तानी गतिविधियों के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। इन गतिविधियों का पहला चरण 1990 के शुरु में चरम पर पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद इस पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया। दूसरा चरण 1992 में शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तोइबा और हरकत-उल-अंसार जैसे विभिन्न आतंकवादी गुटों के रूप में अपने लोगों को भेजना शुरू किया। यह चरण 1993 से 95 की अवधि के दौरान चरम पर पहुंच गया और यह घाटी में केंद्रित था। जब भारत इस पर काबू पाने में सफल रहा तो आतंकवादी गतिविधियाँ जम्मू-कश्मीर के अन्य हिस्सों में, विशेष रूप से जम्मू के कुछ जिलों में नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों में फैल गईं।

वर्तमान कार्रवाई गुणात्मक रूप से नई चाल है। इस समय पहले से ज्यादा संख्या में आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं। एक नई बात यह भी है कि वे घाटी या जम्मू-कश्मीर के अन्य हिस्सों में घुसपैठ की बजाय हमारी कुछ जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। इस कार्रवाई से लेह तथा सियाचिन के लिए हमारी संचार व्यवस्था में बाधा आने का खतरा पैदा हो गया है। यह भी पहली बार है कि पाकिस्तान नियंत्रण रेखा में परिवर्तन की कोशिश करके शिमला समझौते को सैन्य चुनौती दे रहा है। वे भी उम्मीद कर रहे हैं कि स्थिति को बिगाड़कर वे या तो इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में सफल होंगे या फिर हमें बदली हुई स्थिति को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर सकेंगे। पाकिस्तान ने गलत अनुमान लगाया है और हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम नियंत्रण रेखा में फेरबदल का समर्थन नहीं करेंगे और हम नियंत्रण रेखा को चुनौती देने वाले किसी भी प्रयास को अस्वीकार कर देंगे।

पूरी तरह, यह हमारे राष्ट्रीय संकल्प को चुनौती थी और हमारे पास उन्हें खदेड़ने के लिए कार्रवाई तेज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वहां के भूभाग के कारण उनकी सेना काफी फायदे वाली स्थिति में थी, क्योंकि वे पश्चिम में मश्कोह घाटी और



1-

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी सेनाध्यक्ष जनरल वी पी मलिक के साथ करगिल क्षेत्र में,

13 जून 1999

द्रास से लेकर पूर्व में बटालिक और तुर्कोक तक की 140 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला पर कब्जा जमाए बैठे थे। इसीलिए हमने फैसला किया कि इन हथियारबंद घुसपैठियों पर बमबारी के लिए हवाई शक्ति का इस्तेमाल किया जाए। हम अब तक की प्रगति से संतुष्ट हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे साथ मिलकर सशस्त्र बलों के प्रदर्शन की सराहना करेंगे, जो अब तक काफी सफलता हासिल कर चुके हैं। लेह सड़क मार्ग पर बाघा पहुंचाने के सैनिक खतरे पर काबू पा लिया गया है। कई दुष्कर ठिकानों जैसे प्वाइंट 5140 और तोलोलिंग पर फिर से कब्जा कर लिया गया है और हमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी संयुक्त जमीनी व हवाई कार्रवाई सभी घुसपैठियों को निकाल बाहर करेगी। हम अपने सशस्त्र बलों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उन बहादुर लोगों को सलाम करते हैं, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्र इन जवानों के महान त्याग के प्रति आदर और प्रेम के स्वरूप इन शोकसंतप्त परिवारों की देखभाल करे।

स्थिति के समाधान के लिए हमारे दृष्टिकोण के बारे में मैं संक्षेप में कुछ बातें भी कहना चाहता हूँ। हम कृतसंकल्प हैं कि जब तक घुसपैठियों को खदेड़ नहीं दिया जाता, हम सैनिक कार्रवाई न तो रोकेंगे और न ही धीमी करेंगे। हमने पाकिस्तान को अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण देने के लिए पाकिस्तान विदेश मंत्री से मिलने पर सहमति व्यक्त की। हम उनसे सुनना चाहते थे कि वे बिना शर्त निश्चित समय सीमा के भीतर घुसपैठियों को वापस बुला लेंगे। लेकिन यह बात हमने नहीं सुनी। हमारी स्पष्ट राय है कि जब तक आक्रमण जारी रहता है कोई बातचीत नहीं की जाएगी। हम कोई गुप्त समझौता नहीं कर रहे हैं तथा तीसरे देश की मध्यस्थता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। संक्षेप में घुसपैठियों की बिना शर्त और पूर्ण वापसी ही हमारी मांगों को पूरा करेगी।

अब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया काफी संतोषजनक रही है। सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों में से रूस ने स्पष्ट समर्थन दिया है और कहा है कि हमने जो कार्रवाई की है वह पूरी तरह से न्यायसंगत है। अमरीका ने भी वर्तमान आक्रमण के लिए साफ तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मध्य कमान के कमांडर-इन-चीफ जनरल जिन्नी को दूत बनाकर पाकिस्तान भेजा, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री और सेनाध्यक्ष से बातचीत की और कहा कि वे करगिल सैक्टर से घुसपैठियों को वापस बुलाएं। अमरीकी विदेश विभाग के एक प्रतिनिधि ने इस्लामाबाद में जनरल जिन्नी की बातचीत के बारे में हमें जानकारी दी है। हमें जी-8 देशों की विज्ञप्ति की जानकारी है जिसमें नियंत्रण रेखा से घुसपैठियों की वापसी की स्पष्ट मांग की गई है। इन सभी देशों ने अब तक बरते गए हमारे संयम की भी सराहना की है। उन्होंने यह बात भी

स्वीकारि है कि हमारु रवैया काफ़ी जिम्मेदाराना है जिसमें घुसपैठियों को खदेडने के लिए सही स्थान पर कार्रवाई तथा अपनी यह इच्छा भी व्यक्त करना शामिल है कि यदि पाकिस्तान घुसपैठियों को वापस बुला लेता है तो हम लाहौर प्रक्रिया को बहाल करने के लिए बातचीत के वास्ते तैयार हैं। ऐसा करके तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ और अधिक सक्रिय संपर्क बना करके, जैसा पहले नहीं किया गया, हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के विभिन्न वक्तव्यों एवं रवैये से संतोषजनक परिणाम हासिल किए हैं।

पाकिस्तान के बारे में भारत में यह सहमति बनी हुई है कि अगर घुसपैठियों को हटा लिया जाता है तो इस देश के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। हम इसे नेकनीयती से करेंगे लेकिन बिना भ्रम के, हम शिमला समझौते के अनुरूप नियंत्रण रेखा का उल्लघन न करने के बारे में पाकिस्तान से औपचारिक वक्तव्य भी चाहेंगे। क्योंकि दोनों देशों ने अपने नक्शे पर नियंत्रण रेखा को इसी रूप में दर्शाया है। हम विदेश सचिव स्तर पर बातचीत कर रहे हैं तथा लाहौर प्रक्रिया से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए विशेषज्ञ स्तर पर संपर्क के भी प्रस्ताव हैं। हमारी स्थिति यह है कि हम इस वार्ता को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी परिस्थिति में नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में फेरबदल नहीं होने देगे।

देशभक्ति का वातावरण

हमारे बहादुर जवान मोर्चे पर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उस कर्तव्य पालन में जान से खेलना भी शामिल है। घायल होने की स्थिति भी आती है। उनके सामने जीवन कैसे बीते, यह समस्या रहती है। सरकार शहीदों के परिवार के बारे में और जो जवान असमर्थ हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, उनकी सहायता के लिए बहुत से कदम उठाती है। लेकिन उसमें जनता का भी कर्तव्य है।

सारे देश में इस समय देशभक्ति का वातावरण बना हुआ है। लोग रक्त देने के लिए आगे आ रहे हैं। लोग धन देने के लिए आ रहे हैं। अलग-अलग सगठन इसमें सक्रिय हैं। इस सक्रियता को और बढ़ाने की जरूरत है। कितनी राशि है, इसका इतना महत्व नहीं है, जितना किस भावना से दी जाती है— इसका है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं

है कि राशि कम दी जाए और कहा जाए कि भावना बहुत ज्यादा है। मैंने भावना के ऊपर इसलिए जोर दिया कि अगर भावना तीव्र होगी तो राशि भी विपुल होगी। ऐसे सकट के अवसर बार-बार नहीं आते, आने भी नहीं चाहिए। लेकिन आ गया है तो हमारा देश इस संकट में खरा निकले। यह हम सबकी इच्छा है।

जवानो ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन हम भी उनके पीछे हैं। लडाई के मोर्चे पर जवान लडता है लेकिन उसके पीछे जब सारा देश खडा होता है और खडे होने में जब सबका प्रत्यक्ष सहयोग शामिल होता है तो फिर स्थिति बदलती है, जवानो को भी प्रोत्साहन मिलता है। अब मोर्चे पर लड़ने वाले जवानो को हमने टेलीफोन दे दिए हैं। वे घर पर बातचीत कर सकते हैं। अगर देश में गडबड होगी तो वह भी मोर्चे तक पहुंच जाएगी। उनके लिए अब अखबार के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे जवान हमसे उम्मीद करते हैं कि देश के भीतर शांति रहे, सद्भावना रहे, सब लोग अपने-अपने कर्तव्य का पालन करें। आज आपका यहां आना और धन संग्रह में योगदान देना इसी बात का प्रतीक है।

विजय के अभियान में योगदान करें

हमारे बहादुर जवान और योग्य अफसर मोर्चे पर कुर्बानी देकर शत्रु से लडकर मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मोर्चे पर घमासान लडाई होती है। हाथों-हाथ संघर्ष किया जाता है। हमारे जवानों ने बडी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया है, उसे पीछे धकेला है, विजय पाई है। टाइगर हिल्स की चोटी पर आक्रमणकारी पांव जमाकर बैठे थे। ऊंचाई पर थे, हमारी सडक पर नजर रखे हुए थे। इसीलिए उन्हे स्थिति का लाभ भी था लेकिन हमारे जवानो ने ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें उन्हे टाइगर हिल्स छोडकर भागना पडा। चोटी पर आक्रमणकारियों की लाशें पडी हैं। हमारी भी क्षति हुई है मगर बहुत थोडी।

अब तो लडाई के दृश्य टेलीविजन पर देखे जा सकते हैं। पारदर्शिता है। एक तरह से यह अच्छा है, लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में हमारे जवान लड रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं और विजय पा रहे हैं। जब जवान मोर्चे पर अपना

कर्त्तव्य कर रहे हैं, तो फिर बाकी के देशवासियों का भी यह धर्म बनता है कि विजय के अभियान में अपना योगदान दें, हाथ बंटाए।

आज आप आए, सुरक्षा कोष के लिए आपने धन दिया। आपको हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। मगर यह धन का सिलसिला लगातार चलते रहना चाहिए। जब तक लडाई का सिलसिला चल रहा है तब तक धन का सिलसिला भी चलाना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं, लडाई जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और इसके लिए पूरी ताकत से हमारे जवान लड़ रहे हैं। देश की जनता भी बड़े उत्साह के साथ सहयोग दे रही है। सारे देश में एक उत्साह की लहर आई है। सब देशवासी, जो किसी भी वर्ग के हों, संप्रदाय के हों, इस अनुष्ठान में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी के बल पर हमारे जवान विजय पर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके सहयोग का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा।

करगिल : हमारे राष्ट्रीय संकल्प के लिए चुनौती

करगिल में पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति तथा विदेशी एजेसियों और भाड़े के आतंकवादियों की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई से उत्पन्न आंतरिक परिस्थिति के बारे में चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई है। पाकिस्तान की योजना को विफल करने की आवश्यकता के बारे में देश में आम सहमति उत्साहवर्धक है। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी चर्चा से राष्ट्रीय संकल्प और मजबूत होगा। मैं इस बैठक में पहले सैन्य और राजनयिक स्थिति के बारे में जानकारी दूंगा और फिर उपस्थित मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के बारे में सुनना चाहूंगा।

हमने 1980 के दशक की शुरुआत से पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी गतिविधियों को देखा। शुरू में निशाना पंजाब था और हम उसके परिणाम जानते हैं। पंजाब के लोगों ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया और हम दुश्मन की योजना को नाकाम करने में सफल रहे। मैं पंजाब पुलिस की भी प्रशंसा करता हूँ, जिसने धैर्य और दृढ़तापूर्वक स्थिति का मुकाबला किया।

पंजाब के बाद जम्मू-कश्मीर राज्य निशाना बनाया गया है। 1989 से जे.के.एल. एफ., लश्कर-ए-तोइबा या हरकत-उल-असार जैसे आतंकवादी गुट पाकिस्तान से राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं और निर्दोष लोगों के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे सशस्त्र बल एवं अर्द्ध-सैनिक बल 1990 के दशक के मध्य में इस चुनौती पर काबू पाने में सफल हो गए थे। जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य हो गई थी, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही थी और पर्यटन फल-फूल रहा था। हताशा होकर पाकिस्तान निर्दोष नागरिकों के व्यापक नरसंहार जैसी कार्रवाइयां करने लगा। इसके बारे में भी आप जानते हैं।

इसके बाद भी, हताशा में पाकिस्तान ने इस समय करगिल में विवाद खड़ा किया है। लेकिन करगिल सेक्टर में वर्तमान कार्रवाई गुणात्मक रूप से पाकिस्तान की नई चाल को दर्शाती है। इस समय पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या अधिक है, केवल घुसपैठ की बजाय उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। यह भी पहली बार है कि पाकिस्तान नियंत्रण रेखा में फेरबदल की कोशिश के लिए सैनिक चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप से गलत अनुमान लगाया है और हमने स्पष्ट किया है कि हम नियंत्रण रेखा में परिवर्तन को मजूर नहीं करेंगे। हम साफ तौर पर नियंत्रण रेखा की वैधता को चुनौती के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करते हैं।

पाकिस्तानी गतिविधियों में यह नई तेजी हमारे राष्ट्रीय संकल्प को एक चुनौती है, क्योंकि यह शिमला समझौते की पवित्रता के बारे में प्रश्न उठा रही है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष उपस्थित हैं और आपको सैनिक कार्रवाई के संचालन एवं सेना की तैयारी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे साथ सशस्त्र बलों के शौर्य-प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा करेंगे।

श्रीनगर से लेह राजमार्ग पर यातायात में बाधा डालने के सैनिक खतरे को समाप्त कर दिया गया है। तोलोलींग चोटी और टाइगर हिल जैसे महत्वपूर्ण पर्वतीय ठिकानों पर कब्जा हमारे सैनिकों की बहादुरी और कौशल को दर्शाता है। यह अत्यधिक कठिन कार्रवाई थी, और मैं इस अवसर पर उन बीर जवानों को सलाम करता हूँ, जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। अक्सर, दुर्भाग्य से हमारी कृतज्ञता कुछ ही समय तक रहती है और अभियान के बाद हमारे सैनिकों के बलिदान को भुला दिया जाता है। ऐसे भी उदाहरण पाए गए हैं, जहाँ सैनिकों या उनके साथ किए गए वायदों को पूरा नहीं किया गया है। मुझे मालूम है कि कई राज्यों ने उन सैनिकों के परिवारों के पुनर्वास की योजनाओं की घोषणा की है, जो इस अभियान में शहीद हो गए हैं। इसका स्वागत है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूँ कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं को लागू करने में देरी न हो और न ही इन्हें भुलाया जाए।

हमारा सैनिक अभियान तब तक चलता रहेगा, जब तक अंतिम घुसपैठिए को खदेड़ नहीं दिया जाता। जब तक यह उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक अभियान रोका नहीं जाएगा या इसे धीमा नहीं किया जाएगा। साथ में हम कूटनीति को भी मौका देना चाहते हैं, अगर वह हमारे लक्ष्यों को हासिल करने में हमारी मदद करे। इस कारण हाल के सप्ताहों में हमारा पाकिस्तान से कुछ संपर्क हुआ। हमारा उद्देश्य एक है और केवल एक है। यह है— नियंत्रण रेखा के हमारे इलाके से घुसपैठियों की पूरी और बिना शर्त वापसी। इसके अलावा, किसी दूसरे उद्देश्य या दूसरे विषय पर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं।

हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ नजदीकी संपर्क बना हुआ है। यह कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं है, क्योंकि उन सभी ने यह माना है कि यह द्विपक्षीय मुद्दा है, जिसका समाधान भारत और पाकिस्तान को करना है। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे वह नेकनीयती के साथ हो। फिर भी, हमारे लिए अपना पक्ष स्पष्ट करना जरूरी था।

हम इस बारे में सफल रहे हैं। रूस ने हमें समझा है और हमारी कार्रवाई का समर्थन किया है। अमरीका ने आक्रमण करने वाले देश के रूप में पाकिस्तान का नाम स्पष्ट रूप से लिया है। उन्होंने घुसपैठियों की वापसी के लिए पाकिस्तान को राजी करने के वास्ते सक्रिय रूप से बातचीत की है। इस उद्देश्य के लिए अमरीका की मध्य कमान के कमांडर-इन-चीफ, जनरल जिन्नी पाकिस्तान के सैनिक एवं असैनिक नेताओं से बातचीत के लिए वहां गए। हाल में श्री नवाज शरीफ वाशिंगटन गए। हमें सूचित किया गया है कि पाकिस्तान घुसपैठियों की वापसी के लिए सहमत हो गया है। हम वास्तविक परिणामों की प्रतीक्षा करेंगे। इस बीच हमारा अभियान बिना रुके चलता रहेगा।

कुछ समय पहले जी-8 देशों ने स्पष्ट रूप से माना था कि नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ एक गैर-जिम्मेदाराना कार्रवाई है और उन्होंने घुसपैठियों की वापसी की मांग की थी। यह हमारी कूटनीति तथा अन्य देशों से और अधिक संपर्क के हमारे फैसले के औचित्य को बताता है।

लेकिन, मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति या राष्ट्र की हमारे प्रति यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह वर्तमान आक्रमण का हमारी तरफ से मुंह तोड़ जवाब दे। हमें ही अपनी सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा करनी होगी। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन एवं हमारी समस्या के प्रति समझ के कारण उनके कृतज्ञ हैं, लेकिन हमारे सैनिक-अभियान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए हमें इस चुनौती और आने वाली अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए अपने सशस्त्र बलों पर निर्भर

रहना पड़ेगा। इसके लिए हमें भविष्य में अपनी रक्षा तैयारियों पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। 1980 के दशक में हमारा रक्षा खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत था। 1990 के दशक में यह गिरकर 2.5 प्रतिशत रह गया, जो विश्व में सबसे कम में से एक है। मेरी सरकार ने पिछले साल सत्ता संभालने के कुछ समय बाद ही रक्षा बजट में वृद्धि की। हमें यथार्थवादी होना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि हमारी सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी हो तथा हम ऐसे शत्रु का सामना कर रहे हैं, जो कृत-सकल्प है और सही बात मानने को तैयार नहीं है। हमें यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि यदि हम परिणाम चाहते हैं तो हमें उसके साधन भी चाहने होंगे। मुझे विश्वास है कि वर्तमान अनुभव को देखते हुए राष्ट्रीय सहमति में परिवर्तन हो रहा है और मैं आशा करता हूँ कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी स्थिति भविष्य में फिर से न आए, हम राष्ट्रीय मन स्थिति का सदुपयोग कर सकते हैं।

इसी प्रकार हमें आंतरिक खतरे से सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारा दुश्मन देश-भर में आतंकवाद और मनमुटाव के बीज बोने पर तुला हुआ है। हमारा एक खुला लोकतांत्रिक समाज है और हम अपनी स्वतंत्रता कायम रखने के प्रति दृढ़-सकल्प हैं। लेकिन इस व्यवस्था में अनैतिक तत्वों को इसका दुरुपयोग करने तथा निर्दोष लोगों की हत्या करके आतंक फैलाने का मौका मिल जाता है। इसलिए हमें अपनी आतंकवाद से निपटने की क्षमता और सतर्कता को बढ़ाना चाहिए। यह एक लंबी अवधि की चुनौती है और करीब दो दशक तक हम इसका सामना कर चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम दृढ़ उपाय करें तथा इस स्थिति के साथ दृढ़तापूर्वक निपटें, जिसके और गभीर रूप लेने की आशंका है। मैं उन निर्दोष लोगों के परिवारों की दुर्दशा को देखकर काफी दुखी हूँ, जिनकी विभिन्न शहरों में रात को कायरतापूर्ण हमलों या बम विस्फोटों में हत्या कर दी गई।

इस खतरे का मुकाबला करने के लिए राज्यों को आपस में और अधिक सहयोग करना होगा। यह उन राज्यों पर ज्यादा लागू है, जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जुड़ी हैं। दुश्मन द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे प्रयास आगे भी किए जाते रहेंगे। हमें इस बारे में सतर्क रहना होगा। इसके लिए अल्पावधि के उपाय के रूप में कुशल एवं निष्पक्ष प्रशासन की जरूरत है, लेकिन लंबी अवधि के उपाय के रूप में हमें समाज के सभी वर्गों तक बिना भेदभाव के विकास के लाभ पहुंचाने होंगे। मैं हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के बारे में मुख्यमंत्रियों से उनके विचार और प्रस्तावों के बारे में सुनने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

देश में कुछ लोग यह चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार मध्यस्थता या अंतर्राष्ट्रीयकरण स्वीकार कर लेगी। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमारी बातचीत में हमसे कहा जाता है कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है, कि उसे नियंत्रण रेखा के भारतीय इलाके से घुसपैठियों को वापस बुलाना होगा, कि नियंत्रण रेखा की पवित्रता बहाल की जानी चाहिए, कि लाहौर प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाना चाहिए, और हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस निष्पक्ष प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम मध्यस्थता चाहते हैं या अंतर्राष्ट्रीकरण पर सहमत हैं। इसका मतलब केवल यही है कि हमारे सशस्त्र बल हथियारबंद घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम भी इसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं।

मैं अब सेनाध्यक्षों से अनुरोध करूंगा कि वे करगिल सैक्टर की ताजा स्थिति के बारे में इस बैठक को जानकारी दें। जानकारी देने के बाद वे बैठक से चले जाएंगे और हम अपना विचार-विमर्श जारी रखेंगे। इसके लिए मैं मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करता हूँ कि अपना-अपना पक्ष रखने के लिए दस मिनट से ज्यादा का समय न लें।

एकता ही हमारी शक्ति है

हम लोगों ने करगिल की स्थिति पर काफी गंभीरता से और लाभदायक चर्चा की है। इसके साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कुछ मुद्दों पर भी चर्चा हुई। 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रशासकों और तीन केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। मुझे इससे काफी लाभ हुआ है। समय निकालकर यहां आने और हमारे साथ विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ।

हमारी बातचीत से यह स्पष्ट है कि दुश्मनों को नियंत्रण रेखा से उस पार खदेड़ देने की आवश्यकता पर देश एकमत है। आज हमने एक स्वर में अपनी बात रखी है। अनेक राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आज के सम्मेलन में शामिल लोगों ने एक बार फिर सभी चीजों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का सिद्धांत बरकरार रखा। आज सिर्फ एक ही संकल्प भारत के करोड़ों दिलों में है- और वह संकल्प है सशस्त्र घुसपैठ

करने वाले दुश्मनों को खदेड़ बाहर करना। यह एकता ही हमारी शक्ति है। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन से हमारी एकता और हमारी शक्ति प्रदर्शित हुई है। इससे सीमा पर लड़ रहे हमारे जवानों का मनोबल बढ़ा है। इसलिए संकट की इस घड़ी में सशस्त्र जवानों और केन्द्र सरकार को अपना पूर्ण समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्रियों और सभी राज्यों की सरकारों को मैं धन्यवाद देता हूँ।

आज की बातचीत में इस बात पर भी सहमति हुई कि मौजूदा कार्रवाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिवारों के लिए हरसंभव सहायता किए जाने की आवश्यकता है। समूचे देश में समाज के सभी वर्गों ने आगे बढ़कर जिस तरह का समर्थन व्यक्त किया है, उससे मुझे सुखद अनुभव हुआ है। सभी लोग देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे बहादुर जवानों के वास्ते कुछ न कुछ करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि यह आप सबका भी अनुभव होगा।

जैसे ही करगिल कार्रवाई शुरू हुई, देश और विदेश दोनों ही जगहों से राष्ट्रीय रक्षा कोष और रक्षा मुख्यालय द्वारा संचालित अन्य कोषों में स्वैच्छिक योगदान आना शुरू हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के बारे में कार्यकारी समिति की एक बैठक कल हुई। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण फैसले किए गए।

आज के सम्मेलन में सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने के वास्ते एक समिति गठित करने का अच्छा सुझाव सामने आया है, जो स्थायी और सस्थागत आधार पर काम करे। मैं इस तरह की समिति के गठन की घोषणा करता हूँ, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| ● श्री जॉर्ज फर्नांडीज | रक्षा मंत्री |
| ● श्री यशवंत सिन्हा | वित्त मंत्री |
| ● श्री ज्योति बसु | पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री |
| ● श्री एन चंद्रबाबू नायडू | आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री |
| ● श्रीमती शीला दीक्षित | दिल्ली की मुख्यमंत्री |
| ● डा फारूख अब्दुल्ला | जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री |
| ● श्री प्रकाश सिंह बादल | पंजाब के मुख्यमंत्री |
| ● प्रो प्रेम कुमार धूमल | हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री |

1947 से हुए अब तक के सभी युद्धों में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की याद में एक राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाने के बारे में

भी एक अन्य स्वागतयोग्य सुझाव सामने आया है। आपका कहना ही इसे स्वीकार करने के लिए काफी है। सरकार सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के परामर्श से जल्द ही इस बारे में उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

हमारे राजनयिक प्रयासों के लिए आज जिस तरह समर्थन व्यक्त किया गया, उसे भी मैंने महसूस किया है। यह हमारे सैनिकों की कार्रवाई की महत्ता को कम करना नहीं है, लेकिन उनके प्रयासों का पूरक है। आज के सम्मेलन से हमारी यह आम सहमति स्पष्ट हो गई है कि कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए।

कुछ सहभागियों ने अमरीकी राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ द्वारा जारी संयुक्त बयान की चर्चा की है। यह एक स्वागत योग्य घटनाक्रम है। लेकिन मैं आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इससे कश्मीर मुद्दे में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का माहौल नहीं बनेगा। भारत इस मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत से हल करने के प्रति कृतसंकल्प है और इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यहां तक कि अमरीका ने भी कहा है कि इस मुद्दे को द्विपक्षीय ढांचे में ही हल किया जाना चाहिए।

आज के सम्मेलन में हमने आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के बारे में भी ठोस चर्चा की है। हम सभी ने इस मामले में कड़ी चौकसी बरतने की आवश्यकता बताई है, और मुझे विश्वास है कि गृह मंत्रालय और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां इस चुनौती का सामना करेगी। इस सिलसिले में हमारी अनेक समस्याओं की जड़ निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है और हमें इस बीमारी का ठोस सकल्प से मुकाबला करना होगा।

कुछ सदस्यों ने करगिल मुद्दे पर विचार के लिए राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाने और इस मुद्दे पर श्वेत-पत्र जारी करने का भी सुझाव दिया है। यह सुझाव हाल ही में सर्वदलीय बैठक में भी आया था। दोनों ही बैठकों में इस मुद्दे पर तीखे मतभेद सामने आए, लेकिन मैं नए सिरे से इस मामले की समीक्षा करते हुए इस पर आम सहमति बनाने की कोशिश जारी रखूंगा। हम लोगो ने दो सर्वदलीय बैठकें की हैं। अब जब भी जरूरी होगा, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की और बैठकें बुलाएंगे। मुख्यमंत्रियों की एक और बैठक बुलाई जा सकती है।

एक बार फिर अपना समय देने, विचारों का आदान-प्रदान करने और हमारे साथ विश्लेषण करने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।

करगिल में विजय का श्रेय जवानों को

बहुत-बहुत धन्यवाद है आपको। आपने उन जवानों के लिए जो करगिल में वीरगति को प्राप्त हुए हैं या जो घायल हुए हैं उनके लिए धन संग्रह किया है। भविष्य में भी धनसंग्रह करने का वादा है। इस बार हम ऐसा प्रबन्ध कर जाना चाहते हैं कि जिससे शहीद परिवार के किसी सदस्य को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। इसके लिए विभिन्न योजनाएं हैं जिन पर ठीक तरह से अमल होगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इस बार हम घायलों की भी विशेष रूप से चिन्ता कर रहे हैं। कभी-कभी थोड़ी सहायता देने के बाद, अगर वे जीवन भर के लिए अपंग हो गए हैं, तो फिर वे नज़र से हट जाते थे। हमने निश्चय किया है कि ऐसा हम नहीं होने देगे। उनके इलाज का पूरा प्रबन्ध होगा। देश में उपकरण तैयार करने के काम को बढ़ाया जा रहा है- 'आर्टिफिशियल लिम्ब्स' के काम को। अगर कोई ऐसा केस होगा कि जिसके लिए विदेश में भेजना जरूरी है तो हम सरकारी खर्च से उस जवान को विदेश में भी भेजेंगे और इस लायक बनाएंगे कि वह आने वाला जीवन सम्मान के साथ गुज़ार सके।

युद्ध अपनी समाप्ति पर है। हम विजय की ओर बढ़ रहे हैं। शाहादत विजय की ओर ले जाएगी। हमारी जमीन पर पड़ोसी ने कब्जा किया। क्यों किया- यह अभी तक साफ नहीं है। वे कहते हैं कि हमने कश्मीर की ओर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए किया। शिमला समझौते में कश्मीर पर बातचीत करना तो भारत ने पहले से स्वीकार किया हुआ है। बातचीत हो भी रही है। लेकिन बातचीत भी चलती रहे और तोपें आग भी उगलती रहें, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने तोपों के मुहाने बंद कर दिए हैं। वे अपनी मर्जी से जा रहे हैं, बहुत बच्छी बात है। वरना हम उन्हें जाने का रास्ता बताने के लिए तैयार हैं। सारी विजय का श्रेय जवानों को जाता है। कभी समय मिले तो वहां जरूर जाइए। बिना वहां जाए हुए, बिना वहां की पहाड़ियां देखे हुए, यह बात समझ में नहीं आ सकती कि उन्होंने कितना काम किया है, कितना मुश्किल काम किया है और कितनी सफलता के साथ किया है।

हमें अपनी तैयार रखनी है। हम शांति चाहते हैं और लाहौर जाकर हमने बता दिया था कि हम शांति के लिए प्रयत्नशील हैं। लेकिन न शांति एकतरफा हो सकती है न लड़ाई एकतरफा हो सकती है। हमने बता दिया है कि हम शांति चाहते हैं लेकिन अगर शांति का ठीक उत्तर नहीं मिला तो हम लड़ाई करना भी जानते हैं। हम आशा करते

प्रधानमंत्री निवास पर रोटरी क्लब के सदस्यों को संबोधित करते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 15 जुलाई 1999

हैं कि इस स्थिति में और सुधार होगा। सारा देश जिस तरह से संकट के समय खड़ा हो गया, वह भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, भारत की सबसे बड़ी ताकत है। हम सारे मतभेद भूल गए। हर वर्ग में एक नई चेतना आई। देश के हर भाग में एक नया उत्साह दिखाई दिया। छोटे-छोटे बच्चे भी गुल्लक में जो पैसे इकट्ठे किए हैं वह लेकर आते हैं और कहते हैं कि यह जवानों के लिए है। यह युद्ध प्रयास को सफल बनाने के लिए है। जिस देश के जवान जान पर खेलने के लिए तैयार हैं और जहां के बच्चे अपनी गुल्लक का इकट्ठा किया हुआ पैसा युद्धकोष में देने के लिए तैयार हैं, उस देश को चिंता करने का कोई कारण नहीं है। वह देश जरूर विजयी होगा।

जवानों ने तिरंगे की शान रखी

फरगिल के युद्ध में जो जवान वीरगति को प्राप्त हुए, उनके प्रति सारा देश श्रद्धा से नत है। युद्ध में जो वीर जवान घायल हुए, उनके प्रति भी हमारी संवेदना है। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि लड़ाई में जिन परिवारों के नौजवान बलिदान हुए हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो घायल हुए हैं उनकी भी देखभाल की जाएगी। हमें यह शिकायत सुनने को मिलती रही है कि जब तक लड़ाई चलती है, तब तक जवानों की चिंता की जाती है, जवानों का उल्लेख किया जाता है। एक बार लड़ाई समाप्त हो गई तो जवानों को भुला दिया जाएगा। बहनो और भाइयो, इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हमने जवानों की सहायता के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की हैं। जो देश के लिए जान देते हैं, हम उनकी जीवन भर देखभाल भी न कर सकें तो मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के अधिकारी नहीं समझे जाएंगे।

इस लड़ाई में सारे देश में एक चेतना जागी है। आपका यहां इतनी बड़ी संख्या में आना, छोटी-छोटी रकमों में एक करोड़ ग्यारह लाख की राशि देना, इस बात का संकेत है, प्रतीक है कि देश अपने वीर जवानों के प्रति कृतज्ञ है और अपने कर्तव्य का पालन करेगा। छोटे-छोटे बच्चों ने अपने गुल्लक में से पैसे दिए हैं, जवान रक्तदान करने के लिए तैयार हैं। नेशनल डिफेंस फंड में अब तक 300 करोड़ रुपया लोगों द्वारा दिया जा चुका है। इसके अलावा और भी फंड चल रहे हैं। देश का यह उत्साह, देश का यह जोश इस बात का सबूत है कि यद्यपि हम शांति चाहते हैं लेकिन हम आक्रमण का डटकर मुकाबला करेंगे और आक्रमणकारी को भूमि से खदेड़ कर रहेगे।

करगिल खाली हो गया है मगर गोलाबारी चल रही है, यह गोलाबारी भी बंद होनी चाहिए। हम तो पडौसी के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं लेकिन एक हाथ से ताली बज नहीं सकती। मैं दोस्ती का पैगाम लेकर लाहौर गया था लेकिन बदले में हमें दुश्मनी मिली। हमारे विश्वास को ठेस लगी। अच्छे संबंधों की स्थापना के लिए जल्द ही है कि फिर से विश्वास को कायम किया जाए। सारे देश में आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। जम्मू-कश्मीर में ये गतिविधियां ज्यादा हैं, निर्दोष-निरीह नागरिक मारे जा रहे हैं। औरतो और बच्चों को भी नहीं बक्शा जा रहा है। यह कौन-सा तरीका है अच्छे संबंध स्थापित करने का? यह कौन-सा तरीका है बातचीत के लिए दरवाजे खोलने का? हमने भारत की नीति स्पष्ट कर दी है और आशा करते हैं कि सीमा के उस पार भी इस बारे में फिर से विचार किया जाएगा। हम अपनी आजादी की रक्षा, अपनी अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। हमारे जवानों ने कुर्बानी देकर रास्ता दिखा दिया है। जवानों के पीछे सारा देश खड़ा है।

जैसी लडाईं करगिल में हुई, वैसी शायद पहले किसी भी रणक्षेत्र में नहीं देखी गई। जवानों से जान देने की मानो होड लगी थी, दुश्मन को पछाड़ने की प्रतिस्पर्धा हो रही थी। ऊची-ऊची पहाड़ियां, वहां पहुंचना मुश्किल, आक्रमणकारी चोटी पर बैठे थे, हमारे जवान धरती से चोटी पर जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जान दी पर चोटियों पर कब्जा किया, तिरंगा फहरा दिया। हमारे जवानों ने तिरंगे की शान रखी है। हमें भी यह व्रत लेना है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को झुकने नहीं देंगे।

मैं डीएवी शिक्षा संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने विराट और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरा बचपन से आर्यसमाज से नाता रहा है। देशभक्ति के प्रथम पाठ मैंने आर्यसमाज और आर्यसमाज सभा में पढ़े हैं। आर्यसमाज से संबंधित शिक्षण संस्थाओं ने स्वाधीनता के संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वाधीनता के बाद शिक्षा के सुधार में, संस्कृति के संरक्षण के लिए जो आर्यसमाज की शिक्षण संस्थाओं की भूमिका है, वह बड़ी प्रशंसनीय है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा संस्थाएं निरंतर फलें-फूले। संकट के समय आपका समर्थन देश को मिलेगा, यह तो स्पष्ट ही है, लेकिन हमारा, आपका, सबका यह प्रयास होना चाहिए कि इस तरह का संकट फिर दुबारा न आए। इस तरह से घुसपैठ करने का हमारे दुश्मनों को मौका न मिले। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस तरह का प्रयास हम करेंगे और आपके सहयोग से इसमें सफल होंगे।

सामरिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के निदेशकों के 24वें सम्मेलन में आप लोगों के साथ उपस्थित होकर मैं बड़ा गौरवान्वित और प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। रक्षा टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयासों तथा इस क्षेत्र में योगदान के लिए मैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूँ। पुरस्कार समारोह से मुझे इस बात का भी अहसास हो रहा है कि विभिन्न संस्थाओं के बीच घनिष्ठ भागीदारी है।

यह सम्मेलन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण समय में आयोजित किया जा रहा है। शायद स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यह देश के इतिहास का युगांतरकारी मोड़ है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रक्षेपास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमान, टैंक, हथियार, जहाज संबंधी टेक्नोलॉजी और जीवन रक्षक प्रणालियों सहित अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। देश में विकसित प्रणालियों से मुझे इस बात का भरोसा हो रहा है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं को प्रयोगशालाओं से पक्के तौर पर टेक्नोलॉजी संबंधी सहयोग उपलब्ध है। इसके अलावा संगठन को पर्वतीय इलाकों में युद्ध के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

1998 में भारत परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बना। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच सहयोग से ही यह संभव हो पाया। निश्चय ही यह बड़ी शानदार उपलब्धि थी। अप्रैल 1999 में अग्नि प्रक्षेपास्त्र प्रणाली को सक्रिय किया गया। इन दो घटनाओं का बड़ा ऐतिहासिक, टेक्नोलॉजी संबंधी तथा सामरिक महत्व है। इन्हीं से देश सामरिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। इस उपलब्धि के लिए मैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के निदेशकों, वैज्ञानिकों, टेक्नोलॉजी विदों और उनके सहयोगियों को बधाई देना चाहता हूँ।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी का दायरा बड़ा व्यापक है। उनमें से कुछ टेक्नोलॉजी तो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके विकास में जुटी टीम के सदस्य कितना अनोखा कार्य कर रहे हैं, मैं बखूबी समझता हूँ। उन्हें बड़ी कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। मैं निदेशकों को बताना चाहता हूँ कि समूचा राष्ट्र विभिन्न टीमों की कड़ी मेहनत को समझता है और उनके प्रति आभारी है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) के निदेशकों के 24 वें सम्मेलन में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 6 अगस्त 1999

सूचना टेक्नोलॉजी एक नए युग की शुरुआत पर दस्तक दे रही है जिसमें मनुष्यों के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। इस नए उभरते परिवेश को ध्यान में रखते हुए सूचना टेक्नोलॉजी के बारे में सूचना टेक्नोलॉजी कार्य बल गठित किया गया, जिसकी सिफारिशें बड़े दूरगामी महत्व की हैं। इन्हें लागू करने से औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ राष्ट्र के लिए संपत्ति का सृजन होगा। यहीं पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को टेक्नोलॉजी तथा सुरक्षित प्रणाली विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस दिशा में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अकादमिक सहयोग से सूचना विज्ञान स्थापित करने की पहल की है।

यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि कुछ महत्वपूर्ण हिस्से-पुर्जे और उपकरणों का विकास किया गया है। ये हमारे अपने कारखानों में बने हैं और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग हैं। इन उपकरणों की उपलब्धता से यह निश्चित हो गया है कि जटिल प्रणालियाँ बनाने के हमारे प्रयास सफल रहे हैं और इन विकसित देशों द्वारा भारत को टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण पर लगाई गई रोक या इसे देने से इंकार करने का कोई असर नहीं पड़ा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अनुसंधान और विकास से जुड़े प्रतिष्ठानों, अकादमिक संस्थाओं तथा उद्योगों से घनिष्ठ भागीदारी की जो कार्य सस्कृति रही है उससे इस समस्या से निबटने में मदद मिली है।

आप लोगों ने यह साबित कर दिया है कि विकसित देशों के टेक्नोलॉजी देने से इंकार के बावजूद हमारा राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उच्च टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रणालियाँ बनाने में सक्षम है। इस तरह के प्रयासों से हमारी राजनीतिक प्रणाली को इतनी ताकत मिलेगी जिससे वह रक्षा प्रणालियों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण कर सकेगी।

हमें अपने मन में यह बात बिठा लेनी चाहिए कि राष्ट्र की खुशहाली और सुरक्षा तथा नागरिकों का चहुमुखी कल्याण बहुत हद तक विज्ञान व टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता पर निर्भर है। विज्ञान मानवता को एक खूबसूरत तोहफा है। कुछ देशों ने आपस में मिलकर अपने राजनीतिक तथा व्यापारिक हितों के लिए टेक्नोलॉजी देने पर पाबंदियाँ लगाने की घोषणा की है। दोहरे इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी के नाम पर कई ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिन्हें हमारे असैनिक क्षेत्र को नहीं दिया जा रहा है। भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी समुदाय के लिए यह सचमुच एक चुनौती है।

देश में प्रयोगशालाओं, शैक्षिक संस्थाओं और उद्योग के सहयोग से एक राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ा जाना चाहिए और इस चुनौती से समयबद्ध तरीके से निपटा जाना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनाने और उसकी सुरक्षा के लिए आपको इस आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए।

शूरवीरों को श्रद्धांजलि

भारतीय सशस्त्र सेनाओं के शौर्य पुरस्कार विजेताओं की स्मृति में पांच डाक टिकटों का यह विशेष सेट जारी करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

हम अपने गणतंत्र की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। यह सर्वथा उचित है कि इस अवसर पर हम अपनी सशस्त्र सेनाओं द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदानों का कृतज्ञता की भावना से स्मरण करें। राष्ट्र इन बलिदानों को शौर्य पुरस्कारों के जरिए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

हमारे महाकाव्यों और प्राचीन धर्मग्रंथों में युद्धक्षेत्र में असाधारण वीरता दिखाने वाले योद्धाओं का सम्मान करने का उल्लेख है। वास्तव में सैनिकों और उनकी वीरता के स्मारक हमारी समृद्ध पुरातत्वीय विरासत का अभिन्न अंग हैं। कौटिल्य ने अपनी महत्वपूर्ण रचना अर्थशास्त्र में वीरता के विभिन्न कार्यों के लिए दिए जाने वाले शौर्य पुरस्कारों का विस्तृत वर्णन किया है।

मित्रो, 1947 में स्वतंत्रता के उदय के साथ स्वतंत्र भारत की सशस्त्र सेनाओं की भूमिका पूरी तरह बदल गई— उनको प्रेरणा देने वाले लक्ष्य नए हो गए और उनके सामने नई आकांक्षाओं को पूरा करने का काम आ गया। हमारी सशस्त्र सेनाओं पर हमारी पवित्र मातृभूमि की बाहरी आक्रमण से रक्षा करने की जिम्मेदारी आ पड़ी। स्वतंत्रता के दो महीने के भीतर हमारी सशस्त्र सेनाओं से जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ने को कहा गया। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और पाकिस्तानी सेनाओं को खदेड़ने में असाधारण वीरता का परिचय दिया।

सशस्त्र सेनाओं द्वारा जम्मू-कश्मीर में किए गए सर्वोच्च बलिदानों को मान्यता प्रदान करने और वीरों का सम्मान करने की हमारी परंपरा के अनुसार भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को शौर्य पुरस्कार शुरू किए। इसलिए आज हम शौर्य पुरस्कारों की स्वर्ण जयंती भी मनाते हैं। इन पुरस्कारों में सर्वोच्च परमवीर चक्र है। भारत के राष्ट्रपति वीरता और पराक्रम के असाधारण कार्यों या शत्रुओं से मातृभूमि की रक्षा में सैनिकों द्वारा आत्मत्याग करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान करते हैं। ये पुरस्कार एक कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा बहादुरों और निर्भीकों को दी गई श्रद्धांजलि के प्रतीक हैं।

शौर्य पुरस्कार विजेताओं की स्मृति में डाक टिकट जारी करने के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 28 जनवरी 2000

जब से 1947 में भारतीय सेना और वायु सेना से जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तानी हमलावरो को खदेड़ने को कहा गया था, हमारी सशस्त्र सेनाओं ने भारत की एकता और अखंडता को दी गई अनेक चुनौतियों का सामना किया है।

चीनी हमले के दौरान, 1962 में, हमारी सशस्त्र सेनाओं ने पश्चिम में लद्दाख से लेकर पूर्व में नेफा (पूर्वोत्तर फ्रंटियर एजेंसी) तक सर्वत्र वीरता के साथ संग्राम किया। प्रतिकूल भौगोलिक क्षेत्र और खतरनाक मौसम से वह विचलित नहीं हुई। भारतीय वायु सेना के चालको ने वीरता के साथ स्थिति का सामना किया। उन्होंने अज्ञात पर्वतीय क्षेत्र में अगले मोर्चे पर रसद और गोला बारूद पहुंचाया। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि उन्हें जमीन से कोई सहायता-समर्थन प्राप्त नहीं था।

सन् 1965 में हमारी सशस्त्र सेनाओं से एक बार फिर पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से देश की सीमाओं की रक्षा करने को कहा गया। पाकिस्तानी हमला कच्छ में शुरू हुआ और शीघ्र जम्मू कश्मीर तक फैल गया। आगामी युद्ध में, जो 25 दिन तक चला भारतीय सेना विजयी होकर निकली। इस युद्ध में भी भारतीय वायु सेना ने शत्रु को विशेष रूप से छंभ क्षेत्र में रोकने और पराजित करने में सहायता प्रदान की।

सन् 1971 में देश को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। एक करोड़ से अधिक शरणार्थी पूर्वी सीमा पार कर भारत में पहुंचे। वे पूर्वी पाकिस्तान, जो शीघ्र ही बंगलादेश बनने वाला था, से पाकिस्तानी सेना के दमन से जान बचाने के लिए आए थे।

भारत की सीमाओं का तनाव शीघ्र ही पाकिस्तान द्वारा सोच विचार कर किए गए हमले में बदल गया। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने शत्रु का सामना किया और आक्रमणकारी को पराजित कर दिया। 1971 में बाहरी आक्रमण का सामना करने में सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों ने मिलकर कार्रवाई की।

हमने 1947 में अंग्रेजों से जो अल्पविकसित भारतीय नौसेना प्राप्त की थी, वह 1971 तक एक विशाल नौसैनिक बेड़े में बदल चुकी थी। उसने न केवल हमारे लंबे समुद्र की अखंडता की रक्षा की, बल्कि शत्रुओं के बंदरगाहों पर साहसिक हमले भी किए। तीनों सेनाओं के बीच उत्कृष्ट तालमेल के कारण आक्रमणकारी को तेजी से पीछे खदेड़ दिया गया और पाकिस्तान को भारतीय सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा।

पिछली गर्मियों में हमारे बहादुर सैनिकों ने करगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों का सामना किया। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि यह अत्यधिक प्रतिकूल क्षेत्र है। उन्होंने एक एक इंच बढ़ कर, एक चोटी के बाद दूसरी चोटी पर अधिकार करके,

भारत की पवित्र भूमि को मुक्त कराया और आक्रमणकारियों को भारी नुकसान पहुंचा कर पीछे खदेडा। उनकी शानदार शूरवीरता ने सपूर्ण राष्ट्र को आंदोलित कर दिया। करगिल में भारतीय वायु सेना के चालकों ने बड़ी उल्लेखनीय भूमिका निभाई, उन्होने खतरनाक परिस्थितियों में उड़ानें भरीं और घुसपैठियों पर मारक प्रहार किए।

करगिल में सैनिकों के शौर्य की गाथाएं अब घर-घर में बच्चों को प्रेरणा देने वाली कहानियां बन गई हैं। करगिल में दुश्मन को पराजित करके हमारी सशस्त्र सेनाओं ने युद्ध क्षेत्र में वीरता और कर्तव्यनिष्ठा के नए मानक स्थापित किए हैं। आइए, आज उन लोगो का स्मरण करें जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया।

मित्रो, विश्व के सभी देश जनता को उल्लेखनीय संदेश प्रदान करने और असाधारण व्यक्तियों का सम्मान करने के लिए डाक टिकटो का इस्तेमाल करते हैं। डाक टिकटों का देश के इतिहास में उल्लेखनीय स्थान होता है।

पांच अनुपम डाक टिकटो का सेट जो आज शौर्य पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में उनके अनुकरणीय साहसिक कार्यों के लिए जारी किया जा रहा है वह देश भर के लोगो को, विशेष रूप से बच्चो को एक प्रेरणाप्रद संदेश देगा। डाक टिकटों का यह सेट स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना भी है।

सशस्त्र सेना मुख्यालय के लिए डाक टिकटों के लिए योद्धाओं का चुनाव करना एक अत्यधिक कठिन कार्य था। लेकिन ये पांच डाक टिकट भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सभी बहादुर योद्धाओं के लिए राष्ट्र की प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि है। कोई भी पुरस्कार उनके शौर्य और त्याग की बराबरी नहीं कर सकता।

मैं अपनी बात को करगिल संघर्ष में शामिल सैनिकों के सम्मान में एक तेरह वर्षीय लडकी द्वारा लिखे गए, भावनाओं को छू लेने वाले, पत्र को उद्धृत करके समाप्त करना चाहूंगा .

“कोई भी पुरस्कार, चाहे वह कितना ही बडा क्यों न हो, इन बहादुर लोगो के लिए, जिन्होने करगिल की बर्फीली चोटियों पर अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध किया, उपयुक्त नहीं है। मैं उन निस्वार्थी और कर्तव्यनिष्ठ लोगो के सामने अपना सिर झुकाती हूं, जिन्होंने सुरक्षित वातावरण में हमारे सुखमय जीवन के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हम अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए उनके ऋणी हैं। यह एक ऐसा ऋण है जिसे कभी नहीं चुकाया जा सकता।”

हम केवल योद्धाओं को याद कर सकते हैं। यह उनके वीरतापूर्ण कार्यों के प्रति सर्वोत्तम श्रद्धांजलि है। यादगारी डाक टिकटों का यह सेट हमारी सशस्त्र सेनाओं के बहादुरो की स्मृति को जीवित रखने का कार्य करेगा।

इन डाक टिकटों को जारी करना और शौर्य पुरस्कारों के सभी विजेताओं को, पचास वर्ष पहले जब से वे शुरू किए गए, सम्मानित करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है।

संकट की घड़ी में नागरिकों का सहयोग महत्वपूर्ण

जो धनराशि हिंद समाचार पत्र समूह के प्रयासों से एकत्र हुई थी, वह मुझे मिल गई है। अर्थ का काम हो गया बाकी का तो सब व्यर्थ है। जिनके भाषण होने चाहिए थे, उनके भाषण भी हो गए, मुझे तो केवल धन्यवाद देना है।

मैं पिछली बार भी कार्यक्रम में आया था। सचमुच में हिंद समाचार पत्र समूह ने जो कार्य किया है उसका उदाहरण मिलना मुश्किल है। देश के और भी कई भागों में और भी अन्य भाषाओं में शहीदों के लिए, करगिल के शहीदों के लिए, उड़ीसा की त्रासदी के लिए धन एकत्र करने का काम हुआ है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर और इतने यत्नपूर्वक ऐसा प्रयत्न करने के लिए विजय जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जिन्होंने धन दिया है, मैं उनका भी आभारी हूँ। बूंद-बूंद से सागर भरता है, यह सुना बहुत है लेकिन थोड़ी व छोटी-छोटी रकम से इतनी बड़ी मात्रा में धन का एकत्रीकरण, सचमुच में यह प्रयासों की व पत्र की लोकप्रियता का भी द्योतक है। युद्ध में जवान, मैदान में लड़ते हैं, पहाड़ों की चोटियों पर अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करते हैं, जान पर जूझते हैं, बलिदान होते हैं लेकिन जो साधारण नागरिक हैं वे किस तरह से योगदान दें, यह विचार की बात है। वैसे लड़ाई केवल फौज नहीं लड़ती, सारा देश लड़ता है, लेकिन लड़ाई से जुड़ा हुआ आम नागरिक क्या करे? वह धन दे सकता है। केवल एक बार नहीं, बार-बार दे सकता है, और भी युद्ध से जुड़े हुए काम कर सकता है। नागरिक सक्रिय सहयोग दे रहा है—यह दिखाई देना चाहिए और उसके मन को भी इस बात की शांति मिलनी चाहिए कि मेरा भी कुछ योगदान है।

करगिल की लड़ाई सचमुच में एक अनूठी लड़ाई थी। ऐसी लड़ाई हमने पहले कभी देखी नहीं। लड़ाई का जो स्थल था, युद्ध का जो क्षेत्र था, उसको बिना देखे हुए आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। टेलीविजन के माध्यम से इस बार तो लड़ाई हम लोगों

के घर में भी पहुंच गई, बैठक में भी पहुंच गई और इसलिए अब लडाई की बात तो गोपनीय नहीं है। किस तरह से पाकिस्तानी अपने जवानों के शव छोड़कर भाग गए, यह वहां साफ दिखाई देता था और किस तरह उन पाकिस्तानी जवानों की लाशों को हमारे बहादुर जवानों ने अंतिम संस्कार के लिए सन्हाले रखा, उनका अंतिम संस्कार किया, यह बात भी प्रकट हुई। समाचार पत्र जा सकते थे, आखों देखा हाल लिख सकते थे, बहादुरी की दास्ताने देख सकते थे और कमियां थीं, खामियां थीं, उन पर भी नजर डाल सकते थे। पाकिस्तान को भरोसा नहीं था। वे सोचते थे कि हम सीमा के भीतर, भारत की सीमा के भीतर, रेखा पार करके घुस जाएंगे और थोड़ी दूर पर कब्जा करके बैठ जाएंगे। भारत प्रतिरोध करेगा, विरोध प्रकट करेगा, सारी दुनिया में शोर मचेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव पैदा हो गया है। फ्लेश पाइंट आने वाला है, दुनिया चुपचाप कैसे देख सकती है, हस्तक्षेप करना चाहिए और पंचायत करने के लिए कुछ लोग कूद पड़ेगे और हम जहां बैठे हैं, बैठे रहेंगे, जमीन हमारे कब्जे में आ जाएगी, हम एक नई लाइन, एक नई रेखा खींचने में सफल होंगे— ये उनके मनसूबे थे, यह उनकी गणना थी, यह उनकी गिनती थी, उनका हिसाब था। वस, हिसाब में एक ही कमी थी कि उन्होंने हमारी कुशलता को अंदाज में नहीं लिया था। हमारी कुशलता का कोई हिसाब नहीं लगाया था। हम तत्काल जवाब देंगे, प्रभावशाली जवाब देंगे और तब तक हम नहीं रुकेगे जब तक अपनी जमीन खाली नहीं करा लेंगे, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। विदेशों से जो दबाव डलवाया गया कि पाकिस्तान बंद करने को तैयार है, थोड़ी-सी जमीन उसके पास छोड़ दीजिए। आपस में बातचीत करके उस जमीन का मामला भी हल कर लेंगे। अब उस जमीन के लिए क्या लड़ना? वहां कोई जनसंख्या तो है नहीं, आबादी तो है नहीं, लडाई बंद कर दीजिए। हमने कहा— यह नहीं होगा। जब तक भारत की एक-एक इंच भूमि मुक्त नहीं हो जाती, युद्ध चलेगा, जंग जारी रहेगा और हमारी वायुसेना ने भी योगदान दिया। पाकिस्तानी सैनिकों की डायरियां पकड़ी गई हैं। ये सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए हैं। सब कोई उनको देख सकते हैं। उससे यह बात साफ है कि उन्हें इस बात का अंदाज ही नहीं था कि ये हवाई फौज मैदान में ले आएंगे। उनका अनुमान गलत निकला। हम वायुसेना को मैदान में ले आए, उसने थल सेना की बड़ी प्रभावशाली ढंग से मदद की। हम अगर चाहते तो सीमा पार करके अंदर जा सकते थे, पाकिस्तान के अंदर जा सकते थे। अब आप कहेंगे कि गए क्यों नहीं? क्योंकि हमारा फैसला था कि नहीं जाना। अब फैसला ऐसा क्यों किया, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। अभी फारूख साहब और चमन लाल जी जो कुछ कह रहे हैं वह पूरा क्यों नहीं हो पा रहा, उसमें भी मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन जब करगिल में हमारी विजय हो गई और समाचार पत्र वालों ने मुझसे पूछा— आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या वार बंद हो गई। मैंने कहा— वार तो बंद हो गई मगर लडाई जारी रहेगी, बैटल चलती रहेगी। अब यह सवाल पूछा जा सकता

हे कि यह कब तक चलेगी? जब तक पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर को हथियाने के अपने इरादे नहीं छोड़ेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी, जंग जारी रहेगी। वे भी कीमत चुका रहे हैं, ऐसा नहीं है हमें उसमें प्रसन्नता नहीं है। आखिर मैं लाहौर क्यों गया, किसी ने सोचा नहीं था कि मैं लाहौर भी जा सकता हूँ और लाहौर जाने का लाभ यह हुआ कि पाकिस्तान के इरादों के बारे में सब लोगों को जानकारी मिल गई और सारी दुनिया इस बात को मानने के लिए तैयार हो गई कि भारत तो शांति चाहता है, मगर पाकिस्तान शांति नहीं चाहता। लेकिन लड़ाई हुई, हमारे जवानों ने अपना पुरुषार्थ दिखाया, मुंह तोड़ उत्तर दिया। हमारे जवान कम मरे, उनके जवान ज्यादा मरे। यह भी अब कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसलिए उधर एक चिढ़ है। बंगला देश की हार उन्हें अब तक चुभ रही थी, अब करगिल में उनकी पराजय एक कांटे की तरह से उनके हृदय में गड़ रही है। लेकिन करगिल हमारा था, करगिल हमारा है, करगिल हमारा रहेगा, यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन्होंने हमारे दोस्ती के बढ़े हुए हाथ को थामकर और फिर लड़ाई कर दी, हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब सारी दुनिया मानती है इस बात को। जो उनके मित्र हैं वे भी मानते हैं। जब हम मिलते हैं तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप तो लाहौर गए थे दोस्ती की मुहिम लेकर, आप तो वहां गए थे दोस्ती का हाथ बढ़ाकर और पाकिस्तान ने आक्रमण कर किया। पाकिस्तान ने धोखा दिया और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बातचीत से पहले कुछ उस विश्वास की फिर से स्थापना की जानी चाहिए जो विश्वास लाहौर से पहले कायम था, जिस विश्वास को पाकिस्तान ने तोड़ दिया। और विदेशी भी इस बात को मानते हैं, उनके और कारण हैं जिनको ध्यान में रखकर वे फैसले करते हैं लेकिन हमें अपने हिसाब से चलना है। अपनी तैयारी के हिसाब से रणनीति बनानी है।

पाकिस्तान कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता था, अभी तक नहीं बना सका है। हो सकता है, थोड़े दिनों में वह अपनी गतिविधिया और तेज कर दे। अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। अभी कश्मीर मुद्दा नहीं है। अभी तो टेरेरिज्म मुद्दा बन गया है और पाकिस्तान उसमें एक अपराधी के रूप में कटघरे में खड़ा है दुनिया के सामने। हम उसका प्रतिकार कर रहे हैं, संसार के राष्ट्रों को उसका विरोध करने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। उस समय तो हमें अचानक लड़ाई का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब लड़ाई का प्रतिकार करने में उस कारण कोई कठिनाई नहीं हुई। अब तो हम तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। यह ठीक है कि अब एकाध गोला चल सकता है, वह गोला फूट सकता है, किसी को लग सकता है, वह किसी को चोट पहुंचा सकता है, किसी की जान जा सकती है। हमारे जो गोले चलते हैं वे भी कुछ करते हैं। यह बात अलग है कि हम जो गोले चलाते हैं, उनकी खबर

उधर छपती है और इधर जो गोले चलते हैं उनकी खबर इधर छपती है और हमारे लोग इधर के अखबार पढ़ते हैं और उन अखबारों को पढ़-पढ़कर समझते हैं— अच्छा 'फिर कर! दिया! फिर कर दिया!'— तो चलेगा, लेकिन इसके लिए हिम्मत हम नहीं हार सकते। पचास साल से यह लड़ाई लड़ी जा रही है और इसमें से संकल्प यह निकलना चाहिए, यह नहीं निकलना चाहिए, पचास साल से हम लड़ रहे हैं, हम कब तक लड़ेंगे? जब तक जीएंगे तब तक लड़ेंगे और जब तक जीतेंगे नहीं, तब तक लड़ेंगे। हम कश्मीर कैसे छोड़ सकते हैं? विदेशियों को भी हम समझाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जम्मू-कश्मीर के लोग अपनी इच्छा से भारत में शामिल हुए थे। हम उन्हें मौका देना चाहते थे। यह कहानी दुनिया को फिर से सुनानी पड़ेगी। दुनिया के सामने तथ्य फिर से नए रखने पड़ेंगे। पाकिस्तान शुरू से चोरी-छिपे धोखा देकर कपट से कश्मीर हथियाने की कोशिश करता रहा है। कभी कबायली आते हैं और कभी पाक ओकोपाइड कश्मीर के लोग आते हैं। लेकिन हर बार उन्हें फौज को मैदान में लाना पड़ता है, फौज को तैयार करके वे शोक देते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती।

अब पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है कि हम खाली कश्मीर पर बात करना चाहते हैं और हमारी कोई मांग नहीं है और हमारा कोई विवाद नहीं है। हम कश्मीर पर बात करना चाहते हैं, कश्मीर पर तो पिछले पचास साल से बात होती रही है। क्या बात करना चाहते हैं आप? कश्मीर पर हम भी बात करना चाहते हैं। मगर याद रखिए जब कश्मीर पर बात होगी तो एक तिहाई जो कश्मीर आपके कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में है उसे वापिस लेने की बात होगी, वह आपको छोड़ना पड़ेगा। वह भारत का भाग है, जम्मू-कश्मीर पूरे का पूरा है, पर यह तर्क हम नहीं मानेंगे कि जम्मू-कश्मीर में मुसलमान ज्यादा हैं। यह तर्क किसी के गले नहीं उतरेगा। हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, उतने मुसलमान शायद पाकिस्तान में भी नहीं हैं। इन सबका देश है, मिला-जुला देश है। इस देश का बंटवारा दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। और, यह बात मैंने नवाज शरीफ को कही थी, जब वहां बात होने लगी लाहौर में और जब अधिकारिक स्तर पर चर्चा होने लगी तो नवाज शरीफ के किसी अधिकारी ने कहा यह साहब देखिए कश्मीर तो पार्टीशन के समय ही हमारे साथ आना चाहिए था। हमने कहा— क्यों कब पार्टीशन हुआ हिंदू-मुसलमान के आधार पर और कश्मीर में मुसलमान ज्यादा हैं। मैंने कहा— हमने पार्टीशन हिंदू-मुसलमान के आधार पर नहीं माना और दूसरी बात यह है कि सारे देश में मुसलमान फैले हुए हैं, जम्मू-कश्मीर में तो संख्या में ज्यादा हैं और अपनी इच्छा से भारत में रहने का, भारत के साथ रहने का उनका फैसला है। जब कभी चर्चा होगी विस्तार से तो उनको बताया जाएगा, बहुत से लोग भूल गए हैं, वे रायशुमारी की बात करते हैं, रायशुमारी के लिए शर्त थी कि पाकिस्तान अपनी फौजें हटाए, अपने

घुसपैठियों को हटाए और सारा जम्मू-कश्मीर हमारे अंतर्गत आ जाए। पाकिस्तान ने नहीं हटाया और इसलिए रायशुमारी नहीं हुई। इसके बाद चुनाव हुए जम्मू-कश्मीर में, और चुनावों के बारे में कोई शिकायत कर सकता है। मगर 1977 में जनता पार्टी केन्द्र में सत्ताखूद थी तब कोई यह शिकायत नहीं कर सकता कि चुनाव में धांधली हुई। विदेशियों ने माना, पाकिस्तान ने भी माना। किसी ने पाकिस्तान में जाने का फैसला नहीं किया। इशारा नहीं किया। जहां तक रायशुमारी का सवाल है, रायशुमारी क्या देश के बंटवारे के समय हुई थी? लोगों से पूछा गया था? एक-तिहाई कश्मीर अभी पाकिस्तान ने बलात् अधिकार में कर रखा है। क्या उस हिस्से के लोगों से राय ली गई थी? हम शांति चाहते हैं। मगर शांति के साथ और अपनी अखंडता की भी रक्षा करेंगे, अपनी एकता की भी रक्षा करेंगे। अब पाकिस्तान फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करेगा। एटमी-एटमी जग की धमकी दी जाती है। जो धमकी देते हैं वे समझते भी हैं कि इसका मतलब क्या है? वे समझते हैं कि उधर से हम भारत के ऊपर एक बम गिरा देंगे और भारत का सत्यानाश हो जाएगा और हमारा जिंदाबाद हो जाएगा। यह होने वाला नहीं है। यह ठीक है कि हमने कहा कि हम पहले देश नहीं होंगे जो एटमी हथियारों का उपयोग करेंगे। पहले नहीं होंगे, हम शुरूआत नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई और शुरूआत करेगा तब हम उस घड़ी का इतजार नहीं करेंगे कि हम जब नष्ट हो जाएं और कहेंगे कि हम पहले देश नहीं होंगे इसलिए हम पहले नहीं चला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से मैं कहना चाहता हू कि आप अगर सचमुच में एटमी हथियार नहीं चलाना चाहते और एटमी जग नहीं चाहते तो फिर हमारी तरह से आप भी ऐलान कर दीजिए कि आप एटमी हथियारों का उपयोग करने वाले पहले देश नहीं होंगे। हमने कर दिया, आप करिए। आपके इरादे कुछ और हैं और हम उन इरादों से बेखबर नहीं हैं। हम तैयार हैं, हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए, हमें सगठित रहना है, हमें शक्तिशाली रहना है शहीदों से प्रेरणा लेकर और हमें विजय की ओर बढ़ना है। करगिल के बाद आख में आंसू भरने की जरूरत नहीं है, करगिल के बाद विजय का डंका बजाने की जरूरत है।

अभी बताया गया कि धूमेल जी के पत्र समूह से जुड़े हुए 62 लोगों ने शहादत दी है, कुर्बानी दी है। ग्यारह लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं क्योंकि वे अखबार से जुड़े थे इसलिए उन्हें मौत का निशाना बनाया जाता था। वे सब शहीद हैं। आज शहीदों के स्मरण का दिन है। मैं विश्वास करता हूँ कि और समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं भी राष्ट्रीय सकट के समय इस तरह का रचनात्मक और ठोस रवैया अपनाएंगी। अपनी लेखनी से तो वे देश-भक्ति की भावना जगाते ही हैं, समाचारों को देने में भी थोड़ी सी सावधानी अगर रहे तो ज्यादा अच्छा होगा।

IV

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

इनसैट-2 ई : भारतीय विज्ञान का मूल्यवान उपहार

आज वास्तव में ही मेरे लिए खुशी का अवसर है। कुछ महीने पहले जब मैंने बंगलौर की इसरो सुविधा केंद्र का भ्रमण किया था तो मैंने इनसैट-2ई देखा था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो इसे उपहार के रूप में बांधा गया हो और भेजने के लिए तैयार हो। इसकी चमक की तुलना मैं किसी ऐसे उपहार से नहीं कर सकता जिसे मैंने ज़िंदगी में देखा हो।

और आज वही इनसैट-2ई उपग्रह ऊपर अंतरिक्ष में घूम रहा है। इसरो द्वारा बने उपग्रहों से विशालतम तथा सर्वाधिक शक्तिशाली यह उपग्रह वास्तव में राष्ट्र निर्माण के हमारे अभियान में भारतीय विज्ञान के सर्वाधिक मूल्यवान उपहारों में से एक है। अतः मैं इस उत्कृष्ट कार्य के लिए डा. कस्तूरिरंगन और उनके दल को दिल से बधाई देता हूँ। पूरे देश को आप पर गर्व है।

हम सभी को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आई आर एस - पी 4 का प्रक्षेपण इस महीने के अंत तक किया जाएगा और उसके पश्चात अक्टूबर तक इनसैट-3बी प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप अपनी योजनाओं में इसी तरह सफल होंगे। श्रीहरिकोटा में आई आर एस पी 4 के प्रक्षेपण को देखने के लिए मैं भी वहां आऊंगा।

इनसैट-2ई के सफलतापूर्वक स्थापित हो जाने से अंतराष्ट्रीय उपग्रह क्षमता उपलब्ध कराने वालों में भारत भी शामिल हो गया है। अपने अनेक संचार ट्रांसपोंडरों को इंटेल्सैट को पट्टे पर देना आपके लिए बड़ी उपलब्धि है।

इंटेल्सैट की व्यवसायिक सहमति की मुहर लग जाने से इस विशेष क्षेत्र में हमारी क्षमता के बारे में अन्य उपभोक्ता भी आश्वस्त हो जाएंगे। इस विशेष क्षेत्र पर अब तक विकसित देशों की कुछ संस्थाओं का दबदबा था।

प्रसारण और दूरसंचार के मामले में इनसैट अब विश्व की सबसे बड़ी घरेलू प्रणाली बन गई है। यह दूरस्त तथा ग्रामीण क्षेत्रों व आपातकाल में संचार उपलब्ध कराता है।

टेलीविजन के क्षेत्र में इनसैट प्रणाली ने 1980 के दशक के शुरुआत में बड़े शहरों में कुछ ट्रांसमीटरों से हो रहे कवरेज के दायरे को बढ़ा कर पूरे देश तक पहुंचा दिया है। इनसैट-2ई से यह दायरा बढ़ कर अब पूर्व में आस्ट्रेलिया और पश्चिम में मध्य यूरोप तक पहुंच गया है। इससे भारतीय टेलीविजन को अपना कार्यक्षेत्र नए अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एक जटिल प्रणाली के प्रबंधन में उपभोक्ता सत्याएं किस प्रकार योगदान कर सकती है, उसका उत्तम उदाहरण इनसैट है। मैं इनसैट समन्वय समिति को बधाई देता हू कि उन्होंने देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे विकासात्मक संचार, ग्रामीण शिक्षा, विद्यालय तथा कॉलेज स्तर की शिक्षा को इनसैट प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया।

भविष्य में इनसैट सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूर-स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण हो जाएगा जिससे नवीनतम प्रौद्योगिकी का लाभ आम आदमी तक पहुंच पाएगा।

इसरो की नवीनतम सफलता हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों तथा उनके दलों के उत्तम प्रयासों के बिना संभव न हो पाती तथा जिसके लिए हमारे उद्योग ने भी सहयोग दिया। यह स्वदेशी भावना का शानदार उदाहरण है जिसे मैं राष्ट्रीय कार्यों के अन्य सभी क्षेत्रों में भी देखना चाहूंगा।

आपकी सफलता दिखाती है कि यदि उचित मौका और माहौल मिले तो हमारे वैज्ञानिक तथा इंजीनियर विश्व के सर्वोत्तम का सामना कर सकते हैं। मेरी सरकार का प्रयास है कि अपने सभी वैज्ञानिकों को इस प्रकार उचित माहौल मिल जाए।

यह हमारा राष्ट्रीय संकल्प है कि उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अपने राष्ट्रीय विकास को गति देने में किया जाए। हमारे देश की अंतरिक्ष उपलब्धियां एक अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार स्वप्न को सच्चाई में बदला जा सकता है। यह वास्तव में जय विज्ञान का उदाहरण है।

मैं अगली शताब्दी में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

नई सहस्राब्दी में भारत को प्रौद्योगिकी शक्ति बनाएं

आज से ठीक एक साल पहले राजस्थान की रेगिस्तानी भूमि पर भारत ने नियति से मिलन किया था। पोखरण में किए गए पाच परमाणु परीक्षणों, (तीन 11 मई को और दो 13 मई को) के साथ भारत ने परमाणु शक्ति के रूप में विश्व मंच पर अपने आगमन की घोषणा की थी। लेकिन उस दिन जो प्रकट हुआ, वह मात्र परमाणु की ऊर्जा नहीं थी। पोखरण ने देशभक्ति की ऊर्जा को भी पैदा किया जोकि भारत माता के 100 करोड़ सपूतों तक पहुंची।

पोखरण ने केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को ही मजबूत नहीं किया बल्कि हमारे राष्ट्रीय सोच में आत्मविश्वास की भावना भी भरी। यह द्योतक बना एक जागृत भारत का, ऐसा भारत जोकि किसी भी प्रकार की, अंदरूनी या बाहरी, चुनौती का सामना स्वावलंबन से करने को तैयार है, एक मजबूत और समृद्ध भारत जोकि राष्ट्रों के समूह के बीच अपनी उचित जगह फिर से हासिल करने को दृढ़ संकल्प है।

पोखरण ने दक्षिण एशिया और पूरे विश्व दोनों ही जगह में शांति स्थापित करने के हमारे सकल्प को रेखांकित किया। मगर इसने विश्व में यह भी घोषित कर दिया कि अब से भारत शांति के प्रयास मजबूती से करेगा, कमजोरी से नहीं। पिछले एक साल में हुई गतिविधियों से यह सिद्ध हो गया है कि हमारी नियमों पर आधारित नीति सही थी। इस क्षेत्र में अब पहले से बेहतर शांति और सहयोग का माहौल है। विश्व समुदाय ने देख लिया कि पूरी मानव जाति का एक-छठा भाग जहां रहता है, उस भारत को किसी भी शक्ति द्वारा दबाया अथवा धमकाया नहीं जा सकता।

हम सभी परीक्षणों में सफल होकर निकले हैं। आर्थिक प्रतिबंधों से हम नहीं घबराए। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण न होने से हमें कोई खतरा नहीं लगा। इस सबके लिए मैं भारतीय समाज को सलाम करता हूँ मगर मैं विशेष रूप से भारतीय वैज्ञानिकों के महान समुदाय को बधाई देता हूँ।

दोस्तो, हम सब यहां पर आज पोखरण की याद में तथा स्वयं को जाग्रत भारत के निर्माण के लिए समर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लगभग एक साल पहले इसी

सभागृह मे मेरे साथी डा जोशी ने सुझाव दिया था कि 11 मई, 1998 की महान उपलब्धि को देखते हुए हमें इस दिन को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। स्पष्ट कारणों को देखते हुए मैं इस सुझाव को तुरंत मान गया।

भारत ने कभी यह नहीं माना कि किसी भी राष्ट्र की ताकत तथा आत्म-विश्वास केवल अथवा मुख्य रूप से सेना से हासिल हो सकता है। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इस बारे में कोई भी समझौता करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। जब कोई देश बाहरी तथा अंदरूनी खतरों से पूरी तरह सुरक्षित होगा, तभी वह सफलतापूर्वक अपने विकासात्मक उद्देश्यों को हासिल करने के प्रयास कर सकता है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा तथा राष्ट्रीय विकास एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाकर हम सुरक्षा और विकास, दोनों ही मे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अमूल्य योगदान को स्वीकार करते हैं।

जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के नारे के द्वारा इन्हीं अतसंबधों को हासिल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यह नारा प्रिय स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा बनाए प्रेरणाप्रद उद्देश्यों का विस्तृत रूप है।

इस प्रकार पोखरण हमारे परमाणु वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और वास्तव में, जवानों की क्षमताओं, काबलियत और समर्पण के प्रति सम्मान है। एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य मे यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे भारत की सभी उपलब्धियों का आदर है और ये उपलब्धियां अनेक हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं।

दोस्तों, हम तेजी से बदल रही दुनिया में रह रहे हैं। परिवर्तन की गति और स्तर बहुत विशाल है। इस तेजी से हो रहे बदलाव मे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ज्यादा योगदान किसी का नहीं है। दिलचस्प बात है कि यह प्रक्रिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मे ही सबसे तेज है। हम सबके सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है कि हम इन परिवर्तनों को समझें, इन परिवर्तनों के अनुसार अपने को ढालें और इनका इस्तेमाल मानवता की भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने मे करे। यह चुनौती वैज्ञानिक समुदाय के सामने भी उतनी बड़ी है जितनी सरकारों तथा राजनैतिक व व्यापारिक नेताओं के सामने है।

हमें यह मान लेना चाहिए कि इस काम को पूरा करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यह चुनौती इसका सामना करने की हमारी संयुक्त क्षमता को भी पार कर रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में इतनी प्रगति हो गई है कि हम केवल अनेक संभावनाओं की झलक मात्र से हैरान हो रहे हैं, जोकि नई सहस्राब्दी ने अपनी गोद में समेट रखी है। फिर भी यह तय है कि मानव जाति के अनेक समूह नई

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

शताब्दी में उन समस्याओं के साथ प्रवेश करेंगे जिनका समाधान इस शताब्दी के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान से किया जा सकता था।

वैज्ञानिक कहते हैं कि नई शताब्दी में ज्ञान पर आधारित समाज की शुरुआत होगी। फिर भी समाज के लाखों करोड़ों लोग अशिक्षा के अंधकार में फंसे रहेगे जोकि ज्ञान की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। यह कहा जाता है कि नई शताब्दी में आनुवांशिकी इंजीनियरिंग और जैव-प्रौद्योगिकी में चौका देने वाली प्रगति होगी जिससे नए प्रकार के खाद्य और पेय उपलब्ध हो पाएंगे। फिर भी यह तय है कि विश्व भर के अनेक लोगों के लिए भूख और पेय जल की कमी बनी रहेगी।

यह कहा जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी, जिसने पहले ही क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए हैं, इस विश्व को एक भूमंडलीय गांव के रूप में समेट देगी। फिर भी हजारों की तादाद में ऐसे गांव हैं जिनका नजदीक के शहर से संबंध भी नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समृद्धि के श्रेष्ठतम पथ-प्रदर्शक साबित हुए हैं। फिर भी हमने देखा है कि किस प्रकार सामाजिक और नैतिक समस्याओं से विश्व के अमीर लोग घिरे हुए हैं।

यह दिखाता है कि प्रौद्योगिकी दिवस केवल सफलताओं का जश्न मनाने के लिए ही नहीं है। यह हमें अपने विकासात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति न कर पाने की स्पष्ट असफलताओं को भी याद दिलाता है। इन विरोधाभासों के कई रूप विश्व के सभी देशों में दिखाई देते हैं। भारत में तो ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए आज हमारे सामने सबसे बड़ा काम यह है कि हम भारत को किस प्रकार नई शताब्दी में ले जाएं जिसमें पिछली शताब्दियों की विकासात्मक समस्याएं न हों।

पिछले साल शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देने के लिए आयोजित समारोह में मैंने अपने भाषण में जय विज्ञान के उद्देश्य को हासिल करने के लिए दस सूत्री कार्यक्रम सामने रखा था। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि तब से इसके अनेक सूत्रों पर काफी काम हो चुका है। मैं फिर भी यह जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस दिशा में निरंतर प्रयासों को जारी रखना चाहिए।

भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी के आधार को मजबूत कैसे किया जाए, इस बारे में सूचना की कमी नहीं है। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और आकलन परिषद ने *विज्ञान 2020* नामक एक विस्तृत और बढ़िया रिपोर्ट तैयार की है जिसमें विकास के लगभग सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पहले, प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद ने भी भविष्य की कार्यसूची पर दो खंडों में अत्यंत लाभप्रद रिपोर्ट तैयार की थी।

जरूरत है कि इन तथा अन्य रिपोर्टों की सिफारिशों पर आधारित कड़ी और केंद्रित कार्रवाई की जाए। लोकसभा भंग होने से पहले तेरह महीनों के दौरान हमारी सरकार ने बिल्कुल यही करने का प्रयास किया। हमने सूचना प्रौद्योगिकी के विकास पर बड़ा जोर दिया क्योंकि हमें विश्वास है कि सूचना प्रौद्योगिकी ही वास्तव में भारत का भविष्य है। विश्व के मानदंडों के अनुरूप अपने बौद्धिक संपदा कानूनों को बनाने के लिए हम अनेक महत्वपूर्ण पेटेंट कानून बनाए। मुझे भरोसा है कि इनसे भारतीय वैज्ञानिकों को नया सोचने तथा अपने अन्वेषणों से कमाई करने में मदद मिलेगी। सी एस आई आर की प्रयोगशालाओं की अपने-अपने अन्वेषणों और खोजों को पेटेंट कराने में सफलता इस बात का सबूत है। हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चला है और पिछले एक साल में अनेक महान सफलताएं मिली हैं। इनसैट-2ई के प्रक्षेपण ने एक बार फिर दिखा दिया कि यदि ठीक नीतियां और काम का माहौल मिले तो हमारे वैज्ञानिक विश्व में किसी से भी पीछे नहीं हैं।

हाल ही में घोषित नई दूरसंचार नीति का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारतीयों-दोनों को ही संचार क्रांति का लाभ पहुंचाना है। कृषि नीति के प्रारूप को हम शीघ्र ही राष्ट्रीय चर्चा के लिए पेश करेंगे। इसमें काफी जोर वैज्ञानिक और तकनीकी योगदान पर रखा गया है ताकि हमारे खेतों की उत्पादकता और लाभ में बढोतरी हो।

युवा वैज्ञानिक हमारे भविष्य की आशा हैं। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को दो नई योजनाओं को लागू करने की बधाई देता हूँ, जिनका उद्देश्य प्रवीण युवाओं और विद्यार्थियों को विज्ञान की अद्भुत दुनिया की ओर खींचना है।

मैं देश को आज आश्वासन देना चाहता हूँ कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अघूरे कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार काम करती रहेगी। उदाहरण के लिए, श्री जसवंत सिंह की अध्यक्षता वाले आई टी कार्यबल ने अपनी दूसरी और तीसरी रिपोर्ट पेश कर दी है। प्रधानमंत्री की व्यापार और उद्योग परिषद से हमें ज्ञान, उद्योगों, खाद्य व कृषि उद्योगों तथा मूलभूत सुविधाओं के विकास पर बहुत अच्छी रिपोर्टें मिली हैं। इनमें से महत्वपूर्ण सिफारिशों को तुरंत अमल में लाने की जरूरत है। ऐसा निजी क्षेत्र और हमारी अनेक अनुसंधान व विकास सस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाने और मजबूत करने के लिए भी जरूरी है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग तथा अन्य विभागों से मेरा अनुरोध है कि अपने चालू कार्यक्रमों को तेजी से अमल में लाएं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कोई अतराल और रुकावट नहीं हो सकती। वास्तव में हमारा

वैज्ञानिक समुदाय इस बधाई का पात्र है कि उसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत के विकास को राजनीति के उतार-चढ़ाव से दूर रखा। आज प्रौद्योगिकी दिवस पर आइए संकल्प लें कि हम बेहतर काम करेंगे और तेजी से कार्यवाही करेंगे। आइए, अगली शताब्दी में भारत के बड़ी प्रौद्योगिकी शक्ति बनने की राह में आने वाली सभी रुकावटों को हटा दें।

भारत का आदर्श – पृथ्वी, आकाश और सर्वत्र शांति

आपने अभी-अभी देश में ही विकसित पोलर सैटलाइट लांच वेहिकल द्वारा श्रीहरिकोटा से तीन उपग्रहों का प्रक्षेपण देखा है। रॉकेट और मुख्य उपग्रह- आई आर एस पी-4 अर्थात् समुद्री-उपग्रह का डिजाइन व निर्माण भारत में ही किया गया है। पहली बार एक कोरियाई और जर्मन उपग्रह भी भारतीय रॉकेट लांचर से अंतरिक्ष में भेजे गए हैं।

आज भारतीय विज्ञान के लिए बड़े गर्व का दिन है। उत्तरोत्तर विकास के पथ पर बढ़ते हुए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने विश्व में अपनी पहचान बनाते हुए नई ऊंचाइयों को छुआ है। कुछ ही हफ्तों पहले, स्वदेश निर्मित इनसैट 2-ई छोड़ा गया था। इन दोनों घटनाओं ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में भारत के प्रभुत्व को दर्शाया है।

मैं, आप सभी के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के सभी कर्मियों एवं अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं और उद्योगों को भी, जिन्होंने इस सफल प्रक्षेपण में अपना योगदान दिया है, हार्दिक बधाई देता हूँ। व्यक्तिगत स्तर पर मैं रॉकेट के घड़घड़ाते हुए शक्तिशाली इंजनों से इसे अंतरिक्ष में जाते हुए देखकर अत्यंत रोमांचित अनुभव कर रहा हूँ। इस घटना ने अपने देश के लोगों की क्षमता और सामर्थ्य पर मेरे विश्वास को नवजीवन प्रदान किया है। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों की निरंतर सफलता अक्षरशः यह बताती है कि कैसे तारों को छूना, हमारे बस में है:

- यदि हम निष्ठा और सहयोग भावना से कार्य करते हैं;

- यदि हमारे देश में ऐसे अच्छे नेता हों जिनका एक (विज़न) सपना हो और दूसरो को भी उस विज़न को सच कर दिखाने के लिए उत्साहित करने की योग्यता हो;
- यदि सरकार का प्रबल सहयोग हो; और
- यदि हमारी वैज्ञानिक संस्थाएं तथा उद्योग, साझेदारी की भावना के साथ कार्य करें।

मैं देशवासियो से आग्रह करता हूं कि वे इसरो की सफलता से कुछ सीखें और चाहे जो भी कार्य करें, उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करें। हमारे मन-मस्तिष्क, अपनी क्षमताओं पर आत्मविश्वास से आपूरित हों। इस तरह, हम जहां तारों को छू सकते हैं वहीं इस धरती पर हमे घेरे रहने वाली समस्याओं से मुक्ति भी पा सकते हैं।

वास्तव में, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम आरंभ से ही इस तरह बनाया गया है कि इससे हमारे देशवासियों की प्रतिदिन की समस्याएं सुलझाने में सहायता मिले। यह मौसम की भविष्यवाणी, प्रसारण एवं दूरसंचार, भू-मानचित्र निर्माण और जल संसाधन के क्षेत्र में हमारी विकासात्मक पहल को सहयोग देता है और विभिन्न तथ्यों के प्रति हमारी समझ को बढ़ाता है।

ओशनसेट उपग्रह जो वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में स्थित हो परिक्रमा कर रहा है, हमे सागरो के बारे में सूचनाएं देगा। अंतरिक्ष और महासागर ऐसे दो नए क्षेत्र हैं जिनका व्यापक अन्वेषण मानव इस नई शताब्दी और सहस्राब्दि में करेगा। इस अन्वेषण से प्राप्त लाभ समस्त मानव जाति के लिए होंगे। हम भारतीय न केवल इन लाभो का समस्त देशवासियों की भलाई हेतु उपयोग करने के लिए ही बल्कि अंतरिक्ष और सागर के अन्वेषण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी कृत संकल्प हैं। इसरो के सफल कार्यक्रम आगामी शताब्दी में भारत को एक अंतरिक्ष महाशक्ति बनाने के हमारे दृढसंकल्प को रेखांकित करते हैं।

आज हम, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए द्रुतगामी विकास से उपजे एक ग्लोबलविलेज में रह रहे हैं। ये विकास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बिना सोचे भी नहीं जा सकते थे। इस ग्लोबल विलेज में भारत को न केवल निवेश के लिए वरन विदेशी बाजारो के लिए भी अन्य राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है।

लंबे समय से, हमारे पूर्व में अंतरिक्ष में स्थापित परिक्रमा करते उपग्रहो द्वारा लिए गए उच्च विभेदन क्षमता वाले छायाचित्र समस्त विश्व में उपयोग में लाए जा रहे हैं। इंटेल्सेट, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, हाल ही में प्रक्षेपित इनसैट 2-ई की कुछ क्षमताओं को किराए पर लेने जा रहा है। आज प्रक्षेपित रॉकेट द्वारा भी पहली बार दो विदेशी उपग्रहो को अंतरिक्ष में भेजा गया है। भविष्य में अनेकानेक विदेशी उपग्रहो को

भारतीय रॉकेटों द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। इससे यह प्रतीत होता है कि हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद न केवल अंतरिक्ष में बल्कि इस विश्व-बाजार व्यवस्था में भी भारतीय तिरंगे को लहरा रहे हैं।

पिछले वर्ष पोखरण में हमारे परमाणु वैज्ञानिकों ने देश की रक्षा के क्षेत्र में अपनी विश्वस्तरीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। अग्नि-2 मिसाइल के प्रक्षेपण ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घरेलू क्षमताओं को पुनः रेखांकित किया। आज इसरो की इस सफलता ने फिर से यह बताया है कि हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद विश्व में किसी से कम नहीं हैं। फलतः आज हम सभी गर्व से कह सकते हैं: जय विज्ञान।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे समस्त प्रयास भारत को एक सबल, समृद्ध और शांतिप्रिय राष्ट्र बनाने के एक मात्र आदर्श से दिशानिर्देशित हो रहे हैं। सदियों पहले हमारे ऋषियों ने एक शांतिमंत्र का उद्घोष किया था : अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिः, शांतिरेव शांतिः। भारत अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर और सभी ओर शांति की कामना करता है। हम निश्चय ही शक्ति और विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए, इस सार्वभौमिक शांति की प्राप्ति का प्रयास करते रहेंगे।

आम आदमी और विज्ञान के बीच की खाई को पाटिए

मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं इस समारोह में उपस्थित हूँ, जो वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को विज्ञान और राष्ट्रीय प्रगति में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कृत करने को आयोजित किया गया है। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं ओम प्रकाश भसीन फाउंडेशन को भी देश के विख्यात वैज्ञानिकों का सम्मान करने के लिए यह प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार शुरू करने के लिए बधाई देता हूँ।

भारतीय विज्ञान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के अनेक तरीके हैं। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने वालों को

सामाजिक मान्यता प्रदान करना है। भारत जैसे विशाल देश और अपने विशाल वैज्ञानिक कर्मचारी वर्ग को देखते हुए यह जरूरी है कि हम वैज्ञानिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने और मान्यता प्रदान करने के और तरीके निकालें।

मैं परोपकारी संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से अपील करता हूँ कि वे पुरस्कारों, शिक्षा-वृत्तियों और विशेष अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ प्रायोजित करके देश में वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को दुगुना कर दें। उच्च स्तर के वैज्ञानिक कार्यों को प्रतिष्ठा प्रदान करने में विशेष रूप से सूचना माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुझे यह देख कर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान के अनेक क्षेत्रों में और सामाजिक भलाई के लिए उसका उपयोग करने में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। उनका यह कार्य मुझे इस बात की याद दिलाता है कि उनका योगदान भारत को मजबूत समृद्ध और आत्म विश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र बनाने के हमारे सपने को साकार करने के लिए कितना मूल्यवान है।

मुझे इस सत्य का सबसे अधिक रोमांचक अनुभव तब हुआ जब मैंने पिछले महीने श्रीहरिकोटा में पीएसएलवी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण देखा। मेरे दिमाग में जो बात हमेशा के लिए बैठ गई वह न केवल तिरंगे का चित्र बने उपग्रह का आकाश में प्रवेश था बल्कि 'इसरो' टीम के सभी सदस्यों के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी जो यह संदेश प्रकट कर रही थी, "भारतीय वैज्ञानिक विश्व में किसी से पीछे नहीं हैं।"

यहां तक कि आम भारतीय जिन्होंने उस दिन पी एस एल वी का प्रक्षेपण देखा उनके दिल में भी राष्ट्रीय गर्व की लहरे जोर मारने लगीं। जब पिछले वर्ष हमारे परमाणु वैज्ञानिकों ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया तब भी उन्हें ऐसी ही अनुभूति हुई। मुझे विश्वास है कि भारतीय विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में इसी तरह की सफलताएँ प्राप्त की जा सकती हैं जिनसे भारतीयों को अपने देशवासियों की क्षमता पर विश्वास होने लगेगा।

केवल अपनी क्षमता पर दृढ़ विश्वास और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों के प्रति वचनबद्धता भारत को एक महान राष्ट्र बना सकती है। तथापि, आत्मनिर्भरता का अर्थ अलग-थलग हो जाना नहीं है। एक दूसरे पर निर्भर आज की दुनिया में, अनेक देशों के बहुपक्षीय वैज्ञानिक अनुसंधान के एकीकरण का नतीजा प्रौद्योगिक प्रगति है। इसलिए, कुछ विकसित देशों द्वारा प्रौद्योगिकी देने से इकार करना विज्ञान और मानव प्रगति की भावना के विरुद्ध है। विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने में भू-राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए।

भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के सामने आज राष्ट्रीय विकास के लिए अपनी देशी क्षमता के विकास की पहले की अपेक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें 21वीं शताब्दी में भारत को एक मजबूत वैज्ञानिक शक्ति बनाने के लिए अनवरत प्रयास करना चाहिए। हम जानते हैं कि प्रौद्योगिकी ही वह नया उपकरण है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाता है और विकास को बढ़ावा देता है। परमाणु और अतिरिक्त वैज्ञानिकों और साथ ही रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की विभिन्न प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धियों से पता चलता है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान कितना उपयोगी है। आधुनिक युद्ध और रक्षा युद्धनीति में विज्ञान एक महत्वपूर्ण निवेश है। तथापि, राष्ट्रीय सुरक्षा पर केवल सैनिक दृष्टि से विचार नहीं किया जा सकता है और न किया जाना चाहिए।

हममें से प्रत्येक को वास्तव में जिस बात के लिए चिंतित होना चाहिए वह है अपने सभी नागरिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और बेहतर जीवन बिताने की सुरक्षा।

हमें गरीबी, अभाव, गंदगी, बीमारी और कुपोषण, निरक्षरता और आवासविहीनता के विरुद्ध अपनी लड़ाई जीतनी है। इस युद्ध में विकास की कमी और असतुलित विकास के विरुद्ध जो सबसे महत्वपूर्ण घटक हमारी सहायता कर सकता है वह विज्ञान है। इसलिए मैं सभी वैज्ञानिकों से अपील करता हूँ कि वे इस राष्ट्रीय प्रयास में एक सैनिक की भावना से कार्य करें। सैनिक की भावना में है उसका देशप्रेम, अनुशासन, समर्पण, मिलकर काम करने की भावना और लक्ष्य को प्राप्त करने का अटल संकल्प।

इन गुणों के अतिरिक्त हमारे वैज्ञानिकों को समग्र विकास के इस युद्ध में विजयी होने के लिए एक और गुण को दिल में बिठाना होगा। उन्हें विज्ञान और आम आदमी के बीच की खाई को पाटना चाहिए। उन्हें प्रयोगशाला और खेत की दूरी को भी समाप्त करना चाहिए। विज्ञान को अधिक उत्पादन, बेहतर संरक्षण, मूल्य परिवर्धन और कुशल वितरण की चुनौतियों का सामना करने में भारतीय किसान की सहायता करनी चाहिए। इसी के साथ हमारे वैज्ञानिकों को 'बायोटेक्नोलोजी' के लाभ देश को उपलब्ध कराने चाहिए, जो आगामी दशकों के दौरान विज्ञान का सबसे अनूठा क्षेत्र होगा।

भारतीय वैज्ञानिकों के सामने एक और चुनौती है। उन्हें हमारे स्कूलों और कालेजों में विज्ञान की शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र में सरकार और शिक्षा सस्थाओं की सहायता करनी चाहिए। विज्ञान का अध्ययन एक सामान्य ढर्रा, परीक्षा उन्मुख बोझिल अभ्यास नहीं बनना चाहिए। बल्कि इसे दिमाग को खोलने वाला अनुभव बनना चाहिए, जो हमारे बच्चों की समस्याओं को हल करने की क्षमता को बढ़ाए।

मुझे उपनिषदों से एक विचारपूर्ण सदेश उद्धृत करके अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति दीजिए। इसमें कहा गया है कि मनुष्य जो कुछ करता है, विज्ञान की सहायता से उसे बेहतर किया जा सकता है। किसी अन्य व्यवसाय की तरह, जब विज्ञान पर साधना की तरह आचरण किया जाता है तब हमारा अच्छा कार्य कई गुना बढ़ जाता है।

आप सब इस बात से सहमत होंगे कि राष्ट्र निर्माण स्वयं एक यज्ञ है। वास्तव में हम सबके लिए यह सबसे पवित्र सामूहिक प्रयास है। मैं वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक समुदाय से अपील करता हूँ कि वे इस यज्ञ की सफलता के लिए इसमें अपने ज्ञान और समर्पित कार्य की आहुति दें।

चहुंमुखी विकास के लिए अंतरिक्ष का उपयोग

मैं आज सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकास में अंतरिक्ष उपयोग के बारे में आयोजित इस दूसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन करते हुए हमें खुशी हो रही है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग के इस सम्मेलन की मेजबानी का मौका हमें मिला है।

आज जब हम नई सहस्राब्दी की चौखट पर खड़े हैं, यह गर्व का विषय है कि 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मानव जाति ने अंततः पिछली शताब्दियों और सहस्राब्दियों का एक स्वप्न साकार किया है। पहले की तरह, अब अंतरिक्ष दुर्लभ और दुर्गम आश्चर्यलोक नहीं रह गया है।

यूँ तो मानव आने वाले हर समय में भी हमारे ब्रह्मांड के आर पार फैले अनंत और असीम शून्य के रहस्यों पर मंथन करता रहेगा, लेकिन मानव इतिहास में पहली बार हम अंतरिक्ष तक अपनी पहुँच बनाने में सफल हुए हैं।

ग्रहों और नक्षत्रों तक हम अब केवल स्वप्नों और कल्पना के पखों से ही नहीं पहुँच सकते, हमारे उपग्रहों, अंतरिक्षयानों, दूरबीनों और कंप्यूटरों ने हमें अंतरिक्ष की अतल गहराइयों की यात्रा के माध्यम प्रदान कर दिए हैं।

अंतरिक्ष उपयोग के बारे में एस्कैप के मंत्री स्तर के सम्मेलन में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 18 अगस्त 1999

इस अवसर पर मेरे मन में जो पहला विचार आता है, और मुझे विश्वास है कि आप भी इससे सहमत होंगे कि यह प्रगति किसी एक देश या देशों के समूह की नहीं बल्कि मानव समुदाय की सामूहिक यात्रा है। क्षेत्रीय सहयोग, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ही एक कड़ी है, अंतरिक्ष के अनुसंधान और उपयोग का केंद्र बिंदु है।

ऐसा क्यों और क्यों होना भी चाहिए, इसके अनेक कारण हैं। धरती पर राष्ट्रों की सीमाएं हो सकती हैं। सीमित अर्थों में समुद्रों और महासागरों के जल पर भी देशों की संप्रभुता होती है। लेकिन अंतरिक्ष के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। अपनी प्रकृति से ही, अंतरिक्ष हम सबका है। हमारी पृथ्वी को ढके हुए यह अंतरिक्ष निश्चित ही सभी देशों के लिए सबसे बड़ा साक्षात् संसाधन है। आज यदि हमारी दुनिया सिमटकर एक भूमंडलीय ग्राम में परिवर्तित हुई है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का है। इसलिए, यथासंभव व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अपार लाभ उठा सकते हैं। यह कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि प्रौद्योगिकी से वंचित रखने या ऐसी ही अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियां अंतरिक्ष अनुसंधान और स्थायी विकास में उसके उपयोग के रास्ते में बाधाएं खड़ी करती हैं।

अंतरिक्ष अनुसंधान के भारी खर्चों को देखते हुए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया के सभी देश अपने वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक तथा अन्य प्रकार के संसाधनों को साक्षात् लाभ के लिए उपयोग में लाएं। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मार्ग में आपका यह सम्मेलन एक और महत्वपूर्ण कदम है।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के सामने विकास की और मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा, जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो सभी देशों के लिए समान रूप से चुनौती हैं। हमारे क्षेत्र में विश्व की कुल जनसंख्या का साठ प्रतिशत हिस्सा निवास करता है। इसमें से आधी से अधिक जनसंख्या भारत और चीन में है।

इसलिए अगली शताब्दी और सहस्राब्दी में मानव जाति के स्थायी विकास के बारे में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए समान दृष्टिकोण के बिना सोचा भी नहीं जा सकता। आज सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब सामूहिक रूप से अपना ही नहीं बल्कि समूचे विश्व का ध्यान एशिया प्रशांत क्षेत्र में निरंतर बढ़ती जनसंख्या का जीवन स्तर बढ़ाने की ओर केंद्रित करें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में दुनिया के विकसित देशों और इस क्षेत्र के देशों पर भारी जिम्मेदारी है।

अतरिक्ष प्रौद्योगिकी हमारे काम को आसान बना रही है। दूरसंचार, प्रसारण, मौसम के पूर्वानुमान, दूर-सवेदन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में इस प्रौद्योगिकी से हमें पहले से ही लाभ मिल रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी, जो मुख्य रूप से अतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर ही निर्भर है, न्यायपूर्ण और पर्यावरण सुरक्षा के अनुकूल तेज सामाजिक-आर्थिक विकास में इस प्रौद्योगिकी के उपयोग को आगे बढ़ा रही है।

विकास के नए और अधिक कार्यकुशल क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर रोजगार पैदा करने के लिए हमें अतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्षमताओं को विकसित करना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ, परिवार कल्याण, शिक्षा तथा निपुणता विकास के अन्य कार्यक्रमों तक लोगों की पहुँच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। अनेक देशों में पानी की कमी की समस्या गभीर होती जा रही है। बेहतर जल प्रबंधन के लिए भी अतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग को विकसित किया जाना चाहिए।

1700 उपग्रह ट्रांसपोंडरो पर एशिया प्रशात क्षेत्र के देशों की पहुँच है। नए उपग्रहों और इंटरनेट प्रौद्योगिकी से प्रसारण तरंगों का दायरा और बढ़ाने की संभावनाएं बढ़ी हैं जिससे उच्च वेग के बहुविध संचार माध्यमों की सुविधा अधिक सस्ती, आसान और सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध हो सकेगी। हमें इस प्रौद्योगिकी का लाभ अधिक से अधिक किसानों तथा निरक्षर ग्रामीण महिलाओं, अकुशल श्रमिकों जैसे वंचित वर्गों और दूर-दराज के पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों में बसे लोगों तक पहुँचाना चाहिए। हमें अपनी भाषाओं, कला और परंपराओं को समृद्ध बनाने में भी इसका उपयोग करना चाहिए। इसके माध्यम से विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच परस्पर सम्मान और समझ-बूझ भी विकसित की जा सकती है।

आपदा प्रबंधन एक और ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बड़ी जरूरत है। इस क्षेत्र में दूर-सवेदन, मौसम विज्ञान, खोज और बचाव तथा सामुद्रिक उपग्रहों की आधुनिकतम सुविधाएँ उपलब्ध हैं। सभी देशों में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में इन सुविधाओं का साझा उपयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा से कोई भी देश प्रभावित हो सकता है। जैसाकि आपको मालूम है हमारे देश में उड़ीसा प्रांत में हाल ही में प्रलयकारी समुद्री तूफान से भयंकर तबाही हुई। इसी प्रकार की आपदाओं से एशिया प्रशात क्षेत्र के अन्य देशों को भी जूझना पड़ा। हमें अपने उपग्रहों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए ऐसी प्रणाली तैयार करनी होगी जिससे क्षेत्र के प्रत्येक देश को इस प्रकार की आपदाओं की पूर्व चेतावनी मिल सके, चाहे किसी देश का अपना उपग्रह है या नहीं।

प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों, भारत मानव विकास के अन्य क्षेत्रों की तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के मंत्र में विश्वास करता रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रयोग के क्षेत्र में हमारी उल्लेखनीय उपलब्धियों के पीछे आत्म-निर्भरता का जो दृढ़ विश्वास रहा है, उसमें भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग का बहुत बड़ा हाथ है।

पिछले 30 वर्षों में हमने अंतरिक्ष अनुसंधान की मूल सुविधाओं का प्रभावकारी और बहुदेशीय ढांचा तैयार किया है, जिसका उपयोग राष्ट्रीय विकास के लिए किया जा रहा है। हम परस्पर हित के सिद्धांत पर इस आधारभूत ढांचे को हर किसी देश को देने के लिए तैयार हैं। भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों ही व्यवस्थाओं के जरिए क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपना अनुभव और विशेषज्ञता बांटने तथा क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर जीवन स्तर की सुविधाएँ जुटाने में साथ मिलकर काम करने को तैयार है।

पाच वर्ष पूर्व, पेइकिंग में हुई इस आयोग की बैठक में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में स्थायी विकास के लिए क्षेत्रीय अंतरिक्ष उपयोग कार्यक्रम की महत्वाकांक्षी शुरुआत की गई थी। हमने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपना भरपूर योगदान दिया। हम और भी योगदान के लिए तैयार हैं।

और अतः मे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष उपयोग के विकास की जरूरत पर बहुत कुछ न बोलते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अंतरिक्ष को हथियारों की होड़ का नया मोर्चा नहीं बनना चाहिए बल्कि विकास के लिए संपूर्ण मानव-जाति के सहयोगात्मक और सामूहिक प्रयासों का साझा-सूत्र होना चाहिए। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने शांति मंत्र में हम पर यह दायित्व डाला है कि-

अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति।

(अर्थात् अंतरिक्ष में शांति रहे- पृथ्वी पर शांति रहे।)

हम एशिया प्रशांत क्षेत्र के देश, संस्कृति, धर्म और मानव संसाधन विकास के पोषक रहे हैं। इस क्षेत्र के देशों का गौरवशाली इतिहास है और इन देशों ने सद्भावपूर्ण मानव विकास के विचारों तथा चिंतन दर्शन को असाधारण नेतृत्व प्रदान किया है। हमारी परंपरागत पद्धतियों में पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित किया गया है। मुझे विश्वास है कि चहुंमुखी स्थायी विकास के लिए अंतरिक्ष उपयोग के क्षेत्र में भी एशिया प्रशांत के देश दुनिया के सामने एक बार फिर मिसाल कायम करेंगे।

मुझे आशा है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में स्थायी विकास के लिए अतिरिक्त के उपयोगों के बारे में यह दूसरा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ठोस रणनीति तैयार करेगा। आज जब हम नई सहस्राब्दि की चौखट पर खड़े हैं, समय आ गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में पुनर्जागरण होना चाहिए ताकि सभी राष्ट्रों में शांति और प्रगति का नया अध्याय शुरू हो।

इस सम्मेलन की सफलता के लिए मेरी कोटि-कोटि शुभकामनाएँ।

भारत के सर्वांगीण विकास के लिए विज्ञान

नव वर्ष व नई सदी की मंगलकामनाओं के साथ आप मुझे बोलने की अनुमति दें। यहां उपस्थित सभी विदेशी वैज्ञानिकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ।

आज का यह अवसर मेरे लिए विशेष महत्व का है। नई सदी के सूर्योदय के पश्चात यह ऐसा प्रथम व महत्वपूर्ण सार्वजनिक समारोह है, जिसमें मैं भाग ले रहा हूँ। 21वीं सदी में हो रहे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के इस प्रथम सत्र के साथ जुड़े होने से अच्छा और कौन-सा अवसर हो सकता है? पुणे से अच्छा और कौन-सा स्थान हो सकता है, जो विज्ञान, अर्थात् विज्ञान का ज्ञान और ज्ञान-जीवन का उच्च ज्ञान, दोनों के केंद्र के रूप में विख्यात है?

बीसवीं सदी का सूर्य अभी-अभी अस्त हुआ है और हम अभी भी नई सदी की प्रातः वेला में हैं। इस पल इतिहास के महत्व को भुलाना अत्यंत कठिन है। जो कुछ हमने आज तक देखा और जो कुछ हम आज तक जिए, वह सब विगत बन चुका है। 21वीं सदी के रूप में जो भविष्य हमें अभी तक इतना दूर लगता था, वह अब वर्तमान बन चुका है। भविष्य की हमारी आकांक्षाएं आज की कार्यसूची बनने की घोषणा कर रही हैं।

जो कुछ घटित हुआ, वह रोजमर्रा की तैथिक घटना नहीं है। यद्यपि तथ्य यह है कि इस वर्ष हमारे कम्प्यूटरों को *वाई 2* के अनुसार नवीनता की आवश्यकता पड़ी।

आज पृथ्वी के प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के सामने एक प्रश्न है कि हमारे कंप्यूटर तो नई सदी के लिए तैयार हैं, पर क्या हम सब भी नई सदी के लिए तैयार हैं? क्या पुरानी विश्व-व्यवस्था अपनी सभी विख्यात समस्याओं व अभावों के साथ नई सदी में चलती रहेगी? और, किस तरह सबके लिए सुखद व बेहतर विश्व-व्यवस्था का निर्माण हो?

इन सभी प्रश्नों के उत्तर न केवल सरकारों के नेताओं, राजनीतिज्ञों व बुद्धिजीवियों से ही अपेक्षित हैं, बल्कि वैज्ञानिकों से भी अपेक्षित हैं, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन सर्वाधिक बलशाली शक्तियों में से एक है, जिन्होंने 20वीं सदी के प्रवाह व विषयो को रूप दिया। एक विख्यात अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा 'सदी का मानव' चुने जाने का सम्मान भी एक वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन को ही मिला। 21वीं शताब्दी में आपके व्यवसाय के चिन्ह और भी गहरे व तेज होने जा रहे हैं। इसीलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सामने मानवता अत्यावश्यक मागे रख रही है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी से विश्व नई सदी में केवल नए ज्ञान व नई वस्तुओं की ही अपेक्षा नहीं करता, बल्कि उसे ऐसे ज्ञान और ऐसी वस्तुओं की अपेक्षा है जिससे मानव की तंगहाली घटे, भूख मिटे, आवश्यकताएं पूरी हो और सभी देशों में सभी मनुष्यों का जीवन-स्तर सुधरे और, आपको यह सब उस मूल्यवान भूमंडलीय विरासत को संरक्षित रखते हुए करना है, जिसे पर्यावरण कहते हैं।

पिछली शताब्दी में विज्ञान ने बाह्य अंतरिक्ष में आकाशगंगाओं के नृत्य के ज्ञान के साथ-साथ, अणु-नाभि में होने वाले सूक्ष्म कणों के नृत्य का भी ज्ञान प्राप्त किया। इस नई सहस्राब्दि में विज्ञान को इन रहस्यों की खोज के साथ-साथ, उन अज्ञात मार्गों की खोज को भी पुनः दुगुना करना होगा, जो सभी मानवों को मानवीय सुखों की ओर ले जाते हैं।

इस उच्च उद्देश्य की प्राप्ति इस बात का आह्वान करती है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक और शिल्पविज्ञानी इस तरह की नीतियां बनाने व उनका कार्यान्वयन करने में अत्याधिक एकीकरण करें। अभी तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी लोगों तक अप्रत्यक्ष रूप में उद्योगों और वाणिज्य शक्तियों के माध्यम से पहुंची है। अब इनको समाज, अर्थव्यवस्था व अभिशासन के क्षेत्रों में निर्णय लेने के विवेचनात्मक निवेश का रूप लेना होगा।

नई सहस्राब्दि को आज एक नया बुद्धिजीवी वर्ग चाहिए। इन दिनों प्रौद्योगिक समाभिरूपता की क्रांिकारी घटना को लेकर काफी उत्तेजना है। प्रौद्योगिक समाभिरूपता अर्थात् कंप्यूटर, दूरसंचार, दूरदर्शन व इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सामान्य डिजिटल पर

एकीकरण। मुझे लगता है कि विश्व को एक नई तरह की समाभिरूपता की भी आवश्यकता है, जिसे हम बुद्धि और उद्देश्यो की समाभिरूपता कहेगे।

आज वाणिज्य-शक्तियां उन उद्देश्यो से अलग होकर नहीं चल सकतीं, जो कि जनता की उन मार्गों से भिन्न हैं, जिन्हे जनता अपनी चुनी हुई सरकार के सामने रखती है। आज सरकारें उद्देश्यो की प्राप्ति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समझदारी से प्रयोग के बिना नहीं कर सकतीं। इसी तरह वैज्ञानिक और शिल्पविज्ञानी अपने उद्देश्यो की पूर्ति तभी कर सकते हैं, जब उनके उद्देश्यो की वाणिज्य और लोगो की आवश्यकताओं के साथ संगत बैठेगी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योग, वाणिज्य, समाज, सरकार और पर्यावरण के बीच बढ़ती हुई अन्योन्याश्रितता ही नई सहस्राब्दि का प्रमाण-चिन्ह होगी।

राष्ट्रो के मध्य बढ़ती हुई अन्योन्याश्रितता हमारे समय की वह प्रमुख प्रवृत्ति है जो प्रौद्योगिक समाभिरूपता पर अध्यारोपित है। बृहत्तर अन्योन्याश्रिता के लिए बृहत्तर सहयोग चाहिए। नई सहस्राब्दि मे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे सार्वभौमिक सहयोग की माग पिछली शताब्दी की तुलना मे कहीं ज्यादा होगी। पिछली शताब्दियो की तरह कोई भी विकसित देश केवल अपने मानव संसाधनो और आर्थिक ससाधनों के बल पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे उन्नति नहीं कर सकता। वास्तव मे पिछले कुछ दशकों का अनुभव यह दर्शाता है कि विज्ञान की प्रगतिमे 'आपसी सहयोग' अपने आप में एक मूल्यवान ससाधन बन गया है।

प्रतिष्ठित वैज्ञानिको, मैं ऐसे भारत का स्वप्न देखता हूं, जो मानव इतिहास के इस नए अन्योन्याश्रित व सहयोगी चरण मे बराबर अनुपात में सहयोग भी हो व उपकृत भी हो। यह एक स्वप्न है कि नई सहस्राब्दि के प्रारंभिक दशकों मे भारत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तौर पर एव विज्ञान और प्रौद्योगिकी मे एक उच्च विकसित राष्ट्र हो। यह सभी भारतीयो का स्वप्न है, चाहे वे नवयुवक हो या वृद्ध, अमीर हो या गरीब, शहरी हो या ग्रामीण। मैं भारतीय विज्ञान कांग्रेस से अनुरोध करता हू कि वह इस स्वप्न की पूर्ति के लिए हमारे वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी समुदाय की पूरी शक्ति को कार्यप्रवृत्त करने का सकल्प करे।

मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बृहत्तर तथा अधिक परिणामात्मक विस्तार उन क्षेत्रो में देखना चाहता हूं, जहां उनकी अधिक आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्र हैं—प्राथमिक स्वास्थ्य सस्था, स्वच्छता, कृषि, जल और भूमि प्रबंध, ऊर्जा संरक्षण और कार्यक्षम सेवाए, जो सामान्य व्यक्ति के जीवन को सुखद बना सके। देश को आपके मूल्यवान ज्ञान के निवेश की अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रो में आवश्यकता है, जैसे— लघु उद्योग, कृषि,

प्रसंस्करण, दस्तकारी व शिल्पकारी, आदि। ये क्षेत्र हमारे तीनों राष्ट्रीय उद्देश्यों, रोजगार-उत्पादन, न्यायसंगत संपत्ति सर्जन व सामाजिक न्याय की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अधिकांश दस्तकार व शिल्पकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबन्धित हैं।

आपदा प्रबंधन-प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान व निवारण-भी एक ऐसा क्षेत्र है, जिस ओर हमारे वैज्ञानिकों को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल ही में उडीसा में आए महातूफान द्वारा मचाई गई तबाही व उससे उत्पन्न मानव-दुर्दशा ने इस आवश्यकता को सुस्पष्ट तौर से उजागर किया है।

साथ ही, हमारे वैज्ञानिकों का यह भी ध्येय होना चाहिए कि वे विज्ञान व उच्च तकनीकी के नवीनतम क्षेत्रों में विश्व-स्तरीय श्रेष्ठता को तीव्रता से हासिल करें। अब हम यह भी जानते हैं कि उन्नत प्रौद्योगिकियां जनता की मूलभूत समस्याओं के निदान में लाभदायक योगदान दे रही हैं, जैसा कि अंतरिक्ष-अनुसंधान के आश्चर्यजनक कार्यान्वयन के उदाहरण से स्पष्ट है। फिर भी, हमारे जैसे राष्ट्र के भाग्य का निर्णय प्रौद्योगिक अनेकत्व पर आधारित है, जिसमें परंपरागत और आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उचित सम्मिश्रण हो और इनमें से प्रत्येक प्रौद्योगिकी राष्ट्र-उत्पादन की बढ़ोतरी में भरपूर सहयोग दे।

इस तरह के स्वदेशी प्रौद्योगिकी मिश्रण के लिए भारत सभी विकासशील देशों में अग्रणी है। हमारी वैज्ञानिक परंपराएं प्राचीन और मध्यकाल से बड़ी दीर्घ व दृढ़ रही हैं। स्वतंत्रता के उपरांत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनेक क्षेत्रों में हमने अपनी शक्ति की विस्तृत वृद्धि की है। देश आप पर और आपके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए योगदान पर गर्व करता है, जिनमें से कृषि, चिकित्सा-शास्त्र, धातु-विज्ञान, अंतरिक्ष, परमाणु-विज्ञान आदि कुछ उल्लेखनीय क्षेत्र हैं। हमारे पास अब होनहार युवा-वैज्ञानिकों का समूह है, जिसमें विदेशों में काम करने वाले युवा-वैज्ञानिक भी सम्मिलित हैं। यह सब मुझे विश्वास दिलाता है कि भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वह क्षमता है कि वह नई सहस्राब्दि में और भी आगे उन्नतिशील होगी।

हम सभी जानते हैं कि इस उन्नतिशीलता की प्रेरक शक्तियां सूचना प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सूचना पर आधारित अन्य क्षेत्र हैं। अपने स्वदेशी औद्योगिक आधार को मजबूत करते हुए हमें मानव-जाति की आर्थिक गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा किए गए उदाहरणीय परिवर्तनों के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलना है।

मानव-सभ्यता के प्रारंभिक चरणों में प्राकृतिक संसाधनों की तात्कालिक सुलभता व असुलभता ने ही कुछ राष्ट्रों को धनी व अन्यो को निर्धन बनाया। औद्योगिक क्रांति के बाद प्राकृतिक संसाधनों को बड़े पैमाने पर उत्पादक-सुविधाओं द्वारा भौतिक संपत्ति में बदलने की क्षमता विकास की प्रेरक शक्ति थी। पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध में वित्त विकास पूंजी का क्रांतिक बिंदु बना।

अब हम ज्ञान-पूंजी के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां ज्ञान की सृष्टि, प्रसार व प्रयोग पूंजी-उत्पादन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। ज्ञान-पूंजी वह है, जिससे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पहिए उत्तरोत्तर संचालित होते हैं और राष्ट्रों के सौहार्द में किसी राष्ट्र के गौरव व स्थान को निर्धारित करती है। यह भारत का दृढ़-सकल्प है कि वह सूचना प्रौद्योगिक क्रांति का न केवल भागीदार, वरन इसका अग्रणी बने।

सूचना प्रौद्योगिकी में भारत की सफलताएं विख्यात हैं। अब हमारा यह ध्येय हो कि हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी व उद्यम आदि क्षेत्रों में इस सफलता को दोहराएं। सरकार आपके उन विचारों का स्वागत करेगी, जिससे हम भारत में विश्व-स्तरीय सुविधाएं व अवस्थाएं बना सके, ताकि विश्व-स्तरीय उपलब्धियां मिल सकें। इस दिशा में सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम ऐसे ही कदम और भी उठाएंगे। हमने प्रतिरोधक लालफीताशाही को हटाने का निश्चय किया है। हमने यह भी सकल्प किया है कि हम अनुसंधान प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग, गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी संस्थाओं के बीच की सहकारी श्रृंखला को केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्तरों पर मजबूत करें।

उपर्युक्त ध्येय की पूर्ति के लिए हमने हाल ही में भारत सरकार में कैबिनेट-स्तर के एक मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की नियुक्ति की है। हम आप सरीखे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को सुनिश्चित राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और अधिक भागीदार बनाएंगे।

भारतीय विज्ञान की विस्तृत शक्तियों को शानदार उपलब्धियों में बदलने के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपायों की आवश्यकता है। नई सदी में हम विज्ञान की नई यात्रा पर जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको एक व्यापक आदर्श सौपता हूँ कि भारतीय विज्ञान को भारत के तीव्र सर्वांगीण विकास के लिए विकसित करे। इस आदर्श की यह अनिवार्यता है कि हम सब मिलकर कुछ आवश्यक नियत कार्यों को पूरा करने की प्रतिज्ञा करें :

- आइए, हम प्रतिज्ञा करें कि विज्ञान-शिक्षा के मानकों को सभी स्तरों पर उन्नत करें। आइए, हम अपना ध्यान, विशेष तौर पर अपने बच्चों की ओर प्रवृत्त करें और उनकी प्राकृतिक रचनात्मक शक्तियों को इस तरह से दक्ष करें कि उनके बड़े

होने पर उनकी ये शक्तियाँ उच्च-स्तरीय योग्यताओं में विकसित हो जाएँ। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए सरकारी पूजीकरण की निरंतरता आवश्यक है— वास्तव में यह एक दायित्व है। फिर भी, हमें उच्च व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पूंजीकरण में निजी क्षेत्र के समर्थन के लिए नए प्रस्तावों को रखने की आवश्यकता है।

- आइए, हम प्रतिज्ञा करें कि हम अपने विश्वविद्यालयों, उद्योगों व अनुसंधान तथा विकास संस्थानों, सुरक्षा अनुसंधान व विकास संगठनों के बीच सहभागिता बढ़ाएँ। विश्व-स्तर के अनुपात में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भारत की लागत पूरी तरह अपर्याप्त व अत्यंत शोचनीय है। मैं चाहूँगा कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में लागत में वृद्धि हो। इस वर्ष यह 0.86 प्रतिशत से बढ़कर एक प्रतिशत हो और आगे आने वाले पांच वर्षों में यह बढ़कर दो प्रतिशत हो जाए। वित्तीय लागत में वृद्धि के अतिरिक्त, हमें अपनी वर्तमान संस्थाओं और संपत्ति को मिलाकर इस ध्येय से आगे बढ़ाना है कि भारत विकास और अनुसंधान में विश्व का सभामंच बन सके।
- आइए, हम प्रतिज्ञा करें कि हम अपने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक संस्थानों को कार्यक्षम व प्रेरणाप्रद नेतृत्व, वैज्ञानिक व प्रशासनिक दोनों, माध्यम से समर्थ बनाएँ। जो कुछ हमने पिछले 50 वर्षों में निर्मित किया, हमें उस पर गर्व है। अब हमें उसके सामर्थ्य में वृद्धि करनी है, ताकि नई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकताओं की चुनौतियों का मुकाबला कर सकें।
- आइए, हम प्रतिज्ञा करें कि हम भारत की यथेष्ट पारंपरिक ज्ञान-संपत्ति को राष्ट्रीय वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक संगठन की मुख्यधारा में लाकर प्रोत्साहित करें। उदाहरण के लिए, औषधीय पौधे व जड़ी-बूटियों के उस ज्ञान में बहुत उपयोगिता छिपी हुई है, जिसे हमारी सामान्य जनता व विशेष तौर पर जनजातियाँ प्रयोग में लाती हैं। सी एस आई आर. द्वारा अपनी कुछ प्रयोगशालाओं को पारंपरिक ज्ञान में विशेष अध्ययन करने वाली संस्थाओं के साथ श्रृंखलाबद्ध करने का सूत्रपात भारत को औषधि के क्षेत्र में विश्व-नेतृत्व प्रदान करेगा।
- आइए, हम प्रतिज्ञा करें कि अब पूरे विश्व में प्रचलित नए बुद्धिजीवी संपत्ति अधिकारों आई.पी.आर. की व्यवस्था से लाभ उठाएँ। अनुक्रम के अनुरूप मजबूत आई.पी.आर. प्रणाली लाने के लिए हाल ही में सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। मुझे बताया गया है कि आई.पी.आर. के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किए गए सतत अभियानों के फलस्वरूप भारतीय वैज्ञानिकों को मिलने वाले एकस्व अधिकारों (पेटेंट्स) की संख्या में वृद्धि हुई है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूँ।

- आइए, हम प्रतिज्ञा करें कि भारत में नए ज्ञान-प्रेरित उद्यमों के लिए 'जोखिम-पूंजी सस्कृति' व सहायता के अन्य रूपों को बढ़ाएं। यह विशेष तौर पर सुनिश्चित करना जरूरी है कि भारत में ऐसे उद्यमों के विकास पर व्यापारियों के अतिरिक्त उन वैज्ञानिकों को भी लाभ मिले, जिन्होंने नए विचारों व नई वस्तुओं का विकास किया है।
- आइए, हम प्रतिज्ञा करें कि हम अभिनव परिवर्तन, उद्यम, उच्च अभिलाषाओं व उच्च उपलब्धियों के वातावरण को भारतीय विज्ञान के हर क्षेत्र में पोषित करें।

नई सदी में प्रवेश पर मैं आपको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के भावोत्तेजक शब्दों की याद दिलाता हूँ। उन्होंने कहा था, 'वैज्ञानिक भविष्य के साथ तालमेल रखने वाले अल्पसंख्यक हैं।' हमारे देश के निवासी आपकी ओर उच्च आकांक्षाओं से देखते हैं कि आप भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निकट भविष्य में एक महान् शक्ति बना देंगे।

यह उच्च लक्ष्य 21वीं शताब्दी, भारत की शताब्दी की प्राप्ति के लिए जरूरी है, जो हमने अपने लिए निर्धारित किया है। यह नई सदी में पूरी मानवता के लिए शांति, उन्नति व सुख आदि और इससे भी ऊंचे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी है।

इन शब्दों के साथ 87वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

प्रयोगशालाओं और उद्योगों में उचित सामंजस्य

नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यानि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन के इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित होकर मैं बेहद प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। निस्संदेह यह देश के वैज्ञानिक समुदाय, खासकर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी से जुड़े लोगों के लिए गौरव का दिन है। देश की सबसे प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक

मानी जाने वाली इस सस्था द्वारा पिछले पचास वर्षों में देश के लिए की गई सेवाओं को याद करते हुए आज समूचा देश आपकी खुशी में शामिल है।

आधुनिक भारत के निर्माताओं का हमें आभारी रहना होगा। वह लोग सही अर्थों में दूरदर्शी थे। वह इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की आर्थिक और उसके नागरिकों की प्रगति का सीधा संबंध विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से है।

विज्ञान के विकास और विभिन्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे क्रियान्वित करने तथा एक मजबूत आधार प्रदान करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) की स्थापना की गई। सी एस आई आर ने एक स्वप्न से जन्म लिया। सदियों से पराधीन रहे एक उदीयमान देश का स्वप्न जो अन्य देशों के साथ बराबरी करना चाहता था। यह एक ऐसे स्वतंत्र देश का सपना था, जिसे अपनी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व था, और जो एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर, आधुनिक, और आर्थिक रूप से विकसित देश बनने के लिए संकल्पबद्ध था।

नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, सी एस आई आर के तत्वावधान में सबसे पहले स्थापित की जाने वाली प्रयोगशालाओं में से एक थी। आज इसकी स्थापना के पचास वर्ष पूरे होने के अवसर पर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे, जिन्होंने इस महान संस्थान की आधारशिला रखी। हम प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर, होमी भाभा, और देश के उन अग्रणी वैज्ञानिकों के प्रति भी अपनी विनम्र श्रद्धा अर्पित करते हैं, जिनका उदीयमान भारत पर अटल-अमिट विश्वास था।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एन सी एल ने अपने संस्थापकों के स्वप्न को पूरा किया है। इस लेबोरेटरी को आज रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में समूचे विश्व में सम्मान की नजर से देखा जाता है। वैज्ञानिक क्षेत्र में इसकी उपलब्धियों की दुनिया भर में सराहना हुई है। इसी लेबोरेटरी में डाक्टर माशेलकर के अग्रणी शोध को सम्मान मिला और उन्हें रायल सोसाइटी ऑफ लंदन की प्रतिष्ठित फेलोशिप भी मिली। यह बेहद खुशी की बात है कि उनके गुरु एम.एम. शर्मा, जो स्वयं भी एफ.आर.एस हैं, आज हमारे बीच मौजूद हैं।

भारत में रसायन उद्योग की जड़ जमाने से बहुत पहले एन सी.एल की स्थापना की जा चुकी थी। इस लेबोरेटरी ने निश्चित तौर पर भारतीय रसायन उद्योग को विकास के हर चरण में सहयोग किया है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि

उद्योगों के साथ सहभागिता की आवश्यकता महसूस किए जाने से पहले ही एन सी एल ने स्वयं और उद्योगों के बीच सही सामंजस्य स्थापित कर लिया था।

भारत के रसायन उद्योग को विकासशील देशों के बीच सबसे विकसित माना जा सकता है। विकसित विश्व में भी इसकी तुलना कुछ देशों के साथ की जा सकती है। इसमें रचनात्मकता भी है और उद्यमिता भी। कीटनाशक, कार्बनिक रसायन, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और पॉलिमर जैसे क्षेत्रों में भारतीय रसायन उद्योग को एन सी एल ने जो सहयोग किया है उसे व्यापक तौर पर एक नई शुरुआत के रूप में देखा गया है।

मैं आपके इस संस्थान की एक और महत्वपूर्ण कारण से सराहना करना चाहता हूँ। 1990 के बाद से एन सी एल ने नौलेज एक्सपोर्ट यानि विशेषज्ञता विश्व भर के विकसित देशों में भेजने में काफी सहयोग किया है। इसने भारत से बाहर खासकर, अमरीका में सबसे अधिक पेटेंट हासिल कर अन्य शोध प्रयोगशालाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और इससे देश के लिए महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा का विकास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसीलिए आज विश्व के कई संस्थान सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए एन सी एल आना पसंद करते हैं।

माननीय वैज्ञानिक बंधुओं, हम अब एक नई सदी में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा देश कई पुरानी समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत को निर्धनता और पिछड़ेपन की समस्याओं पर विजय पानी होगी। इसके लिए हमारी कृषि को और उन्नत बनाना होगा, और हमारे उद्योगों को विश्व प्रतिस्पर्धा में खरा उतरना होगा। इन उद्देश्यों को हासिल करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारी बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य, आवास, वस्त्र, स्वास्थ्य, सफाई, शुद्ध पेयजल, और प्रदूषण मुक्त वातावरण की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबद्ध संस्थानों की जिम्मेदारी में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ और वह यह कि वे देश के भीतर और बाहर से हमारी सुरक्षा को मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में भी सहयोग करें। इस दिशा में मिल रही चुनौतियां लगातार जटिल होती जा रही हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए बौद्धिक, प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास के स्तर पर बेहद विशेषज्ञता की जरूरत है।

इस तरह हम पाते हैं कि भारत की जरूरतों का स्तर व्यापक है और हमें मूलभूत से लेकर अत्याधुनिक वस्तुओं तक की आवश्यकता है। रसायन शास्त्र और रसायन उद्योग इन आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अतीत में इस उद्योग ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन वर्तमान और भविष्य की आशाएं इससे कहीं बहुत ज्यादा हैं। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करते हुए इस उद्योग में इस तरह की प्रणालियों और उनके क्रियान्वयन की जरूरत है, जिनसे तेज आर्थिक विकास को गति मिल सके। इनको हमारी समृद्ध जैव विविधता और भारत की पारंपरिक जानकारियों की रक्षा करनी चाहिए। इन्हें ऐसी नई प्रक्रियाएं और उत्पाद विकसित करने चाहिए जो गुणवत्ता में श्रेष्ठ हो और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा कर सके।

मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हमारी संस्थाएं, खासकर रसायन शास्त्र और रसायन उद्योग इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस अभियान में एन सी एल पिछले पाच दशकों में दर्ज सफलताओं से कहीं अधिक उपलब्धियां हासिल कर सकेगा।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं भारत की पारंपरिक औषधियों पर आधारित सी-डी रोम जारी किए जाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहूंगा, जो खास तौर पर उन 50 पौधों के बारे में है, जिनका उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है। इस डिस्क में हमारी मान्यताओं और अनुभवों पर आधारित प्राचीन जानकारियों के अलावा आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों पर आधारित जानकारियों का भी समावेश किया गया है। अपनी प्राचीन संस्कृति को इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में सुरक्षित कर उसे वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए दुनिया भर में उपलब्ध करा पाना निस्संदेह प्रशंसनीय कदम है।

सी.एस.आई.आर. इससे पहले हल्दी पर पेटेंट की लड़ाई जीत चुकी है। इसके साथ ही इसने एक और महत्वपूर्ण पहल की है जिससे हमसे संबद्ध प्राकृतिक और बौद्धिक संपदा पर गलत तरीके से पेटेंट लिए जाने की घटनाओं को रोका जा सके।

मैं आप सभी को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए और भविष्य में और महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल करने के लिए एक बार फिर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एन.सी.एल. को उसकी महत्वपूर्ण वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने के लिए मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ।

ज्ञान की क्रांति से उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाइए

मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता है कि मैं युवा प्रतिभा संपन्न वैज्ञानिकों के इस सम्मेलन में उपस्थित हूँ और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करूँगा। मैं इन पुरस्कारों के विजेताओं को बधाई देता हूँ। ये पुरस्कार अपने साथ मान्यता, सम्मान और प्रतिष्ठा भी लाते हैं तथापि, इस पुरस्कार के साथ उन पर एक जिम्मेदारी भी आ जाती है— एकाग्र निष्ठा और नैतिकता के उच्च मानकों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नई सीमाओं का अनुसरण करना जारी रखना। आपकी सफलता और वचनबद्धता हमारे स्कूलों और कालेजों में हमारी युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और उससे विज्ञान की कम होती लोकप्रियता पर रोक लगेगी। इसके महत्व पर जितना जोर दिया जाए कम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक उपलब्धियों के लिए अपनी राष्ट्रीय प्रतिभा का उपयोग करना 21वीं शताब्दी में भारत के भविष्य को सुरक्षित करने का सर्वोत्तम उपाय है।

इस सदर्भ में मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि हाल ही में संपन्न विज्ञान कांग्रेस शानदार ढंग से सफल हुई। पाच लाख से अधिक बच्चों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी देखी। हमे नई शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने के लिए इस उत्साह का उपयोग करना होगा।

आज डा शान्ति स्वरूप भटनागर की जयंती है। आइये, हम उस महान आत्मा को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। जिसने स्वतंत्रता के बाद भारत की वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक उत्कृष्टता की खोज में प्रमुख भूमिका निभाई।

डा भटनागर, डा होमी भाभा और डा पी सी महलानबिस जैसे दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तियों की कल्पना-शक्ति और समर्पण के कारण, जिन्होंने अपने देश को अन्य सब बातों से ऊपर रखा, आज भारत विश्व स्तर के विस्तृत और विविध वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक आधार होने पर गर्व कर सकता है। इसलिए, आज इस अवसर पर हम उनकी एकमात्र खोज के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करें ताकि भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षमता और उपलब्धियाँ किसी से पीछे न रहें।

मेरी सरकार, भारत को एक आधुनिक, सुरक्षित, आत्म निर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार करती है। आज समूचा राष्ट्र भारत के वैज्ञानिकों और तकनीशियनों पर पुनः अपना विश्वास प्रकट करता है। इसी के साथ हमारे वैज्ञानिक समुदाय पर भारत को एक आगे देखने वाले, आगे बढ़ने वाले देश के निर्माण में सहायता करने की जिम्मेदारी आ जाती है। हम सब नई शताब्दी के अवसरों के बारे में, जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, उत्साहित हैं। तथापि, जैसे हम बढ़ते हैं हमें गहरी चिंता होती है। हमारी बढ़ती जनसंख्या चिन्ता का एक कारण है। हमने हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की है जिसमें इस विषय की ओर ध्यान दिया गया है। लेकिन इस चुनौती को भी एक युवा भारत— जीवंत, ऊर्जावान और आदर्शवादी भारत के निर्माण के अवसर में बदला जा सकता है।

वर्ष 2015 तक हमारी आधी जनसंख्या 20 वर्ष से कम उम्र की होगी। हमारी जनसंख्या का यह हिस्सा या तो अभी अभी पैदा हुआ है या पैदा होने वाला है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास इन बच्चों की ओर ध्यान देने का जबरदस्त अवसर है ताकि ये लोग 21वीं शताब्दी में हमारे महान देश की नियति को आकार देने के लिए तैयार हो सकें। यह "युवा भारत" सामरिक, खाद्य और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करने और ज्ञान की क्रांति लाने के लिए शक्ति का स्रोत हो सकता है। हमें यह निश्चित करना होगा कि ज्ञान की क्रांति हमें उस तरह छोड़ कर आगे न बढ़ जाए जिस तरह औद्योगिक क्रांति बढ़ गई थी।

वास्तव में, ज्ञान पर आधारित उद्योग, जो आधुनिकतम प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास से जुड़े होते हैं, वह एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं, जो भारत को विकसित देशों की श्रेणी में ले जाने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। भारत में साधनो, वैज्ञानिक कौशल और प्रौद्योगिक श्रम शक्ति का अभाव नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इन साधनो का उचित और प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल किया जाए।

ज्ञान की क्रांति से उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमें विश्व में बिकने योग्य ज्ञान-परिसम्पत्ति पैदा करनी होगी और भारत में निर्मित ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलानी होगी। इस संदर्भ में मैंने अपने सहयोगी डा. जोशी की अध्यक्षता में औषधि निर्माण और ज्ञान पर आधारित उद्योगों के लिए एक कार्य दल बनाया है। मैं उत्सुकता के साथ इस कार्यदल द्वारा भारत को एक 'ज्ञान शक्ति' बनाने की रूपरेखा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

एक अन्य अवसर, जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए निर्यात के क्षेत्र में है। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी बहुल निर्यात और प्रौद्योगिकी के निर्यात से मजबूत हो सकती है।

मूल्य परिवर्धन और सृजनात्मक पुनर्मूल्यांकन द्वारा सम्पदा निर्माण, पुनर्वितरण और अपनी बौद्धिक सम्पत्ति और भौतिक संसाधनों के पुनर्निर्धारण से हम समृद्ध और विकसित भारत के अपने सपने को प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आज एकत्र मेरे वैज्ञानिक मित्रों के लिए यह एक चुनौती है।

प्राचीन काल से ही भारत अपने लोगो के कला कौशल और कल्पना के लिए विख्यात है। यहां तक कि एक गाव के कारीगर और शिल्पी मे भी तत्काल कुछ बनाने की क्षमता और योग्यता होती है यह बात पुणे में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की प्रदर्शनी मे स्पष्ट रूप से प्रकट होती थी जहां देश भर के किसानो और कारीगरो ने अपनी उपयोगी और नयी कृतिया प्रदर्शित कीं।

अतः यह बात और भी जरूरी है कि जो लोग आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुडे हों वे निचले स्तर के शिल्पियो, कारीगरो के साथ मिलकर काम करें और उन्हे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक कौशल की पूरी क्षमता प्राप्त करने में सहायता करे। इस उद्देश्य के लिए हमने निचले स्तर के कारीगरो को उनके सृजनात्मक प्रयासो मे सहायता देने के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की स्थापना की है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप विज्ञान में अपनी उत्कृष्टता को हमारे देश की सृजनात्मकता से मिलाकर कार्य करे और इस प्रकार देश की स्थिति बेहतर बनाएं।

परमाणु प्रौद्योगिकी को आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाएं

कुछ देर पहले जब मैं कैगा परियोजना स्थल के ऊपर से गुजर रहा था तो मैंने दो परमाणु बिजली रिएक्टरों के आसपास फैले व्यापक हरे भरे वन की सुंदरता को देखा। यही हमारी दृष्टि का भारत है। एक राष्ट्र जो तेज विकास के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए भी अपनी विरासत को सुरक्षित रखता है।

220 मेगावाट के इस गुरुजल रिएक्टर का डिजाइन देश में ही तैयार किया गया है और इसमें सभी आधुनिक सुरक्षा मानदंड रखे गए हैं। यह कंप्यूटर नियंत्रित होने के

साथ ही अत्याधुनिक टैक्नोलॉजी पर आधारित है। पिछले सितंबर में इसे चालू किया गया था और अब इसे ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा इस परमाणु बिजली संयंत्र में उत्कृष्टता के लिए पूरी गुंजाइश वाले अनुरूपक और संचालकों के व्यापक प्रशिक्षण के लिए पूरी व्यवस्था भी है। यह और कैगा में इसकी सहयोगी इकाई, दक्षिणी ग्रिड को बिजली सप्लाई शुरू करेगी। यह सफलता 21वीं शताब्दी के भारत को दर्शाता है।

पिछले तीन दशकों से परमाणु ऊर्जा एक सक्षम, स्वच्छ और ऊर्जा का सुरक्षित साधन साबित हुआ है। तेज सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आवश्यक तत्व है। ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों में इससे पहले कि प्रगति का लाभ पहुंच सके, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बढ़ानी होगी।

चूंकि कोयला और तेल जैसे पुराने ईंधन के स्रोत में तेजी से कमी आ रही है इसीलिए परमाणु ऊर्जा का महत्व बढ़ता जाएगा। यह देश के ऊर्जा क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। दुनिया के अन्य देशों के लिए भी यही सच होगा। हाल के वर्षों में औद्योगिक देशों में परमाणु क्षेत्र में मंदी रही है, लेकिन अब इसमें तेजी आ रही है। एशिया में बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए परमाणु बिजली उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है। तकनीकी चुनौतियों से निबटने के लिए अब समय आ गया है कि हम लागत में कमी लाएं। टैक्नोलॉजी को व्यापक रूप से ग्राह्य और आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी होना चाहिए अन्यथा उसे नकार दिया जाएगा।

मैं परियोजना पूरी होने की अवधि साढ़े पांच वर्ष से घटाकर पांच वर्ष करने के आपके प्रयासों की सराहना करता हूं। इससे निश्चित रूप से लागत में कमी और परमाणु बिजली क्षेत्र की प्रगति में तेजी आएगी। मैं आपको अपनी सरकार के पूरे समर्थन का आश्वासन देता हूं।

दोस्तो, विज्ञान और टैक्नोलॉजी को मानव जाति के कल्याण के लिए काम करना चाहिए न कि उसके विनाश के लिए। वर्षों से हमने परमाणु हथियारों के क्षेत्र में संयम की नीति अपनाई है। अंत में मई 1998 में हमें क्षेत्रीय सुरक्षा के बिगड़ते वातावरण के कारण परमाणु विकल्प अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा।

उस समय मैंने यह घोषणा की थी कि भारत अब एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है और हम परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने की नीति अपनाएंगे। यह हमारी परमाणु शक्ति में हमारे विश्वास को दर्शाता है। इससे यह भी पता चलता है कि हम यह चाहते हैं कि सामूहिक विनाश के हथियारों का इस्तेमाल कोई न करे।

मैं समयबद्ध और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति भारत की वचनबद्धता दोहराना चाहता हूँ। लेकिन जब तक सामूहिक विनाश के सभी हथियार समाप्त नहीं कर दिए जाते हम भारत की सामरिक स्वायत्तता और भरोसेमद न्यूनतम परमाणु क्षमता बनाए रखने की आवश्यकता के सिद्धांत से निर्देशित होते रहेगे।

सभी भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि हम पर लगाए गए प्रतिबन्धों के बावजूद हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि हुई। पिछले वर्ष परमाणु बिजली निगम ने सरकार को 50 करोड़ रुपये का लाभांश दिया। इससे पता चलता है कि हम लगातार परमाणु क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और हमारी प्रगति रोकनी नहीं जा सकेगी।

मैं अपने वैज्ञानिकों से अनुरोध करता हूँ कि वे नए उत्साह से काम करे और टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में महारत हासिल करे, ताकि हम टैक्नोलॉजी नियंत्रण के जरिए आज के नवउपनिवेशवाद का सामना कर सकें।

मेरी सरकार पाच वर्षों में अनुसंधान और विकास के लिए धन सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत करने के लिए वचनबद्ध है। मैं देश के युवाओं को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरी सरकार विज्ञान में कैरियर बनाने वाले युवाओं को पूरा समर्थन देगी। इस उद्देश्य के लिए हम एक योजना तैयार कर रहे हैं, जिसमें अपने युवा लड़कों और लड़कियों के लिए एक ऐसे कैरियर की गारंटी दी जाएगी, जो इंटरमीडिएट स्तर से ही विज्ञान के क्षेत्र में विलक्षण प्रतिभा रखते हैं और भारत के अनुसंधान में कैरियर अपनाना चाहते हैं तथा अपने इस वचन पर कायम रहते हैं।

1998 में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद मैं मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र गया। आज मैं कैगा परमाणु बिजली संयंत्र स्थल पर हूँ। परमाणु क्षेत्र हमारे दिल के करीब है और मैंने देखा कि परमाणु ऊर्जा किस तरह हमारे देश के विकास और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मैं परमाणु बिजली निगम के प्रबंधकों और कर्मचारियों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूँ। उन्होंने मौजूदा परमाणु बिजली संयंत्रों को प्रभावी तरीके से चलाने और नई परियोजनाएं शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कैगा परमाणु बिजली केंद्र की दूसरी इकाई राष्ट्र को समर्पित करता हूँ।

V

शिक्षा, कला और संस्कृति

हस्तशिल्पी राष्ट्रशिल्पी हैं

मैं पहले सभी शिल्पकारों और बुनकरों को हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने आज राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हस्तशिल्पी राष्ट्रशिल्पी हैं। हमारे बुनकर राष्ट्र की समृद्धि का ताना-बाना तैयार करते हैं। पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न भागों और समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न शिल्पों और शैलियों में कार्य करता है। ये हमारी परंपराओं, रीति-रिवाजों, भाषाओं व लोकाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी उत्कृष्ट कारीगरी और निष्ठा ने इस परंपरा को जीवित रखा है।

भारतीय शिल्प की परंपरा पिछले पांच हजार साल से देश में चली आ रही है। औद्योगीकरण के युग से पहले देश के अधिकांश लोग अपना रोजगार आप करते थे। स्वरोजगार की व्यवस्था थी। फिर चाहे वे खेती में लगे हों या दैनिक जीवन की वस्तुओं के निर्माण में। जैसा राणा जी ने कहा, विशाल मंदिर से लेकर सुई तक की दैनिक जीवन की वस्तुएं इस देश के कुशल कारीगर और शिल्पकार बनाते थे। यह उल्लेखनीय है कि हमारे शिल्पकार, हमारे हस्त-उद्योग वाले पुराने जमाने में कहीं ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं जाते थे, सुविधा भी नहीं थी, परिवार में ही परंपरा से यह कार्य चलता था। शिक्षण भी घर में ही होता था और रोजगार का अवसर भी वहीं उपलब्ध हो जाता था। पांच हजार साल से चली आ रही यह परंपरा न केवल अभी जीवित है मगर और विकसित हो रही है। यह हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। यह केवल माल बनाने और बेचने तक का मामला नहीं है। हस्तशिल्प हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज भी जब कोई महिला अपनी बच्ची के विवाह के लिए ओढ़नी पर कशीदाकारी करती है तो उसमें अपना प्यार, भावनाएं और शुभकामनाएं संजो देती है। ऐसी ओढ़नी का मूल्य बाजार के लिए निर्मित आम वस्तुओं से बहुत भिन्न है।

अंग्रेजी शासन के दौरान हमारा हस्तशिल्प, हमारे घर का उद्योग बहुत पिछड़ गया था। विलायत में बने माल को बेचने के लिए इस उद्योग को खत्म किया गया। ढाका की मलमल की हम चर्चा सुनते हैं। कुशल कारीगरों के अंगूठे काट दिए गए जिससे वे इस तरह का निर्माण न कर सकें। आजादी के बाद खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने का सिलसिला आरंभ हुआ। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में विशेष प्रकार की तकनीकी विशेषता पाई जाती है। जैसे बनारस की समृद्ध जरी, कांचीपुरम का रेशम, बंगाल की बालुचरी,

सिद्धहस्त हस्तशिल्पियों तथा बुनकरों को वर्ष 1996 एवं 1997 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 23 मई 1999

उड़ीसा की संबलपुरी, मध्यप्रदेश की चदेरी, केरल की बलरामपुरम, आंध्र की गरवाल, इस समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। इसी तरह तमिलनाडु के काम, लखनऊ की चिकन, सहारनपुर के लकड़ी के कार्य, पूर्वी भारत की बांस पर कारीगरी ने हम सबको मोह लिया है। मैं कल-परसो उत्तर-पूर्व के राज्य मणिपुर और मिजोरम में था। वहां के हथकरघा और हस्तशिल्प कला में भी अनोखा सौंदर्य है। इस परंपरा का संरक्षण अवश्य किया जाना चाहिए और हम करेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। ये दोनों क्षेत्र रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, निर्यात के लिए भी इनका बड़ा योगदान है। मशीनीकरण, आधुनिकीकरण, उदारीकरण— इन सबके चलते कहीं हाथ की कला लुप्त न हो जाए, ऐसी आशाका शुरू में पैदा हुई थी, अब ऐसी आशाका निर्मूल हो चुकी है। हम इस बात की इजाजत नहीं देगे।

निर्यात के लिए भी बहुत क्षेत्र हैं। राणा जी ने कुछ आंकड़े रखे हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। जिन लोगों को रोजगार मिला है इन दोनों क्षेत्रों में उनकी संख्या और निर्यात से होने वाली आय का अगर हम विचार करें तो ऐसा लगता है कि इन दोनों क्षेत्रों की ओर जितना ध्यान अभी तक दिया जाना चाहिए, हमने नहीं दिया। तेरह महीने में हमने पुरानी भूल को सुधारने की कोशिश की है। अगर ज्यादा समय मिल जाता तो सारा मामला ठीक कर देते।

एक बात और ध्यान रखने लायक है कि हस्तकला में और हथकरघे में कौन लोग लगे हैं? अधिकांश गरीब वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जातियों के, जनजातियों के, 60 फीसदी महिलाएं लगी हुई हैं। और इस दृष्टि से अगर ये काम बढ़ते हैं, इनका विस्तार होता है, तो नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने में हम समर्थ होते हैं, ऋण देना आसान कर सकते हैं, हाट की व्यवस्था कर सकते हैं। अभी राणा जी ने ऐलान किया कि चार हाट बाजार स्थापित किए जा रहे हैं, यह तो प्रारंभ है, चार पर हम रुकने वाले नहीं हैं। चार से आठ, आठ से हम सोलह करेंगे। बड़े परिश्रम से, कम रोशनी में, घर में बैठकर, हस्तकला का वैभव हमें दिखाई देता है, उसके लिए अगर हमें बाजार नहीं मिलेगा, अच्छी कीमत नहीं मिलेगी तो उद्योग कैसे चलेगा, वह कला भी कैसे पनपेगी? इसलिए बाजार की व्यवस्था बहुत आवश्यक है।

विदेशों में हमारे सामानों की बड़ी मांग है। हथकरघा, हस्तशिल्प श्रमप्रधान क्षेत्र हैं, इसमें प्रदूषण भी नहीं है। घर बैठकर कमाई की जा सकती है, घर बैठकर अपनी कला के साथ न्याय किया जा सकता है। अधिक बिजली भी आवश्यक नहीं है। इन क्षेत्रों के सहयोग से हम राष्ट्रीय आमदनी में भी वृद्धि कर सकते हैं। बेरोजगारी को भी कम कर सकते हैं और संपत्ति के विकेंद्रीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि

अब आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ने वाली है, इस बात का डर है कि 2005 के बाद जब संसार में कपड़ों का खुला व्यापार हो जाएगा तब हमारे हथकरघे का क्या होगा, वह प्रतियोगिता में कैसे टिकेगा? इसका अभी से प्रबंध करना आवश्यक है। 2005 अभी दूर है। जो समय मिला है, उसका हम लाभ उठाएं और अपने हथकरघा उद्योग को प्रतियोगिताक्षम बनाएं। हमारी सरकार दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए वचनबद्ध है। कुछ योजनाएं रोक दी गई थीं, राणा जी ने इसका उल्लेख किया— उन्हें फिर से चालू किया गया है। कुछ सुविधाएं और जुटाई जा रही हैं। लेकिन जो सुविधाएं मिल रही हैं वे पर्याप्त नहीं हैं, हम उनसे सतुष्ट नहीं हैं। लेकिन जो सीमित साधन हमारे पास हैं और जो सीमित समय सरकार के पास था, उसमें एक अच्छा आरंभ किया गया है, शुरुआत किया गया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह परंपरा आगे भी चलेगी और हस्तशिल्प तथा हथकरघा हमारे आर्थिक क्षेत्र के दो स्तंभ बनेंगे।

मुझे बताया गया है कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोई की परिकल्पना लगभग 17 वर्ष पहले की गई थी। यह संस्थान कालीन उद्योग की सभी आवश्यकताओं जैसे मानव संसाधन विकास, कंप्यूटरीकृत डिजाइन, रेशे, धागे, और कालीन की गुणवत्ता जांच, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि को पूरा करेगा। एक भूले हुए सपने को मेरी सरकार ने साकार करने हेतु कदम उठाए हैं। मैं आशा करता हूँ कि 18 करोड़ रुपये की लागत का यह संस्थान शीघ्र ही कार्य आरंभ कर देगा। मेरा मंत्रालय से अनुरोध है कि बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लाभ के लिए जो योजनाएं हैं उनका लगातार समीक्षण करते रहे। उसमें इन वर्गों की भागीदारी भी आवश्यक है। अगर संस्थागत सहायता इन्हें न मिलती तो ये दोनों बड़ी जर्जर स्थिति में होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उद्योग पनप रहे हैं, ये उद्योग और भी पनपे, यह मेरी इच्छा है।

जिन्होंने पुरस्कार जीते हैं, उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो इस बार नहीं जीत सके, वे अगली बार जीते, यह मेरी कामना है। अच्छे से अच्छा काम करके दिखाना— 'योगः कर्मणु कौशलम्'। योग क्या है, किए गए काम को अच्छे ढंग से करना, जो भी काम हाथ में लिया है उसे अच्छे ढंग से करना। बड़े उद्योग, लाखों मजदूर— यह एक अलग परिदृश्य है लेकिन हथकरघा पर काम, हस्तशिल्प पर काम, यह बिना मनोयोग के नहीं हो सकता। बिना व्यक्तिगत रूचि के नहीं हो सकता और हम इसका परिणाम देख रहे हैं। हमारे हस्तशिल्पियों की, हथकरघा के वस्त्रों की सारे देश में मांग है। डिजाइन देखकर लोग खरीद रहे हैं, डिजाइन अच्छे से अच्छे आएं, बिक्री का अच्छे से अच्छा प्रबंध हो, सस्ते में ऋण मिलें तो मैं समझता हूँ कि हथकरघा और हस्तशिल्प बहुत प्रगति कर सकते हैं और हम इनकी इसी तरह से प्रगति देखना चाहते हैं।

विद्वान सर्वत्र पूज्यते

आपके साथ आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हम यहाँ अपने समय के सबसे अनोखे विद्वान और भारत के घनिष्ठ मित्र को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं।

बाबाजान गफूरोव सोवियत युग के बहुआयामी व्यक्तित्व वाले शिक्षाशास्त्री थे। वह एक पत्रकार, प्रशासक और राजनेता भी थे। लेकिन इनसे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि एक सच्चे विद्वान की गरिमा के अनुरूप वह व्यापक अंतर्दृष्टि वाले व्यक्ति थे। उनका विश्वास था कि सीखने की समूची प्रक्रिया का वास्तविक उद्देश्य दुनिया के लोगों और राष्ट्रों के बीच मित्रता, सहयोग और अमन चैन के संबंधों को सुदृढ़ करना होना चाहिए।

इस तरह के विद्वानों को न सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया भर में सम्मान मिलता है। वे न केवल अपने समय में बल्कि यह दुनिया छोड़ने के बहुत बाद तक आदर पाते हैं। संस्कृत में एक सूक्ति है।

*विद्वत्त्वच नृपत्वंच नैव तुल्यम् कदाचन
स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते।*

गफूरोव की याद में भारत तथा कई अन्य देशों का आज यहाँ इकट्ठा होना इस बात का प्रतीक है कि दुनिया से गुजरने के दो दशक बाद भी विश्व में उनके प्रति वही सम्मान बना हुआ है।

मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान द्वारा इसका आयोजन बड़ा ही सटीक है। गफूरोव की तरह मौलाना आजाद भी बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। वह एक विद्वान राजनेता भी थे जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा असर डाला। आज विश्व गफूरोव और उनके जैसे अनेक भारतविदों का ऋणी है जिन्होंने एक अनोखे भौगोलिक-सांस्कृतिक क्षेत्र की जानकारी देकर अविभाजित भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अनेक प्रभुसत्तासंपन्न गणराज्यों के लोगों को एकजुट किया।

मध्य एशियाई गणराज्यों की राजधानियाँ जैसे अलमाटी, अशखाबाद, बिशकेक, दुशाबे और ताशकंद भौगोलिक दृष्टि से दिल्ली के समीप हैं। यहाँ तक कि हमारे अपने

महान शिक्षाविद् बाबाजान गफूरोव की 90वीं जयंती के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विचारगोष्ठी में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 28 जुलाई 1999

कुछ प्रमुख शहरों के मुकाबले भी ये दिल्ली के करीब हैं। लेकिन हमारी निकटता केवल भौगोलिक निकटता नहीं है। हमारे ऐतिहासिक संबंध कहीं ज्यादा पुराने हैं।

इस विशाल भौगोलिक क्षेत्र के समूचे इतिहास, और यहां के लोगों के रीति-रिवाज व रहन-सहन में पाई जाने वाली व्यापक विविधता को लेकर कोई मतभेद नहीं हो सकता। फिर भी इतिहास के गहन अध्ययन से पता चलता है कि इस विविधता के नीचे एक ऐसी एकता है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। विभिन्न धर्मों, जातियों, कला, संगीत, संस्कृति और भाषाओं के आपसी आदान-प्रदान का एक-दूसरे पर असर पडा। इससे परिवर्तन और निरंतरता की ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जो सारी दुनिया में अनोखी है।

शासक आए और गए। सीमाएं बनाई गईं और फिर से उनका निर्धारण हुआ। मगर बड़ी से बड़ी लहर आंतरिक निरंतरता को भंग नहीं कर सकी। इतिहासकारों के लिए परिवर्तन और निरंतरता की यह प्रक्रिया एक चुनौती है। वे इसके जरिए अतीत के आलोक में वर्तमान को समझ सकते हैं, बल्कि वर्तमान की सहायता से अतीत का मूल्यांकन कर सकते हैं। गफूरोव ने यह सिद्ध कर दिखाया कि वह इससे भी बड़ी

ASIAN STUDIES (CALCUTTA)
NATIONAL CONFERENCE TO COMMEMORATE THE 90th
ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN BABAJAN GAFUROV
 28-29 JULY, 1999



प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी महान शिक्षाविद बाबाजान गफूरोव की 90वीं जयंती पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में, नई दिल्ली, 28 जुलाई 1999

चुनौतियां उठा सकते हैं। रूढ़ियों की जकड से मुक्त होकर और तथ्यों का हमेशा सावधानी से ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने देश ताजिकिस्तान तथा दुनिया के उस क्षेत्र का इतिहास छान मारा जिसका ताजिकिस्तान पर सबसे अधिक असर है।

हम भारत के लोग उनके विशेष रूप से आभारी हैं। उनकी चौकाने वाली खोजों ने हमारे देश और मध्य एशिया के बीच ऐतिहासिक संबंधों की पुष्टि की। कुषाण युग में सम्राट कनिष्क के शासनकाल में ये संबंध अपने उत्कर्ष पर थे।

अनेक भारतीय और सोवियत इतिहासकारों ने, जिनमें सबसे प्रमुख राहुल सांकृत्यायन हैं, कठिन अनुसंधान से यह साबित किया है कि भारत और मध्य एशिया के बीच घनिष्ठ संबंध थे। गफूरोव की अध्यक्षता में मास्को प्राच्य अध्ययन संस्थान ने भारतविद्या के क्षेत्र में जो योगदान किया है आज उसकी याद हो आना स्वाभाविक है। गफूरोव के बाद एक अन्य उत्कृष्ट विद्वान येवगेनी प्रिमाकोव इस संस्थान के अध्यक्ष बने। श्री प्रिमाकोव बाद में रूस के प्रधानमंत्री भी बने।

गफूरोव की पहल और उनके दिशानिर्देशों से दुर्गावे स्थित इतिहास, पुरातत्वशास्त्र और मानव जाति विज्ञान ने कई महत्वपूर्ण खुदाइयां और अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य किया। अजीना टेपे में खुदाई से सातवीं-आठवीं शताब्दी का एक मठ मिला। इस मठ में बारह मीटर ऊंची निर्वाणप्राप्त गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा मिली, जिसमें वे लेटे हुए हैं। पेजीकेंट में इसी काल की नीलकंठ शिव की एक और प्रतिमा मिली।

उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति *ताजिकी* (दो खंड) अति प्राचीन काल से लेकर बीसवीं शताब्दी के शुरू तक ताजिक लोगों के जीवन और संस्कृति का एक अच्छा-खासा विश्वकोष है। इससे भारतीय इतिहास पर रोशनी डालने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का पता चलता है।

मौलाना आजाद संस्थान से मेरा आग्रह है कि वह इसे अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद कराए ताकि भारत और अन्य देशों के भारतविद और अन्य विद्वान इसका इस्तेमाल कर सकें। सरकारों और शिक्षाविदों की यह साझा जिम्मेदारी है कि विद्वत्ता के ऐसे फल केवल बुद्धिजीवियों के उपयोग की चीज बनकर न रह जाएं, बल्कि आम आदमी तक भी पहुंचें।

मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आपके इस सम्मेलन में गफूरोव के विस्तृत ऐतिहासिक अनुसंधान के कई पहलुओं पर चर्चा होगी। मगर मैं उनके कार्य और व्यक्तित्व के एक पहलू पर टिप्पणी करने की इजाजत चाहूंगा जिसकी आज समूची दुनिया के लोगों के लिए प्रासंगिकता बनी हुई है।

गफूरोव में देशभक्ति, मानववाद और उदारवाद का बड़ा सराहनीय समन्वय हुआ था। उनमें फिरकापरस्ती लेशमात्र भी नहीं थी। आज हम जानते हैं कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के बावजूद वह निष्ठावान मुसलमान थे। उन्हें अपनी धार्मिक, जातीय और राष्ट्रीय पहचान पर गर्व था। इसके साथ ही अन्य सभी धर्मों और संस्कृतियों का वह समान रूप से आदर करते थे। यह एक ऐसा गुण है जिसका दुनिया भर के लोगों को अनुसरण करना चाहिए, खास तौर पर उस क्षेत्र के लोगों को तो जरूर करना चाहिए जिनके बारे में गफूरोव ने अध्ययन किया था। आज धर्म और जाति के नाम पर असहिष्णुता और हिंसा ने एशिया के कई भागों में सिर उठाना शुरू कर दिया है। हम जिन विभिन्न धर्मों के अनुयायी हैं और भाति-भाति की जिन संस्कृतियों का पालन करते हैं उन सभी धर्मों और जातियों के पवित्र नाम पर यह एक कलंक है।

एशिया के जिस भाग में हम रहते हैं, वहां अनेक रेशम मार्गों का जाल बिछा था। व्यापारी धन कमाने के लिए, विद्वान ज्ञान के प्रसार और; धार्मिक आस्था वाले लोग भाईचारे तथा दिव्य संदेश के प्रचार के लिए इन मार्गों का उपयोग करते थे।

हम यह भी जानते हैं कि लुटेरे और आक्रमणकारी भी इन मार्गों का इस्तेमाल करते थे और मृत्यु व विनाश का तांडव रचते थे।

आज अगर दक्षिण एशिया और मध्य एशिया को अपने सभी लोगों को खुशहाली तथा प्रसन्नता की ओर आगे ले जाना है तो जो रास्ता अपनाना होगा वह एकदम स्पष्ट है। यह रास्ता है एक जैसी विकास संबंधी चुनौतियों वाले इस क्षेत्र के देशों के बीच शांति, मित्रता और सहयोग का। भले ही हम अपनी अलग राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और पहचान क्यों न बनाए रखें, यह रास्ता अवश्य अपनाना चाहिए।

आज सभी देशों की सरकारों, बुद्धिजीवियों और नागरिकों पर भारी जिम्मेदारी है। हम सबकी यह साझा जिम्मेदारी है कि हथियारों, मादक पदार्थों, उग्रवाद और आतंकवाद का सीमा पार से न तो आयात हो और न निर्यात। अपने साझा अतीत के स्वर्ण युग की तरह हमें सिर्फ कला, संस्कृति, संगीत, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों, और ज्ञान-विज्ञान का ही आदान-प्रदान करना चाहिए।

पिछले दशक में भारत ने मध्य एशिया के सभी नव-स्वाधीन गणराज्यों के साथ घनिष्ठ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध कायम करने की दिशा में पहल की है। इन प्रयासों का उन सबकी ओर से गर्मजोशी से स्वागत हुआ है और अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। लेकिन मुझे इस बात का भी अहसास है कि इस समृद्ध भौगोलिक-सांस्कृतिक परिवार की

पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। हम इस परिवार के सदस्य थे और आगे भी बने रहेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस सम्मेलन का उद्घाटन करता हूँ और इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ।

समाज-निर्माण में पुस्तकों का महत्त्व

आज सुबह भारत के नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित 14वें विश्व-पुस्तक मेले का उद्घाटन करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। यह द्विवार्षिक मेला वर्षों से प्रकाशकों तथा पुस्तक-प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। विश्व-पुस्तक मेला अब भारत तथा विदेशों के प्रकाशकों का मिलन-स्थल है।

पुस्तक मेला एक व्यापारिक घटना तथा पुस्तक-विक्रेताओं व प्रकाशकों के मिलन-स्थल से भी बढकर होता है। एक पुस्तक मेला, खासकर विश्व-पुस्तक मेला, लोगों के नए विचारों व परिप्रेक्ष्य से अवगत होने का अवसर प्रदान करता है।

पुस्तकें झरोखों की तरह हैं, जो ज्ञान की असीम दुनिया का द्वार खोल देती हैं। उनसे हमारी सोचने-विचारने की क्षमता को बढावा मिलता है और हमारा अनुभव बढता है। ये शिक्षा और बौद्धिक प्रेरणा का स्रोत हैं। पुस्तकें सामाजिक जागृति का काम करती हैं और पूरे मानव इतिहास के दौरान वे मृत्यु और विनाश के शस्त्रों से ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध हुई हैं।

अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जब लोगों को अधीन करने के लिए पुस्तकें जलाई गईं एवं पुस्तकालय ध्वस्त कर दिए गए ताकि राजनैतिक, सामुदायिक तथा धार्मिक श्रेष्ठता स्थापित की जा सके। ज्ञान, विचारों और कल्पना-शक्ति से हमेशा ऐसे लोग भयभीत रहे हैं जो धार्मिक-कट्टरता और रूढ़िवादिता से ताकत हासिल करते हैं।

हमने बर्लिन से ब्रेडफोर्ड तक पुस्तकों को जलाए जाते देखा है। हमने पुस्तकों पर बंदिश लगते और रचनाकारों पर अत्याचार होते देखे हैं। किंतु पुस्तकों को जलाए जाने से अथवा बंदिश लगाए जाने से इन्सान के दिमाग को दबाया नहीं जा सका, विचार वहीं

शिक्षा, कला और संस्कृति

के वहीं रहे, नए विचार बनते गए, ज्ञान-पिपासा जारी है।

जैसा कि आप जानते हैं, पुस्तकें प्रिंटिंग-प्रेस के आगमन से पहले भी थीं। इससे पूर्व वे हस्तलिखित विषयवस्तु की शक्त में थीं और इससे भी पूर्व उनकी मौखिक परंपरा थी। आरंभ में निःसदिह शब्द, ब्रह्म या अंतरआत्मा था। ज्ञान का सम्मान या धर्म का सम्मान पुस्तकों के सम्मान के समकक्ष माना गया।

भारत को अपनी उस शानदार मौखिक परंपरा पर गर्व है जो वेदों और उपनिषदों के लिखे जाने से अनेक सहस्राब्दी पूर्व से मौजूद थी। 'श्रुति' सदियों तक हमारी प्राचीन पुस्तकों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित करने का साधन था। 'श्रुति' का अर्थ है जो सुना और समझा जाए। यह साहित्य ही था जो दोहरे कार्य सिद्ध करता था- व्यक्ति को जागृत करना व समुदाय के हितों की रक्षा करना।

उदाहरणार्थ वेद व्यक्ति की आत्मा की मुक्ति का साधन होने के साथ-साथ समुदाय की समृद्धि व हित के लिए भी हैं। वही मौखिक परंपरा लिखित परंपरा में परिवर्तित हो गई। पहले ताड-पत्र पाडुलिपि आई, फिर कागज का इस्तेमाल हुआ। इसके काफी बाद छपाई-मशीन आई।

मौखिक परंपरा के कहे गए शब्द उन्हीं तक सीमित रहे, जिन्हें वे कहे गए थे। स्पष्टतः पोथियों की पहुंच सीमित थी। छपाई-मशीन का प्रभाव क्रांतिकारी था। लाखों लोगों की उस तक पहुंच हो गई, जो प्रारंभ में केवल-शब्द था।

पुस्तकें बच्चों को प्राथमिक अक्षरों का ज्ञान देने की मूल आवश्यकता को पूरी करने से लेकर उन्हें पढ़ना-लिखना सिखाने तक अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। किंतु इन उद्देश्यों का सामान्य कारण वही है जो मौखिक परंपरा का था- मूलभूत और विशेष ज्ञान का प्रसार। ज्ञान जो विचारों से प्रवाहित होता है, ज्ञान जो अनुभव से उत्पन्न होता है और ज्ञान जिसका जन्म अन्वेषण से होता है और इससे भी बढ़कर ज्ञान हमारे अज्ञान, असहिष्णुता और अंतर्मन के अंधेरे को दूर करता है।

छपाई-मशीन के द्वारा जो क्रांति आई उसने एक और नई क्रांति को जन्म दिया। नई प्रौद्योगिकी के आगमन ने हमें ज्ञान-प्रसार के नए साधन उपलब्ध कराए। विचार, कल्पनाएं व प्रभाव पुस्तकों के पृष्ठों से निकलने की बजाय कंप्यूटर के पर्दे से आते हैं। आज पुस्तक पढ़ने की बजाय उसे ऑडियो बुक पर सुना जा सकता है।

वास्तव में ऑडियो पुस्तकें जहां एक ओर हमें हमारी मौखिक परंपरा की ओर ले जाती हैं वहां दूसरी ओर उनसे ऐसे लोगों तक ज्ञान की पहुंच संभव हो गई है जो अनेक कारणों से न तो पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं की ओर

हो रहे बदलाव को भी देख रहे हैं। सूचना महामार्ग के सौजन्य से करोडो लोग इन तक पहुंच सकते हैं। अतः किसी पुस्तक के लिए यह आवश्यक नहीं रह गया कि उसका अस्तित्व भौतिक रूप में अथवा जिल्द के बीच में ही हो।

तब क्या पुस्तकें विलुप्त हो जाएगी? क्या पुस्तकालय ओझल हो जाएंगे और हमारे पास आकारहीन डिजिटल खंड ही रह जाएंगे जिनका अस्तित्व केवल 'साइबर स्पेस' के अधोलोक में ही रहेगा? क्या पन्ने पलटने का स्थान 'माऊस' का संचालन ले लेगा?

इसी प्रकार की आशंकाएं टेलीविजन के आगमन पर अनुभव की गई थीं जब अखबारों में ये विचार प्रकट किए गए थे कि क्या इनका जल्दी ही लोप हो जाएगा। किंतु हमने प्रकाशित शब्दों की शक्ति देख ली है जो दृश्य-श्रव्य चित्रों के आघातों से भी बच गई है।

इसके अस्तित्व को निश्चित करने के लिए प्रकाशकों को एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना है। पुस्तकें खरीदने लायक बनानी होंगी ताकि व्यक्तिगत क्रेताओं पर कीमत की सीमा रेखा का दबाव न पड़े। मैं यह भी समझता हूँ कि कई सालों से पुस्तक का प्रकाशन-मूल्य काफी बढ़ गया है। मुझे खुशी है कि इसका आंशिक कारण यह भी है कि रचनाकारों को उनका जायज हिस्सा मिलने लगा है।

उंची कीमतों की समस्या को हल करने का एक तरीका है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों की व्यवस्था को मजबूत किया जाए। मेरा जनता से भी यह आग्रह है कि वह सरकारी सरक्षण से बड़े-बड़े पुस्तकालय स्थापित करने की प्रतीक्षा न करे क्योंकि उनका विस्तार नहीं है और वे आम जनता की पहुंच के बाहर हैं। रिहायशी कालोनियो और समुदायों के अपने पुस्तकालय होने चाहिए। इससे वे न केवल आम जनता, विशेष तौर पर बच्चों को ज्यादा सुलभ होंगे बल्कि इससे सभी को पुस्तकें उपलब्ध कराने की सामुदायिक भावना का भी विकास होगा।

पश्चिमी बंगाल में यह परीक्षण सफल हुआ जहां सभी आयु-वर्गों के लिए समुदायों द्वारा चलाए जाने वाले अनेक पुस्तकालय हैं। मैं विद्यालयों को भी कहूंगा कि वे अपने पुस्तकालयों पर ज्यादा खर्च करें ताकि आरंभिक वर्षों में ही बच्चों में पठन-पाठन की आदत डाली जा सके।

मेरा भारतीय प्रकाशकों से भी आग्रह है कि वे सभी भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करने में निवेश करें। हमारे यहां उत्कृष्ट रचनाकार हैं जो भारतीय भाषाओं में लिखते हैं। इनकी कृतियों को दूसरे क्षेत्रों के पाठकों को उपलब्ध करवाने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है। साथ ही साथ उनकी कृतियों को अंग्रेजी भाषा में अनुदित करने के भी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उनकी पुस्तकें भारत और विदेश में

अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रकाशकों को महत्वपूर्ण दायित्व निभाना है और निभाना चाहिए।

मैं 14वें विश्व-पुस्तक मेले के आयोजकों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे उनके साथ विचारों के आदान-प्रदान का अवसर दिया। मैं प्रकाशकों, रचनाकारों और पुस्तक विक्रेताओं के, इस मेले में सफल सम्मिलन की कामना करता हूँ।

भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रसार में भोजपुरी की भूमिका

द्वितीय विश्व भोजपुरी सम्मेलन के शुभ अवसर पर विश्व के अनेक देशों से पधारे भोजपुरी विद्वानों एवं साहित्यकारों को संबोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। इस सम्मेलन में भाग लेने की मेरी इच्छा थी, परंतु अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए मुझे इस संदेश के माध्यम से आप तक पहुंचने का मौका मिला, जिसकी मुझे खुशी है। मैं सम्मेलन के सफल आयोजन की कामना करता हूँ।

भारत और मारीशस का इतिहास, यहां की भाषा, साहित्य, लोक-संस्कृति और सभ्यता आपस में बहुत कुछ मिलती-जुलती है। आप जानते ही हैं कि यहां अधिकांश लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर बसे थे, जिनकी मातृभाषा भोजपुरी थी। अतः इनके बीच संपर्क का माध्यम भोजपुरी बनी। इसके अतिरिक्त आज से 52 वर्ष पूर्व जब भारत आजाद हुआ था, उस समय मारीशस में भी स्वतंत्रता की लहर उठी थी और वह लहर उपनिवेशवाद को समाप्त करने में सफल हुई और मारीशस एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारत और मारीशस के बीच अत्यंत मधुर और घनिष्ठ संबंध हैं। हमारे संबंध प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, लोक-संस्कृति और भाषा पर आधारित हैं।

भोजपुरी के माध्यम से भारत विश्व के अनेक देशों से जुड़ा हुआ है। सदियों से भारत के लोग विश्व के बहुत से क्षेत्रों में गए हैं। इनमें से अधिकांश लोग भोजपुरी वंशज ही थे। सुदूर देशों में उन्होंने अपने साहस और पराक्रम का परिचय दिया; बहुत से क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए श्रम और संकल्प का प्रदर्शन किया। भोजपुरी भाषा और संस्कृति विश्व में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभा

मारीशस में आयोजित द्वितीय विश्व भोजपुरी सम्मेलन के लिए दिया गया संदेश, 24 फरवरी 2000

रही है। मारीशस हो या दक्षिणी अफ्रीका, सूरीनाम हो या त्रिनीडाड एव टोबैगो या सघीय गणराज्य गुयाना, भोजपुरी भाषियों ने सभी जगह पर सघर्ष के द्वारा ही भोजपुरी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखा है और अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है।

भोजपुरी लोगों की यह विशेषता है कि वे जहां भी गए, उन्होंने वहां की भाषा एव संस्कृति को खुले दिल से अपनाया परंतु अपनी भाषा और संस्कृति को भी सजोकर रखा, उसे नहीं छोड़ा। उसी का परिणाम है कि आज मारीशस में शिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और मारीशस के स्थानीय लोग भी बड़ी रूचि के साथ इस पर्व में भाग लेते हैं।

भोजपुरी क्षेत्र के लोग जिस भी देश में गए वहां रीति-रिवाज, तीज-त्यौहार, धार्मिक कार्यक्रम आदि के फलने-फूलने में भोजपुरी भाषा का बहुत सीमा तक योगदान है। भोजपुरी विभिन्न देशों में रह रहे भारतवासियों के बीच प्रेम, घनिष्ठता और सपर्क का सेतु बनी हुई है और यह आयोजन इसी तथ्य का परिणाम हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम एवं योजना तैयार करें जिससे भोजपुरी मारीशस में ही नहीं अपितु समूचे विश्व में भारतीय संस्कृति को जीवित रखते हुए स्वयं फले-फूले और प्रेम एव शांति का सदेश फैलाए।

मैं अतः मे एक बार फिर विश्व भोजपुरी सम्मेलन के सफल आयोजन की कामना करता हूँ और इसके आयोजकों को बधाई देता हूँ।

VI

स्वास्थ्य और समाज कल्याण

महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना जरूरी

दिल्ली महिला आयोग द्वारा 'महिलाओं की आर्थिक अधिकारिता' विषय पर आयोजित कार्यशाला में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

कार्यशाला का विषय ही अपने आपमें हमारे समाज में सत्य और वास्तविकता के बीच के विचित्र और चिंताजनक विरोधाभास को उजागर करता है। भारतीय दर्शन और परंपरा नारी को शक्ति का स्वरूप मानता है।

इसी प्रकार जहां तक उत्पादक आर्थिक गतिविधियों का सवाल है तो स्त्री भी, अगर अधिक नहीं तो कम-से-कम पुरुषों के बराबर योगदान देती है। वह घर में और सार्वजनिक जीवन में बाहर, दोनों ही जगह मौन व गुमनाम रहकर अपना योगदान करती है। फिर भी आज हमें स्त्री को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने की चर्चा करनी पड़ रही है। एक अनुमान के अनुसार, स्त्रियां दो-तिहाई घंटे काम करती हैं, लेकिन उन्हें केवल दसवां हिस्सा ही आमदनी होती है और संसाधनों के सौवें हिस्से पर उनका मालिकाना हक होता है। श्रीमती घटाटे द्वारा दिए गए आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं।

भारत सरकार की 1995 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमालय के एक इलाके में एक हेक्टेयर के खेत में आदमी साल में 1,212 घंटे काम करता है। बैलों की जोड़ी 1,064 घंटे काम करती है। और, एक औरत काम करती है— 3,485 घंटे। रिपोर्ट कहती है कि इसके बावजूद, अधिकतर पति अपनी पत्नियों को गैर-श्रमिक ही मानते हैं।

सबला कैसे अबला बन गई है, यह विरोधाभास हमारे समाज के गरीब तबके में बहुत ही साफ दिखाई पड़ता है। एक गरीब औरत दुहरी मार झेलती है पहली तो इसलिए कि वह गरीब है और दूसरी इसलिए कि वह औरत है। इसलिए, स्त्रियों के सर्वतोमुखी विकास के लिए किसी भी मिशन में स्त्रियों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना, सबसे बुनियादी जरूरत है। अधिकार-संपन्न बनाने की आलोचना इसलिए की जाती है कि

इससे स्त्रियाँ अपने पांव पर खड़ी हो सकती हैं तथा अपनी आमदनी के लिए आदमियों पर निर्भर नहीं रह जाती हैं।

आर्थिक अधिकारों के साथ-साथ, हमें स्त्रियों को शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी अधिकार-संपन्न बनाना होगा। मेरी सरकार इन तीनों के लिए वचनबद्ध है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, स्त्रियों को राजनीतिक दृष्टि से अधिकार-संपन्न बनाने की हमारी प्रतिबद्धता सर्वविदित है। हमने लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं में स्त्रियों के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के लिए एक विधेयक संसद में पेश कर दिया है। यह क्रांतिकारी प्रयास पंचायतों तथा स्थानीय स्व-शासन में भली-भाँति अमल में आ रहा है। अगर विपक्ष हमारा समर्थन करता है तो संसद के आगामी सत्र में ही हम इस विधेयक को पारित कर सकते हैं।

व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि सकारात्मक दिशा में उठाए गए इस क्रांतिकारी कदम को इस सदी के अंतिम वर्ष से आगे टाला नहीं जाना चाहिए। मैं एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों से समर्थन मागता हूँ, ताकि इस वचनबद्धता को वास्तविकता में बदला जा सके।

वैसे स्त्रियों में गरीबी को कम करना केवल सरकार के प्रयासों के बूते पर नहीं हो सकता, हालांकि इस प्रयास की सफलता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता काफी महत्वपूर्ण है। गैर-सरकारी सगठनों को भी इस दिशा में उतना ही प्रयास करना होगा। दरअसल, ठोस परिणाम पाने के लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना होगा।

इन वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों ने स्त्रियों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम व योजनाएं बनाई हैं। इन कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी अक्सर उन तक नहीं पहुंच पाती है, जिन्हें इनके लाभ मिलने चाहिए। अक्सर, यहाँ तक कि गैर-सरकारी सगठनों को भी इनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है।

इसलिए 'स्त्री अधिकारिता के लिए प्रमुख योजनाओं व कार्यक्रमों की निर्देशिका' एक बहुत ही अच्छा विचार है। इससे एक ही स्थान पर सभी उपलब्ध व उपयोगी जानकारी मिल सकेगी, जिनका उपयोग गैर-सरकारी सगठनों, कालेजों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकेगा। मैं इस निर्देशिका के प्रकाशन के लिए दिल्ली महिला आयोग को बधाई देता हूँ।

चूँकि यह निर्देशिका उपलब्ध है, इसलिए विभिन्न गैर-सरकारी सगठन अब सरकार से अधिक संख्या में जानकारी और सहायता मांगेंगे। सरकारी कर्मचारियों को

आने वाले ऐसे लोगों के साथ विनम्रतापूर्वक और सहयोग का व्यवहार करना होगा, ताकि इन योजनाओं को लागू करने का हमारा संयुक्त लक्ष्य पूरा हो सके।

दिल्ली जैसे पूरी तरह शहरी इलाकों में स्त्रियों को काम करने के काफी अवसर हैं। लेकिन इन अवसरों के साथ-साथ, कई परेशानियाँ भी हैं, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में अधिकाधिक अवसरों के साथ-साथ दिल्ली में अनियोजित विकास से भी स्त्रियों के लिए नई-नई समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं।

अपने घरों से काम के स्थानों तक आने-जाने के लिए स्त्रियों को एक अच्छी परिवहन व्यवस्था की जरूरत है। अपराधों, विशेषकर स्त्रियों के खिलाफ होने वाले अपराधों, की रोकथाम से भी अधिक संख्या में स्त्रियों को काम के लिए घर से निकलने में बढ़ावा मिलेगा। यह सब कुछ करना सरकार का, नई दिल्ली की सरकार का, और दिल्ली को चलाने वाली राज्य सरकार का भी बुनियादी कर्तव्य है।

इसके साथ ही, स्त्रियों को लाभप्रद हुनर का प्रशिक्षण देना और इनके इस्तेमाल के प्रति स्त्रियों में विश्वास जगाना, गैर-सरकारी संगठनों का पहला काम है। इन संगठनों को शिशु-गृहों और स्कूलों को चलाने में भी एक प्रमुख भूमिका निभानी होगी, ताकि कामकाजी स्त्रियाँ अपने बच्चों को खेलने और पढ़ने के लिए वहाँ भेज सकें तथा खुद अपने काम पर जा सकें। इस भले काम में लगे सभी गैर-सरकारी संगठनों को हर सभ्य सहायता उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है।

मैं मानता हूँ कि सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों के अलावा, संगठनों की एक तीसरी श्रेणी भी है, जो स्त्रियों को तेजी से आर्थिक दृष्टि से अधिकार-संपन्न बनाने में मदद कर सकती है। महिलाओं की सहकारी संस्थाएँ तथा स्वयंसेवी समूह ऐसे ही संगठन हैं। ये संगठन सामान व सेवाओं के निर्माण, वितरण और बिक्री में मदद कर सकते हैं। स्त्रियों में प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए भी ये काफी सक्षम हैं और स्त्रियों को बाजार में अपने उत्पादों व सेवाओं की बिक्री में सफल प्रतिस्पर्धा में उनकी मदद कर सकते हैं।

स्त्रियों की सहकारिताओं के क्षेत्र में भारत में सफलता की कहानियों की कमी नहीं है। महाराष्ट्र का लिज्जत पापड़ एक ऐसा ही प्रयोग है। गुजरात में 'सेवा' का सराहनीय कार्य एक और उदाहरण है। केरल में 'कुदुम्बश्री' कार्यक्रम ने सिद्ध कर दिया है कि निचले स्तर पर स्वयंसेवी समूह कैसे स्त्रियों को आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से संपन्न बना सकते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय महिला कोष के रूप में बढ़िया योजनाएं हैं। इनसे गरीब औरतो के अनगिनत स्थानीय स्वयंसेवी समूहों को सहारा मिल रहा है। समय पर और पर्याप्त मात्रा में लघु ऋण उपलब्ध कराना, अपना काम धंधा करने वाली स्त्रियों और छोटी महिला उद्यमियों की आर्थिक दशा सुधारने का एक ठोस उपाय है।

इसके साथ ही, स्त्रियों को तकनीकी और विपणन कौशल की भी जरूरत है और उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजार भी चाहिए। इसलिए उनके उत्पादों व सेवाओं के लिए गारंटीशुदा बाजार उपलब्ध कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि इस माग में काफी दम है कि सभी सरकारी एजेंसियों को ऐसे उत्पादों का एक निश्चित कोटा मान्यता प्राप्त महिला सहकारी संगठनों से खरीदना चाहिए, जिसकी उन्हें लगातार जरूरत पड़ती रहती है। केन्द्र और राज्य सरकारों को इस मामले में एक संमान नीति बनानी चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि काम कर सकने योग्य हमारी सभी माताओं व बहनों को काम करने के अवसर मिलें, और जो काम करें, उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार आमदनी हो। इस दिशा में हमें अभी बहुत कुछ करना है। मुझे विश्वास है कि सरकारी अर्द्ध-सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों के सहयोग से और गरीब स्त्रियों के साथ मिलकर काम करने से हम इस लक्ष्य को बड़ी तेजी से पा सकेंगे।

मैं दिल्ली महिला आयोग और अन्यो को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ तथा उनसे आग्रह करता हूँ कि इस कार्यशाला के अच्छे काम को आगे बढ़ाएं।

स्वास्थ्य रक्षा के बुनियादी ढांचे में असंतुलन दूर करें

इम्फाल में क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आकर और इसके नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

मणिपुर प्रगति की राह पर है। यह बात और है कि प्रगति उतनी तेज नहीं है जितनी कि आप या मैं चाहते हैं। फिर भी मैं देखता हूँ कि विकास के मोर्चे पर चीजों में रचनात्मक परिवर्तन आ रहे हैं और यह शुभ संकेत है।

इम्फाल में, यहां 5वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन राष्ट्रीय मुख्यधारा में पूर्वोत्तर के शामिल होने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। खेल-कूद, शारीरिक चुस्ती, सामान्य स्वास्थ्य और यहां तक कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय गौरव के महत्वपूर्ण प्रतीक होते हैं। हाल ही में, इम्फाल में हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण किया गया है और मुझे इसकी नई और विशिष्ट मणिपुरी वास्तुकला को देखकर खुशी हुई है।

आयुर्विज्ञान संस्थान के इस खूबसूरत सभागार के आज उद्घाटन के साथ, हम एक ऐसी उपलब्धि जोड़ रहे हैं, जिससे मणिपुरवासियों का और हम सबका गौरव बढ़ा है। मैं चाहूंगा कि इस सभागार में नियमित रूप से चिकित्सा विषयक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन की दिशा में सुविचारित प्रयास किए जाएं।

नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर बना यह क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहले ही से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान बन चुका है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में यह संस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के राष्ट्रीय केंद्रों में से एक बन जाएगा।

मित्रों, किसी भी सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की होती है। एक मजबूत और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है, जब इसके सभी क्षेत्रों के सभी लोगों की स्वास्थ्य संबंधी निवारक व उपचारात्मक जरूरतें पूरी हो सकें।

स्वास्थ्य रक्षा के बुनियादी ढांचे में मौजूद क्षेत्रीय असंतुलन को बिना समय गंवाए दूर करने की जरूरत है। पूर्वोत्तर के मामले में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि संचार के अपने कम विकसित ढांचे की वजह से यह क्षेत्र शेष देश से भौतिक दृष्टि से कटा-कटा महसूस करता है। मेरी सरकार पूर्वोत्तर राज्यों और शेष भारत के बीच के भौतिक व विकासीय अंतर को पाटने के लिए सकल्पबद्ध है।

क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान छह राज्यों के उपचारात्मक चिकित्सा ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये छह राज्य केंद्र सरकार के सहयोग से इस संस्थान को चला रहे हैं। यह न केवल एक बड़ा और विशेषज्ञता वाला अस्पताल है, अपितु डाक्टरों के प्रशिक्षण के लिए यह प्रथम श्रेणी का एक संस्थान भी है। हर साल इस क्षेत्र को मिलने वाले सु-प्रशिक्षित सौ डाक्टर बेहतर स्वास्थ्य रक्षा के लिए संघर्ष में एक महत्वपूर्ण योगदान है।

मैं समझता हूँ कि प्रथम रेफरल केंद्रों के रूप में काम करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 90 प्रतिशत में विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं। इसलिए क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान से निकलने वाले स्नातकोत्तर विशेषज्ञ उस बड़े अंतर को पाटने में मदद कर रहे हैं, जो विशेषज्ञों की कमी की वजह से स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली में उत्पन्न हो गया है।

भारत के कई राज्यों की तुलना में पूर्वोत्तर राज्यों में पुरुष और महिला दोनों ही की साक्षरता की स्थिति बेहतर है। इससे स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत बेहतर उपलब्धियां हुई हैं जिनका प्रमाण इस क्षेत्र की निम्न शिशु मृत्यु दर में हमें मिल रहा है।

इसके अतिरिक्त, हमने देखा है कि जब भी राज्य सरकारों ने किसी उद्देश्य को लेकर काम किया है, परिणाम संतोषजनक निकले हैं। उदाहरण के लिए 1994 में देश में मलेरिया से होने वाली 1100 मौतों में से 41 प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों में हुई थीं। तीन साल बाद सरकार के और गैर सरकारी प्रयासों की बदौलत इस भयावह रोग से मरने वालों की संख्या केवल 9 ही थी।

लेकिन स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां हमारी अब तक की उपलब्धियों से कहीं ज्यादा हैं। कुछ दिनों से हमें नई-नई और अधिक कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए भयावह अनिष्टकारी एड्स और इसके शैतानी साथी क्षयरोग इस पूरे क्षेत्र में आतंक मचाने लगे हैं। अपने जीवन के प्रभात में ही कई नौजवान एच आई वी एड्स के शिकार हो रहे हैं। अब चूँकि एड्स का कोई इलाज ही नहीं है, इसलिए इसकी रोकथाम ही एकमात्र तरीका है।

पिछले साल दिसंबर में, मैंने एड्स के खतरे से देश को आगाह करने की कोशिश की थी, जिसके बारे में मैंने कहा था कि यह देश के लिए सबसे गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती है। पूर्वोत्तर के मामले में यह बात खरी उतर रही है। उस भाषण में मैंने यह भी कहा था कि भारत में हमें एचआईवी की रोकथाम के लिए टीकों की खोज निरंतर जारी रखनी होगी और इस काम को उच्च प्राथमिकता व तत्कालिकता की भावना से करना होगा। इस बीच, इस रोग से प्रभावित होने वाले और इसके शिकार बन चुके लोगों के प्रति हम सभी को करुणा, सहनशीलता, और प्रेम का व्यवहार करने के लिए समर्पण की भावना से काम करना होगा। भारत को इतना तो करना ही होगा।

मैं समझता हूँ कि भारत में अन्य इलाकों के विपरीत यहां पूर्वोत्तर में और विशेष रूप से मणिपुर में एड्स के लिए नशीली दवाओं का इस्तेमाल, बुनियादी मामला है। इसलिए, नशीली दवाओं की लत और ऐसे पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई को हमें एड्स के विरुद्ध छेड़े गए युद्ध का एक अभिन्न अंग बनाना होगा।

अपने स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में, मैं कम कीमत, निवारक और आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य प्रकार की देसी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के महत्व पर ज़रूरत से ज्यादा जोर नहीं देना चाहता। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों ने सदियों से कई कारगर घरेलू चिकित्सा पद्धतियां विकसित की हैं। अपनी समृद्ध जैव विविधता के चलते यह क्षेत्र कई जड़ी बूटियों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है।

अब सारा विश्व प्रकृति के अनुकूल स्वास्थ्य रक्षा उत्पादों व पद्धतियों की ओर मुड़ रहा है। ऐसे उत्पादों व पद्धतियों के लिए विश्व बाजार फैलता जा रहा है। इसलिए मैं चिकित्सा बिरादरी से इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा संवर्द्धनात्मक गतिविधियों में तेजी लाने का अनुरोध करूंगा।

मुझे बताया गया है कि क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विकास के लिए प्रमुख प्रस्ताव सबद्ध अधिकारियों के पास विचारार्थ पड़े हैं। मैं मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को आश्वासन देता हूँ कि चालू वित्त वर्ष में ही केंद्र सरकार ज़रूरी मंजूरियां दे देगी।

मैं इस संस्थान के निदेशक, शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों के लिए आने वाले वर्षों में सफलता की कामना करता हूँ। आइए मिलकर हम प्रण करें कि हम मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों तथा समूचे भारत के लोगों के लिए एक स्वस्थ व खुशहाल समाज का निर्माण करेंगे।

महिलाओं को सशक्त बनाकर हम सब को लाभ होगा

वर्ष 1998 के इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित डाक्टर मुहम्मद यूनुस के अभिनंदन के लिए आज यहां आकर मुझे खुशी और गौरव की अनुभूति हो रही है।

मानवता के भौतिक और सांस्कृतिक उत्थान में उल्लेखनीय योगदान करने वाले दुनिया के विलक्षण नागरिकों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में संस्थापित किया गया है जो स्वयं अपने समय की विलक्षण अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की महिला थीं। उनकी जयंती पर इस पुरस्कार को प्रदान करते समय हम विश्व शांति, निरस्त्रीकरण और विकासशील देशों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर उनके योगदान को याद करते हैं।

1985 में शुरू किया गया यह पुरस्कार तब से आज तक अनेक योग्य महिलाओं और पुरुषों को दिया जा चुका है। इनमें वे राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, व्यक्ति और संस्थाएँ शामिल हैं जिन्होंने लोकतंत्र और विकास समेत मानवता से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए आवाज उठाई।

डाक्टर यूनुस के व्यक्तित्व का इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित लोगों में अपना एक अलग स्थान है। उन्होंने दुनिया में विकास के प्रयासों को एक महत्वपूर्ण और नवीन आयाम प्रदान किया है और अपनी गतिविधियों के लिए उस क्षेत्र को चुना जो दुर्भाग्यवश अब तक उपेक्षित रहा है। डाक्टर यूनुस और उनका संगठन ऐसे कुछ संस्थानों में है, जिन्होंने निचले स्तर की ग्रामीण प्रगति को विकास की बहस के मध्य में लाकर खड़ा किया। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी संस्थाओं ने अकादमिक बहस से आगे निकल कर यह सिद्ध कर दिया कि निचले स्तर पर विकास संभव है यदि सही दृष्टि, इस दृष्टि को अभियान में परिवर्तित करने वाला संगठन और संगठन का ऐसा नेता हो जिसके पास विचार, दृष्टि और मिशन की भावना से कार्य करने का संकल्प है।

डाक्टर यूनुस ने बंगलादेश में ग्रामीण बैंक को ऐसा ही श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान किया है। इस बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सुविधाओं के लिए हाल ही में जो पहल

वर्ष 1998 के इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर दिया
भाषण, नई दिल्ली, 19 नवंबर 1999

की है वह जनसाधारण के कल्याण के लिए बैंक के अध्यक्ष डाक्टर यूनुस के आधुनिक दृष्टिकोण का एक और उदाहरण है।

मैं निर्णायक मंडल को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस पुरस्कार के लिए डाक्टर यूनुस को चुना। इस प्रकार निर्णायक मंडल ने विकास अभियान में अपना भी योगदान किया है। ऐसा विकास अभियान जो असंतुलन और विकृतियों से परे है। ऐसे समय में जब भूमडलीकरण के कारण वित्तीय सेवाओं का उपयोग अधिकतर बड़े शहरों की जरूरतों को पूरा करने में ही हो रहा है, ग्रामीण बैंकिंग के सफल प्रयोग से गावों में छोटे-छोटे ऋण प्रदान करने की सेवाएं शुरू की जा सकीं। इससे यह सिद्ध हुआ है कि स्वयंसेवी समूहों की प्रणाली से बैंकों से दिए जाने वाले छोटे-छोटे ऋण भी वास्तव में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। मुझे यह जानकर खुशी है कि डाक्टर यूनुस के मार्गदर्शक प्रयासों का भारत तथा विश्व के अनेक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अनुसरण किया गया।

महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि विकास प्रक्रिया को निचले स्तर की ग्रामीण जनसंख्या से घनिष्ठ समन्वित रूप से जोड़ा जाए। और यहां भी बंगलादेश ग्रामीण बैंक ने पथ-प्रदर्शन का कार्य किया। भारत और बंगलादेश जैसे परंपरागत देशों में ही नहीं पूरे विश्व में महिलाएं विकास की महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिसे हम, "स्थायी विकास" की संज्ञा देते हैं और जो दुनिया भर के नीति-निर्धारकों, प्रशासकों और बुद्धिजीवियों के लिए नारा बन गया है, वह तभी मूर्त रूप ले सकता है जब हम महिलाओं को सभी विकास गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बनाएँ और विकास के लाभ उन तक पहुंचाएँ।

जब महिलाएं आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त होंगी तो इसका लाभ केवल महिलाओं को ही नहीं है, बल्कि वे अनेक प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानव जाति को भी पहुंचाएंगी। डाक्टर यूनुस और विकासशील देशों में उनसे प्रेरणा पाने वाले अनेक लोगों ने बैंकिंग व्यवस्था की प्राथमिकताओं को गांवों और महिलाओं के विकास पर केंद्रित कर विकास को एक नई परिभाषा दी है, जिसका अर्थ है गरीबों और वंचित वर्ग की प्रगति।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की रक्षा

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सासदों के तीन दिन के इस सम्मेलन के उद्घाटन का मौका मिला है।

पिछले ही महीने हमने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने की 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। अगले महीने हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाइचारे जैसे संविधान में उल्लिखित मूल सिद्धांतों पर आधारित अपने गणराज्य के पचास वर्ष पूरे होने का समारोह मनाएंगे।

आजाद भारत के इतिहास के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े होकर यह देखना बड़ा प्रासंगिक होगा कि हम सामाजिक समानता और सामाजिक सद्भाव के लक्ष्य को प्राप्त करने में कहां तक सफल हुए हैं। इससे हम सिर्फ तीन सप्ताह बाद शुरू हो रही नई शताब्दी में भारत को सही अर्थों में समतामूलक समाज बनाने के लिए कार्यक्रम तय कर सकते हैं।

सदियों से उपेक्षा और भेदभाव का शिकार हुए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगो को बराबरी का हक दिलाने के लिए संविधान में जो व्यवस्थाएं की गयी हैं उनमें से एक राजनीतिक आरक्षण भी है। ऐसा माना गया था कि इन लोगों को राजनीतिक दृष्टि से अधिकारसंपन्न बनाने से समाज में उनके प्रति भेदभाव और उपेक्षा दूर करने में मदद मिलेगी। यह उपाय काफी हद तक अपने उद्देश्य में सफल भी रहा है। इसलिए मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राजनीतिक आरक्षण दस साल के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है।

मुझे इस बात की जानकारी है कि कार्मिक मंत्रालय ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू करने के बारे में जो दिशानिर्देश जारी किए हैं उनसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों में कुछ असंतोष है। कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के बाद तत्कालीन सरकार ने ये दिशानिर्देश जारी किए थे। मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि इस संबंध में संसद में मैंने जो आश्वासन दिया था उसके अनुसार मेरी सरकार ने दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए कदम उठाए हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सासदों के सम्मेलन में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 5 दिसंबर 1999

इन दो पहलुओं के बारे में सविधान-संशोधन के प्रस्ताव पर विचार की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुँच गई है।

- अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंको तथा तरक्की के वर्तमान मानदंडों में ढील; और
- अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित खाली पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान।

इन दोनों पहलुओं के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से सलाह-मशविरा किया जा चुका है। आयोग ने प्रस्तावित संशोधनों की तारीफ की है।

उच्चतम न्यायालय की सविधान पीठ ने हाल के अपने एक फैसले में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारियों की तरक्की के समय वरिष्ठता तय करने के सिद्धांत के संबंध में अपने पिछले फैसलों को फिर से दोहराया है। मेरी सरकार इन फैसलों से पहले के वरिष्ठता निर्धारण के नियमों को बहाल करने के लिए सविधान संशोधन लाने पर विचार कर रही है। मैं फिर यह बात कहना चाहता हूँ कि हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। आरक्षण व्यवस्था पर अमल के लिए मंत्रालय ने जो दिशानिर्देश जारी किए हैं, वे हमारे रास्ते में आड़े नहीं आएंगे।

राजनीतिक आरक्षण तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण के अलावा भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में सुधार के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। इस काम को पूरा करने के लिए हम सब को मिलकर कोशिशें करनी होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन से मुद्दों की पहचान होगी और समान विकास व सामाजिक भेदभाव से मुक्त समाज के जरिए तीव्र प्रगति लाने के बारे में नए विचार सामने आएंगे।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की संख्या करीब एक-चौथाई है। मगर उनके विकास सूचकांक में सुधार के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। यह स्थिति तब है जबकि पिछली कई योजनाओं में अच्छी खासी रकम आवंटित की गई है। जाहिर है पिछले 50 वर्षों की योजनाओं और नीतियों में कोई कमी रह गई है। मौजूदा हालात का सरसरी तौर पर जायजा लेने से पता चलता है कि विकास की दिशा में 50 वर्षों के प्रयासों के बावजूद अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकतर भाई-बहन या तो मजदूर हैं या बहुत छोटे किसान।

इससे भी दु खदाई बात यह है कि अनुसूचित जातियों मे बाल श्रमिको की सख्या बहुत ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रो में अब भी छुआछूत की कुप्रथा व्याप्त है। ये दोनो बातें मानवीय गरिमा के खिलाफ हैं और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। इनके अलावा भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी मे अनेक मुसीबते झेलनी पडती हैं। देश के कुछ भागो मे महिलाओ को तयशुदा न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। निरक्षरता के कारण सरकारी कार्यक्रमों के बारे मे जागरूकता की बडी कमी है। उन्हे रोजी-रोटी की तलाश मे एक जगह से दूसरी जगह भटकना पडता है जिस कारण कुछ लोगो के राशन कार्ड नहीं बन पाते। व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के बाद लोगो को सामान की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध नहीं होता।

इनमे से बहुत सी समस्याए शिक्षा के जरिए हल की जा सकती हैं। साक्षरता, सुधार और विकास का बडा शक्तिशाली माध्यम है। इसके लिए पहला कदम सबको प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराकर उठाया जा सकता है। इस सिलसिले मे हम पहले ही कई कदम उठा चुके हैं।

जमीन, वन और पानी जनजातियों के जीवन का अभिन्न अंग है। मुझे पता चला है कि जनजातियों की जमीन की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनो के वावजूद उनकी जमीन दूसरो के पास चले जाने की समस्या बनी हुई है। इसे उन्हे फिर से दिलाने का कार्य भी काफी जटिल है। हमे ऐसे तौर-तरीके खोजने होंगे जिनसे जनजातीय लोग अपनी जमीन से बेदखल न होने पाए। इसके अलावा हमे अपने वनो की रक्षा भी करनी होगी क्योंकि उन्हीं मे जनजातीय लोग पलते-बढते हैं। राष्ट्रीय वन नीति और वन संरक्षण अधिनियम (1980) की समीक्षा का समय आ गया है। मगर समूचे देश के लिए एक समान नीति नहीं बनाई जा सकती। जनजातीय इलाको की वन नीति गैर-जनजातीय इलाको से अलग तरह की होनी चाहिए।

मेरी सरकार इस बात से चिंतित है कि कुछ जनजातीय इलाको मे पानी की कमी है। हमारी एक प्राथमिकता स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की भी है और हम शीघ्र ही इस बारे मे एक कार्यनीति बनाकर उसे समयबद्ध तरीके से लागू करेगे। मेरी खुद इस कार्यक्रम पर निगाह है। उन्हे हुनर और साज-समाज उपलब्ध कराकर शक्तिसंपन्न बनाना होगा ताकि वे अपने समाज के विकास मे योगदान कर सके। इन मुद्दों पर ध्यान देने और जनजातियों के विकास का ख्याल रखने के लिए मेरी सरकार ने अलग से जनजातीय मामलो का मंत्रालय बनाया है।

मुझे इस बात की भी जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चो मे पेचिश की बीमारी बडी आम है। उन्हे जानलेवा बीमारियों से

बचाव के टीके लगाने की सुविधा की भी कमी है। इसी तरह बाल-मृत्यु भी बड़ी आम है। माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल न होने, पर्याप्त पौष्टिक आहार न मिलने और कुपोषण से होने वाली बीमारियों का मुख्य कारण गरीबी, अज्ञानता और सफाई की कमी हैं। इन समस्याओं के समाधान में केन्द्र और राज्य सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। केन्द्र सरकार को विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आवश्यक परिवर्तन भी करने होंगे।

यह बात बड़ी दुखदाई है कि अनुसूचित जातियों के बहुत से लोग सामाजिक भेदभाव तथा छुआछूत का शिकार हो रहे हैं। इस अपराध का कारगर तरीके से मुकाबला करने के लिए हमें लोगों के नजरिए में बदलाव लाने के उपायों को बढ़ावा देना होगा। इसका एक तरीका यह हो सकता है कि हम छुआछूत की बुराई से मुक्त गांवों और पंचायतों की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत करें। डा अंबेडकर फाउंडेशन इस काम में पहल कर सकती है।

अनुसूचित जातियों में सबसे कमजोर वे लोग हैं जो सफाई का काम करते हैं। उनकी मदद के हमारे पिछले प्रयास असफल रहे हैं। अब हमें सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा से निबटने के लिए मिशन बनाकर काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमें उनके लिए वैकल्पिक रोजगार तलाश करने होंगे। मैं प्रत्येक सांसद से अनुरोध करूंगा कि वे एक गांव या कस्बे को अपनाएं और इस राष्ट्रीय कार्य में हमारा हाथ बटाएं। यहां मौजूद अधिकतर सांसदों को लंबा अनुभव प्राप्त है और वे लंबे अरसे से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की सेवा में लगे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस संबंध में रचनात्मक सुझाव देंगे ताकि हम नई शताब्दी में नई सामाजिक व्यवस्था के लिए मिल कर कार्य कर सकें। हमें सामाजिक समता और सामाजिक समरसता पर आधारित व्यवस्था बनानी है।

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ विचारों के आदान-प्रदान का मौका मिला। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन से अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अधिकारसंपन्न बनाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।

तंबाकू-नियंत्रण के लिए व्यापक रणनीति की आवश्यकता

विश्व तंबाकू नियंत्रण नियम पर हो रहे इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यह सम्मेलन दो दृष्टिकोणों को लेकर ही सार्थक हो सकता है। पहले, विश्व के सभी देशों के जनस्वास्थ्य जैसे अहम् विषय पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केन्द्रित करना। दूसरे तंबाकू नियंत्रण पर विकासशील देशों के नजरिए से व्यापक नीतियों को सूत्रबद्ध करना। मुझे इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि विकासशील देशों को प्रभावशाली ढंग से सम्मिलित किए बिना इस तरह के सम्मेलन के प्रयासों का कोई अर्थपूर्ण परिणाम नहीं निकल सकता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू की खपत को नियमित व नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता।

तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य-संकट अब वैज्ञानिक तौर पर स्थापित हो चुके हैं। अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि तंबाकू सेवन 25 बीमारियों का कारण है जिसमें कैंसर और दिल के दौरों शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार तंबाकू के कारण होने वाली वार्षिक मौतों की संख्या वर्तमान के 40 लाख से बढ़कर 2025 में एक करोड़ तक हो जाएगी। इस अनुसंधान से हमारा भी संबंध है क्योंकि इन मौतों में से 70 प्रतिशत विकासशील देशों में होंगी। डब्ल्यूएचओ के इस अनुसंधान से भारत ने विशेष तौर पर यह जाना है कि अगले दो दशकों में इस देश में तंबाकू से होने वाली मौतों की दर सबसे अधिक होगी।

तंबाकू से होने वाली इस हानि के परिणाम इस भयावह परिगणना से कहीं अधिक होंगे। तंबाकू-सेवन के शिकार बहुत से लोग या तो मर जाएंगे या अपने जीवन के मध्य में विकलांग हो जाएंगे जिससे उनके परिवार तबाह हो जाएंगे और समाज को उनके उत्पाद योगदान से वंचित होना पड़ेगा। दूसरी ओर जन-स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को तंबाकू से संबंधित बीमारियों की रोकथाम की लिए आर्थिक रूप से महंगी स्वास्थ्य-सेवाओं और गहन-प्रौद्योगिकी की ओर मोड़ना पड़ेगा। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह घातक भविष्य की ओर संकेत देता है क्योंकि सामाजिक और आर्थिक संचयी-लागत, वृद्धि और विकास को अवरुद्ध कर देगी। इस प्रकार विकासशील देश की

विश्व तंबाकू नियंत्रण नियम पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 7 जनवरी 2000

सरकारो को तंबाकू से उत्पादित वस्तुओं से होने वाले तीव्र राजस्व की अपेक्षा राजस्व को अन्य स्रोतों से प्राप्त करने की आवश्यकता है।

भारत जैसे देश को तंबाकू सेवन पर एक बहुत बड़े पैमाने पर विचार करना होगा। राष्ट्रीय सर्वेक्षण बताते हैं कि हमारे देश में दस करोड़ लोगों को तंबाकू चबाने की लत है जिनमें से तीन करोड़ साठ लाख महिलाएं हैं और एक करोड़ सत्तर लाख लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार इस युवा वर्ग को तंबाकू की पहुंच से परे रखा जाए।

विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में तंबाकू उपभोग की प्रवृत्तियां भिन्न हैं। विकसित देशों में तंबाकू उपभोग निरंतर कम हो रहा है। फलस्वरूप उनका बचा हुआ उत्पादन आक्रामक रूप से बाहरी बाजार खोज रहा है। दूसरी ओर विकासशील देशों में तंबाकू की खपत बढ़ रही है और निर्यात बाजार सिकुड़ रहा है।

यहां मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उदारीकरण ने उपभोग के रूपों के इस अंतर को बढ़ाया है। हाल के कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ने अनेक वस्तुओं के व्यापार का उदारीकरण किया है। सिगरेट इसका अपवाद नहीं है।

विश्व-बैंक के एक अध्ययन के अनुसार जिन चार एशियाई अर्थ-व्यवस्थाओं ने 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमरीका के व्यापार दबाव में आकर अपने बाजारों का उदारीकरण किया था, वहां 1991 में सिगरेट की खपत अपने बाजारों को बंद रखने वाले देशों की तुलना में दस प्रतिशत बढ़ गई। निष्कर्ष साफ है कि विकसित देशों के सिगरेट निर्माताओं की बाहरी बाजारों तक पहुंच ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सिगरेट की खपत को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है।

विकासशील देशों में वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर तंबाकू उपयोग के इन रूपों के गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए जन-स्वास्थ्य के लिए तंबाकू-नियंत्रण नियमों की वैधानिक बाधता को न तो निलंबित और न ही मना किया जा सकता है। अपनी जनता के स्वास्थ्य पर तंबाकू के दुष्परिणामों को नियंत्रित करने के अपनी सरकार के संकल्प की मैं पुनः पुष्टि करता हूं।

मगर, तंबाकू को केवल स्वास्थ्य के हानिकारक रूप में देखना और तंबाकू-नियंत्रण से होने वाली आर्थिक व सामाजिक हानियों को अनदेखा करना अवास्तविक होगा। विकासशील देशों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे तंबाकू-नियंत्रण से उनकी अर्थव्यवस्था पर होने वाले दुष्प्रभावों की आशंका को दूर करें।

उदाहरण के लिए भारत का तंबाकू उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। लगभग दस लाख भारतीय तबाकू की खेती में लगे हुए हैं। भारत में तंबाकू का अस्सी प्रतिशत धूम्रपान बीडी के रूप में होता है जो कि कुटीर उद्योगों में बनाई जाती है और जिससे लगभग 45 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इसी तरह पान मसाला व गुटका बनाने वाली बहुसंख्यक इकाइयाँ भी छोटे पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र में हैं। पान मसाला उद्योग का वार्षिक व्यवसाय दस अरब रुपये का है और इस व्यवसाय में भी काफी संख्या में लोगों को व्यवसाय मिला हुआ है। इसलिए हमें यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि तंबाकू की खेती व उत्पादन से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जीविका व रोजगार मिले हुए हैं।

तंबाकू की खपत पर प्रतिबंधों के साथ-साथ अनिवार्य रूप से ऐसे उपाय भी हों जिनसे इन लोगों की घरेलू आय का संरक्षण भी हो सके। इस तरह विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय अधिकरणों की सहायता की आवश्यकता है जिससे कृषि व उद्योग की दिशा परिवर्तन परियोजनाओं के माध्यम से उनका संरक्षण हो सके जो अपनी आजीविका के लिए तंबाकू की खेती व उसके प्रोसेसिंग पर निर्भर हैं। यदि हमने तंबाकू नियंत्रण को विस्तृत सवेष्टन (पैकेज) के रूप में नहीं लिया तो हमारे प्रयास बीच में ही स्वयं विफल हो जाएंगे।

मैडम महा-निदेशक इन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जटिलताओं को समझने के लिए आपसे उत्तम अन्य व्यक्ति नहीं है। हमें यह पूरा विश्वास है कि आपका अनुभव व सूक्ष्मदृष्टि उन प्रभावशाली नीतियों को बनाने में सहायक होगी जो तंबाकू नियंत्रण के लिए केवल कानूनो पर ही निर्भर नहीं होगी।

यह सच है कि इस प्रकार की नीतियों में वैधानिक उपायों का विशेष स्थान है। परंतु विधि-निर्माण अपने आप में प्रभावशाली नहीं होता। तंबाकू-नियंत्रण कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए यह जरूरी है कि इसके साथ-साथ आमदनी के वैकल्पिक स्रोत उन लोगों के लिए आएँ, जिनकी आजीविका तंबाकू पर निर्भर है और पूरे समाज को पूरी तरह सूचित करने के साथ शामिल भी करना होगा।

प्रचार माध्यम, जो अपने विस्तृत प्रसार व शक्ति से लोगों की राय को प्रभावित करते हैं, तंबाकू के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव के विषय में बताने के लिए व तंबाकू उपयोग पर प्रतिबंध के लिए समाज का सहयोग प्राप्त करने में मूल्यवान सहयोगी बन सकते हैं। विद्यालय अपने छात्रों को, विशेष तौर पर किशोरों को, तंबाकू को 'न' कहने के लिए प्रोत्साहित कर एक महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। हमारी हाल ही वह सफलता जिसमें पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम व इसके प्रति जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यालय

के छात्रों को शामिल किया गया था, यह बताता है कि छात्र अपने परिवारों के व समाज में परिवर्तन के प्रभावशाली कार्यकर्ता हो सकते हैं।

इक्कीसवीं सदी की इस प्रातः वेल में हम जानते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में हम विश्व को अधिक एकीकृत पाएंगे। विश्व की उदार अर्थव्यवस्था में तंबाकू का व्यापार साक्रातिक बना गया है। उपग्रह दूरदर्शन ने घरेलू दूरदर्शन पर तंबाकू उत्पादकों के विज्ञापनों पर प्रतिबंधों को रद्द कर दिया है। इसे रोकने का एकमात्र तरीका अंतर्राष्ट्रीय विधि-निर्माण है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक या मुद्रित प्रचार-माध्यमों द्वारा तंबाकू उत्पादों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में रोक लगाई जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क सम्मेलन का आयोजन व अन्य प्रयत्न प्रशंसनीय हैं।

मैडम महा-निदेशक, इस अंतर्राष्ट्रीय 'मिशन' को प्रारंभ करने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। परंतु तंबाकू-नियंत्रण को यदि एक अंतर्राष्ट्रीय 'मिशन' के रूप में सफल होना है तो हमारे संकल्प दृढ़, हमारी कार्यवाही सार्वभौमिक, नीतिया विस्तृत व सगठित तथा कार्यान्वयन स्तरीय तथा विकासशील होना अनिवार्य है। स्वास्थ्य-नियंत्रण लोगों को अच्छे स्वास्थ्य से समृद्ध करने का व अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को बढ़ाने का परिचायक हो।

विकासशील देशों का यह नजरिया तंबाकू नियंत्रण की अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची में विचार के लिए रखा जाना चाहिए। यदि यह सम्मेलन विकसित व विकासशील देशों को संगठित करके उन्हें तंबाकू-नियंत्रण की दिशा में एकमत करने में सफल हो जाता है तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

मैं आपको इस विचार-विमर्श में सफल होने की कामना करता हूँ और विचारों के आदान-प्रदान का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

बहादुर बच्चों का अभिनंदन

प्रतिवर्ष गणराज्य दिवस के पहले हम वीर बच्चों का अभिनंदन करते हैं। इस बार 15 बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। यह संख्या और भी बढ़ेगी, मुझे विश्वास है। हमारी आबादी 100 करोड़ है। उसमें वीर बालकों की कमी नहीं है। लेकिन, उन्हें

वीर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 24 जनवरी 2000

दूढ़कर निकालना, उनके बारे में केन्द्र को सूचित करना और जानकारी देना, यह जरा कठिन काम है। मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा-सा और समय लगाया जाए, थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त की जाए। सारे देश की खबरें एकत्र करना अपने मे एक कठिन काम है। फिर यह भी जरूरी है कि साहस, वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने वाले बालको के बारे में देश में जानकारी पहुंचाई जाए। यह प्रस्ताव आया है कि यह कार्यक्रम किसी बड़े स्थान पर हो, विद्यालय में हो, जहां बच्चों को पता लग सके कि इस प्रकार के पुरस्कार की योजना है, वे इसमें अधिक-से-अधिक भाग ले सकें और कार्यक्रम में भाग लेकर मन में भी उत्साह पैदा हो कि हम भी इसी तरह की वीरता का काम करके दिखाएं, जिससे हमें पुरस्कृत किया जा सके।

प्रधानमंत्री निवास पर कार्यक्रम करना अपना एक महत्व रखता है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन भाग लेने वालों की संख्या बहुत कम रहती है। दिल्ली में किसी स्कूल को बारी-बारी से चुना जा सकता है और जिस तरह की घटनाओं के लिए वीर बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है, उनका कुछ नाटकीय प्रकटीकरण भी हो सकता है, इस समारोह को थोड़ा और रूप दिया जा सकता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यह कार्यक्रम मेरे यहाँ न हो, चला जाए यहाँ से। प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं। लेकिन यह स्थान सुरक्षित है, इसके लिए चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन और बच्चों को पता लगना चाहिए। साहस, निर्भयता, निडरता, हिम्मत— यह ऐसा गुण है, जिसके बिना मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर सकता। अपने लिए तो हम सभी जीते हैं, लेकिन दूसरे के लिए जीना, दूसरे की मदद करते हुए जीना और उससे भी बड़ी एक सीढ़ी है— अपने को खतरे में डालकर दूसरे के जीवन की रक्षा करना।

नदी में किसी को डूबता हुआ देखकर उसको बचाने की इच्छा स्वाभाविक होती है। यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, जन्मजात गुण है, क्योंकि सबसे एक ही आत्मा है। पीडा में सहायता देने के लिए कुछ सोचना भी पड़ता है, तत्काल इन्द्रिया सजग हो जाती हैं, उसी तरह से प्रतिक्रिया करती हैं। लेकिन एक दृश्य ऐसा है कि जिसमें न केवल दूसरे को बचाना शामिल है, मगर दूसरे को बचाते हुए खुद खतरे में पड़ जाना जरूरी है। लेकिन ऐसे बच्चे निकलते हैं। खुद खतरे में अपने को डाल देते हैं। यहाँ भी एक पुरस्कार जो दिया गया है, वह ऐसे बच्चे को दिया गया है। अब यह गुण है कि बाल्यावस्था से ही अगर पैदा होता है, जन्म लेता है, तो फिर यह सकट के समय भी काम आ सकता है, अपनी रक्षा के लिए भी काम आ सकता है और दूसरों की रक्षा के लिए, परहित के लिए— 'परहित सरस धर्म नहीं भाई'— दूसरों की सहायता जैसा और कोई धर्म नहीं है।

कई वर्षों से यह कार्यक्रम यहां चल रहा है, बच्चों को अभिनंदित किया जाता है। मैं नहीं समझता। इस तरह का देश में कोई दूसरा कार्यक्रम है। इसलिए, इस कार्यक्रम का महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए मैंने सुझाव दिया कि इसको इस रूप में मनाया जाए कि जिसमें अधिकाधिक बच्चों को प्रेरणा मिल सके। यहां तो पुरस्कार लेने वाले बच्चे आए हैं, थोड़े से उनके सगे-सबधी आए हैं। हां गणतंत्र दिवस के दिन आप हाथी पर बैठकर जरूर निकलेगे। बच्चे आपस में पूछेंगे कि यह कौन हैं, जो हाथी पर बैठकर जा रहे हैं। फिर ऐलान किया जाएगा कि ये बच्चे हैं, जिन्होंने दूसरों के बच्चों की रक्षा अपनी जान पर खेल कर की। आपका अभिनंदन होगा, आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन यह दूसरों को बचाने, परोपकार करने, मुसीबत में दूसरों की सहायता करना— यह गुण, यह एक बड़ा स्वाभाविक गुण बनना चाहिए। वैसे तो यह ईश्वरीय गुण है। एक आदमी दूसरे आदमी के लिए जीए— यह मनुष्य को देवता की कोटि में ले-जाने वाली बात है।

प्राचीन-काल से हमारे यहां बच्चों को निर्भीकता का पाठ पढ़ाते थे। माताएं बच्चों को निर्भीकता की शिक्षा देती थीं। आपने भी देखे होंगे वो चित्र और उस तरह की मूर्तियां, जिनमें शकुंतला का पुत्र भरत शेर के दांत गिन रहा है। ऐसी मूर्तियां बनती हैं और ऐसी मूर्तियां चित्र के रूप में भी प्रस्तुत की जाती हैं। शेर के दांत गिनना, यहां तो शेर का नाम सुनते ही संकट पैदा हो जाता है। लेकिन, अगर निर्भीकता से, निडर होकर शेर का सामना किया जाए तो शेर पर भी असर होता है। कहने वाले कहते हैं कि जो डरते हैं, उनके मारे शेर ज्यादा खाता है और, सचमुच में आदमी नहीं डरता, आदमी से शेर ज्यादा डरता है। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक प्राणी अगर कोई है, तो वो मनुष्य है, शेर नहीं है, सांप नहीं है। लेकिन, नाम से ही डर पैदा हो जाता है, अंधेरे में जैसे रस्सी भी सांप दिखाई देती है। सांप नहीं है, रस्सी है। मगर अंधेरा है, देख नहीं सकते और डर जाते हैं। और ज्यादातर यह कहा जाता है कि सांप के काटने से लोग नहीं मरते, डर के मारे मर जाते हैं। हाय, हमको सांप ने काट लिया, हाय, हमको सांप ने काट लिया। अब तो हम बचेंगे नहीं, अब तो हम मरेंगे। तो मरो! मरेंगे क्यों, जिएंगे, बहादुरी से जिएंगे और दूसरों की भी रक्षा करेगे, दूसरों को भी बचाएंगे। यह मन में भाव पैदा होना चाहिए। गणतंत्र दिवस हमें यही संदेश देता है।

मैं आप सब बच्चों को बधाई देता हूं, पुरस्कार पाने के लिए। और, जिंदगी-भर आप ऐसे काम करते रहें, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। बाल कल्याण परिषद का मैं आभारी हूं कि उन्होंने समारोह का आयोजन किया और मुझे यहां उपस्थित होने का अवसर दिया।

राष्ट्र के विकास में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका

स्वैच्छिक प्रयास एवं सामाजिक विकास प्रायोगिक राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता ही रही है। मैं सबसे पहले देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली सेवाभावी संस्थाओं के आप सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ।

स्वैच्छिक संस्थाएं सामाजिक विकास की आत्मा हैं। राष्ट्र निर्माण के कार्य में अधिक काम करने वाले वे हाथ हैं इसलिए हम आपके साथ हैं। स्वैच्छिक प्रयासों के संवर्धन में राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी नहीं होगी, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ।

हमारे देश में स्वैच्छिक प्रयासों की गौरवशाली परंपरा है। स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से जनसाधारण के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने का सिलसिला हमारे देश में प्राचीन काल से चला आ रहा है। “नर सेवा ही नारायण सेवा” यह धारणा हमारी भारतीय संस्कृति की द्योतक है।

गांवों, कस्बों में सार्वजनिक महत्व के कार्य सदा से ही स्वैच्छिक प्रयासों के द्वारा होते रहे हैं। चाहे वे कार्य चौपाल या धर्मशाला बनाने के हों अथवा कुएं और तालाब के। जब कभी कहीं प्राकृतिक आपदा आती थी तो स्वैच्छिक प्रयासों की एकजुटता देखते ही बनती थी। आज भी यह सिलसिला जारी है। अभी हाल ही में आए महाचक्रवात से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वैच्छिक प्रयासों से जो राहत सामग्री एकत्र हुई, वह इसी गौरवशाली परंपरा का एक नमूना है।

भारत का इतिहास इस सच्चाई का साक्ष्य है कि स्वैच्छिक कार्य की परंपरा हमेशा समाज सुधार के प्रयासों के साथ जुड़ी रही है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से भारत में सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया शुरू हुई। उस प्रक्रिया के मूल में स्वैच्छिक प्रयासों की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, महर्षि कर्वे जैसे सुधारवादी युग पुरुषों के स्वैच्छिक प्रयासों ने उदासीन समुदाय को झकझोरा। उन्हें कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित किया। प्रारंभ में यह प्रयास व्यक्तिगत थे, बाद में

ये संगठित हुए। इसी बिंदु से इस देश में सामाजिक विकास की प्रक्रिया को नई ऊर्जा और गति मिली।

भारत का समूचा राष्ट्रीय आंदोलन स्वैच्छिक प्रयासों का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें अपनी अंतःचेतना से प्रेरित होकर कितने ही लोग निःस्वार्थ भाव से पूरी निष्ठा के साथ जुड़ गए। महात्मा गांधी ने तो सामाजिक सेवा के कार्य को आजादी के आंदोलन का एक अटूट अंग बना दिया। समाज सेवा राष्ट्रभक्ति का एक तकाजा बन गया। वस्तुतः राष्ट्रीय आंदोलन की दो मुख्य धाराएं थीं। एक धारा राजनीतिक गुलामी से आजादी की ओर ले जाती थी, दूसरी रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक आजादी और समानता की ओर।

गांधीजी के नेतृत्व में जो स्वैच्छिक प्रयास राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुए वे बहुआयामी थे। अस्पृश्यता निवारण का कार्य हो या नई तालीम के माध्यम से शिक्षा-प्रसार का काम हो, कुष्ठ रोग निवारण का काम हो या सफाई का काम हो- गांधीजी ने इन सभी कार्यों के लिए हजारों कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। समाज के उपेक्षित और वंचित लोगों के मन में व्याप्त उदासीनता को समाप्त करके उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। इसके साथ-साथ उन्होंने विभिन्न रचनात्मक आंदोलन शुरू किए। इन रचनात्मक आंदोलनों का उद्देश्य एक ओर श्रम की गरिमा को स्थापित करना था, दूसरी ओर उनके माध्यम से आत्म-गौरव की भावना पैदा करना था। इसी से स्वदेशी की भावना पनपी और बलवती हुई। सामाजिक रूढ़ियों के बंधन कमजोर हुए। रूढ़ दृष्टिकोण के स्थान पर रचनात्मक चिंतन का विकास हुआ। इन तमाम तरह के स्वैच्छिक प्रयासों ने पूरे देश में नई हलचल पैदा कर दी। गांधीजी के रचनात्मक आंदोलन से सेवा की भावना का अभूतपूर्व विकास हुआ। वंचित-पीड़ित और उपेक्षितों की समस्याओं के प्रति जन-साधारण की पीड़ा और वेदना बढ़ी।

स्वतंत्रता के बाद, और विशेषतः पिछले कुछ दशकों में स्वैच्छिक प्रयासों का बहुआयामी विस्तार हुआ है। इस क्षेत्र में समाज कार्य में शिक्षित-प्रशिक्षित लोगों का प्रवेश हुआ है। इससे व्यावसायिक दृष्टिकोण समाहित हुआ। अनुसंधान, मूल्यांकन, सर्वेक्षण और विश्लेषण का सिलसिला शुरू हुआ। आजकल प्रोफेशनलिज्म का जमाना है, इसलिए सेवाभावी संस्थाओं में भी प्रोफेशनलिज्म आ जाए तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इस कारण यदि सेवा का भाव कम होता है और प्रोफेशन की बात ज्यादा बढ़ती है या सेवा का कार्य एक प्रोफेशन बनकर रह जाता है तो समझना चाहिए कि कहीं कोई दोष पैदा हो गया है। व्यावसायिक दृष्टिकोण के कारण सेवा की जमीनी कार्रवाई की गति कुठित नहीं होनी चाहिए। यदि व्यावसायिक दृष्टिकोण और स्वतंत्रता के दौरान विकसित

रचनात्मक आंदोलन के बीच तालमेल बन जाता है तो सामाजिक विकास की दृष्टि से बहुत उपयोगी और सार्थक होगा।

अनेक कमियों के बावजूद बहुत से ऐसे स्वैच्छिक संगठन आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में कार्य कर रहे हैं। इन संगठनों को न तो इस बात की चिंता है कि उनके कार्य को कोई मान्यता दे रहा है अथवा नहीं। उनके मन में न किसी पुरस्कार की कामना है, न ही कुछ पाने की भावना। वे तो समाज की पीड़ा से प्रेरित होकर सेवा के कार्य में जुटे हैं। समाज के अंतिम आदमी तक अपने कार्यों का लाभ पहुंचाना ही उनके जीवन का उद्देश्य है।

सरकार ऐसे स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहती है। हम ऐसे संगठनों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे कार्यक्रमों की नीति-प्रक्रिया के निर्माण व क्रियान्वयन में सहयोग दें। सरकार के कार्यक्रमों में ऐसे संगठनों की भागीदारी से समाज के उन वर्गों को लाभ पहुंचेगा जिनके लिए ये कार्यक्रम बने हैं। इससे जहां सरकार के कार्यक्रमों की विश्वसनीयता बढ़ेगी, वहीं स्वैच्छिक प्रयासों के प्रति आस्था का विस्तार होगा। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में होने वाला विलंब भी समाप्त होगा।

हमारा प्रयास है कि हम स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सामाजिक विकास की प्रक्रिया को तेज करें। सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि स्वैच्छिक संगठन सरकार के कल्याण कार्यक्रमों के पूरक के रूप में कार्य करें। जहां स्वैच्छिक संगठन सरकारी काम-काज में पारदर्शिता की मांग करते हैं, वहीं सरकार भी उनसे उनके काम-काज में पारदर्शिता की अपेक्षा रखती है। दोनों तरफ की पारदर्शिता से सहयोग और समन्वय का नया दौर शुरू होगा। हम चाहते हैं कि स्वैच्छिक संगठन जहां आवश्यक हो वहां सरकार की खामियों की ओर रचनात्मक संकेत भी करें। उनको दूर करने के लिए सहयोग व सुझाव दें। ऐसा होने पर ही हम मिल कर एक ऐसा समाज बना सकेंगे जिसकी कल्पना हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की गई।

इसमें कोई संदेह नहीं कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने स्वतंत्र भारत में स्वैच्छिक प्रयासों को सामाजिक विकास का माध्यम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वैच्छिक प्रयासों को गतिशील बनाया है। मुझे खुशी है कि बहन मृदुला सिन्हा ने समाज कल्याण बोर्ड के काम में नई गति प्रदान की है। इस कार्य के लिए सरकार केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को और अधिक शक्तिसंपन्न बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार समाज में स्वैच्छिक संगठनों के प्रति आस्था के विस्तार के लिए समाज कल्याण बोर्ड को हर संभव सहायता देगी।

मुझे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है। सेवाभावी संस्थाओं और सरकार के बीच परस्पर सहकारिता के संबंध में यह सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की समान भागीदारी

आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा अवसर है जब दुनिया के सभी देशों की महिलाएं एकता का भाव महसूस करती हैं, जब उनमें बहनत्व के रिश्ते की अनुभूति होती है। लेकिन यह दिन सिर्फ हमारी बहनो और माताओं के लिए नहीं है। यह पुरुषों के लिए भी है क्योंकि इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के पीछे जो कारण हैं, वह पुरुष से जुड़े हुए हैं।

यदि समाज में स्त्री को बराबरी का स्थान नहीं मिला है, यदि आज भी स्त्री भेदभाव, शोषण, अन्याय और अत्याचार का शिकार है तो इसका कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जिसके निर्माण में तथा जिसके बनाए रखने में पुरुषों की जिम्मेदारी ज्यादा रही है।

यह वास्तविकता सिर्फ भारत या कुछ गिने-चुने देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे संसार में व्याप्त है, जहां पुरुष-प्रधान समाज में नारी के लिए दायम स्थान है। इसीलिए, इस असमानता और अन्याय से युक्त वास्तविकता को बदलने के लिए दुनिया के सभी देशों की महिलाओं में एक जबरदस्त जागृति पिछले कुछ दशकों में आई है।

आजकल ग्लोबलाइजेशन का बोलबाला है। लेकिन यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक सीमित रही तो, मैं समझता हूँ कि समाज को उसका एकांगी लाभ होगा। लेकिन यह प्रसन्नता की बात है कि महिला जागृति का भी विश्वभर में विस्तार हो रहा है। इस जागृति और चेतनापुंज का नाम है- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देश तथा विश्वभर में आज हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों में भी इसी जागृति की झलक दिखाई देती है। मैं इस जागृति ज्योति को नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस ज्योति के प्रकाश से समाज में सभी महिला-विरोधी कुरीतियों का नाश होगा।

हमारे लिए नारी समानता तथा नारी सम्मान विदेश से आई हुई कल्पनाएँ नहीं हैं। भारतीय संस्कृति के ये मूल विचार हैं। यह संयोग की बात नहीं है कि भारतीय संस्कृति में धन, ज्ञान तथा बल तीनों की देवता स्त्रियाँ हैं— लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति।

स्वतंत्रता के बाद देश के संविधान में स्त्रियों को वे तमाम अधिकार दिए गए जिनकी वे पात्र थीं। प्रत्येक स्तर पर समता व समानता, अन्याय व शोषण से सुरक्षा व संरक्षण की गारंटी मिली। कुछ ही समय में सामाजिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी मौजूदगी का अहसास होने लगा। देश में विकास की नई प्रक्रिया शुरू हुई। अपनी क्षमता, सामर्थ्य और प्रतिभा के द्वारा स्त्रियों ने सिद्ध कर दिया कि उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से बाहर रखने के कारण ही देश पिछड़ा रहा।

पाताल की गहराइयों से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक मौजूद स्त्रियों ने अवसर मिलते ही, बंधनों के शिथिल पडने पर विकास का नया दर्शनशास्त्र रचना शुरू कर दिया। स्त्रियों ने ये उपलब्धियाँ किसी रियायत के द्वारा अर्जित नहीं कीं, बल्कि अपनी लगन, मेहनत और साहस से पाई हैं।



प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के उद्घाटन के अवसर पर, नई दिल्ली, 8 मार्च 2000

सरकार समाज के सबसे गरीब एवं कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सामाजिक सेवाओं के कार्यक्रमों और नीतियों के द्वारा मानव संसाधन विकास को हम सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि हम देश की स्त्रियों के विकास और सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

राष्ट्रीय संसाधनों तक स्त्रियों की पहुंच बढ़ाना और आर्थिक विकास की मुख्यधारा में उनका अधिकारपूर्ण स्थान सुनिश्चित करना एक सामयिक आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका से संबंधित सभी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा हेतु एक (विशेषज्ञ की अध्यक्षता में) कार्यदल का गठन करेगी। यह कार्यदल वर्ष 2001 को "महिला सशक्तीकरण वर्ष" के रूप में मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने में हमारी सहायता करेगा। वर्ष 2001 को "महिला सशक्तीकरण वर्ष" के रूप में मनाने से उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं पर निर्णायक प्रहार होगा। चेतना के प्रसार द्वारा सामाजिक रवैये को बदलने के लिए सघन प्रयास किए जाएंगे।

महिला सशक्तीकरण का बहुत गहरा और व्यापक अर्थ है। महिलाओं को बल प्रदान करने के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। गत 50 सालों में इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो सकते।

महिला सशक्तीकरण के कार्य में शासन की अहम भूमिका है। हमारी सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं और अनेक कदम उठाना चाहते हैं, इनमें से एक प्रमुख प्रयास है- महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन की वजह से पंचायती राज संस्थानों में एक-तिहाई आरक्षण महिलाओं को मिला है। इससे राजनीतिक और शासन-व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। अभी तक का अनुभव यही बताता है कि ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों तथा म्युनिसिपल संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने से बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। महिलाओं में नया आत्म-विश्वास जगा है। इतना ही नहीं बल्कि इन संस्थानों के कामकाज में भी सुधार आया है। इसके परिणामस्वरूप, स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं में महिला कार्यकर्ता और महिला नेताओं के एक व्यापक समूह का निर्माण हुआ है।

पंचायती राज में जो महिलाओं का आरक्षण हुआ है, उसके बारे में कभी-कभी ऐसे समाचार प्रकाशित हो जाते हैं जिनसे यह धारणा पैदा होती है कि यह प्रयोग सफल नहीं हुआ और महिलाएं अपने दायित्व का ठीक तरह से निर्वाह नहीं कर सकतीं। कहीं एकाध घटनाएं हुई होंगी, मैं नहीं जानता कि हुई हैं या नहीं हुई हैं, जहां पत्नी, पति के परामर्श से पंचायत को चलाने का प्रयास करती है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भी सलाहकार रखते हैं। अगर पति सलाह देने के लिए रखा जाता है तो इसमें किसको

कठिनाई है। लेकिन इसका प्रकाशन इस तरह से होता है कि महिला दयनीय है, महिला पर जबरदस्ती जिम्मेदारी थोप दी गई है, खुद तो चला नहीं सकती और पतिदेव अभी भी चला रहे हैं। यह धारणा ठीक नहीं है। यह प्रयोग बढ़ रहा है, लगातार सफल हो रहा है। और, इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है।

अब समय आ गया है कि इस केंद्र और राज्य के शासन में भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाएं। यदि महिलाएं पंचायतों और जिला परिषदों के उत्कृष्ट काम कर सकती हैं तो विधान सभाओं और संसद में क्यों नहीं कर सकती? कर रही हैं। मगर संख्या में कम हैं, संख्या बढ़नी चाहिए। आज विधान सभाओं और लोक सभा में उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन संख्या कम होते हुए भी अनेक महिला सदस्यों ने अपनी सामर्थ्य और योग्यता का अच्छा प्रदर्शन किया है। इस सदस्य में मुझे कुछ ही दिन पहले हमसे दूर चली गईं गीता मुखर्जी की याद आती है। अनेक सालों तक वे सांसद रहीं। वे महिलाओं के विषयों को उठाने के अलावा, विभिन्न सवाल पर बहुत सक्रिय ढंग से संसद के अंदर और बाहर काम करती थीं। मुझे जब गीता मुखर्जी और उन जैसी महिला सांसदों की याद आती है तो मुब्यतः उनके वे गुण अच्छे लगते हैं, जिनके कारण संसद की गरिमा बढ़ती है और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इसलिए मुझे विश्वास है कि यदि संसद और विधान सभाओं में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हो तो न केवल महिलाओं को न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे वे आज वंचित हैं, अपितु जनतंत्र की हमारी पूरी प्रणाली अधिक स्वस्थ और बलशाली बनेगी।

मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी राजनीतिक दलों से अपील करूंगा कि इस विषय में हमारी सरकार ने जो बिल संसद में पेश किया है, उसे वे अपना समर्थन दे और जल्द से जल्द उसे पास करने और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण को कानूनी रूप देने में अपना दायित्व निभाएं।

राजनीतिक सशक्तीकरण के अलावा, आर्थिक और सामाजिक तथा शिक्षा के क्षेत्रों में भी बहुत तेजी से परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यह काम शासन अकेले नहीं कर सकता। सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं, महिलाओं के खुद के संगठनों तथा समाज के सभी घटकों को मिलकर और मन में एक संकल्प बनाकर इस दिशा में एकजुट होकर काम करना होगा।

महिलाओं के विकास के लिए रोजगार, स्वरोजगार और उद्योग के अनेक अवसर पैदा किए जा सकते हैं, इसके लिए साधन की आवश्यकता तो है लेकिन साधन से भी अधिक समाज में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के प्रति समर्थन भावना जरूरी है। जब कभी उन्हें ऐसे अवसर प्रदान किए गए हैं महिलाओं ने उनका पूरी तरह से लाभ

उठाकर खुद के, अपने परिवार के तथा समाज के विकास में भी अपना हाथ बंटाय़ा है। उदाहरण के रूप में, केरल का कुदुम्ब श्री अभियान बहुत प्रसिद्ध हुआ है। इसके अंतर्गत हजारों महिलाएं माइक्रो क्रेडिट यानी छोटे-छोटे बैंकों के रूप में स्थानीय स्तर पर इसका प्रबंध करती हैं। इस तरह का प्रयोग बांगलादेश में भी बड़ी सफलता के साथ चल रहा है। मुझे खुशी है कि नाबार्ड और सिडबी ने मिलकर ग्रामीण क्षेत्र में 15 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के निर्माण की योजना बनाई है, जिससे मुख्यतः महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए प्राथमिकता दी जा सके। ऐसी संस्थाओं के द्वारा छोटे-छोटे और घरेलू उद्योगों में काम करने वाली ग्रामीण महिलाओं को काफी लाभ होगा।

शिक्षित महिलाओं के लिए भी रोजगार और उद्योग के नए-नए अवसर पैदा हो रहे हैं। वर्ग की बात है कि हमारी शिक्षित युवतियां मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में अग्रसर हो रही हैं। मैं चाहूंगा कि शासन और समाज दोनों मिलकर महिलाओं के लिए और नए अवसर ढूंढ कर दे। महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि न सिर्फ उन्हें रोजगार और उद्योग में समान अवसर और अधिकार प्राप्त हों बल्कि सभी क्षेत्रों में समान काम के लिए समान वेतन या मजदूरी के नियम का पालन हो। सरकारी क्षेत्र में तो इस नियम का पालन हो ही रहा है। आग्रह करूंगा कि सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं को निजी क्षेत्र में भी इस नियम के कार्यान्वयन के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

लडकियों की शिक्षा हमारे पूरे राष्ट्र के निर्माण की नींव है। खेद की बात है कि आजादी के 50 साल बाद भी महिला साक्षरता के काम में हम बहुत पीछे रह गए हैं। देश की आधी महिलाएं अभी भी निरक्षर हैं जबकि पुरुषों में साक्षरता का स्तर 35 फीसदी तक घट गया है। नारी शिक्षा सिर्फ समृद्धि से जुड़े होने का प्रश्न नहीं है। हमारे देश के कुछ समृद्ध प्रदेशों में भी महिला साक्षरता का स्तर बहुत कम है। इसके कारण सामाजिक बंधन और गलत रूढ़ियां हैं, जो बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखती हैं और यदि उन्हें प्राथमिक शिक्षा मिल भी जाए तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा के दरवाजे उनके लिए ये रूढ़ियां बंद रखती हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे रीति-रिवाजों के विरुद्ध जबरदस्त सामाजिक आंदोलन छेड़ा जाए। इनमें हमारी धार्मिक संस्थाएं तथा हमारे धर्माचार्य अहम् भूमिका निभा सकते हैं।

आज घर के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करना महिलाओं की जिम्मेदारी है। इनमें से पेयजल का प्रश्न एक है। पेयजल की व्यवस्था करने के लिए हमारे देहात की स्त्रियों को कठोर परिश्रम करना पड़ता है। बहुत से गांवों में तो वे भोर से पहले ही सिर पर मटके रखकर पानी के लिए निकल जाती हैं। हमारा प्रयास है कि स्त्रियों को

इस समस्या से मुक्ति मिले। हम ऐसा प्रावधान कर रहे हैं कि आने वाले पाच वर्षों में देश की सभी ग्रामीण बस्तियों को पीने का सुरक्षित जल मिले। इसके लिए हमने ग्रामीण विकास मंत्रालय में नया पेयजल आपूर्ति विभाग गठित किया है। हमने प्रस्तावित बजट में आगामी वर्ष के दौरान 60 हजार बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

- सरकार के ये प्रयास उसकी सामाजिक प्रतिबद्धता, विशेषत महिलाओं के प्रति उनके उत्तरदायित्व के सूचक हैं। मैं सभी प्रकार के शोषण से स्त्रियों की मुक्ति का समर्थक हूँ। मैं उनकी क्षमता के सृजनात्मक उपयोग का पक्षधर हूँ।

अंत में, मैं यह कहना चाहूँगा कि इक्कीसवीं सदी को भारत की सदी बनाना है तो हमें स्त्री शक्ति को जगाना ही होगा।

VII

अंतर्राष्ट्रीय मामले

कलकत्ता-ढाका बस सेवा आम जनता की सुविधा के लिए

मुझे खुशी है कि कलकत्ता और ढाका के बीच बस सेवा की इस उद्घाटन यात्रा के अवसर पर भारत से बंगलादेश आने वाले सभी यात्रियों का ढाका में स्वागत करने में महामहिम तथा गण्यमान्य अतिथियों के साथ मैं भी शामिल हूँ। यह वास्तव में दोनों देशों के लोगों के लिए हर्ष का अवसर है। इस सुविधा के लिए हम लंबे समय से योजना बना रहे थे और आज हम इसे फलीभूत होते देख रहे हैं। आप में से जिन लोगों ने यह ऐतिहासिक यात्रा पूरी की है, मुझे विश्वास है कि उनके लिए यह एक यादगार अनुभव था। क्षण भर यह सोचिए कि आपकी आज की इस यात्रा का क्या महत्त्व है।

हमारे दोनों देशों के बीच सीमा चौकियों पर प्रति वर्ष कई लाख लोग आर-पार जाते हैं। उनकी यात्रा महगी बैठती है। सीधी सेवा के अभाव में यात्रियों को अपने सामान के साथ पैदल सीमा पार करनी पड़ती थी। मुझे आशा है कि आज की यह उद्घाटन यात्रा, हमारे दोनों देशों के लोगों के लिए ऐसी ही अनेक अन्य सुविधाओं की शुरुआत साबित होगी। हमारे यात्रियों में बड़ी संख्या में छात्र, रोगी, व्यापारी, तीर्थयात्री, पर्यटक और ऐसे लोग शामिल होते हैं जो कभी हमारी साझी सीमा के दूसरी ओर रहते थे और जो अब भी अपने परिवारजनों और मित्रों के सान्निध्य और स्नेह का लाभ उठाने के लिए बंगलादेश और भारत के बीच आते-जाते रहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वर्षों में, बंगलादेश सरकार के सहयोग से दोनों देशों के अन्य गंतव्य स्थानों के बीच यात्रा के इच्छुक लोगों के लिए इस तरह की सुविधाएं आरंभ की जा सकेंगी। यह तो उचित ही है कि कलकत्ता और ढाका के बीच बस सेवा की शुरुआत हमने की है लेकिन दोनों के बीच सड़क-संपर्क को बढ़ावा देने के लिए हम अभी और बहुत कुछ कर सकते हैं।

इस सेवा का शुभारंभ, भारत और बंगलादेश के बीच जारी कार्यसूची का एक पड़ाव है। सरकार के स्तर पर हम बहुत से ऐसे छोटे-बड़े मुद्दों पर विचार करते हैं जिनसे दोनों देशों की जनता प्रभावित होती है। हम संस्कृति को प्रोत्साहन देते हैं, हम व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं और हम सीमा-प्रबंध बेहतर बनाने पर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। हम अपनी साझी नदियों के उपयोग के सही तौर-तरीके ढूंढने के लिये बैठके करते हैं और अध्ययन संचालित करते हैं। हम नशीले पदार्थों, सीमा पार

के अपराधों, कानून-व्यवस्था और विद्रोह जैसी समस्याओं पर भी विचार-विमर्श करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने दोनों देशों के अच्छे संबंधों की चर्चा करते हैं, तो भारत सरकार को भारत और बांग्लादेश की जनता के बीच बहुत बड़े पैमाने पर जारी पारस्परिक व्यवहार से बहुत प्रोत्साहन मिलता है।

हमारी बहुत-सी समस्याएँ एक जैसी हैं और हमारी विरासत भी काफी हद तक एक है। चाहे वह भाषा, साहित्य हो या संगीत और कला। लेकिन इसके साथ ही हम दो अलग-अलग सभ्रमुतासंपन्न स्वतंत्र देश भी हैं, जिनके बीच ऐसा सद्भाव तथा समझ बूझ है, जिसके आधार पर हम द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से पेचीदा समस्याओं को हल करने में समर्थ हैं। इसी दृष्टिकोण के फलस्वरूप हम गंगा के पानी के बंटवारे के बारे में ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर कर सके। हमें विश्वास है कि हमारे दोनों देशों के संबंधों में सद्भाव और मैत्री का ऐसा ही दृष्टिकोण बना रहेगा।

हमारे यात्रियों ने आज का अधिकांश दिन बंगलादेश में गुजरते हुए बिताया है। मानसून के आगमन की सूचना देने वाले आषाढ़ मास के बारे में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा कि कैसे आषाढ़ के मेघों की छाया कदंब वन के आसपास खेलती है और पियाल



कलकत्ता - ढाका बस सेवा शुरू होने पर प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ, ढाका, 19 जून 1999

के वृक्ष हवा में झूमते नाचते हैं। गुरुदेव के शब्दों में :

कदम्बेरी कानन घेरी
आषाढ मेघेर छाया खेले,
पीयालगुली नाटेर ठाटे
हवाए हेले।

आगामी वर्षों में संभवतः सामान्य जन के लिए और अधिक सड़क व रेल सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। परिवहन-संपर्क के क्षेत्र में भविष्य में जो कुछ भी हो, भारत और बंगलादेश के लोग आज की इस यात्रा और इन यात्रियों को सदा याद करेंगे कि यही वे लोग हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया का शुभारंभ किया था। आप की यात्रा भोर में शुरू हुई थी। मैं जानता हूँ कि इस समय आप थके हुए होंगे और आराम करना चाह रहे होंगे। मैं बंगलादेश की प्रधानमंत्री और सरकार के प्रति अनुगृहीत हूँ कि उन्होंने इस आनंदवर्द्धक समारोह में शामिल होने के लिए मुझे ढाका आमंत्रित किया।

कम्बोडिया के साथ संबंधों का विशेष महत्त्व

आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्वागत करते हुए मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। भारत में आपके सुखद प्रवास की मैं कामना करता हूँ। आप भारत के लिए नये नहीं हैं और सैकड़ों वर्षों के व्यापार तथा वाणिज्य, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के इतिहास से परिचित हैं, जो कि हमारे देशों को जोड़ता है। आज जब हम तीसरी सहस्राब्दि में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ पीछे पलट कर देखना और याद करना लाभदायक होगा। हजार वर्ष पहले अंगकोर नगर, दक्षिण-पूर्व एशिया का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यावसायिक केन्द्र था, जिसके साथ भारत के गहरे और नागरिक संबंध थे।

हाल के दिनों में भी भारत और कम्बोडिया में विश्वास और आपसी सम्मान के आधार पर दोस्ताना संबंध रहा है। इन संबंधों का सिलसिला गुटनिरपेक्ष आंदोलन की

कम्बोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के सम्मान में आयोजित भोज के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 18 फरवरी 2000

शुरूआत में जुड़ा हुआ है। इस आंदोलन के संस्थापक सदस्यों— जवाहर लाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीटो और अब्दुल जमाल नासिर के गुजर जाने के बाद राजकुमार नरोदम सिहानुक इसके जीवत मिसाल बने हुए हैं।

आसियान देशों में आर्थिक संकट की समाप्ति से हमें 'लुक ईस्ट' नीति पर नये सिरे से जोर देने का अवसर मिला है। हमें खुशी है कि यह मौका ऐसे समय मिला है, जब कम्बोडिया आसियान परिवार में शामिल हो गया है। हम आसियान की विभिन्न परियोजनाओं और पूर्ण वार्ताकार सहयोगी के अपने मौजूदा स्तर में कम्बोडिया द्वारा भारत को दिये समर्थन को महत्व देते हैं। आसियान क्षेत्रीय मंच इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थायित्व के मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देने तथा परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कम्बोडिया की तरह ही भारत भी सामूहिक विनाश के सभी-परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि— सी टी बी टी, परमाणु अप्रसार



प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी कम्बोडिया के प्रधानमंत्री सामदेक हुन सेन का स्वागत करते हुए, नई दिल्ली 18 फरवरी 2000

संधि और परमाणु निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर कम्बोडिया द्वारा हमारे दृष्टिकोण को समझने और उसको समर्थन देने के लिए भी हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं।

भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंध और सार्क के ढांचे के तहत अधिक सहयोग चाहता है। भारत यह भी चाहता है कि बिस्मटेक और आई.ओ.आर.-ए.आर.सी जैसे क्षेत्रीय गुटों के बीच संस्थागत वार्तालाप तेजी से हो, ताकि विकासशील देश विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र में और मजबूती से अपनी आवाज उठा सकें। सीमा पार से होनेवाली आतंकवादी गतिविधियों सहित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसी बुराई के खिलाफ संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है, ताकि हमारे लोग बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और ऐसे अनेक मुद्दों पर एकाग्रता से ध्यान दे सकें।

कम्बोडिया की तरह ही भारत भी एक विकासशील देश है। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, मछली पालन, रेलवे, संचार, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा से संबंधित प्रौद्योगिकियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों पर गौरवान्वित हैं। हमने तकनीकी मंच के साथ ही कार्यकलाप स्तर पर भी अपनी क्षमताएं विकसित की हैं, जो कि हमारी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की स्थितियों के लिए उपयुक्त है। स्वाधीनता के बाद से ही हमने जो नीति अपनाई है, उसमें उच्च कौशल वाले वैज्ञानिक तथा तकनीकी लोगों को विकसित करना शामिल रहा है और इससे हमें काफी फायदा हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में इससे हमें और भी लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस और इस जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत सरकार कम्बोडिया सरकार के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता बांटने को तैयार है।

मैं समझता हूँ पिछले वर्ष से स्थायित्व की बहाली के बाद आपके देश की पौराणिक सभ्यता के गौरव के कारण पर्यटन को बढावा मिलने लगा है। मुझे खुशी है कि भारत सरकार के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम-आईटेक के जरिये हम इस प्रक्रिया में भी आपको सहयोग दे सकते हैं। 1987 में अंगकोर वाट मंदिर की मरम्मत और उसके संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग से हमने पुरातत्त्वविदों, इंजीनियरों, रसायन वैज्ञानिकों, सर्वेक्षकों, राज मिस्त्रियों और पत्थरों की कटाई करने वालों का एक समर्पित दल भेजा था। उस ऐतिहासिक इमारत को पारंपरिक गौरव दिलाने के लिए अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में इस दल ने लगातार सात वर्षों तक काम किया। मुझे पता चला है कि उन लोगों ने कम्बोडिया के कारीगरों को भी संबंधित संरक्षण तकनीक में प्रशिक्षित किया, ताकि वे खुद कुछ आवश्यक कार्य कर सकें। मुझे यह जानकर खुशी है कि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग ने जो काम किया यूनेस्को और कम्बोडिया सरकार ने उसकी सराहना की है।

महोदय हम आपकी यात्रा से काफी सम्मानित हुए हैं, जो कि भारत और कम्बोडिया के बीच वर्षों पुराने दोस्ताना संबंध को दर्शाता है। आज शाम हम लोगों ने जो बातचीत और विचारो का आदान-प्रदान किया है उससे भी हमारे दोनों देशों के बीच संबंध बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब मैं मित्रतापूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने, आप और आपके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य तथा कम्बोडिया के लोगो की समृद्धि की कामना करता हूं।

सांस्कृतिक मूल्यों की एकरूपता

नई सहस्राब्दी के आपके पहले स्वाधीनता दिवस समारोह के लिए ऐतिहासिक अवसर पर आप और मॉरीशस के लोगों के साथ यहा उपस्थित होकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं।

प्रधानमंत्री महोदय, आपके निमंत्रण से मुझे काफी सुखद अनुभव हुआ है। वास्तव में आपका निमंत्रण और इस ऐतिहासिक अवसर पर यहा मेरी मौजूदगी दोनों देशों के बीच संबंधों की गहराई को दर्शाता है।

भारत में हम एक समृद्ध देश, एक शांतिपूर्ण समाज और एक सक्षम लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण में आपकी सफलता पर खुश होते हैं। इन उपलब्धियों की आज जब हम खुशियां मना रहे हैं, तो मुझे उन लोगो की याद आ रही है, जिन्होंने संघर्ष किया और बलिदान दिया तथा यह सब संभव बनाया। इन सबसे ऊपर मैं समझता हू कि स्वाधीनता और मॉरीशस की प्रगति के लिए जीवनपर्यंत समर्पण की एक व्यक्ति की भावनाएं हमेशा स्वर्णिम अक्षरो में लिखी जाएगी।

प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपके यशस्वी पिता सर शिवसागर रामगुलाम की बात कर रहा हूं। साझे आदर्श और आकाक्षाओं से उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई को प्रेरणा मिली। इसे इस सच में देखा जा सकता है कि सर शिवसागर रामगुलाम महात्मा गांधी से प्रभावित थे। हम यह वजह जानते हैं कि आप क्यो 12 मार्च को स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। 70 वर्ष पहले 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपना विख्यात दाडी मार्च शुरू किया था। सत्याग्रह के जरिए ब्रिटिश शासन को उन्होंने जिस तरह चुनौती दी वह

मॉरीशस के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित भोज के अवसर पर दिया गया भाषण, पोर्ट लुई, 10 मार्च 2000

एक व्यक्ति के आदर्श के प्रति साहस और स्वाधीनता तथा समानता के आदर्शों द्वारा लोगों के प्रेरित होने की सामूहिक शक्ति का परिचायक बना रहेगा।

इस प्रेरणा से असंख्य पुरुषों और महिलाओं को मेरे और आपके देश में स्वाधीनता के लिए संघर्ष में शामिल होने की प्रेरणा मिली। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उन बहादुर बलिदानी और दूरदृष्टि रखने वाले पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने हमारे देशों को औपनिवेशिक अत्याचार से मुक्ति दिलाई।

प्रधानमंत्रीजी, हमारे दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों की जड़ें साझा जातीय, धर्म और भाषा के संपर्कों तथा विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों की एकरूपता में हैं। एक खुले समाज के लिए हमारे आग्रह में स्वाधीनता, न्याय, मुक्ति और समानता के बुनियादी मूल्यों की गूंज है, जिससे यह संबंध और मजबूत हुआ है। संबंधों की इसी प्रगाढ़ता के कारण हमने अनेक मुद्दों में सहयोग किया है और अपने आर्थिक संबंध बनाए हैं, हमारे व्यापार बढ़ रहे हैं। हम निवेश के नए क्षेत्रों का पता लगा रहे हैं। हम नए सयुक्त उद्यमों की स्थापना के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं।

लोकतंत्र के प्रति हमारी वचनबद्धता के कारण हम एक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समानता पर आधारित विश्व के बारे में सहमत हैं। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर के तटीय देशों के संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर हम साझे एजेडे का अनुमोदन करते हैं। मॉरीशस ने हमारी चिंता के मुद्दों पर जिस तरह लगातार समर्थन दिया है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। इस अवसर पर हम अपना यह वचन फिर दोहराते हैं कि कागोस आर्चपिलागो के ऊपर मॉरीशस की सप्रभुता को लगातार समर्थन मिलता रहेगा।

आज जबकि हम नई सहस्राब्दि के अवसर पर जमा हुए हैं, हमें नए खतरों के प्रति भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। आतंकवाद खुले और लोकतांत्रिक समाज के लिए एक बड़ा खतरा बना गया है।

आवश्यकता इस बात की है कि हम शांति और स्थायित्व के इस खतरे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहमति मजबूत करने के लिए मिलकर काम करें। हमें उन बलों पर भी नजर रखनी है, जो हमारे धर्मनिरपेक्ष समाज को बांटना चाहते हैं।

लोकतंत्र हमारा जीवनरक्त है। यह आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति का बढ़िया संरक्षक है। विश्व के किसी भी भाग में लोकतांत्रिक आकांक्षाओं पर हमले का प्रयास वास्तव में लोकतंत्र पर खतरा है। अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो इस खतरे को हटाना होगा।

प्रधानमंत्री महोदय मॉरीशस की लगातार सफलता में आपके अपने योगदान की

चर्चा किए बगैर मैं अपनी बात खत्म नहीं करूंगा। आपके नेतृत्व में मॉरीशस ने सफलता की नई ऊंचाइयां तय की हैं। हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत बनाने में आपकी व्यक्तिगत भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यह सहस्राब्दि स्वाधीनता दिवस आपके देश के गौरव में एक और मील का पत्थर साबित हो। मॉरीशस हमेशा हिंद महासागर में एक रत्न की तरह चमकता रहे। हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता जारी रहे और बढ़े।

सम्मानित व्यक्तियों, माताओं, भाइयों और बहनो अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे साथ प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम तथा श्रीमती रामगुलाम के स्वास्थ्य और खुशी की कामना करें।

- मॉरीशस के लोगों की शांति, समृद्धि और खुशहाली तथा कभी न समाप्त होने वाली भारत-मॉरीशस मित्रता की कामना।

निर्धनता-उन्मूलन के लिए विश्व-पहल की आवश्यकता

मैं इसे एक विशेषाधिकार समझता हूँ कि मॉरीशस विश्वविद्यालय ने मुझे सम्मानित करने के लिए डाक्टर आफ सिविल-ला की मानद उपाधि दी है। मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे सम्मान देने से भी अधिक यह उपाधि भारत और मॉरीशस के बीच सघन मित्रता व प्रेम के प्रति एक प्रशस्ति है।

मेरे लिए मॉरीशस आना घर आने जैसा है। वास्तव में मैं भारत में अपनी व्यस्तता को देखते हुए आपके खूबसूरत देश के प्रशांत परिवेश में ज्यादा सहज अनुभव करता हूँ।

अभी-अभी हमने एक नई शताब्दी व नई सहस्राब्दी में प्रवेश किया है। आज हम सब यहां इतिहास के एक युग से दूसरे युग में पारगमन के साक्षी बनकर इस अनोखे विशेषाधिकार के हिस्सेदार बन रहे हैं। जिस शताब्दी को हमने अभी पीछे छोड़ा है, वह कई अर्थों में मानवता के इतिहास का नया मोड़ था। उपनिवेशवाद की समाप्ति और एकदलीय आदर्शों की समाप्ति से एक ऐसे खुले समाज का आविर्भाव हुआ है जो स्वतंत्रता,

समानता व न्याय के उदात्त आदर्शों से संचालित है। विध्वंसक युद्धों ने मानव की चिरस्थायी शांति चाहने की ललक को पुनः पुष्ट किया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में असाधारण छलाग ने ज्ञान की नई सीमाओं की विजय और मानव-मेघा की विजय को अंकित किया है। जिन विस्तृत दूरियों ने राष्ट्रों को अलग कर दिया था, उन्हें उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था ने मिटा दिया है।

पिछली शताब्दी के अंतिम वर्षों में 'वैश्विक गांव' का स्थान डिजिटल संसार ने ले लिया जो ज्ञान-क्रांति के शिखर पर खड़ा है और जो नई शताब्दी के आने वाले वर्षों में हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। कुछ दशकों पूर्व ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था।

पिछली शताब्दी में हुए विकास के लाभों को कम नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र ने कुछ अपवादों को छोड़कर दुनिया के सभी कोनों में अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। भेदभाव अब किसी भी सरकार की सरकारी कार्यसूची में नहीं रहा। समाज अब ज्यादा उदार हैं और स्वतंत्रता ने व्यक्तियों को समाज में अधिक शक्तिशाली बनने की ओर प्रेरित किया है।

लेकिन साथ ही साथ आर्थिक भूमंडलीकरण के हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में चितित कर देने वाले प्रभाव भी हैं जिससे स्वाभाविक तौर पर वास्तविक चिंताएँ बढ़ी हैं। वास्तव में आर्थिक भूमंडलीकरण के एक मुख्य मामले ने देश के भीतर और देशों के बीच, दोनों में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता को जन्म दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार संपन्न देशों की आबादी के पांचवें भाग और गरीब देशों की आबादी के पांचवें भाग के बीच यह आर्थिक अंतराल 1960 से बीसवीं सदी के अंतिम वर्ष तक दुगुने से ज्यादा हो गया है।

चिंता का एक अन्य क्षेत्र है विकासशील देशों पर ऋण का बोझ। यह बोझ हर साल बढ़ता है क्योंकि वर्तमान ब्याज की अदायगी के लिए ऋणों के नए समझौते किए जाते हैं। परिणामस्वरूप विकासशील देशों से धन का निरंतर बहाव विकसित देशों की ओर होता रहता है।

यह बड़ी विडंबना है कि जबकि भूमंडलीकरण और अर्थव्यवस्थाओं के खुलने से यह माना जाता है कि इससे प्रतियोगिता और व्यक्तियों के चुनाव की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा परंतु हाल के वर्षों में हमने देखा है कि बड़ी कंपनियाँ विलय और अधिग्रहण में संलिप्त हैं जो कि भूमंडलीकरण युग से पहले संभव नहीं था। इन नए मेगा-निगमों के उदय ने प्रतियोगिता और चुनाव की स्वतंत्रता दोनों को जोखिम में डाल दिया है और यह

तथ्य भी कम चिंता का विषय नहीं है कि इन विशाल भूमंडलीय निगमों के पास इतनी आर्थिक शक्ति है कि यह राष्ट्रों की अधिनियमन शक्ति को क्षीण कर देगी और व्यक्तियों के अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के अधिकारों को कुचल डालेगी।

जबकि उपनिवेशवाद के उत्तरार्द्ध ने समानतावादी विश्व-व्यवस्था की प्रत्याशा दी थी और भूमंडलीकरण द्वारा राष्ट्रों के बीच आर्थिक समानता सुनिश्चित होनी थी परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। भूमंडलीकरण-उत्तरार्द्ध की जिस असमान दुनिया में हम रह रहे हैं, उसमें असमानता बढ़ती जा रही है। दो सौ पचास वर्ष पहले अति धनाढ्य देश अतिनिर्धन देशों की तुलना में केवल पांच गुने धनी थे और यूरोप, भारत व चीन से केवल दोगुना धनी था। 1976 में स्विट्जरलैंड, मोजाम्बिक से बावन गुना धनी था और 1997 में यह पांच सौ आठ गुना धनी हो गया। इस बढ़ती हुई असमानता ने बढ़ती हुई गरीबी को जन्म दिया है।

गरीबों की संख्या-और मैं अति सवेदनशील, सीमांत गरीबों की ओर निर्देश कर रहा हूँ- बढ़ी है। यह बढ़ती ही जा रही है।

यदि दुनिया के चार मनुष्यों में से एक मनुष्य घोर गरीबी में जी रहा है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत है। अकेले दक्षिण एशिया में 50 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे हैं। इस तथ्य से स्थिति और भी खराब होती जा रही है कि विकासशील देश अपने घटते हुए ससाधनों-प्राकृतिक और आर्थिक दोनों के कारण अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में उत्तरोत्तर कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं।

राष्ट्रों में और राष्ट्रों के बीच आर्थिक असमानता को दूर करना उन चुनौतियों में से एक है जिसका विकासशील देशों को इस नई शताब्दी में मुकाबला करना है। विकासशील देश, जहाँ आर्थिक निर्धनता, सांस्कृतिक संपन्नता के ठीक विपरीत है, इस चुनौती का मुकाबला निर्धनों को संपन्न बनाकर कर सकते हैं। प्राथमिक तौर से स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरियों व निर्णय करने में उन्हें योग्यता देकर प्राप्त किया जा सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक विकास में निर्धनों को भी सहभागी बनाया जाए। साथ ही साथ हमें राष्ट्रों के मध्य की असमानता को भी दूर करने का प्रयास करना होगा।

विकसित देशों को चाहिए कि वे अपने बाजारों में विकासशील देशों को भी प्रवेश दें। अब समय आ गया है कि श्रम के बहाव का व्यापार तथा पूँजी-निवेश की गति के साथ तालमेल न होने की गुत्थी को सुलझाया जाए। विकसित देशों द्वारा अभ्यसित संरक्षणवाद उस दूरी को और बढ़ाएगा जो संपन्नों को निर्धनों से अलग करती है। हमें

इस बात की भी आवश्यकता है कि गरीबी-उन्मूलन के लिए भूमंडलीय पहल के बारे में भी विचार करें। भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में गरीबी-उन्मूलन केवल व्यक्तिगत राष्ट्रों का संपूर्ण उत्तरदायित्व नहीं माना जा सकता। इसलिए निर्धनता के विरुद्ध एक नई भूमंडलीय रणनीति की आवश्यकता है।

भारत में हमारे अनुभव ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि आर्थिक-सामाजिक प्रगति वास्तव में प्रजातंत्र और खुले समाज से जुड़ी है। जबकि दुनिया में अन्यत्र असहनशीलता के लक्षण दिखाई देते हैं और अनेक समाज धर्मान्धता और पृथकतावाद के पीछे लौट गए हैं। भारत में हमें एक धर्म में और धर्मों के बीच, भाषाई और धार्मिक समुदायों में समन्वित संबंध बनाने के लिए प्रजातांत्रिक मनोवृत्ति का सहारा लिया है। यहां मैं इस विचार पर बल दे रहा हूँ कि प्रजातंत्र और प्रगति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

एक प्रजातांत्रिक, बहुआयामी और उदार (खुले) समाज वाला राष्ट्र भारत चाहता है कि विश्व-व्यवस्था बहुआयामी और प्रजातांत्रिक रूपों में गढ़ी जाए। इसलिए भारत ने हमेशा विश्व-संगठनों में कमजोर वर्गों की आवाज को मुखरित किया है। हमने विश्व-व्यवस्था में समानता और निष्पक्षता के मूल महत्त्व को दृढ़ता से प्रोत्साहित किया है, जहां अबल और सबल, श्वेत व अश्वेत, निर्धन और संपन्न दोनों हैं। यही कारण है कि हम संपन्नों के संरक्षणवाद के विरुद्ध हैं। हम इस प्रवृत्ति का भी विरोध करते हैं कि व्यापार और निवेश को श्रम मानदंडों, बुद्धिजीवी संपत्ति अधिकारों, मानवाधिकार और वातावरण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में पक्षपाती, राजनैतिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्रोत्साहित किया जाए।

और जबकि हम भूमंडलीकरण की शक्तियों को मान्यता देते हैं तो इस बात से भी नहीं हिचकिचाते कि व्यक्तिगत राष्ट्रों के मूल्यों के सम्मान व अग्रता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

परंपरागत मूल्य और सांस्कृतिक पहचान वे सहज गुण हैं, जिन्होंने विश्व को समरूप बनने से बचाया है, राष्ट्रों को पृथक विशिष्टताएं प्रदान की हैं और इस प्रकार भूमंडलीय समाज को अधिक संपन्न बनाया है। इस बहुआयामवाद को अब बाजार-मूल्यों से खतरा पैदा हो गया है और यह खतरा उत्तरोत्तर व्यापक होता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा देश और विशेष तौर पर वे देश जिनका सांस्कृतिक इतिहास अनेक सहस्राब्दियों का है- इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जिसे हम 'भूमंडलीय व्यापार आधारित मूल्यों', और 'सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विशिष्टताओं पर आधारित स्थानीय मूल्यों' के बीच टकराहट कहते हैं।

इस टकराहट को दूर करने की आवश्यकता है और परंपरागत मूल्यों को उन बाजार के मूल्यों से बचाने की आवश्यकता है जिनका अमानवीय और असवेदनीय प्रभाव है क्योंकि ये भौतिक संपत्ति और संपूर्ण सामाजिक उत्थान के बदले व्यक्तिगत उत्थान पर ज़रूरत से ज्यादा बल देते हैं।

अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि प्रजातांत्रिक व उदार समाज को आतंकवाद से खतरा है जिसे यदि न रोका गया तो यह इक्कीसवीं शताब्दी का अनर्थ बनेगा। आतंकवाद उदार समाज के लिए चिता का सबब है और इससे शांति, स्थिरता तथा सुरक्षा को खतरा है। यह तथ्य कि यह मादक द्रव्यों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, पूजा-श्रवतीकरण व धार्मिक हठधर्मी से जुड़ा है- इसे पहले से ही अधिक खतरनाक बना देता है।

आतंकवाद के अनर्थ को सगठित व सयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। हम जानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मॉरीशस हमारे साथ है। आतंकवाद को रोकने के लिए भी भूमंडलीय रणनीति की आवश्यकता है।

आपके महान देश के साथ हमारी मित्रता का बंधन ऐतिहासिक और भरोसे का दोनों ही है। मॉरीशस के आर्थिक चमत्कार से हमें बड़ी प्रसन्नता है। हम आपके प्रजातांत्रिक और बहुआयामी समाज को मानते हैं। हम जानते हैं कि हमारी तरह आप भी उन खतरों से सावधान हैं जो आपकी बहुवर्णीय उपलब्धियों और चुनी हुई जीवन-शैली को हैं।

मैं एक बार फिर मॉरीशस विश्वविद्यालय को मुझे दिए गए सम्मान के लिए धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी व विशिष्ट अतिथियों का मैं पुनः आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे कुछ विचारों को बाटने का अवसर दिया।

दो बड़े लोकतंत्रों के बीच स्थायी सहभागिता जरूरी

राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत में अगवानी करते हुए मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। उनकी यात्रा से हमे अपने संबंधों में ऐतिहासिक बदलाव के लिए एक अद्वितीय अवसर उपलब्ध हुआ है। हमने एक अत्यंत रचनात्मक बैठक अभी-अभी संपन्न की है। राष्ट्रपति क्लिंटन और मैंने अनेक मुद्दों पर गहराई से विचारों का आदान-प्रदान किया है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भी व्यापक बातचीत की है।

हमारी बातचीत गर्मजोशी से, दोस्ताना माहौल में और निष्पक्ष ढंग से हुई है, जो आपसी विश्वास और सम्मान के आधार पर नए संबंध बनाने की हमारी साझा इच्छा का परिचायक है। हमारा लक्ष्य विश्व के दो बड़े लोकतंत्रों के बीच एक स्थायी, राजनीतिक रूप से रचनात्मक और आर्थिक रूप से लाभदायक सहभागिता का निर्माण है।

मेरा विचार है कि राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा और आज की बैठक के बाद हमने भविष्य के लिए एक ठोस आधार की बुनियाद रख दी है।

राष्ट्रपति क्लिंटन और मैंने अभी-अभी एक विशेष वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वक्तव्य में 21वीं शताब्दी में हमारी सहभागिता की रूपरेखा और विषय वस्तु की व्याख्या है। हम दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि हमारे संबंधों का सुदृढ़ आधार, लोकतंत्र के सिद्धांतों और व्यवहार के प्रति हमारी वचनबद्धता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि तथा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए हमारे सहयोगात्मक प्रयास होने चाहिए।

एक व्यापक बातचीत के ढांचे की स्थापना के बारे में भी हम सहमत हुए हैं। हमारे व्यापार और वैज्ञानिक समुदायों के बीच निकट संपर्कों को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा और पर्यावरण में सहयोग करेंगे तथा अपने लोगों की बेहतरी के लिए प्रतिभा के विशाल भंडार, खासतौर से सूचना टेक्नोलॉजी और अग्रणी विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करेंगे।

आतंकवादी हिंसा के बढ़ते खतरे और धार्मिक कट्टरवाद से इसके संपर्क तथा नशीले पदार्थों के गैरकानूनी व्यापार के प्रति भी हम साझा तौर पर चिंतित हैं। हम दोनों ने ही हिंसा के किसी भी रूप के इस्तेमाल का कडा विरोध किया है- चाहे इस हिंसा का

इस्तेमाल किसी लोकतांत्रिक समाज के खिलाफ आतंक के यंत्र के रूप में हो अथवा भौगोलिक आकांक्षा की पूर्ति के साधन के रूप में। मासूम लोगों के खिलाफ इस तरह के तरीकों के इस्तेमाल को किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के हमने संकल्प व्यक्त किए हैं।

राष्ट्रपति क्लिंटन और मैंने निरस्त्रीकरण और सामूहिक विनाश के हथियारों के अप्रसार के मुद्दों पर बहुत ही साफ बातचीत की है। इन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच जो बातचीत चल रही है, उससे एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति आपसी समझ बढ़ी है।

मैंने राष्ट्रपति क्लिंटन को उन कारणों के बारे में बताया है जिनकी वजह से हमें न्यूनतम परमाणु हथियार रखने के लिए बाध्य होना पड़ा है। मैंने और परमाणु परीक्षण न करने, परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल न होने और किसी देश के खिलाफ पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

हमने अपनी बातचीत जारी रखने और अन्य देशों के साथ सहयोगात्मक तरीके से काम करने का संकल्प लिया है, ताकि सामूहिक विनाश के सभी हथियारों के खतरे से



प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी और अमरीका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन भारत-अमरीकी संबंधों के बारे में दस्तावेजों का आदान-प्रदान करते हुए, नई दिल्ली, 21 मार्च 2000

पूरी तरह मुक्त एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित विश्व का निर्माण हो सके।

क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा में मैंने अच्छे पड़ोसी के संबंधों के बारे में स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप अपने सभी पड़ोसियों के साथ दोस्ताना और सहयोगात्मक संबंध विकसित करने, एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और समझौतों के आधार पर संबंध बनाए रखने की अपनी नीति दोहराई है।

भारत अपने पड़ोसियों के साथ सभी मतभेदों को शांतिपूर्वक द्विपक्षीय बातचीत और किसी तरह की जोर जबर्दस्ती तथा हिंसा के खतरे से मुक्त वातावरण में हल करने के प्रति वचनबद्ध रहेगा। हम इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्र के देशों के बीच की समस्याएँ संबंधित देशों द्वारा ही शांतिपूर्वक हल की जानी चाहिए।

21वीं शताब्दी में सहभागिता के अपने एजेडे को लागू करने के साधन के तौर पर हम निरंतर शिखर बैठकें करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति क्लिंटन ने मुझे वाशिंगटन आमंत्रित किया है। मैं इसे स्वीकार करते हुए खुश हूँ।

अगले कुछ दिनों में राष्ट्रपति क्लिंटन को हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक भाषायी और धार्मिक विविधता देखने, हमारे लोगों की गर्मजोशी और उनकी दोस्ती का अनुभव करने, हमारे समाज की कोमलता और आधुनिकता का जायजा लेने तथा इस विशाल राष्ट्र की लोकतांत्रिक भावना को महसूस करने का मौका मिलेगा। मैं राष्ट्रपति क्लिंटन और उनके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के भारत में सुखद प्रवास की कामना करता हूँ।

अंत में मैं जम्मू-कश्मीर में कल हुई दिल दहला देने वाली घटना पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ। कल रात जम्मू-कश्मीर में 36 सिकखों की नृशंस हत्या उस जातीय नरसंहार का एक और प्रमाण है जो पिछले एक दशक से जारी है और हमें पहले भी इसका कड़वा अनुभव हो चुका है। पिछले वर्ष लाहौर की मेरी यात्रा के दौरान भी ऐसा हुआ। राष्ट्र और सभी सभ्य समाज इस जघन्य और पूर्व नियोजित हत्याकांड से घोर अपमानित महसूस कर रहा है और उन्होंने इस कार्रवाई की निंदा की है।

जेहाद के नाम पर आतंकवाद की ऐसी कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है। हम और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस धारणा को नामंजूर करता है कि जेहाद किसी भी सभ्य देश की विदेश नीति का हिस्सा हो सकता है।

हमारे समाज की धर्मनिरपेक्ष एकता की सुरक्षा के प्रति भारत के लोगों के संकल्प के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पहले भी हमने मिलकर इस तरह की सभी चुनौतियों का सामना किया है और करेंगे। इस बुराई को समाप्त करने के लिए हमारे पास साधन और संकल्प दोनों हैं।

भारत-अमरीकी संबंधों की गतिशील शुरुआत

राष्ट्रपति जी, आपके विचारोत्तेजक संबोधन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र के बारे में आपने जो कुछ कहा है, उसने मेरी कई व्यक्तिगत स्मृतियों को ताजा कर दिया है। आज से 45 वर्ष पहले मैंने लोकसभा सदस्य के रूप में पहली बार इस संसद में प्रवेश किया था। मैं विपक्ष की कुर्सी पर बैठता था और अपने महान लोकतंत्र के उन मूल्यों और परंपराओं का अवलोकन किया करता था जो हमारे संस्थापकों के मार्गदर्शन में स्थापित किए जा रहे थे।

हमारे संस्थापकों ने जिन परंपराओं की नींव रखी थी उन्होंने इन 50 वर्षों में हमारा भली-भांति मार्गदर्शन किया है। जैसे-जैसे हमने प्रगति की है, उसी तरह हमारा लोकतंत्र भी परिपक्व हुआ है। भारत विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता वाला देश है लेकिन एक गणराज्य के रूप में नया है। तथापि लोकतंत्र, कानूनी अनेकत्व तथा दूसरे के विचारों को आत्मसात् करने की क्षमता ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली हैं कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता। एक लोकतंत्र के रूप में, हम जानते हैं कि हमें समय के बदलाव के अनुरूप ही अपनी लोकतांत्रिक परिपाटियों को ढालते रहना होगा। वास्तव में, यह भी भारतीय परंपराओं का एक हिस्सा है।

सदियों से हमारी सभ्यता को अनेकत्व से शक्ति मिलती रही है जिसमें नई सोच, नई अवधारणाओं और नए प्रभावों को ग्रहण करना और अपने को उनके अनुकूल बनाना शामिल है। तथापि, कुछ आधारभूत सिद्धांत, जो भारतीय अस्मिता के सार हैं, इस प्रक्रिया के दौरान भी अक्षुण्ण रहे।

हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई सशक्त राष्ट्रीय चेतना और हमारी जनता की व्यापक भागीदारी के साथ-साथ लोकतांत्रिक बहस के आधार पर लड़ी गई। उपनिवेशवाद के हमारे अनुभव से निर्णय की स्वतंत्रता, आचरण की स्वायत्तता तथा निरंतर भेदभाव एवं असमानता पैदा करने वाली सामाजिक प्रणाली एवं व्यवस्थाओं के प्रति हमारे विरोध को और अधिक बल मिला।

संसद के दोनों सदनों के सम्मुख अमरीका के राष्ट्रपति श्री विलियम जेफरसन क्लिंटन द्वारा दिए गए भाषण पर वक्तव्य, नई दिल्ली, 22 मार्च 2000

भारत पचास वर्षों से विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण के जरिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्यायसंगत सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। हम विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त कराने की दिशा में अभी भी प्रतिबद्ध हैं और हमारा विश्वास है कि विश्व में सुरक्षा का माहौल बनाने का यही एक रास्ता है। तथापि, हम देख रहे हैं कि विश्व में परमाणु हथियारों और मिसाइलों को जमा करने की होड़ लगी है। यह होड़ बेरोक-टोक जारी है।

हालांकि, हम संयम और जिम्मेदारी के साथ अपनी परंपरागत नीतियों का पालन करते आ रहे हैं फिर भी, न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का हमारा निर्णय हमारी सुरक्षा जरूरतों के वास्तविक आकलन पर आधारित है। हमारी रक्षा नीति हमेशा प्रतिरक्षात्मक स्वरूप की रही है। राष्ट्रपति महोदय, हमें इस बात की जानकारी है कि आप परमाणु अप्रसार मुद्दे को काफी महत्व दे रहे हैं। हम मानते हैं कि लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमें व्यापक विचार-विमर्श और सहयोग के आधार पर सभी उपाय करने होंगे।

भारत ने हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों के साथ आपसी विश्वास के माहौल में तथा परस्पर लाभकारी प्रयासों के आधार पर अपने संबंध विकसित करने की कोशिश की है। दुर्भाग्यवश, हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं उनसे एक पड़ोसी देश के साथ विश्वास पर आधारित संबंधों पर बुरा असर पड़ा है। हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिक है। हमें विश्वास है कि परिपक्व राष्ट्रों को आपसी मतभेदों का स्थायी एवं व्यावहारिक हल केवल शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही ढूंढना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आक्रामक बल प्रयोग का अब कोई स्थान नहीं है।

राष्ट्रपति महोदय, जैसे-जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी, भारत और संयुक्त राज्य अमरीका को आपसी हितों के बिंदुओं से ऊपर उठकर दोनों देशों के संयुक्त विजन पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस वक्तव्य पर हमने कल हस्ताक्षर किए हैं वह इस दिशा में पहला कदम है। हमें अपने बीच मित्रता का एक जीवित और अनूठा उदाहरण पेश करना चाहिए। आज लाखों भारतीय संयुक्त राज्य अमरीका में रह रहे हैं। आपके देश ने उन्हें अपनी क्षमता को पहचानने का मौका दिया है। इसके बदले, वे हरेक क्षेत्र में आपके देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। यह सहभागिता सरकारों पर निर्भर नहीं है। यह रोज़मर्रा का आपसी कामकाजी संबंध है। इस सहभागिता से दोनों पक्षों को लाभ होगा। यह भी संतोष की बात है कि दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू के समाधान हेतु सहयोग देना शुरू कर दिया है।

आतंकवाद की समस्या जिसका संबंध चरमपथ की विचारधाराओं से जुड़ा है तथा जिसका नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के जरिए वित्त-पोषण किया जाता है, आज राष्ट्रो के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि क्या हम इस बुराई, जिसकी बुनियाद घृणा और हिंसा पर टिकी है तथा जो लोकतंत्र के आदर्शों के बिल्कुल विरुद्ध है, की जड़ पर प्रहार करने का पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं।

राष्ट्रपति महोदय, आपका आगमन दोनो देशों, जिनमें स्वाभाविक रूप से सहयोगी राष्ट्र बनने की सभी संभावनाएं मौजूद हैं, के लिए नई सदी में एक नई यात्रा की शुरुआत है। इस संदर्भ में हमें महान् अमरीकी कवि वाल्ट व्हिटमैन के भावप्रवण शब्दों को याद करना उचित होगा। व्हिटमैन ने यह उल्लेख करते हुए कि भारत की यात्रा केवल यात्रा ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं अधिक महत्व रखती है, भारत पर लिखी अपनी लबी और प्रशसा भरी कविता से हमारे दोनो देशों के लोगो का आह्वान किया था:

आगे बढ़ो - केवल गहरे समुद्र में आगे बढ़ो
 ऐ! दुःसाहसी आत्मा, मैं तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ मिलकर दूँदो,
 क्योंकि हमे वहाँ जाना ही है, जहाँ अभी तक किसी नाविक ने
 जाने का साहस नहीं जुटाया है।

*Sail forth - steer for the deep waters only,
 Reckless O soul, exploring, I with thee, and thou with me,
 For we are bound where mariner has not yet dared to go.*

श्रीमान विलियम जेफरसन क्लिंटन, मैं भारत के लोगो की ओर से आपको और आपके महान् देश के लोगो को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि भारत की आपकी यात्रा यादगार साबित होगी।

VIII

विविध

सुरक्षा संगठनों का उत्तरदायित्व

विशेष सुरक्षा दल के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर आपके बीच आकर मुझे प्रसन्नता है। इस अवसर पर विशेष सुरक्षा दल के सभी सदस्यों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई देता हूँ।

मैं विशेष सुरक्षा दल के उन सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूँ जिन्हें उल्लेखनीय कार्य करने पर राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पुलिस पदक और प्रशंसनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक प्रदान किए गए हैं।

देश के मूर्धन्य नेताओं की सुरक्षा करने का नाजुक और कठिन उत्तरदायित्व विशेष सुरक्षा दल पर है। राज्यों के और केंद्रीय पुलिस बलों के सहयोग और सहायता से उन्हें यह काम करना होता है। नेताओं की विदेश यात्राओं के दौरान उनकी सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध करने के लिए विशेष सुरक्षा दल को विदेशी सुरक्षा संगठनों के साथ भी काम करना होता है। इसके लिए उच्चस्तर की कार्यक्षमता, निष्ठा और उत्सर्ग भावना आवश्यक है।

मैं कुछ समय से विशेष सुरक्षा दल की गतिविधियाँ बहुत समीप से देख रहा हूँ। मैं आपके कौशल और कर्तव्यपरायणता की सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि विशेष सुरक्षा दल का संरक्षणप्राप्त अन्य व्यक्ति भी मेरे इस मूल्यांकन से सहमत होंगे तथा पिछले कुछ वर्षों में विशेष सुरक्षादल की सराहनीय सेवाओं की प्रशंसा करेंगे।

अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए किंतु इसके साथ ही जनता की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अत्यधिक दिखावटी और रोक-टोक लगाने वाले सुरक्षा प्रबंध शायद प्रभावशाली हो किंतु इनसे जनता को निश्चय ही अनावश्यक कठिनाइयाँ होती हैं। यातायात और जनता का आवागमन नियंत्रित करने में निश्चय ही कुछ असुविधा होती है, किंतु यह कम से कम हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं यह बात सुरक्षा संगठनों से जोर देकर कहता आ रहा हूँ कि स्थिति कुछ सुधरी भी है। फिर भी मैं अनुभव करता हूँ कि अभी और सुधार करने की जरूरत है।

सुरक्षा से संबद्ध विशेषज्ञों से मेरा अनुरोध है कि वे इस बारे में विस्तारपूर्वक विचार करें ताकि कम से कम वर्दीधारी सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए जाएँ और

विशेष सुरक्षा दल के चौदहवें स्थापना दिवस के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 8 अप्रैल 1999

अनावश्यक रूप से यातायात न रोका जाए।

मुझे प्रसन्नता है कि विशेष सुरक्षा दल ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। अत्यंत विशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा प्रबंधों में और अधिक सुधार करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों के विचार मालूम किए जा रहे हैं।

आतंकवाद, विद्रोह और कट्टरपंथी दलों की कार्यवाहियों के कारण सुरक्षा का वर्तमान वातावरण गभीर रूप से प्रभावित है।

आतंकवाद सारे संसार में फैल गया है। आतंकवादी दल संसार के अन्य आतंकवादियों के साथ नवीनतम संचार उपकरणों की सहायता से संपर्क साधे रहते हैं। इनका मुकाबला करने के लिए सुरक्षा संगठनों के बीच भी और अधिक समन्वय होना चाहिए।

उन्हे अपनी कार्यकुशलता निरंतर बढ़ाते रहनी चाहिए और इस कार्यकुशलता का ज्ञान अपने साथी संगठनों को देना चाहिए तथा ऐसी पक्की व्यवस्था करनी चाहिए कि सबसे कम साधनसंपन्न संगठन सुरक्षा श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी न बनने पाए।

इसके साथ ही सुरक्षा संगठनों का यह भी कर्तव्य है कि वे देश की जनता को सुरक्षा के प्रति और अधिक जागरूक बनाएं। सतर्क नागरिक सुरक्षा संगठनों का काम सरल बना देते हैं।

विशेष सुरक्षा दल जिन कठिन परिस्थितियों में काम करता है उनकी जानकारी सरकार को है। आप लोगो की भलाई के लिए और आपके काम की परिस्थितियां सुधारने के लिए हम भरसक प्रयत्न करेंगे।

पिछले वर्ष विशेष सुरक्षा दल के लिए द्वारका कंप्लैक्स का उद्घाटन कर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई थी। अब इन घरों में विशेष सुरक्षा दल के अनेक कर्मचारी परिवार सहित रहने लगे हैं। मेरी कामना है कि आप वहां सुख से रहें।

विशेष सुरक्षा दल के कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशेष सुरक्षा दल परिवार कल्याण कोष में दस लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।

अंत में, मैं विशेष सुरक्षा दल के सभी सदस्यों के परिवारों की उनके प्रयत्नों में सफलता की कामना करता हूँ।

धर्म हमें जोड़ता है

तीन सौ साल पहले जब देश पराधीनता की बेडियो में जकड़ा था, अत्याचार का शिकार हो रहा था, लोगो का मनोबल टूट रहा था, तब गुरु गोविंद सिंह जी साहब ने खालसा पंथ की स्थापना करके धर्म की रक्षा का कार्य किया, समाज में नया जीवन फूँका। उस समय देश की तस्वीर ऐसी थी जिसे देखकर चिंता पैदा होती थी, समाज बंटा हुआ था। ऊँच-नीच, जाति भेद के कारण समाज की एकता खतरे में थी, जिसका लाभ उठाया जा रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा की स्थापना की। सारे देश को एकता के सूत्र में बाँधा। जो दीन थे, दलित थे, दुर्बल थे, उनको साथ लिया, उनके बल पर देश में एक नई जिंदगी पैदा की।

पहली शताब्दी नहीं मनी क्योंकि तब देश आजाद नहीं था, दूसरी शताब्दी भी इसलिए नहीं मनी क्योंकि तब भी आजादी नहीं मिली थी। अब अपने घर में अपना राज है और इसलिए यह तीसरी शताब्दी का महोत्सव हो रहा है। यह केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं है। सारे देश में यह महोत्सव मनाया जा रहा है, विदेश में भी मनाया जा रहा है। सब दल मिलकर यह महोत्सव मना रहे हैं। जनता और सरकार एक-दूसरे के सहयोग से इस महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय समिति का निर्धारण किया है। जो भी सहायता बन पडी है, सरकार ने दी है। अगर और सहायता की आवश्यकता होगी तो फिर नई दिल्ली उस आवश्यकता को भी पूरा करेगी। प्रकाश सिंह बादल जी ने सैनिक शिक्षा देने के लिए एक केंद्र बनाने का सुझाव रखा है। वैसे तो आजकल लड़ाई जवानों की कम होती है, आकाश के मार्ग से ज्यादा लड़ाई होती है, लेकिन नौजवानों को अनुशासन की शिक्षा चाहिए। देशभक्ति का पाठ पढना चाहिए। और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, यह भावना उनमें जागनी चाहिए। इसके लिए यहां एक सैनिक शिक्षण केंद्र की बादल साहब की माग को मैं स्वीकार करता हूँ और उनके साथ विचार-विनिमय करके इसका विवरण तय किया जाएगा।

पंजाब भारत का अन्न भंडार है, पंजाब भारत का सिंहद्वार है। पंजाब ने अनेक बाहर के आने वाले वार झेले हैं। पिछले कुछ वर्षों में पंजाब आंतरिक कठिनाई में फंस गया था, लेकिन मुझे खुशी है कि पंजाब अब सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, न केवल अपनी धरती की आवश्यकता को पूरी कर रहा है, न केवल अपने लोगों की जरूरतें पूरी

कर रहा है, सारे देश की प्रगति में भी योगदान दे रहा है। बहुत काम हुआ है पंजाब में, लेकिन यह बात सही है कि अभी कुछ काम बाकी है। सचमुच में तो प्रगति का कोई अंत नहीं है। हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं, उतना ही और आगे बढ़ने की इच्छा पैदा होती है, आवश्यकता पैदा होती है। पंजाब भारत की प्रगति में योगदान दे रहा है। इसके लिए पंजाब को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बढ़ाई।

आजादी की लड़ाई में पंजाब ने योगदान दिया। स्वतंत्रता के संघर्ष में बलिदान दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी यह संघर्ष चलता रहा, बलिदानों की परंपरा रखी। विश्व के इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा व्यक्ति और कोई नहीं मिलता। पिता का बलिदान दे दिया, पुत्रों की कुर्बानी की खबर मिली तो कहा, 'मेरे तो चार पुत्र नहीं थे, मेरे तो हजारों पुत्र हैं और सबको मैं कुर्बान कर सकता हूँ।' ऐसा अनुपम उदाहरण विश्व के इतिहास में बहुत कम मिलता है। धर्म की रक्षा। धर्म जो धारण करता है, धर्म जो हमें शक्ति देता है, जो समन्वय करता है, जो जोड़ता है, जो तोड़ता नहीं है। अलग-अलग संप्रदाय होते हैं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने जो काम हाथ में लिया और खालसा पंथ की जिस काम के लिए रचना की, सर्जना की, वो था धर्म की रक्षा।

स्वाधीनता क्यों नहीं होनी चाहिए, अपनी उपासना दूसरों पर थोपने की कोशिश क्यों की जानी चाहिए। सेक्यूलर का अर्थ है, सर्व पथ समादर। नकारात्मक सेक्यूलरवाद नहीं है। सेक्यूलरवाद हमें धर्म को मानने से नहीं रोकता। सेक्यूलरवाद का अर्थ है सब पथों की उपासना पद्धतियों को आदर की दृष्टि से देखना, अपनी पूजा की पद्धति पर निष्ठा रखना, लेकिन दूसरों की पूजा पद्धति का भी सम्मान करना। ये सेक्यूलरवाद भारत में जन्म की घुट्टी में पड़ा हुआ है। इसकी शिक्षा हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में कभी पंथ के नाम पर उत्पीड़न नहीं हुआ, शोषण नहीं हुआ। भारत में विभिन्नता है, विविधता है, अनेक उपासना पद्धतियाँ हैं, अनेक भाषाएँ हैं, रहने-सहने के अनेक ढंग हैं। लेकिन देश एक है, इस देश में रहने वाले भारतीय सब भारत माता की संतान हैं। हम एक हैं। हमें कधे से कथा मिलाकर चलना है, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका जीवन, उनके द्वारा लिखा हुआ साहित्य, यह हमारी मदद करेगा।

शताब्दी का महोत्सव देश में एक नया जीवन फूले, भाईचारे को मजबूत करे। हमें प्रगति के पथ पर और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। मैं अपने भाषण का अंत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन शब्दों के साथ करना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि—

देह सिवा बर मोहि इहै, सुभ करमन ते कबहुं न टरौं ।।
न डरौं अरि सौं जब जाइ लरौं निसचै कर अपनी जीत करौं ।।

अगर लड़ना पड़े, अगर लड़ाई थोप दी जाए तो हिम्मत से लड़ूं, लेकिन शुभ कर्मों से कभी भी मुंह नहीं फेरूं, कभी भी न टरूं। यह भावना व्यक्ति-व्यक्ति में चाहिए, यह भावना सारे समाज में होनी चाहिए।

मार्गे बढ़ती जा रही हैं, खजाने में कितना पैसा है, यह मालूम नहीं है। एक सुझाव आया है कि चंडीगढ़ से आनंदपुर साहिब तक एक सीधी सड़क होनी चाहिए। सड़क तो है लेकिन उसमें चार लेनें होनी चाहिए। भारत सरकार इस पर भी विचार करेगी।

पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा जरूरी

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप लोगों के बीच उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है। यह दिन अपनी प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का है, जो कि इस ग्रह पर मानव जीवन को जारी रखे हुए है। यह दिन पर्यावरण की सुरक्षा में हमारी सामूहिक विफलता पर ध्यान केंद्रित करने का भी है जिसके कारण मानव जाति के लिए सतत विकास खतरे में पड़ गया है।

इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की जो विषय वस्तु है वह भी इस चिंता को दर्शाती है। यह हमें बताती है कि "हमारी धरती, हमारा भविष्य इसे सुरक्षित करें।" यह हम सबके लिए आवश्यक अपील है ताकि हम चुनौती की गंभीरता को समझें और उपचार की कार्रवाई के प्रति अपने संकल्प को ताजा करें।

पर्यावरण का संरक्षण और उसकी सुरक्षा भारतीय लोकाचार और संस्कृति का आधार है। हमारी आध्यात्मिक विरासत हमें सिखाती है कि जीवन में शांति और सद्भाव के लिए प्रकृति का सम्मान एक पूर्व शर्त है। सतत और अहिंसक विकास का पहला सबक हमारे समाज ने तब सीखा जब हमारे ऋषि-मुनियों ने हमें यह निर्देश दिया कि प्रकृति की सभी चीजों में सार्विकता देखें।

अथर्ववेद की प्रार्थना में कहा गया है कि मैं जो भी वृक्ष काट रहा हूं वह फिर जल्दी बड़ा हो जाए। मुझे इस महत्वपूर्ण संपदा को नष्ट नहीं करना चाहिए और न ही किसी

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 5 जून 1999

को तकलीफ पहुंचानी चाहिए।

इसलिए एक पारंपरिक भारतीय, जो पेड़ की पूजा करता है वह किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा है बल्कि अभिज्ञता अथवा अनभिज्ञता में वह पर्यावरण संरक्षण के संदेश को फैला रहा है।

इस समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के बावजूद भारत में पर्यावरण की मौजूदा स्थिति हम सभी के लिए गंभीर चिंता का कारण बनी हुई है। हमारे अनेक नगर दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में हैं। दिल्ली सहित अनेक स्थानों पर हमारी नदियां काफी गंदी हो गई हैं। हमारे वन क्षेत्र तेजी से घट रहे हैं। भूमि का कटाव और उसका क्षरण हमारी कृषि के लिए महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। साफ पीने का पानी और स्वच्छता जैसी सुविधाएं शहरो और गांव में गरीबों के लिए इतनी अपर्याप्त हो गई हैं कि वे अपने स्वास्थ्य और सुख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अनेक स्थानों पर जलस्तर इतनी तेजी से गिर गया है कि आने वाले दशको में शायद हमारी जरूरतों के लिए पानी पर्याप्त नहीं होगा।

यह स्पष्ट है कि राष्ट्र के रूप में हम पिछले पचास वर्षों में अपने विकास मार्ग के आत्मविश्लेषण की आवश्यकता को और टाल नहीं सकते। इसमें कोई संदेह नहीं कि

एवं

राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय का 21^{वां} स्थापना दिवस
5 जून, 1999, नई दिल्ली

June 5, 1999, New Delhi

WORLD ENVIRONMENT DAY
and 21st year of the Foundation of
the National Museum of Natural History

एवं वन मंत्रालय
भारत सरकार

Ministry of Environment &
Government of India



प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में बोलते हुए, नई दिल्ली, 5 जून 1999

हमने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं और हमें उन पर गर्व होना चाहिए लेकिन शायद हमारी एक सबसे बड़ी विफलता पर्यावरण की अनदेखी है। हालांकि हम औद्योगिकीकरण और शहरीकरण में आगे बढ़े हैं। अगर हम जल्द ही सुधारवादी उपाय नहीं करते तो हम अपनी भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण प्रदूषण और मानव विध्वंस के दोषी होंगे।

मित्रो, मैंने जानबूझ कर एक बड़ी चेतावनी की तरफ इशारा किया है जिसे कि किसी भी तरह से बढ़ा-चढ़ा कर पेश नहीं किया गया है, क्योंकि मैं चाहता हू कि समूचा राष्ट्र उस समस्या की गंभीरता से परिचित हो जाए जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है।

उद्योग में अपने मित्रों के लिए आज मैं एक उत्साही अपील करूंगा। आप इस बात का इंतजार न करें कि सरकार अथवा न्यायपालिका पर्यावरण के नियम लागू करें। स्वेच्छा से और तेजी से उन नियमों का पालन करना उद्योग और समाज दोनों के लिए बेहतर है। पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी में निवेश को एक बोझ न समझे जिनसे आप भाग सकें। यह एक नैतिक, सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी है जिसे पूरा करना चाहिए। इन सबसे बढ़कर इससे मध्यम और लंबी अवधि में एक बेहतर व्यापारिक बोध बनता है। जहां संभव हो और यह अनेक मामलों में संभव है कि हमें कम लागत वाली हरित टेक्नोलॉजी लागू करनी चाहिए जो कि हमारी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के उपयुक्त है।

निश्चय ही हमें इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि पर्यावरण से संबंधित जिन अनेक समस्याओं का भारत तथा अन्य विकासशील देशों को सामना करना पड़ रहा है, वह पूरी तरह हमारी अपनी हैं। औद्योगिक देशों ने विश्वभर में पर्यावरण के विनाश में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनसे वे अपने आपको मुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रों की सीमाएं हैं, लेकिन पर्यावरण की कोई सीमा नहीं।

अगर धनी राष्ट्र लगातार हमारे ग्रह के सीमित और फिर से इस्तेमाल नहीं होने वाले संसाधनों पर इसी तरह दबाव डालते रहे और अगर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में मौजूदा असंतुलन जारी रहा तो पर्यावरण को होने वाला नुकसान विश्वव्यापी हो जाएगा। विसंगति यह है कि अमीरों की गलती के लिए गरीबों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापार व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की मांग में दुनियाभर के पर्यावरण सचेत लोगों के साथ है। विकासशील और विकसित देशों के बीच खाई तथा विकासशील देशों में अभाव की विगड़ती स्थिति भी न सिर्फ सामाजिक झगड़े का एक साधन है, बल्कि इससे पर्यावरण

को भी नुकसान पहुंच रहा है।

यह जानकर खुशी होगी कि हाल के वर्षों में पर्यावरण के बारे में जागरूकता न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि भारत में भी बढ़ी है। ऐसा सरकारी, गैर सरकारी संगठनों तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सामूहिक और अलग-अलग प्रयासों से संभव हो सका है। लेकिन अनुभव से पता चलता है कि लोगो की सक्रिय भागीदारी से वांछित परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। लंबे समय से हम लोग पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने की बात कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर ऐसा वास्तव में हो चुका है। हमारे सामने चुनौती अब सिर्फ इतनी है कि इसे कैसे व्यापक बनाया जाए और इसकी जड़ें कैसे गहरी की जाएं।

इस परिप्रेक्ष्य में इस बात पर जोर देना जरूरी है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण में कोई बुनियादी विरोध नहीं है। एक के बगैर दूसरे की कल्पना असंभव है। लेकिन कभी-कभी उचित विकास परियोजनाओं का भी पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर विरोध किया जाता है। बड़ी लागत वाली और व्यापक सामाजिक लाभ वाली कुछ बुनियादी परियोजनाएं पूरी होने में काफी देरी सिर्फ इसी कारण हुई है। भारत इस तरह के विलंब को बर्दाश्त नहीं कर सकता।

वास्तव में भारत जैसे देश में पर्यावरण सुरक्षा एक जन आंदोलन बन सकता है अगर हम उसे विकास और रोजगार से जोड़ सकें। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अपने कार्यक्रम बनाते समय इस विचार का अनुसरण किया है। उदाहरण के तौर पर देश में 33 प्रतिशत वन क्षेत्र का लक्ष्य हासिल करने की उसकी समयबद्ध कार्ययोजना से बड़े पैमाने पर खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जहां इसकी सबसे अधिक जरूरत है।

एक अन्य योजना जिसमें रोजगार और निचले स्तर पर विकास पर जोर दिया गया है और जिसकी शुरुआत की आज मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, वह है- देश में बांस संसाधनों का संवर्धन। समाज के कमजोर वर्गों के अनेक समुदाय अपने जीवनयापन के लए बांस पर निर्भर हैं। इस योजना से 50 लाख मानव दिवस ग्रामीण रोजगार के अवसर बन सकते हैं।

इससे बांस मजदूरो के हितों को खासतौर से बढ़ावा मिलेगा और घरेलू बाजार में बिक्री के लिए मूल्य वर्धित सामान के उत्पादन में वृद्धि होगी। बांस उत्पादन में निर्यात की भी व्यापक संभावनाएं हैं, जिनका अभी तक दोहन नहीं किया गया है। लेकिन वास्तव में इस योजना की कामयाबी के लिए राज्यों को बांस से संबंधित अपने कुछ नियमों और विनियमों में परिवर्तन करना होगा।

में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के जरिए वानिकी नर्सरी बढ़ाने में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना शुरू करने के वास्ते पर्यावरण मंत्रालय की सलाहना करता हूँ। हमारे सभी वन विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए अच्छे स्तर का पौध उत्पादन महत्वपूर्ण है।

मैं चाहता हूँ कि सभी संबंधित मंत्रालय और एजेंसियाँ जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग, योजना आयोग तथा राज्य सरकारें इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अपने प्रयास में एकजुटता लाएं।

वाघ परियोजना हमारे वन्य जीव संरक्षण प्रयासों का ध्वज पोत है। भारत को विश्व में अकेले ऐसे देश होने का गौरव प्राप्त है जहाँ यह असाधारण पशु पाया जाता है। लेकिन इस गौरव के साथ उत्तरदायित्व भी है कि भावी पीढ़ियों के लिए वाघ की सुरक्षा करे। मुझे खुशी है कि नवीन पंचवर्षीय योजना में इस योजना के लिए परिव्यय में वृद्धि की गई है और छह नए वाघ केंद्र और बनाए जाएंगे। इस समय कुल 23 वाघ केंद्र हैं।

आज ही राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का स्थापना दिवस भी है। इस संग्रहालय ने भारत की बहुमूल्य जैवविविधता के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्रालय अनेक ऐसे कार्यक्रम चला रहा है, जिनसे हमारे स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी देश की समृद्ध वनस्पति और जीव जगत से परिचित हो सकें। इन प्रयासों को और बढ़ाया जाना चाहिए।

मित्रों, पर्यावरण मंत्रालय ने अनेक सलाहनीय पहल की हैं। इसके काम के बारे में सिर्फ एक बात है जिसकी तरफ लोग इशारा कर सकते हैं कि यह अपने प्रदर्शन के प्रति खामोश रहा है। लेकिन यह आश्चर्यजनक नहीं है। एक सबक, जो कि हम सभी अपने प्राकृतिक पर्यावरण से सीख सकते हैं कि किस तरह हमारी धरती और वन तथा नदियाँ खामोशी से लेकिन पूरे तालमेल के साथ काम कर रही हैं ताकि इस ग्रह पर जीवन पीढ़ी-दर-पीढ़ी बना रहे।

मैं समाज के प्रत्येक वर्ग-सरकारों और गैर सरकारी संगठनों, व्यक्तियों और सामुदायिक समूहों, व्यापार तथा उद्योग, धार्मिक संगठनों और नागरिक समाज खासतौर से युवा पीढ़ी से अपील करता हूँ कि वे प्रकृति की खामोशी के इस महत्वपूर्ण गुण से सबक लें, जो कि अनथक सेवा किए जा रहा है। हम सभी को अंतर्राष्ट्रीय कल्पना के साथ स्थानीय स्तर पर काम करने की आदत डालनी चाहिए। प्रत्येक छोटा उपाय जो हम करेंगे, वह महत्वपूर्ण है। कोई भी तब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हममें से प्रत्येक धरती माता को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ कर सकता है।

पर्वतारोहण के प्रशिक्षण का प्रबंधन जरूरी

उन्नीस मार्च को मैंने इस एक्सपीडीशन को पलैग ऑफ किया था, आज पलैग इन कर रहा हूँ। यह दल सफलता प्राप्त करके लौटा है। एवरेस्ट की चोटी पर भारत का गौरवशाली तिरगा फहराकर लौटा है। हम सब इनको बधाई देते हैं। इनके पराक्रम के प्रयास से भारत का सम्मान बढ़ा है।

कागशुंग की दिशा से एवरेस्ट का आरोहण, यह अपने मे विशेषतापूर्ण है और यह दल उसे पूरा करने मे सफल हुआ है। मई, 28 जब सेटेलाइट से मुझे संतोष जी ने खबर दी सफलता की, शिखर पर पहुंचने की तो केबिनेट की मीटिंग चल रही थी, हम करगिल के बारे मे विचार कर रहे थे। वहां भी ऊंचे-ऊंचे पहाड हैं। और उन पहाडो पर हमारे जवान चढ रहे हैं। उन पहाडों को खाली करा रहे हैं, जान की बाजी लगा रहे हैं। दोनो अभियानों मे एक सीमा तक समानता दिखाई देती है।

मुझे यह सुनकर बडा ताज्जुब हुआ कि 14 दिन तक इस दल के सदस्य टेंटों के भीतर वहां बैठे रहे। बाहर अंधड होगा, हिमपात होगा, बाहर निकलना संभव नहीं था, लेकिन भीतर बैठना कैसे संभव हुआ, यह कल्पना करना ही मेरे लिए कठिन है। लेकिन ऐसा हुआ। और 14 दिन के कठिन संघर्ष के बाद यह दल फिर से विजयी यात्रा पर निकला और इसने लक्ष्य पर पहुचकर विश्राम किया। श्री सांगे शेरपा, अभी उनका परिचय कराया गया, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होने एवरेस्ट को तीन अलग-अलग दिशाओं से विजयी किया है। हम श्री सांगे को, श्रीमती संतोष यादव को बधाई देते हैं। उन्होंने कुशल नेतृत्व दिखाया, स्वयं पीछे रहकर, टीम को आगे बढ़ाया। व्यक्तिगत गौरव की चिंता नहीं की। चिंता की तो टीम सफलता से विजयी होकर वापस जाए, इसकी चिंता की। हम संतोष यादव को बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं। उनका अभिनंदन करना चाहते हैं।

भविष्य में हमारे अधिकाधिक नौजवानों को पर्वतारोहण करना चाहिए। सेना मे पर्वतारोहण की शिक्षा दी जाए, इस बात की आवश्यकता है। कुछ प्रबंध है भी। लेकिन अचानक इमरजेसी मे जब हमे ऊंचे पहाडों पर अपनी रक्षा के लिए जवानों को भेजना पडता है, तो उस समय बड़ी संख्या में पर्वतारोहण के लिए जवान मिल सकें, इसका प्रबंध करना बहुत जरूरी है। मुझे विश्वास है कि हम इस दिशा मे भी सक्रिय होंगे।

‘मितेनियम इडियन एवरेस्ट एक्सपीडीशन, 1999’ के अभियान दल की सफल वापसी के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 16 जून 1999

धार्मिक स्वतंत्रता पंथ-निरपेक्ष संस्कृति का आधार है

मैं हज कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे हज-2000 से संबंधित इंतजामों पर चर्चा के लिए बुलाए गए अखिल भारतीय हज सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है।

हज मात्र पवित्र स्थल की यात्रा नहीं है। यह एक मुसलमान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्य है। यह विश्व भर के मुस्लिम समुदाय के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना भी है। हज की पवित्र धर्म-विधि में इस्लाम की जितनी अधिक सर्व-व्यापकता देखने को मिलती है उतनी अधिक कहीं और नहीं दिखाई देती।

वास्तव में यह एक अनूठी धर्म-विधि है समस्त उम्मत मुस्लिमा वर्ष में एक ही समय पर इकट्ठा होती है। कुरान-शरीफ और हदीस शरीफ में व्यक्ति और समुदाय की आध्यात्मिक उन्नति के लिए हज के खास महत्व पर बल दिया गया है।

ऐसा माना जाता है कि अमन के मसीहा पैगंबर साहब ने कहा था कि हाजी 'उतना ही पाक होता है जितना कि वह उसकी मां द्वारा जन्म दिए जाने वाले दिन होता है'; और हज का फल 'किसी भी तरह जन्नत से कम नहीं है'। वास्तव में हज एक सबसे अच्छा मजहबी फरीजा है जो खुदा के हुकम से उम्मत मुस्लिमा को एक जगह पर इकट्ठा करता है।

मोजिज हजरात, भारत तीर्थ-यात्रियों और तीर्थ-स्थलों की भूमि है। हमारा देश विभिन्न धर्मों वाला देश है। धर्म का हमारे लोगों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पंथों और रीति-रिवाजों की विविधता के बावजूद हमारी तहजीब में कुछ चीजों में समानता है। तीर्थ-यात्रा की परंपरा उनमें से एक है।

तीर्थ-यात्रा करना एक आत्म-शुद्धि का कार्य है जो तीर्थ-यात्री को एक अच्छा इंसान और समाज का एक बेहतर सदस्य बनाता है। जो व्यक्ति पवित्र स्थान की तीर्थ-यात्रा के लिए जाता है उससे न केवल उसकी अपनी मनोकामना ही पूर्ण होती है बल्कि उससे अपने परिवार और समुदाय में भी उसे आदर और सम्मान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि तीर्थ-यात्रा जितनी कठिन होगी तीर्थ-यात्री को उतना ही अधिक आध्यात्मिक लाभ मिलेगा।

यह संतोष की बात है कि कई वर्षों से सउदी अरब की सरकार द्वारा किए गए इंतजामों में काफी सुधार हुआ है और भारत के हज यात्रियों ने पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सहूलियत और आराम से अपनी हज यात्रा पूरी की है।

अब हर साल एक लाख से अधिक भारतीय यात्री हज पर जाते हैं, जिनमें से दो-तिहाई यात्री हज कमेटी की मार्फत जाते हैं जबकि शेष यात्री प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज करते हैं।

मुझे खुशी है कि हज कमेटी हमारे हज यात्रियों के ठहरने, उनकी हवाई यात्रा और जेदाह और पवित्र शहरों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनके आने-जाने का इंतजाम करती आ रही है। हज कमेटी यह इंतजाम सउदी अरब के नियमों के अनुसार करती है।

हमारी सरकार ने भी हज-यात्रियों की जरूरतों को देखते हुए ऐसे ही इंतजाम किए हैं। अब हमने हज यात्रियों के लिए आवास, हवाई यात्रा आबटन और सउदी अरब में भ्रमण से संबंधित आंकड़ों को कंप्यूटरीकृत कर दिया है।

हमने हज यात्रियों को ठहराने के लिए आवास का चयन करने हेतु एक संस्था भी बनाई है जिसमें केन्द्रीय और राज्य हज समितियां शामिल की गई हैं, जो कम से कम दूरी पर हमारे तीर्थ यात्रियों के लिए यथा-संभव बेहतर आवास का चयन करती हैं। हमारे इंतजाम अन्य देशों द्वारा किए जाने वाले इंतजामों के अनुरूप हैं।

फिर भी इन इंतजामों से हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। मैं आप सभी को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सरकार हज यात्रियों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर निरंतर सुधार करने के लिए हर सभव सहायता उपलब्ध कराएगी। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय हाजी खुशी-खुशी और आत्म-संतोष के साथ वापस लौटे और अपने साथ जीवन की सबसे मधुर यादों को संजो कर लाए।

आखिर हमारे हज-यात्री जब दूसरे देशों के हज-यात्रियों से मिलते हैं तो वे भारत के दूत के रूप में मैत्री और सद्भावना का भी संदेश देते हैं।

मैं समझता हूँ कि हज के लिए भारत के कोटे में वृद्धि किए जाने की जरूरत है। श्रीनगर, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे स्थानों से हज यात्रियों के जाने की सुविधा मुहैया कराए जाने की भी जरूरत है।

मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि इस सम्मेलन में हमारे हज-यात्रियों के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हमारे अधिकांश हज यात्री गरीब

हैं जो ग्रामीण इलाकों तथा छोटे-छोटे कस्बों से आते हैं। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि उन्हें हवाई यात्रा करने, विदेशी भूमि पर उतरने तथा विदेशी मुद्रा का लेन-देन करने में प्रायः थोड़ी बहुत कठिनाई पैदा होती है। इसके लिए उन्हें मदद और अच्छी देखभाल की जरूरत है।

इसके अलावा, चूंकि विभिन्न देशों के लगभग 20 लाख यात्री एक ही वक्त में हज करते हैं, अतः यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि हमारे हज यात्रियों का भगदड़ और अन्य सभावित दुर्घटनाओं से बचाव किया जाए। मुझे विश्वास है कि नई हज कमेटी ने जो यह पहला बड़ा कदम उठाया है, उसमें आप सभी के सहयोग से सफलता मिलेगी।

मोजिज हजरात, मैं यहां सरकार और हज मैनेजमेंट के बारे में कुछेक वर्गों में पैदा होने वाली गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं। मेरे मन में यह बात बिलकुल साफ है कि हमारे देशवासियों के एक बड़े वर्ग के लिए हज एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक अनुभव है और यह सभी सरकारों, चाहे वह किसी भी पार्टी की हों, की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि हज इंतजाम यथा-संभव बेहतर होने चाहिए।

हज इंतजामों में दलगत राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम व्यक्तिगत अथवा राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखे बगैर अपने तीर्थ यात्रियों को अच्छी से अच्छी सेवाएं मुहैया कराएं।

मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि वर्तमान हज कमेटी के नए चेयरमैन जनाब तनवीर अहमद साहब ने कमेटी के सदस्यों को यह स्पष्ट संदेश दिया है।

अब मैं एक ऐसे दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिसे जानने के लिए आप बेताब होंगे। यह मुद्दा एक नया हज एक्ट बनाने से संबंधित है। इस वक्त भारत में हज इंतजाम हज कमेटी एक्ट, 1959, जो 40 साल पुराना है, के तहत किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान सउदी अरब तथा भारत दोनों देशों में हज इंतजामात के बारे में काफी बदलाव आया है। इन महत्वपूर्ण बदलावों को ध्यान में रखते हुए एक नए एक्ट की जरूरत है।

किंतु, एक नए हज एक्ट को लाने से पहले हमें मिलजुल कर कई मुद्दों का हल ढूढना होगा। पहला तो यह कि हमारे देश में हज इंतजामों के लिए किस प्रकार की नई प्रणाली होनी चाहिए? दूसरा, क्या नए एक्ट के जरिए हज कमेटी के गठन में ही परिवर्तन किया जाना चाहिए और शेष ढांचे को यथावत रखते हुए इसे एक अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए? विकल्प के तौर पर, क्या कुछ ऐसे नए ढांचे होने चाहिए जिनसे एक समन्वित और अपेक्षाकृत स्वायत्तशासी निकाय खड़ा किया जा सके?

तीसरा, क्या नई हज कमेटी केवल नीतिगत मुद्दों से ही संबंधित होनी चाहिए या उसे हज के इंतजामात की कार्यकारी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए?

ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर निर्णय लेना होगा। इसके लिए विचार-विमर्श की प्रक्रिया जारी रखना जरूरी है। मैं भारत के सभी सामाजिक-धार्मिक मुस्लिम संगठनों से रचनात्मक सुझाव देने का आग्रह करता हूँ ताकि हम हज मैनेजमेंट का एक नया मॉडल तैयार कर सकें, जो आने वाले कई दशकों तक हमारी आशा के अनुरूप कार्य कर सके।

हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि जितनी जल्दी हो नया एक्ट बनाया जाए। मेरा यह सुझाव है कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल करने के लिए शीघ्र ही एक विशेष अखिल भारतीय हज सम्मेलन बुलाया जाए। सम्मेलन में सर्व-सम्मति से दस्तावेज तैयार किया जाए, जिसे इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के शुरू में संसद के समक्ष रखा जा सके। मेरी सरकार इस संबंध में अपना पूरा सहयोग और समर्थन देगी।

मुझे मालूम है कि आज के सम्मेलन के समक्ष हज-2000 से संबंधित बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। मुझे पूरा यकीन है कि आपके प्रयासों से हज-2000 में हमारे हज यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके और हज-2000 के हज यात्रियों के साथ हैं।

भाषा जोड़ने वाली कड़ी होनी चाहिए

पचास साल पहले आज ही के दिन सविधान परिषद ने हिंदी को केन्द्र की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया था। यह भाषाई स्वराज्य की ओर एक ठोस और प्रभावी कदम था। सबके सहयोग से सारे देश के समर्थन से हिंदी राष्ट्रभाषा बनी, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार की गई और बाद में इसे राजभाषा का पद प्राप्त हुआ।

भारत एक बहुभाषी देश है। अनेक भाषाएं हैं। भाषाओं की अनेकता या बहुलता हमारे लिए कठिनाई पैदा नहीं करती, हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का परिचय देती है। कठिनाइयां तो हल हो जाती हैं लेकिन संस्कृति की विरासत को बचाए रखना, बढ़ाना, यह बहुत आवश्यक है। बहुभाषी देश में आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में भाषा की

उपयोगिता हम सभी जानते हैं। हमारे यहां यह बड़ा सुखद संयोग है और आज के अवसर पर उसका उल्लेख करना जरूरी है कि हिंदी को सबसे पहले और सबसे अधिक समर्थन मिला, वह अहिंदी भाषी क्षेत्रों से मिला। तमिलनाडु से सुब्रह्मणियम भारती, गुजरात से स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी, बंगाल से आचार्य केशव चंद्र सेन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने सारे देश की भाषा के रूप में हिंदी के पक्ष में अपनी आवाज उठायी। उस समय भाषा का प्रश्न नौकरियों से जुड़ा नहीं था। भाषा का प्रश्न राष्ट्र की पहचान से, अस्मिता से, राष्ट्रीयता से संलग्न था और इसलिए सबकी सहमति से, सबके सहयोग से हिंदी आगे बढ़ी।

हिंदी केंद्र की राजभाषा होने के अलावा कुछ प्रदेशों की राजभाषा भी है। वहां राज-काज, शिक्षा-दीक्षा, न्यायदान, सबके माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। केवल हिंदी ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाएं भी अपने-अपने प्रदेशों में फल रही हैं, फूल रही हैं, माध्यम के रूप में विकसित हो रही हैं। लोकतंत्र में, लोकराज में शासन चलाना होता है। और इस आवश्यकता की पूर्ति हमारी भारतीय भाषाएं बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं। आज इस अवसर पर मैं हिंदी के साथ-साथ सभी भारतीय भाषाओं का अभिनंदन करता हूँ।

आज लदन में विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रारंभ हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए सारी दुनिया के प्रतिनिधि आए हैं। मैं यहां से उनके लिए भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

हिंदीभाषियों से मुझे एक बात कहनी है, केंद्र में हिंदी की मंथर गति देखकर उन्हें जरूर शिकायत होगी, लेकिन इस रास्ते में जो कठिनाइयां हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। भाषा जोड़ने वाली कड़ी होनी चाहिए, तोड़ने वाली नहीं। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होना चाहिए, उत्तेजना को जगाने का साधन नहीं। आज सारे देश में भाषा को लेकर कोई विवाद नहीं है। जो विवाद हैं वह हल कर लिए गए हैं। हिंदी भाषी मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि जिन्हें हिंदी सीखनी पड़ती है, उनकी कठिनाई पर भी थोड़ा विचार करें। केंद्र की राजभाषा के नाते संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग बढ़ रहा है। हिंदी फैल रही है, हिंदी पसंद की जा रही है। हिंदी नए-नए समर्थक तैयार कर रही है। थोड़े धैर्य की आवश्यकता है, थोड़ा दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखकर नीति निर्धारण की जरूरत है।

अपनी मातृभाषा से कितना प्यार करते हैं, उसका कितना अभिमान करते हैं, यह दक्षिण के अपने दौरे में देखता रहता हूँ। चाहे वह तमिलनाडु हो या कर्नाटक या आंध्र-केरल, इन क्षेत्रों की भाषाएं समृद्ध भाषाएं हैं। इनका साहित्य प्राचीन है, हिंदी

अपेक्षाकृत नई भाषा है, हिंदी खड़ी बोली का रूप है या मैं कहूँ यह खड़ी बोली है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले अनेक बोलिया थीं, वे भी संपन्न थीं, वे समृद्ध थीं और आज हैं। उनके प्रयोग की फिर से प्रवृत्ति बढ़ रही है, यह अच्छी प्रवृत्ति है। लेकिन दक्षिण में मैं जाता हूँ, और अब दक्षिण में हिंदी बोलना कठिनाई का कारण नहीं है। थोड़ा सा यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो पहला वाक्य है वह उनकी अपनी मातृभाषा में होना चाहिए। वह तेलुगू में होना चाहिए, तमिल में होना चाहिए। 'सोदर-सोदरी मनुरा' - यह कहने के बाद आप हिंदी पर पहुंच जाएं तो कोई आपत्ति नहीं करेगा, कोई बाधा पैदा नहीं करेगा। तमिलनाडु में 'वाणक्कम' - यह मानो सब दरवाजे खोल देता है। हृदय के भी दरवाजे खोल देता है। भाषा में इतनी शक्ति है, एक शब्द में इतना प्रभाव है।

हमारी भाषाएं विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का माध्यम बनें, अनुसंधान की भाषा बनें, और फिर पराई भाषा यह दायित्व पूरा नहीं कर सकती। उसके लिए अपनेपन की भाषा चाहिए। अन्य भाषाओं का हम अध्ययन करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन अनुसंधान के लिए, खोज के लिए और वर्तमान को अतीत से जोड़ने के लिए और वर्तमान को भविष्य से संबंधित करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी भाषाओं का विकास करें। उन्हें आधुनिक ज्ञान विज्ञान का माध्यम बनाएं और उनके द्वारा आम आदमी तक पहुंचने तक की आवश्यकता को भी पूरा करें और उनके द्वारा राष्ट्र की सस्कृति, सभ्यता, इनको भी बलशाली रूप में प्रस्तुत करने का अभियान करें।

मुझे एक सुझाव मिला। मैं उसका उल्लेख कर देना चाहता हूँ। कुछ विद्वानों को एक प्रस्ताव भेजा है। जब समय आ गया है जब हम भारतीय भाषाओं की वर्तमान स्थिति पर विचार करने के लिए उनकी आवश्यकताओं के बारे में पता लगाने के लिए, आदान-प्रदान के बारे में जानकारीयाँ एकत्रित करने के लिए एक भारतीय भाषा आयोग का गठन करें। भारतीय भाषा आयोग के गठन का प्रस्ताव बहुत अच्छा प्रस्ताव है। अगर मेरी सरकार कामचलाऊ सरकार न होती तो मैं शायद उसको स्वीकार करके उसकी स्वीकृति का एलान कर देता। लेकिन अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा प्रस्ताव है, एक व्यावहारिक प्रस्ताव है। हमें सब भारतीय भाषाओं के बारे में विचार करना चाहिए। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कैसे कर सकें ये हमारी भाषाएं, इसके बारे में चिंतन करना चाहिए और चिंतन के लिए अगर एक मंच प्रस्तुत किया जा सके तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छा होगा। चुनाव के बाद इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

एकम् गांधी द्वितीयो नास्ति

मुझे आज गांधीजी पर इस कपिक्ट डिस्क का लोकार्पण करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज गांधीजी का जन्मदिन है, यह उनके प्रति महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। जैसा प्रमोद जी कह रहे थे, गांधीजी ने स्वयं अपने बारे में लिखा है, काफी लिखा है, औरों ने गांधीजी के बारे में लिखा है। 100 खंडों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गांधीजी के संकलित लेख, भाषण, पत्रादि प्रकाशित किए हैं। जैसा प्रमोद जी कह रहे थे फोटो भी बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं, उनके भाषण के रिकार्ड भी प्राप्त हैं। परंतु, इस सी डी की खूबी यह है कि इसमें इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गांधीजी के भाषणों, लेखों और पत्रों और उनसे संबंधित फोटोग्राफ और उनकी आवाज को एक ही जगह लाया गया है। इस सी डी के माध्यम से यह संभव किया गया है कि उपयोगकर्ता मनचाही सामग्री तक क्षण भर में पहुंच जाये और कंप्यूटर के पर्दे पर वह विषय या आवाज तुरंत देखी-सुनी जा सके।

यह सी डी गांधीजी के बारे में अध्ययन करने वाली शिक्षण सस्थाओं तथा विद्वानों के लिए तो बहुत उपयोगी होगी ही जिन्हें गांधीजी के विषय में सहज उपयोग के लिए इतनी सारी सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाएगी। वरन् यह सी डी उन व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी होगी जो गांधीजी के बारे में कुछ अधिक जानना चाहते हैं। यह विश्वास है कि सी डी का प्रचार, वितरण और विक्रय पूरी दुनिया में करने की योजना सूचना और प्रसारण मंत्रालय करेगा। अगर सी डी का दाम कुछ कम कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।

गांधीजी युगांतरकारी पुरुष थे। उन्होंने एक नहीं कई काम ऐसे किए जो सदियों तक उनकी महापुरुष के रूप में मान्यता कायम रखेंगे। इतिहास में पहली बार अहिंसा, सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया, सत्संग के सबसे बड़े साम्राज्यवाद को चुनौती देने के लिए। कई लोग होते हैं जो अपने व्यक्तिगत स्तर पर कुछ विलक्षण सिद्धांतों का पालन करते हैं। किंतु, गांधीजी की यह महान उपलब्धि थी कि उन्होंने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए न केवल सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा जैसे परंपरा से पूर्णतः भिन्न साधनों का प्रयोग किया बल्कि एक-दो दशक के भीतर ही उन्होंने करोड़ों भारतवासियों को इसके लिए सहमत कर लिया। उन्हें भारतीय जनता का समर्थन और सहयोग भी बड़े पैमाने पर मिला।

सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी उपलब्धि इतनी ही महत्वपूर्ण है। सदियों से चली आई अस्पृश्यता की प्रथा को उन्होंने जड़ से उखाड़ने का फैसला किया और मानव की गरिमा की प्रतिष्ठा की। अस्पृश्यता के निवारण को एक राष्ट्रीय कार्य के रूप में और स्वतंत्रता आंदोलन के भाग के रूप में प्रस्तुत किया। आज भी यह बातें हमारे लिए बहुत प्रासंगिक हैं। हमारे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की आधारशिला के रूप में काम कर रही हैं। कभी-कभी सोचता हूँ कि स्वतंत्रता के सेनापति के नाते भारत की अनगिनत समस्याओं से उलझे होते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपने योगदान के लिए हमेशा प्रस्तुत गांधी जी छोटी-छोटी बातों के लिए इतना समय निकाल लेते थे, वो सचमुच में आश्चर्यजनक है। ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और सफाई, प्राकृतिक चिकित्सा, कुष्ठ सेवा, नई तालीम, महिलाओं की शिक्षा, हरिजनों के कल्याण तथा अन्य कई क्षेत्रों में हजारों कार्यकर्त्ताओं का मार्गदर्शन करते रहे, उन्हें प्रेरणा देते रहे। सृजनात्मक राजनीति और समाजसेवा का उनका यह आदर्श हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। सचमुच यह बात बिना अतिशयोक्ति के कही जा सकती है कि- एकम् गांधी, द्वितीयो नास्ति। गांधी एक ही था दूसरा गांधी पैदा नहीं हुआ। न दूसरा गांधी पैदा होगा।

गांधी जी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर व्यापार और उद्योग को नया स्वरूप देने के लिए पक्षधर थे। उनका कहना था कि व्यापारियों और धनी लोगों को अपना



प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रकाशन विभाग द्वारा महात्मा गांधी पर तैयार की गई सीडी का लोकार्पण करते हुए, नई दिल्ली, 2 अक्टूबर 1999

धन केवल अर्पना समझकर अपने पास सजोकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें उस धन को लोगों की धरोहर समझना चाहिए। इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर अभी आचरण करना बाकी है। दिशा गांधीजी ने दिखाई थी उस दिशा में आगे बढ़ना यह हमारा दायित्व है।

गांधीजी के स्वराज की कल्पना केवल राजनीतिक आजादी और निर्वाचित लोकतंत्र के औपचारिक ढांचे तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें उनका भारत के राष्ट्रीय जीवन के हरेक पहलू के पुनर्निर्माण का ऐसा सपना था जो हमारे लोकाचार और सभ्यता के मूल्यों पर आधारित हो।

गांधीजी ने भारत, दुनिया से अलग-थलग रहे, इसकी वकालत नहीं की। उन्होंने सभी ओर से अच्छे विचारों का स्वागत किया। किंतु वे इस बात पर बल देते थे कि भारत को अपने विकास का एक ऐसा ढांचा विकसित करना चाहिए जिसके अनुसार हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें तथा अपनी सामग्री अपने संसाधन, अपनी जनशक्ति को पूरी तरह इस्तेमाल कर सकें।

इसके अलावा वे विकास के ऐसे ढांचे के पक्षधर थे जिससे दुनिया के दूसरे देश भी लाभान्वित हो सके। जैसा कि उन्होंने बहुत पहले जून 1924 में यंग इंडिया में लिखते हुए कहा था मैं उद्धृत कर रहा हूँ- “स्वराज से मेरा आशय अपनी सभ्यता की पहचान को अक्षुण्ण रखना है। मैं कई नई बातें लिखना चाहता हूँ किंतु यह सभी बातें भारतीय स्लेट पर ही लिखी जानी चाहिए। मुझे पश्चिम देशों से ऋण लेने में प्रसन्नता होगी यदि मैं अच्छे खासे ब्याज के साथ उस ऋण की राशि लौटा सकूँ”।

इस संदर्भ में, मैं कहना चाहता हूँ कि भारत ने कंप्यूटर और इन्फारमेशन-टेक्नोलॉजी को पश्चिम से लिया तो है, मगर आज हम स्वयं इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। आज दुनिया मान रही है कि भारत एक साफ्टवेयर सुपर पावर बनाने की दिशा में अग्रसर है। मैं चाहूंगा कि यह प्रगति हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी शीघ्रता से हो। मार्टिन लूथर किंग ने ठीक ही कहा- ‘Gandhiji belongs to the ages’ यानी गांधीजी हर युग के लिए सार्थक हैं। गांधीजी का दर्शन या सिद्धांत किसी टाइम का मोहताज नहीं है और न ही किसी खास देश या देशवासियों तक सीमित है। वे मानवता के लिए हैं और हर युग में उनकी सार्थकता बनी रहेगी।

मैं प्रमोद जी को और उनके साथियों को, उनके मंत्रालय को इस सी डी के प्रकाशन पर बधाई देता हूँ। गांधीजी की जयंती के अवसर पर इससे अधिक उपयुक्त, श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है।

राष्ट्र निर्माण में क्षेत्रीय समाचार-पत्रों का योगदान

द असम ट्रिब्यून के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। इस दिन आप सब लोगों के बीच उपस्थित होकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है।

चार अगस्त 1939 को एक साप्ताहिक पत्र से शुरूआत करके **द असम ट्रिब्यून** अब एक लोकप्रिय दैनिक बन चुका है। इन साठ वर्षों में इस अखबार ने असम और अन्य उत्तर राज्यों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन में शक्तिशाली भूमिका निभायी है। दिल्ली में रहने वाले व्यक्तियों को अन्य राज्यों खासतौर से दूरदराज के राज्यों जैसे राज्य से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों की जानकारी शायद ही होती हो। अखबारों को क्षेत्रीय समाचार-पत्रों के रूप में देखा जाता है। लेकिन जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान उसकी क्षेत्रीय पहचान को मिलाकर बनती है वैसे ही भारत का राष्ट्रीय नीडिया क्षेत्रीय अखबारों की चर्चा किए बिना अधूरा है। किसी भी सूरत में राष्ट्रीय प्रेस और क्षेत्रीय प्रेस जैसे लेवल आमतौर पर दिग्भ्रमित करने वाले होते हैं। अगर हम क्षेत्रीय प्रेस के इतिहास पर नजर डालें तो हमें सूचना के वाहक और महत्वपूर्ण परिवर्तन में उनके योगदान का पता चलता है और यह योगदान किसी भी हालत में तथाकथित राष्ट्रीय प्रेस से कम नहीं हैं। हमें **द असम ट्रिब्यून** जैसे समाचार-पत्रों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह उपनिवेशवादी सत्ता का कभी अंग नहीं रहे। इसके विपरीत इन अखबारों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया है और उपनिवेशवादी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध किया है।

इन समाचार-पत्रों के मालिकों और संपादकों के लिए पत्रकारिता का मकसद व्यावसायिक लाभ लेना नहीं था, इनके लिए यह एक मिशन था। **द असम ट्रिब्यून** शुरू करने के तत्काल बाद स्वर्गीय राधा गोविंद बरूआ ने इसे साबित कर दिया। समाचार पत्रों पर कई प्रतिबंध लगाए गए, खासतौर से उन समाचार-पत्रों पर जो भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे थे। इन प्रतिबंधों की परवाह किए बिना स्वर्गीय राधा गोविंद बरूआ ने पत्रकारिता की उच्च परंपरा और उस समय समूचे भारत में व्याप्त राष्ट्रवादी भावना को कायम रखा। उन्होंने केबिनेट मिशन योजना के खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज उठाई। तब से **द असम ट्रिब्यून** भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रियता की भावना जगाने वाला प्रमुख

अखबार बन गया। इस तरह इस समाचार-पत्र ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन और बाद में उसकी एकता और अखंडता के लिए एक बड़ा योगदान किया।

स्वतंत्रता के बाद भी *द असम ट्रिब्यून* ने अपने संपादकीय कालमें में राष्ट्रीय हित को प्रमुखता दी और आजादी के बाद पांच दशकों में असम में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। *द असम ट्रिब्यून* भारत के राष्ट्रीय विकास कार्यों में पूर्वोत्तर राज्यों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहयोग देता रहा। गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे मुद्दे उठाते हुए श्री अरुण जेटली ने एक अलग उच्च न्यायालय और रेडियो स्टेशन तथा तेल रिफाइनरिया बनाने में योगदान का जिक्र किया। *द असम ट्रिब्यून* ने हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और अन्य आवश्यकताओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया कि राष्ट्र की समृद्धि तभी संभव है जब सभी राज्य खुशहाल होंगे।

असम के विकास, बल्कि समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने में स्वतंत्रता के बाद *द असम ट्रिब्यून* का योगदान तो केवल एक पहलू है। जब कभी भी भारत को उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरे की चुनौती का सामना करना पड़ा है, इस समाचार-पत्र ने जनमत बनाने और जनता का उत्साह बढ़ाने का काम किया है। 1962 में चीन के आक्रमण के दौरान और हाल ही में करगिल युद्ध में यह स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया। आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और मीडिया पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए गए। लेकिन एक निर्भीक समाचार-पत्र होने के नाते इसने झुकने की बजाय बेबाक अभिव्यक्ति को प्रमुखता दी। स्वर्गीय राधा गोविंद बरूआ द्वारा स्थापित पत्रकारिता के उच्च मानदंडों को *द असम ट्रिब्यून* ने बनाए रखा और यह उन अखबारों में रहा जिन्होंने खड़े रहकर सघर्ष का रास्ता अपनाया। *द असम ट्रिब्यून* की यही प्रतिबद्धता अब भी कायम है, जिसकी मुझे काफी प्रसन्नता है।

दरअसल एक ऐसे युग में जब हम देखते हैं कि सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है और मिशन जैसी भावना तेजी से विलुप्त होती जा रही है *द असम ट्रिब्यून* ने अखंडता और स्वतंत्रता का हमेशा संरक्षण किया है। मैं *द असम ट्रिब्यून* की संपादकीय टीम और मालिकों को पत्रकारिता के उच्च मानदंडों को बनाए रखने में उनकी प्रतिबद्धता के लिए बधाई देता हूँ। इसके अलावा इस समाचार-पत्र के इतिहास को देखते हुए मैं सभी अखबारों से आगामी वर्षों में राष्ट्र निर्माण कार्यों में अधिक भूमिका निभाने का आह्वान करता हूँ।

मेरी सरकार समृद्ध भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही समृद्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मेरी सरकार की कार्यसूची में तेजी से आर्थिक विकास और समान सामाजिक विकास प्रमुख हैं। आप सब लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सकारात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं और असम तथा शेष भारत के बीच लोगो मे सेतु की भूमिका निभा सकते हैं। हम लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति में पूरा विश्वास रखते हैं। एक जागरूक मीडिया के होने से ही लोकतंत्र सफल हो सकता है। वह एक सजग प्रेक्षक के रूप में काम करता है और लोगो को पूरी तरह जागरूक तथा जानकार बनाए रखने में अपने कर्तव्य को निभाता है। जहां एक ओर मीडिया का कर्तव्य है कि वह लोगो को जागरूक रखे वहीं यह भी जरूरी है कि यह काम निर्भीकता से करे। मेरी सरकार इस तथ्य से अवगत है कि वर्तमान कानून के कारण गोपनीय सरकारी सूचना तक पहुंचना अगर असंभव नहीं तो कठिन जरूर है। आमतौर पर इस वजह से लोगो को सही सूचना नहीं मिल पाती, या वे कभी-कभी गुमराह भी हो जाते हैं। सूचना को लोगो तक पहुंचाने के उद्देश्य से मेरी सरकार सूचना का अधिकार कानून बनाने पर विचार कर रही है, जैसे ही यह कानून लागू हो जाएगा, मीडिया को लोगो को जागरूक करने मे काफी सहायता मिलेगी, इसी प्रकार से सूचना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है ताकि मीडिया समय के साथ चल सके।

मैं सभी समाचार-पत्रों से खासतौर से, पूर्वोत्तर तथा दूरदराज के क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले अखबारों से आग्रह करता हूं कि वे सरकार के इस प्रयास का लाभ उठाते हुए पाठकों के हितों का बेहतर संरक्षण करें।

पहले की तरह *द असम ट्रिब्यून* ने ऑन लाइन सेवा शुरू करके अन्य क्षेत्रीय अखबारों के लिए मिसाल कायम की है। हालांकि यह समाचार-पत्र गुवाहाटी से छपता है लेकिन इसे दुनिया में कोई भी, कहीं भी पढ सकता है। मैं *द असम ट्रिब्यून* परिवार को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस समाचार-पत्र के हीरक जयंती समारोह में शामिल होने का अवसर दिया और पिछले साठ वर्षों के दौरान समाचार-पत्र द्वारा राष्ट्र को दी गई सेवाओं का स्मरण कराने में मदद की।

ईसा मसीह का संदेश

हम यहाँ ईसामसीह की याद में इस शताब्दी के अंतिम क्रिसमस पर एकत्र हुए हैं, जिन्होंने दो हजार वर्ष पूर्व प्रेम और दया का पाठ पढ़ाया था।

आज समूचे विश्व में प्रार्थना, समारोह और धार्मिक समागम का दिन है। मैं अपने देशवासियों के साथ और मेरे सभी देशवासी समूचे विश्व के लोगों के साथ प्रेम, शांति और भाईचारे के मूल्य अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं, जिसका संदेश क्रिसमस से मिलता है। पारंपरिक रूप से मनाए जाने वाले क्रिसमस के संदेश- “पृथ्वी पर शांति और सभी मनुष्यों के प्रति सद्भाव” आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। ईसामसीह के दो हजार वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत द्वारा डाक टिकट जारी किया जा रहा है। मुझे यह डाक टिकट जारी करते हुए काफी हर्ष हो रहा है।

आज ही के दिन बेथलेहम में दो हजार वर्ष पूर्व ईसामसीह का जन्म हुआ था। उनके बारे में कहा जा सकता है कि वे स्वयं एक संदेश थे। इसलिए उनका जन्मदिवस मनाते हुए प्रत्येक वर्ष मानवता का जन्म और पुनर्जन्म होता है-ईसामसीह के इस संदेश के साथ कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं और हम सत्य, अहिंसा और भाईचारे के मार्ग पर चल कर वास्तव में इस पृथ्वी पर स्वर्ग का राज कायम कर सकते हैं।

यह असाधारण बात है कि ईसामसीह का जन्म दिन क्रिसमस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है, हालांकि विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग तीस प्रतिशत लोग ही ईसाई हैं। क्रिसमस का उल्लास और उत्साह सभी समुदायों को आकर्षित करता है जो इस अवसर को बहु-संस्कृति उत्सव बना देता है।

ईसामसीह का संदेश ईसाई धर्म से बढ़कर है। विश्व के सभी महान धर्मों के सस्थापक और विद्वान पूरी मानवता के लिए होते हैं। उनकी शिक्षा पूरे मानव समाज को प्रेरित करती है बिना किसी धार्मिक भेद-भाव के। सभी धर्मों की शिक्षाओं का सार मानव की अंतरआत्मा को प्रकाश स्तंभ मानता है। प्राचीन भारत के संतों ने इस तथ्य के समर्थन में कहा है “एकम सत्य, विप्र बहुधा वदति”।

ईसामसीह के संदर्भ में उनके जीवन के साथ-साथ क्रूस पर उनकी मृत्यु भी सार्वभौमिक और शाश्वत संदेश है। उनका जीवन सबके लिए प्रेम, सौहार्द की रोशनी से परिपूर्ण था पर उनकी मृत्यु अज्ञान, असहिष्णुता और हिंसा के अधकार की करामात थी।

ईसामसीह के दो हजार साल बाद भी प्रकाश और अंधकार की शक्तियों के बीच टकराव जारी है।

मानव जाति अब भी रक्तपात और घृणा तथा पूर्वाग्रहों से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकी है। युद्ध, दंगे, आतंकवादी घटनाओं और अन्य हिंसात्मक अपराधों द्वारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रही है। दुर्भाग्यवश इतिहास में हिंसा को धर्म के नाम पर ही फैलाया जाता रहा है और यह आज भी सत्य है। क्रिसमस समारोह हमें एक बार फिर ईसामसीह के आदर्शों के प्रति समर्पण की याद दिलाता है और उन्हीं की तरह अन्य अवतारों का भी स्मरण कराता है जो मानवता के लिए जीए और मरे। ये सभी अपने समय से ज़्यादा आज प्रासंगिक हैं। विश्व समुदाय में एक दूसरे पर बढ़ती हुई निर्भरता से नई चुनौतियाँ उभरकर आ रही हैं। नई सदी और नई सहस्राब्दी के लिए विश्व के इन महान पुरुषों के आध्यात्मिक मूल्यों से प्रेरणा लेना अति आवश्यक है। भारत में भी क्रिसमस हर्ष उल्लास से मनाया जाता है और यह बात केवल ईसाइयों के लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए सत्य है। भारत में यह पिछली सहस्राब्दी की आरंभिक शताब्दी से मनाया जा रहा है। भारत में ईसाई धर्म का उद्भव ईसा पूर्व 52 में हुआ था जब ईसा मसीह के बारह शिष्यों में से एक सेंट थामस केरल तट पर आए थे। इस प्रकार भारत में ईसाई धर्म रोम जितना ही पुराना है। भारत में पहला गिरजाघर एक हिंदू राजा के संरक्षण में बनाया गया। जैसे पहली मस्जिद भी हिंदू राजा की देखरेख में ही बनाई गई थी। भारत में सभी तरह के ईसाइयों को फलने-फूलने को पूरा मौका मिला है। ईसाई धर्म के कई संत और पोप भारत यात्रा कर चुके हैं। पिछले महीने ही पोप जॉन पाल द्वितीय का देशवासियों ने हार्दिक स्वागत किया था। इन तथ्यों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज बुनियादी तौर पर धर्मनिरपेक्ष है। भारतीय राष्ट्रियता का सिद्धांत सर्वपथ संभव में निहित है। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों को समान आदर देना है। हमारी दृष्टि में यही धर्मनिरपेक्षता का असली अर्थ है। धार्मिक भेदभाव, एक धर्म को सर्वोपरि मानना और धर्म के नाम पर हिंसा करना, खासतौर पर अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव हमारे मूल्यों और संस्कृति के विरुद्ध है। अगर किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को किसी भी मुद्दे पर सदेह है तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि राष्ट्रीय हित में इसे सद्भावनापूर्ण माहौल में बातचीत के जरिए हल कर लिया जाना चाहिए।

सहिष्णुता, एक-दूसरे धर्म के बीच विचारों का आदान-प्रदान, विभिन्न धर्मों के विद्वानों के विचारों से लाभ और विवादास्पद मुद्दों को हल करने की क्षमता भारत की प्राचीन परंपरा रही है।

मैं ईसामसीह को स्वामी विवेकानंद के अभिभाषण-ईसामसीह सदेशवाहक के अंशों को पढ़कर श्रद्धाजलि देना चाहूंगा। यह भाषण उन्होने सन 1900 में कैलीफोर्निया में दिया था। हम ईसामसीह और सभी अन्य विद्वानों को प्रणाम करते हैं, जिनकी शिक्षा और जीवन से हमें प्रेरणा मिली। चाहे वे किसी भी जाति या वर्ण के हों। हम उन भगवान के अवतारों को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने मानवता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। भले ही उन्होने किसी भी जाति या वर्ण में जन्म लिया हो। हम उन लोगों को भी प्रणाम करते हैं जो विश्व के कल्याण के लिए काम करने के लिए आगे इस धरती पर आएंगे।

आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाना जरूरी

मुझे आज आपके बीच में आकर प्रसन्नता हो रही है। दिन जाते देर नहीं लगती। देखते-देखते 60 साल गुजर गए। मुझे याद है, नीमच में 1939 में जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) का श्रीगणेश हुआ था। सी आर पी.एफ पहले से ही एक तगड़ा बल है। परंतु 60 साल पूरे करने के बाद इसमें और भी जोश आना चाहिए। गांव में कहावत है— 'जो साठा, सो पाठा'। सी आर पी.एफ ने राष्ट्र के जीवन में अपना स्थान बनाया है।

अभी मैं परेड देख रहा था, कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ते हुए जवान, महिलाएं भी शामिल थीं। और, रेपिड एक्शन फोर्स अपना रंग अलग दिखा रहा था। 60 साल की कहानी परिश्रम की कहानी है, कर्तव्यपरायणता की कहानी है, पराक्रम की कहानी, इस कहानी के साथ कुर्बानियां भी जुड़ी हैं।

बाहरी सुरक्षा के साथ-साथ हमें आंतरिक सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसमें इस बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहाड़ों पर, मैदानों में, रेगिस्तानों में, घने जंगलों में, सुदूर क्षेत्रों में, सीमाओं पर यह बल हमेशा संलग्न रहता है और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में सहायता देता है। लद्दाख में इसकी कुर्बानियां ने 1959 में, अगर मैं ठीक तरह से याद रखता हूँ, अपना बलिदान देकर देश को आने वाले खतरे के प्रति सावधान किया था।

हमारा देश एक विशाल देश है। विविधताओं से भरा हुआ देश है। अनेक मजहब हैं, अनेक उपासना पद्धतियां हैं, अनेक भाषाए हैं, रहन-सहन के अलग-अलग तरीके हैं। मगर सबके मूल में एकता का सूत्र है, जो शताब्दियों से हमें एक साथ रख रहा है और हमारे हर संकट में हमारी शक्तिशाली कड़ी बनकर खड़ा रहता है।

बावन साल पहले हम स्वाधीन हुए। और, स्वाधीनता के बाद हमने आने वाले सभी संकटों का सफलता के साथ सामना किया है। संकट आते जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे हैं कि एक संकट के बाद दूसरे संकट पर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं।

अभी दो दिन पहले हमारा एक विमान अपहृत कर लिया गया। काठमांडू से उड़ा था, यात्री विमान था। उसे निशाना बनाया गया। उसके सभी यात्रियों को हम सकुशल वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। विमान भी सही सलामत लौटेगा, ऐसी हमको उम्मीद है। लेकिन इस तरह के खतरे इस बात की मांग करते हैं कि हम हमेशा चौकन्ने रहें, हमेशा जागरूक रहें।

हम शांति चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम औरों के इरादों को सही रूप से आंकने में गलती करें। औरों के इरादों को सही रूप से आकना है। सारी परिस्थिति पर गहराई से नजर रखनी है और जो भी बल हमारे पास है, उसे चौकन्ना रखकर, जागरूक रखकर आंतरिक सुरक्षा को कायम रखना है और बाहर से कोई हमारी सीमाओं का उल्लंघन न कर सके, इस तरह की परिस्थिति पैदा करनी है।

सी आर पी एफ का हमारे सुरक्षा के ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे यह देखकर खुशी है कि सी आर पी एफ इस दायित्व को निभा रहा है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि सी आर पी एफ को लगातार सन्नद्ध रखे। उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करे। उसमें काम करने वालों की सुविधाओं की चिंता करे। हम इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं और रखेंगे। यह मैं आपको आश्वसन देना चाहता हूं। जिन्होंने बहादुरी के लिए सम्मान प्राप्त किए हैं, पदक प्राप्त किए हैं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उनसे प्रेरणा लेकर और जवान भी कर्म-क्षेत्र में अपना-अपना पराक्रम दिखाएंगे, देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे।

हमने लोकतंत्र का रास्ता अपनाया है। कठिनाइयों के बावजूद हमने लोकतंत्र को बरकरार रखा है। मानवाधिकारों में हमारी निष्ठा है। हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा हो, लोग मिल-जुलकर रहें। कोई समस्या ऐसी नहीं है, सारे सवाल ऐसे हैं, जो शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा हल हो सकते हैं। लेकिन राष्ट्र-विरोधी तत्वों पर कड़ी नजर रखनी

होगी। उन्हे हम अपनी एकता और स्वाधीनता से खिलवाड करने की इजाजत नहीं दे सकते। यहा राज्यों के पुलिस बल के साथ, केन्द्रीय पुलिस बल की भूमिका आती है। पारस्परिक सहयोग से एक-दूसरे के पूरक बनते हुए सब अपने-अपने कर्तव्य का पालन करें। यह बहुत आवश्यक है।

नई शताब्दी हमारा स्वागत करने के लिए खडी है। यह शताब्दी शांति का सदेश लाए, यह शताब्दी समृद्धि का सदेश लाए, यह हम चाहते हैं। लेकिन शांति के लिए हमेशा तैयार रहना भी जरूरी है। 'राष्ट्रे जाग्रं वयं'— हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने यह प्रार्थना की। उन्होने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी। धन नहीं मांगा। यहां तक कि हथियारों की आकांक्षा नहीं की। उन्होंने मांगा, जागरण, जागृति— 'राष्ट्रे जाग्रं वयं'— हम राष्ट्र मे जागते रहे। कोई अचानक संकट न आ जाए, तैयार रहे। कोई धोखे से हमारी भूमि पर आक्रमण करने पर आमादा हो जाए तो उसे निकाल बाहर करने के लिए तैयार रहें। 'जागरण'— यह लोकतंत्र का मंत्र है। 'जागरण'— यही सुरक्षा की कुजी है। थोडी-सी असावधानी ऐसे संकट खडे कर देती है कि जिनसे निपटने के लिए काफी त्याग और बलिदान करना पडता है।

मैं आप सबको जयंती के अवसर पर बधाई देता हूं। आपका अभिनंदन करता हूं। सबरवालजी ने सी आर पी एफ वेलफेयर फंड की चर्चा की थी। आज इस अवसर पर उसमे मैं दो करोड़ रुपये देने की घोषणा करता हूं। गृह मंत्री श्री आडवाणीजी यहां उपस्थित हैं। मैंने उनसे कहा था कि यह घरेलू मामला है, आप इससे निपट लीजिए। उन्होने कहा कि नहीं, यह साठ-साला जयंती है, इसमें थोडी-सी बाहर की भी मदद की जरूरत है।

हाथ खड़े निर्माण में

गांधी शांति पुरस्कार बाबा साहेब आमटे को दिया जा रहा है। मैं इसके लिए बाबा साहेब को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उन्हे यहां इस तरह लेटा हुआ देखकर मुझे महाभारत के भीष्म पितामह की याद आती है। लेकिन कुछ अंतर भी हैं। भीष्म पितामह कौरवो के पक्ष में लड़े थे। बाबा साहेब आमटे ने हमेशा न्याय का पक्ष

लिया है। भीष्म पितामह ने कहा था- 'अर्थस्य पुरुषो दास' जब उनसे पूछा गया, क्या आप धर्माचरण में विश्वास करते हैं तो फिर आपने कौरवों का साथ क्यों दिया। 'अर्थस्य पुरुषो दास'-पुरुष पैसे का गुलाम होता है। लेकिन बाबा साहेब ने यह गुलामी नहीं की। अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी कमाई समाज के हित अर्पित कर दी। और फिर मानो धूनी रमाते हुए कुष्ठ रोगियों की सेवा में देश की एकता को पुष्ट करने के राष्ट्र कार्य में बाबा साहेब जुट गए।

उनका व्यक्तित्व अलंकारों तक मर्यादित नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि गांधी शांति पुरस्कार उनके लिए भी संतोष का विषय होगा। लडकपन से वह गांधी की आंघी में बह गए। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया और फिर सेवाधर्म को अपनाया। सेवा दया के रूप में नहीं, सेवा कृपा के नाते नहीं, जिसकी सेवा की जाए, उनमें हीनभाव पैदा न हो, जिस रोगी की सहायता की जाए, निरोग किया जाए, उसका स्वाभिमान बना रहे। और चिकित्सा के दौरान वह स्वावलंबी भी हो सके, इस तरह की व्यवस्था, अनूठी व्यवस्था बाबा साहेब ने की।

चंद्रपुर के गहन आदिवासी क्षेत्र में पहाड़ियों के बीच आदिवासियों की सेवा का बीड़ा लेकर बाबा साहेब निकले। और जहाँ जंगल था, जहाँ प्रवेश कठिन था, जहाँ जीवन की सुविधाएँ नहीं थीं, वहाँ आज आनंद वन है। मेरी इच्छा हुई है बाबा साहेब के बारे में पढ़ने के बाद कि मैं एक बार आनंद वन जरूर जाऊँ और मैं यह प्रयत्न करूँगा।

कुष्ठ रोग के निवारण के देश में अनेक प्रयास हो रहे हैं। लेकिन वे अधिक से अधिक उपचार तक सीमित रहते हैं। और यह संक्रामक रोग नहीं है, कुष्ठ पर विजय पा ली गई है। उसका छुआछूत से कोई संबंध नहीं है। अभी भी यह जानकारी सबको मिलना बाकी है। लेकिन निरोग व्यक्ति अपने पैरो पर खड़ा हो सके। छोटे-छोटे उद्योगों को अपने हाथ में लेकर स्वावलंबी बन सके, स्वाभिमानी बन सके। बाबा साहेब ने यह चमत्कार करके दिखाया, सब लोगों के सामने आदर्श रखा।

बाबा साहेब एक सहृदय कवि भी हैं। सवेदनशील हैं, पीड़ा को अनुभव करते हैं तब निवारण के लिए प्रयास करते हैं। जिस बात को ठीक समझते हैं उस पर दृढ़ हो जाते हैं। लेकिन मतभेदों के बावजूद संबंधों की मिठास में किसी तरह की कमी नहीं आने देते। कुछ महीने पहले बाबा साहेब दिल्ली आए थे, अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। लेकिन मुझे विश्वास है कि बाबा साहेब के मन में उसे लेकर कोई कटुता नहीं होगी। वह कहते हैं कि हाथ उठना चाहिए निर्माण के लिए, मारने के लिए नहीं। उनकी एक कविता की पंक्तियाँ मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा- उन्होंने कहा कि हाथ खड़े निर्माण में न मांगने में और न मारने में। न मांगने में- भीख के लिए हाथ नहीं फैलाएगा, पैरों पर खड़ा

रहेगा, स्वाभिमान से जीएगा, यह बाबा साहेब की शिक्षा है। मराठी कविता की दो पंक्तियाँ- परांना क्षितिज नसते। पंख को क्षितिज नहीं होते। त्यांना फक्त झेपेच्या कवेत मावणारे आह्वान असते। पंखों को क्षितिज नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ ऊंची उड़ान का आह्वान होता है, चुनौती होती है। कितना ऊंचा जा सकता है, इसका निमंत्रण होता है।

आज बाबा साहेब हमारे बीच में हैं। हमने उनका अभिनंदन करके सचमुच में अपने को ही कृतार्थ किया है। मैं फिर एक बार उन्हें बधाई देता हूँ। अभी वो मुझे अपनी आयु बता रहे थे, एज बता रहे थे। मुझे नहीं लगता उनकी इतनी आयु हो गई है। लेकिन इतनी आयु में भी जिस तरह से वो काम कर रहे हैं- भारत जोड़ो, तोड़ो नहीं, जोड़ो। और फिर कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर इटानगर से ओखा तक, देश को जोड़ने का काम, सबको साथ लेकर चलने का काम। आजकल वह नर्मदा के किनारे धूनी रमा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वह कोई ऐसा रास्ता निकालेगे कि नर्मदा का जो निर्माण होने वाला है, वो भी हो जाए और जो उजड़ रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, वो भी ठीक तरह से बसाए जा सकें।

चरैवेति - चरैवेति

लगभग एक वर्ष होने के साथ मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि जो धर्म रथ चालू किया गया था, चलाया गया था, निरंतर चल रहा है। धर्म का चक्र चलना भी चाहिए। निरंतर चलना, जड़ होकर बैठना नहीं। हाथ पर हाथ रखकर समय नहीं विताना, निरंतर चलते रहना, धर्म की पहचान है। चलना जीवन है। मैं देखता हूँ साध्वियों को, उन्होंने पांव-पांव चलने का संकल्प किया है। मौसम बाधक नहीं बनता क्योंकि मंत्र है चरैवेति-चरैवेति, चलते रहो, चलते रहो। यह ठीक है कि सही पथ पर चलना चाहिए, सही रास्ते पर चलना चाहिए, धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए।

धर्म वह मंत्र है जो उन्धार करता है, जो शक्ति देता है, जो सद्बुद्धि देता है, जो औरों का भला करना सिखाता है। हमारे देश में धर्म की परंपरा है। अनेक उपासना पद्धतियाँ हैं, पूजा करने के अलग-अलग तरीके हैं, लेकिन सब एक ही लक्ष्य की ओर ले

जाते हैं। अलग-अलग आयाम होते हैं, अलग-अलग दृष्टि होती है, लेकिन सृष्टि एक ही होती है। यह धर्मपरायण देश है। यहा जरा भी भेदभाव नहीं है। उपासना पद्धति को लेकर शास्त्रार्थ तो होते रहे हैं लेकिन यह इस देश की विशेषता रही है कि दूसरे के सत्य को भी स्वीकार करने की तत्परता रही है।

यह प्रसन्नता की बात है कि भगवान ऋषभदेव जी का निर्वाण उत्सव मनाया जा रहा है। 24 तीर्थंकर हुए थे। सब आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन सब के बारे में जितनी जानकारी चाहिए, उतनी नहीं है। अभी माता जी कह रही थीं कुछ लोग तो यह समझते हैं कि जैन धर्म की स्थापना भगवान महावीर ने की, जबकि सच्चाई यह है कि वह 24वें तीर्थंकर थे। उससे पहले 23 तीर्थंकर और हुए हैं। मेरे सरकारी दफ्तर के कमरे में तीर्थंकर पारसनाथ जी की मूर्ति रखी हुई है। बहुत से लोग आते हैं पहचान नहीं पाते हैं। उनको बताने का काम धनंजय ही करते हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। जैसे-जैसे महापुरुषों के बारे में, देवताओं के बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ज्ञान के नए आयाम हमारे सामने खुलते हैं। इस पर अनुसंधान होना चाहिए, पारसनाथ किससे संबंधित हैं?

हजारों साल पहले हम जो जीवन जीते थे और जिसके बारे में कहा गया है कि जीवन जीने की कला, मेरा निवेदन है कि जीवन कला भी है और जीवन विज्ञान भी है, लेकिन कला और विज्ञान अलग-अलग नहीं है। और, जब मैं देख रहा था ऋषभदेव जी के बताए हुए सूत्र, जिनका यहां बार-बार उल्लेख किया गया, छ. सूत्र हैं, “असी” - “असी” का अर्थ है तलवार, रक्षा का शस्त्र। पहला स्थान है “असी” का आक्रमण के लिए शस्त्र होना। रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, सबसे पहले “असी” इसलिए रखा गया है कि खेती को सुरक्षित रखना होगा, जंगली जानवरों से खेती को सुरक्षित रखना होगा। पड़ोसियों से, और फिर सुरक्षा के लिए कभी-कभी शस्त्र की भी जरूरत होती है। लेकिन, अगर शस्त्र है तो उसके उपयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। शस्त्र है, यह जानकारी आक्रमणकारी को गलत रास्ते पर चलने से विरक्त कर सकती है।

इसके बाद ज्ञान की बात आई है “मसी” बहुत आवश्यक है और हजारों साल पहले। आज हम साक्षरता दिवस मना रहे हैं, सारे भारत को साक्षर करने के लिए निकले हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि बीच में अगर पराधीनता का काल नहीं होता तो इस देश में गैर-पढ़े लिखे लोग नहीं होते। लेकिन, उपेक्षा हुई है। अनाज का उत्पादन, वित्तीय, वाणिज्य और शिल्प कारीगरी, जो टेक्नोलॉजी है, निर्माण करना और ये हजारों साल पहले की बात है। हम जरा कल्पना करें। आज भी उनका उल्लेख होता है। इस देश

मे, इस देश की मिट्टी में जीवन को कभी टुकड़ों में नहीं देखा गया, समग्रता में देखा गया। समग्रता को जीवन में देखते हुए हमने जीवन के विकास का प्रयत्न किया। इसीलिए तो हजारों साल से इस देश का अस्तित्व है। इस देश का लोहा आज भी माना जाता है। देश महान शक्ति बनने की सारी संभावनाओं से परिपूर्ण है। यह हमारे मित्र और शत्रु दोनों स्वीकार करते हैं। हमें अवसर मिला है, नैतिकता के रास्ते पर चलते हुए, धर्म का अवलंबन करते हुए हम प्राणी मात्र को विजयी बनाने के अपने संकल्प पर आगे बढ़ने का प्रयास करें।

मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया था, वो मुझे पर्याप्त मात्रा में मिल गया है और यह अगले कार्यक्रम तक मेरे काम आएगा। हमें आशीर्वाद चाहिए, जिससे हम सही रास्ते पर दृढ़ता के साथ चल सकें। कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य के बीच में कभी-कभी द्वंद्व होता है। एक धर्मसंकट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जब विमान का अपहरण किया गया तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई। अगर विमान में मेरे घर वाले होते, मेरे सगे-संबंधी होते तो उन्हें बलि चढ़ाने में मुझे एक क्षण का भी संकोच नहीं होता। मगर जो लोग थे वे भारत के नागरिक थे। विदेश से हवाई जहाज में चढ़े थे, विदेश में रुक गए जाकर। रक्त बहाकर भी उनकी रक्षा संभव नहीं थी इसीलिए यह फैसला किया गया, हृदय पर पत्थर रखकर फैसला किया गया कि हम ऐसा कदम उठाएंगे। इसमें भले ही आलोचना का लक्ष्य बनना पड़े लेकिन प्राण रक्षा हो और जो दुष्ट हैं वे बेनकाब हों, उनके चेहरे पर से पड़ी हुई कायरता की नकाब हटे। विमान का अपहरण कर लेना कोई बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी का काम था, करगिल की चोटियों पर बैठे हुए आक्रमणकारियों को वहां से हटाना। चोटियों पर बैठे हुए, और हमारे बहादुर जवान नीचे थे। मगर चोटियों पर पहुंचना था, संकल्प था, जान पर जूझने का सवाल था, मगर तैयारी थी। कर्त्तव्य की पुकार थी और उसका पालन किया जवानों ने। देश को संकटों से गुजार कर, संकटों से बचाकर आगे ले जाना, यह जनता के सहयोग से ही संभव है। घर के भीतर, घर के बाहर हमारी बढ़ती हुई शक्ति और हमारी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर पड़्यंत्र रचे जा रहे हैं। देश के भीतर जाली नोट बड़ी मात्रा में भेजने की कोशिश हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। लेकिन, हर संकट को हमने सफलता के साथ झेला है और आने वाले संकटों को भी हम चकनाचूर करेंगे, यह हमारा विश्वास है। इसके लिए हमें सबका सहयोग चाहिए। सद्पुरुषों का, देवताओं का आशीर्वाद चाहिए।

आपने मुझे यहां बुलाया, मैं आपका आभारी हूँ। मैं स्वयं को आपके आशीर्वादों के लायक सिद्ध कर सकूँ, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अनिवासी भारतीयों की उपलब्धियों पर हमें गर्व है

भारतीय मूल के लोगों के योगदान पर आयोजित इस सम्मेलन में उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है। मैं इसके आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। यह संभवतः नई शताब्दी में भारतीय मूल के लोगों का पहला सम्मेलन है। इसका श्रेय श्री बालेश्वर अग्रवाल और उनके सहयोगियों को जाता है।

भारतीय मूल के लोग विश्व के लगभग सभी देशों में रहते हैं। उन्होंने अपने व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। वे जहां भी रहे हों, उन्होंने कड़ी मेहनत, बुद्धिकौशल और बेशक उस देश का नागरिक होने के प्रति वचनबद्धता दशति हुए अपने लिए और अपनी मातृभूमि-भारत के लिए नाम कमाया है।

विश्व के सभी भागों में हमारे लोगों की यात्रा की कहानी आश्चर्यजनक है। यह बड़े साहस और चरित्र की कहानी है। यह हमें बताती है कि:

- बिहार और उत्तरप्रदेश के लोगों को मजदूर के रूप में काम करने के लिए दुनियाभर में ब्रिटेन के शासन वाले देशों में ले जाया गया,
- गुजराती व्यापारियों की कहानी जो अफ्रीका के विभिन्न भागों में गये,
- सिक्ख किसानों की कहानी जो लगभग सौ वर्ष पहले अमरीका और कनाडा जा बसे,
- तमिल मजदूरों और उद्यमियों की कहानी जो सिंगापुर और मलेशिया गये, तथा
- सिंधी व्यापारियों की कहानी जो थाईलैण्ड और हांगकांग में बस गए।

यह उज्ज्वल युवा भारतीय इंजीनियरों, डॉक्टरों और अन्य व्यवसायिकों की भी कहानी है जो 60, 70, और 80 के दशक में अमरीका और ब्रिटेन गए। 90 के दशक में इन देशों में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर गए, जिनमें से अनेक अब विश्व स्तर के व्यापारी बन गए हैं।

जहां भी वे गए भारतीयों ने हमेशा उन देशों को समृद्ध और संपन्न बनाया। उन्होंने उन देशों की आर्थिक संपन्नता और सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान किया।

मुझे बताया गया है कि दुनिया में करीब 40 ऐसे देश हैं जहां भारतीय मूल के लोगो की आबादी 50 हजार से अधिक है। ऐसे और भी अनेक देश हैं, जहां भारत के लोगो की संख्या तो कम हो सकती है, लेकिन उनकी उपस्थिति को किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, जिसका इत्ना व्यापक विस्तार हुआ हो। यह हम सभी-भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के लिए गर्व का विषय है।

भारतीय मूल के लोगो का यह महत्वपूर्ण योगदान भारत की मजबूत संस्कृति और परंपरा के कारण है। हमारी सभ्यता *वसुधैव कुटुम्बकम्* के सिद्धांत पर आधारित है यानि पूरा विश्व एक परिवार है। जहां भी हमारी बहनें और भाई गये उन्होंने अपने समुदाय में परिवार तथा सामाजिक मूल्यों के आवश्यक तत्वों को संरक्षित रखा और उन्हें व्यापक समुदाय में फैलाया।

मित्रो, अगर हम पीछे पलट कर देखें, तो इतिहास में अनेक ऐसी शक्तियां रही हैं जिन्होंने हमारे लोगो को भारत छोड़ने और विदेशों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया।



प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय मूल के लोगो के योगदान पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए, नई दिल्ली, 12 फरवरी 2000

इस तरह का लोगो के अंतर राष्ट्र आंदोलन से 21वीं शताब्दी के एक-दूसरे पर निर्भर और एक-दूसरे से जुड़ी विश्व व्यवस्था को गति मिलेगी।

इस शताब्दी और नयी सहस्राब्दि में भारत के लोगो के इस तरह के विस्तार से एक अलग प्रेक्षप-पथ बनेगा। पहले लोगो ने कठिन परिस्थितियों में या कुछ आर्थिक दबाव में भारत छोड़ा, क्योंकि उस समय हमारा देश ब्रिटिश उपनिवेश बना हुआ था। लेकिन भविष्य में यह मामला नहीं होगा।

भारत न सिर्फ अब एक स्वाधीन देश है, बल्कि वह विश्व के विकसित देशों के समूह में अपना उचित स्थान हासिल करने के लिए विश्वास से आगे बढ़ रहा है। अब किसी भी भारतीय को भुखमरी और जमीन की कमी के कारण अपना देश नहीं छोड़ना पड़ेगा बल्कि अब अगर वे विदेशों में जाएंगे, तो अपने बुद्धिकौशल और ज्ञान के बल पर। जैसा कि आज हो रहा है। हम एक दूसरा फर्क भी देखते हैं। पहले अधिकतर भारतीय जो विदेश गए उन्हें उन देशों में अर्थव्यवस्था के निचले स्तर पर काम करना पड़ता था, लेकिन अब वे तेजी से ऊपर चढ़ रहे हैं। यह गर्व की बात है कि अनेक भारतीय आज बड़े बैंकों, एयरलाइंस, सलाहकार, प्रतिष्ठान और निश्चय ही विदेशों में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की अगुवाई कर रहे हैं।

अनेक देशों में भारतीय मूल के लोग धनी लोगो में हैं। मुझे विश्वास है कि यह प्रक्रिया आने वाले वर्षों में जोर पकड़ेगी।

चूँकि भारतीय मूल के लोग और अनिवासी भारतीय अधिक से अधिक संपन्न हो गए हैं, वे निवेश और व्यापार के लिए भारत को एक आकर्षक स्थान के तौर पर देखते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार हर तरह से इस प्रक्रिया में मदद करेगी।

मित्रो, अब समय आ गया है कि जिन देशों में आप रह रहे हैं वहाँ आपकी आर्थिक मजबूती और व्यावसायिक उपलब्धियों के कारण वहाँ की राजनीति, संस्कृति और सामाजिक जीवन में आपकी आवाज सुनी जाए और आप उन्हें प्रभावित कर सकें।

आपको अपने देश की राजनीतिक गतिविधियों में भी जिम्मेदारी और प्रभावी तरीके से शामिल होना चाहिए। यह खुशी की बात है कि भारतीय मूल के अनेक लोग विदेशों में सरकारों और राजनीतिक दलों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन यह प्रक्रिया अब तक धीमी रही है और अब इसमें तेजी लाने की जरूरत है।

सरकार भारतीय मूल के लोगो को सिर्फ निवेशकों के रूप में नहीं बल्कि विश्व के बाकी देशों के साथ हमारे संपर्कों के तौर पर भी देखती है। हम चाहते हैं कि आप अपने

देश में एक नये और राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा बौद्धिक प्रतिष्ठान के रूप में उदीयमान भारत की जानकारी देने में हमारे गैर सरकारी राजदूत की भूमिका निभाएँ।

जब भी जरूरत होगी और मौका हो, हम चाहते हैं कि आप अपने देश के विभिन्न मंचों में भारत का मामला रखें। मुझे खुशी है कि करगिल युद्ध और छाल ही में विमान अपहरण सफ़ट के समय आपने यही किया।

मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप कश्मीर के बारे में भारत के दृष्टिकोण, देश की धर्म निरपेक्ष परंपरा और सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियाँ जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा बन गया है— जैसे मुद्दों पर भी लगातार यह काम करते रहें।

आज का भारत आत्मविश्वास से भरा है, जो कि आर्थिक संपन्नता और सामाजिक न्याय तथा समानता की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज का भारत एक नयी और समानता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हालाँकि हम अपने आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप अथवा अपने द्विपक्षीय संबंधों या समन्वयों में अन्य की मध्यस्थता की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन हम किसी भी देश के साथ सहयोग के ढाँचे में काम करने को तैयार हैं।

मित्रों, मुझे एक बार फिर यह कहते हुए अपनी बात खत्म करने दीजिए कि भारत को आपकी उपलब्धियों पर गर्व है। अधिक से अधिक भारतीय-भारत और विदेश दोनों ही जगह सफलता हासिल कर रहे हैं। नयी शताब्दी में, जो कि अभी शुरू हुई है, हम भारत को सफल बनाने का संकल्प लेते।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी

किंसी पुस्तक का लिखना, विशेष रूप से ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित पुस्तक का लिखना कोई सरल कार्य नहीं है। अक्सर इस कार्य के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि पुराने दस्तावेज आसानी से नहीं मिलते। निस्संदेह श्री कुलदीप नैयर ने अपनी नई पुस्तक— *द मार्टियर : भगत सिंह— एक्सपेरिमेंट्स इन रिवोल्यूशन* लिखते हुए कठोर परिश्रम किया है। शहीद भगत सिंह के जीवन और समय के बारे में बताने के लिए उनके

कुलदीप नैयर की पुस्तक 'द मार्टियर . भगत सिंह - एक्सपेरिमेंट्स इन रिवोल्यूशन' के लोकार्पण के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 25 फरवरी 2000

समकालीन कुछ ही लोग जीवित हैं और सरकारी दस्तावेजों को ढूँढ निकालना कठिन है। इस स्थिति में इस बहादुर क्रांतिकारी की जीवनी को, जो अपने जीवन काल में ही किंवदंती बन गए थे और आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक हैं, लिखने के लिए काफी प्रयास करना पड़ा होगा।

मुझे कल दोपहर बाद इस पुस्तक की एक प्रति मिली और मैंने उसके कुछ अंश पढ़े हैं। मैं श्री नायर के प्रयास की प्रशंसा करता हूँ। मैं पुस्तक को इतने बढ़िया ढंग से प्रकाशित करने के लिए इसके प्रकाशक हर आनंद की भी प्रशंसा करता हूँ।

जैसा कि हम सभी जानते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फासी के तख्ते पर लटकाया गया। उन्हें लाहौर षड्यंत्र कांड में मौत की सजा दी गई थी। सभी उपलब्ध विवरणों के अनुसार यह मुकदमा दिखावे का था। अंग्रेज गवर्नर जनरल ने लाहौर षड्यंत्र कांड की सुनवाई करने के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) की स्थापना एक अध्यादेश जारी करके की थी। इस अध्यादेश के अंतर्गत अभियुक्त का उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था यह न्यायिक प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग था।

शहीद भगत सिंह का जीवन आज हम सबको कुछ सबक सिखाता है। उनके लाला लाजपत राय के साथ गंभीर राजनीतिक मतभेद थे, लेकिन इन मतभेदों के कारण लालाजी के प्रति उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आई।

लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए पुलिस अधीक्षक जे एस स्काट ने निर्दयता से पीटा। 17 नवंबर 1928 को घातक चोट लगने से लालाजी की मृत्यु हो गई। इस पाशविकता से क्रोधित होकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्र शेखर आजाद ने स्काट की हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने का फैसला किया।

इस कार्य में गलती से उन्होंने एक अन्य पुलिस अधिकारी, सांडर्स को गोली मार दी। अंग्रेजी अधिकारियों को इस हत्या का कोई सुराग नहीं मिल सका और शायद, भगत सिंह को कभी इस हत्या के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाता और फासी नहीं दी जाती, अगर 8 अप्रैल 1929 को सरकार द्वारा पेश दो कठोर विधेयकों के विरोध में केंद्रीय एसेम्बली में बम फेंकने का फैसला नहीं करते। विडंबना यह है कि भगत सिंह के हाथ से लिखे गए एक पोस्टर में (जो बम के बाद फेंका गया) यह स्पष्ट किया गया था कि ब्रिटिश अधिकारी की हत्या क्यों की गई। इस पोस्टर की सहायता से ही अंग्रेज अधिकारी भगत सिंह और उसके साथियों पर सांडर्स की हत्या का आरोप लगा सके।

समकालीन विवरणों से पता चलता है कि तीनों युवकों ने, जब उन्हें लाहौर सेट्रल जेल में फासी घर की ओर ले जाया जा रहा था, पश्चाताप और भय के कोई भाव प्रदर्शित नहीं किए। उन्होंने “इन्कलाब जिंदाबाद” के नारे लगाते हुए खुशी-खुशी मौत को गले लगाया। श्री नैयर की पुस्तक शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के अलावा भारतीय क्रांतिकारियों के सीमित इतिहास पर प्रकाश डालती है। स्वतंत्रता संघर्ष में क्रांतिकारियों के योगदान की या तो उपेक्षा की गई है या उसे कम दिखाया गया है।

भगत सिंह के साहसिक क्रांतिकारी कार्यों की गाथा को प्रकाश में लाने के लिए श्री नैयर के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए मैं इतना और कहना चाहूंगा कि मैं बंगाल के क्रांतिकारियों या महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों, विशेष रूप से चापेकर बंधुओं या वीर सावरकर के संबंध में लेखक के विचारों से असहमत हूँ। बंगाल के क्रांतिकारी उदाहरण के लिए अनुशीलन समिति के सदस्य और महाराष्ट्र में उनके देशभक्त साथी उतने ही कट्टर देशभक्त थे जितने अन्य लोग और वे केवल एक उद्देश्य से प्रेरित थे— दमनकारी अंग्रेजी शासन से मातृभूमि की स्वतंत्रता।

वास्तव में सूर्य सेन, अरविंद घोष, अशाफाकउल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने समय की युवा पीढ़ी के दिमाग में हलचल मचा दी थी और वे वर्तमान पीढ़ी को भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के बाद जो सामूहिक विरोध प्रदर्शन किए गए उन्होंने कई तरह से “स्वदेशी”, “स्वाभिमान” और “स्वराज” के संघर्ष की नींव रखी। उनके कार्यों से उग्रपथियों और गांधीजी के अहिंसा के सिद्धांतों को मानने वाले दोनों ने प्रेरणा ग्रहण की।

पूरी मानवता में एक ही आत्मा का वास है

श्रद्धा और वैभव, सिख कला-विरसा प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के अवसर पर मुझे आपके बीच आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह प्रदर्शनी खालसा पंथ की स्थापना के त्रिशती समारोह का एक हिस्सा है। यह बहस हो रही थी कि ‘पाइटी’ का हिंदी अनुवाद क्या हो? किसी ने कहा भक्ति होना चाहिए। किसी ने कहा श्रद्धा होना चाहिए। विद्वानों

में मतभेद बना रहा, कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हमें ऐसे शब्द को खोजना पड़ेगा जिसमें श्रद्धा का भी समावेश हो, भक्ति का भी समावेश हो और समर्पण का भी समावेश हो। यह प्रदर्शनी हमारी सिख विरासत को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण काम करेगी।

गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सन् 1699 में पंज पियारों, जो देश की अलग-अलग जातियों और क्षेत्रों के थे, को अमृत पिलाकर खालसा पंथ की स्थापना की। इस प्रकार, उन्होंने गुरु नानकदेव जी के सार्वभौम उपदेशों और शिक्षाओं को स्थापित किया जिन्होंने मानस की जात सबहे एके पहचानिबो, "पूरी मानवता में एक ही आत्मा का वास है", की मानवीय भावना की श्रेष्ठता के आधार पर नए मूल्यों की पद्धति द्वारा एक नई सभ्यता की परिकल्पना की। गुरु नानक जी के उपदेशों की यह मूल अवधारणा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी गुरु गोविंद सिंह द्वारा 300 वर्ष पूर्व खालसा पंथ की स्थापना करते समय थी।

गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने समय के पुरुषों और महिलाओं के विचारों में क्रांति ला दी। खालसा पंथ ने गरीब, कमजोर और दलित लोगों के जीवन में आशा की नई किरण भर दी और उनमें आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास जगाया तथा इज्जत के साथ जीने की इच्छा-शक्ति पैदा की। खालसा पंथ की स्थापना करके गुरु महाराज ने ऊंच-नीच के भेद को मिटाया तथा बलशाली और कमजोर लोगो तथा पुरुषों और महिलाओ को बराबर समझा। खालसा पंथ ने अपने अनुयायियों में अनुशासन और चरित्र-निर्माण की भावना भरी और आम आदमी को भी उत्साही एवं कार्यक्षम पुरुष और महिला बना दिया। इसमें कोई सदेह नहीं है कि सिखों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तथा स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र-निर्माण के हर क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है।

खालसा पंथ की स्थापना समारोह सारे विश्व में मनाया जा रहा है। आज के हमारे इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना को मनाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में इस वर्ष अनेक कार्यक्रम और परियोजनाएं शुरू की गई हैं। यह प्रदर्शनी इनमें से एक है।

इस प्रदर्शनी को 'श्रद्धा और वैभव' का जो नाम दिया गया है वह वास्तव में उचित है क्योंकि ये दोनों ही पहलू, जो एक दूसरे के पूरक हैं, सिख इतिहास के पन्नों को जोड़ने वाले स्वर्णिम धागे की तरह हैं। इस प्रदर्शनी में गुरु नानक तथा अन्य गुरुओं के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाने वाले चित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार तथा कटार, महाराजा रणजीत सिंह की तलवार तथा ढाल, जवाहरात जडे विभिन्न प्रकार के

परिधानो का जो प्रदर्शन किया गया है, वह इस बात को प्रकट करता है कि सिख गुरुओ, विशेषकर गुरु गोविंद सिंह जी का व्यक्तित्व 'भक्ति', 'पराक्रम' एवं 'वैभव' से ओत-प्रोत था।

यह प्रदर्शनी सच्ची सिख भावना का सम्मान करने तथा सिख इतिहास और संस्कृति की गहन जानकारी देने के लिए आयोजित की जा रही है। तथापि, गुरु गोविंद सिंह जी को सम्मानित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उनके द्वारा बताए गए आदर्शों और मार्गों पर चलें तथा उनमें अपनी आस्था को दृढ़ करें। आइए, हम विश्व बहुत्व की अवधारणा में अपनी आस्था को दोहराएं तथा भारत का और अधिक सशक्त, प्रगतिशील तथा उन्नत राष्ट्र के रूप में निर्माण करें।

मैं फिर एक बार राष्ट्रीय संग्रहालय को बधाई देना चाहता हूँ कि खालसा पंथ की स्थापना के त्रिशती समारोह के अवसर पर उन्होंने एक सुंदर प्रदर्शनी का आयोजन किया है। अभी सस्कृति मंत्री ने एलान किया कि इस प्रदर्शनी को देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर ले जाया जाएगा। ऐसे स्थान जहां इतिहास लिखा गया था। इसे देशवासी देख सकेंगे, प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। नई पीढ़ी को भी अच्छे सस्कार मिलेंगे। मुझे एक एलान करना है कि यह माग की गई कि सिख इतिहास से संबंधित और उन महापुरुषों से जुड़े हुए जो स्मृति चिह्न दुनिया के अलग-अलग देशों में हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए, यहाँ लाने की कोशिश की जाए। कुछ प्रयत्न हुए थे, कुछ आंशिक सफलता भी मिली है। लेकिन अभी बहुत से चिह्न ऐसे हैं जो अगर यहाँ आएँ तो प्रेरणा के केंद्र बनेंगे। केवल देखने की चीज नहीं होंगे, वे एक जीवंत चिह्न के रूप में लोगों के दिल और दिमाग को झकझोरने वाले होंगे। महाराजा रणजीत सिंह के सिंहासन की चर्चा हम लोगों ने बहुत सुनी है। वह सिंहासन अपने असली रूप में तो इस समय प्राप्त होना मुश्किल है, है भी या नहीं है, मैं नहीं कह सकता विश्वास के साथ। लेकिन उसकी एक रेप्लिका तैयार है। जो उस समय से बनाई गई है और आज उपलब्ध है, वह हमारे पास है। हम उसे पंजाब सरकार को दे रहे हैं, जिससे वह पंजाब में सुरक्षित रहे, पंजाब में उसका सम्मान हो सके। इन शब्दों के साथ मैं प्रदर्शनी के आयोजकों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। यह प्रदर्शनी सफलता के साथ लोगों के मन और मस्तिष्क को प्रभावित करती रहे, यही मेरी कामना है।